Page No. 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 11

बृहस्पतिवार,

दिनांक 22 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री सुरजा राम।

जिला बीकानेर व चूरू की खानों में उत्खनन

230. **श्री सुरजा राम टाक (नोखा):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पिछले तीन वर्षों में बीकानेर व चूरू जिले में कौन-कौन सी तहसील में कौन-कौन सी खानों का उत्खनन हो रहा है ?

(2) क्या इन खानों पर मजदूरों के लिये पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, श्रम-कल्याण केन्द्र आदि की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार बीकानेर व चूरू जिले की समस्त खानों के उत्खनन के पट्टे इसी क्षेत्र के ग्रामवासियों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक स्नातकों को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) बीकानेर व चूरू जिलों की जिन तहसीलों में पिछले तीन वर्षों से जिन खनिजों का उत्खनन हो रहा है, उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में है।

(2) खानों पर मजदूरों के पेयजल, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं आदि पट्टाधारियों द्वारा दी जाती हैं। जहां तक श्रम कल्याण केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न है, खनिज विभाग द्वारा उपलब्ध

Page No. 2

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

नहीं करायी जाती है, वरन् श्रम विभाग द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों में श्रमिक अलग-अलग जगह पर बिखरे हुए कार्य करते हैं, इसलिए खनिज विभाग की जानकारी के अनुसार इन सुविधाओं का खानों पर कार्यरत मजदूरों को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) स्थानीय ग्रामवासियों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बेरोजगार युवक स्नातकों में से पट्टा लेने हेतु आवेदन करते हैं उनको पट्टे दिये जाते हैं। अन्य लोगों को पट्टे दिये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री सुरजा राम टाक : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ खानों पर काम करने वाले मजदूर, जो रिस्की एवम् जोखिमपूर्ण काम कर रहे हैं, के लिए न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा मुहैया है और न पीने के पानी की सुविधा है। यदि कोई अप्रिय घटना हो जाय तो उनकी सुरक्षा की गारण्टी कौन देगा ? ऐसी परिस्थितियों में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करें, बीकानेर के 20 हजार बेरोजगार युवकों के लिए बीकानेर के ऐसे बहुत एरिया में खानें अलाट की जायें तो उचित होगा। मन्त्री महोदय सदन में आश्वासन दें। ऐसे बेरोजगार युवकों के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है और वह कब से विचाराधीन है ?

श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा का प्रश्न है, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि आम तौर पर खानों के मालिकों के द्वारा यह सुविधायें श्रमिकों को उपलब्ध करायी जाती हैं। जहाँ तक श्रम कल्याण केन्द्र और शिक्षण केन्द्र का सवाल है तो जहाँ ज्यादा संख्या में श्रमिक आते हैं जिन गांवों से यह श्रमिक आते हैं उन गांवों में राज्य सरकार ने सारी सुविधायें नार्म्स के अनुसार उपलब्ध करायी हुई हैं। चूंकि यह श्रमिक एक जगह अधिक दिन रहकर काम नहीं करते हैं इसलिए श्रम कल्याण केन्द्र उचित नहीं होगा। चूंकि काम करने की जगह एक नहीं रहती और गांव में रहते हैं इस दृष्टि से शिक्षा या स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं है। उस क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र या डिस्पेन्सरी राज्य सरकार के अपने बजट के अनुसार और विभाग के अपने नार्म्स के अनुसार बने हुए हैं। वहां सुविधायें उपलब्ध हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन सुविधाओं के अभाव में श्रमिकों को कोई कठिनाई है। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो माननीय सदस्य यह बतायें, इतना श्रमिक समूह वहां रहता है तो निश्चित रूप से श्रम विभाग द्वारा इन सुविधाओं के बारे में सोचा जा सकता है। इसके लिए मैं मना नहीं करता।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दूसरा जो कहा कि बीकानेर क्षेत्र के अन्दर पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक काफी हैं उनके लिए क्या सोचा है, तो हमने साफ बताया है कि शिक्षित बेरोजगार. जहाँ प्रधान (मेजर) खनिज हैं जिनका कन्ट्रोल गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया रखती है उन मेजर खनिज में तो पट्टे प्राथमिकता के आधार पर देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन बीकानेर जिले में माइनर मिनरल ज्यादा है और उनको माइनर मिनरल रूल्स के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। उसमें यह नहीं कह सकते कि उन्हीं को दिया जायेगा। उनको एप्लाई करना पड़ेगा, जो भी पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक इस काम में इन्ट्रेस्टेड हैं इसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह आयें और प्राथमिकता के आधार पर खनन पट्टे पायें। इसमें मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री सुरजा राम टाक: नोखा और नागौर के बीच में लाइन स्टोन मिला है तो क्या राज्य सरकार मिनी सीमेण्ट प्लान्ट बनाने की योजना बना रही है? यदि ऐसी योजना विचाराधीन है, तो इसे कब तक इम्पलीमेन्ट कर दिया जायेगा?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री सुरजा राम टाक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लाइम स्टोन का मामला वर्षों से पड़ा है। इस सम्बन्ध में आश्वासन सरकार ने दिया था कि हम कार्यवाही करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां भी लाइम स्टोन मिलेगा और सीमेण्ट फैक्ट्री या मिनी सीमेण्ट प्लान्ट लगाने की स्थिति होगी तो वहां फैक्ट्री लगेगी। उसके आधार पर जो भी इण्डस्ट्री होगी, वह लगेगी।

श्री सुरजा राम टाक: कई सुरक्षित एरिया पड़े हैं वहां पर क्यों नहीं भूमिहीन परिवारों और पढ़े-लिखे बेरोजगारों को अलाट कर दें? क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो खाली एरिया है उनके लिये उनकी दरख्वास्त आयेंगी तो उनको ना नहीं करूंगा। लेकिन दरख्वास्तें तो आयें, वह मांगें तो सही।

श्री अध्यक्ष : श्री इंदोरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के ग्राम रणधीसर में लोग सड़कों पर रहते हैं। उनके लिए पीने के पानी, शिक्षा और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की सोच रही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट बता दिया पहले ही कि पीने के पानी की सुविधा खान के मालिक के द्वारा की जाती है। अगर नहीं करायी गयी है तो आप बतायें हम पाबन्द करेंगे कि वह व्यवस्था कराये। जहां बच्चे अधिक हैं और प्राइमरी स्कूल चल सकता है तो शिक्षा की व्यवस्था भी वहां की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय न लें। श्री देवी सिंह भाटी।

श्री सुरजा राम टाक : मान्यवर, आये दिन वहां कोई न कोई दुर्घटना होती है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सीधा सा प्रश्न है। भाग (2) में बताया गया कि खान विभाग या श्रम विभाग का····

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने उत्तर ही नहीं सुना, मैंने श्रम विभाग नहीं कहा।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या ठेकेदार के द्वारा यह सुविधा कोलायत तहसील में प्राप्त करायी जा रही है जहां कम से कम 10 हजार श्रमिक काम करते हैं? अध्यक्ष महोदय, वहां कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी : स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है। क्या यह राज्य सरकार····

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगला प्रश्न पुकारा गया है।

व्यर्थ में समय नहीं लें। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

समाज कल्याण छात्रावास के पास मोबाइल सिनेमा

231. श्री अमीन खां (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के समाज कल्याण छात्रावास के पास मोबाइल सिनेमा खुले हाल में लगता है ?

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस खुले हाल को लाइसेंस देने से छात्रावास के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है? यदि हां, तो क्या मोबाइल सिनेमा को दूसरे स्थान पर लगाने की व्यवस्था कराई जावेगी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री दूलाराम) : (1) जी हां। माह फरवरी के प्रथम सप्ताह तक राजकीय छात्रावास भवन के सामने एक मोबाइल सिनेमा चलता था।

(2) जी हां। फरवरी के प्रथम सप्ताह से उक्त सिनेमा को बन्द करवा दिया गया है।

Page No. 5

श्री अमीन खां : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

राष्ट्रीयकृत मार्गों की ड्राफ्ट स्कीम

232. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक जिन-जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उनकी ड्राफ्ट स्कीम कब कब प्रकाशित की गई ?

(2) ऐसे प्रस्तावित राष्ट्रीयकृत मार्गों की फाइनल स्कीम कब कब प्रकाशित की गई और परिवहन निगम की गाड़ियां कब कब चालू की गई ?

(3) क्या यह सही है कि ड्राफ्ट स्कीम और गाड़ियां चालू होने के बीच जो समय लगा वह आवश्यकता से अधिक था ? यदि हां, तो प्रत्येक के क्या क्या कारण थे ?

(4) स्कीम में त्रुटियां होने के कारण कितना विलम्ब हुआ व इन त्रुटियों के लिए दोषी कौन है व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, यातायात (**श्री जयकृष्ण शर्मा**) : (1) वर्ष 1980 में जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उनकी ड्राफ्ट स्कीम प्रकाशित करने का दिनांक दर्शाते हुए मानचित्र अनुसूची 1 के कालम 3 पर संलग्न है।

(2) वांछित सूचना अनुसूची 1 के कालम 5 एवं 6 में दर्शाई गई है।

(3) जी नहीं।

(4) योजनाओं में किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं हुई हैं। अतः किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(अनुसूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन 1980 तक का है लेकिन 1980 से लेकर 1983 तक माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम कर लिया है इसलिए मुझे कुछ पूछना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बंशीलाल पटवा।

पंचायत हमीरगढ़ द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

233. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा तहसील की हमीरगढ़ पंचायत को सन् 1980 से लेकर 31 जन-

6

(श्री बंसीलाल पटवा)

वरी, 1984 तक किन किन व्यक्तियों को किस किस गांव में किस किस तिथि में आवासीय भू-खण्ड फिक्स दर, नीलामी, निःशुल्क आवंटित किये और आवटियों में किन-किन को पट्टे दे दिये गये, किन किन को नहीं दिये गये हैं ?

(2) आवंटियों में से राशि किन किन से आई और क्या रोकड़ में जमा हुई ? क्या उक्त भू-खण्ड नियमानुसार अधिकृत अधिकारी से अनुमोदित हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (**श्री शीशराम ओला**) : (1) भीलवाड़ा तहसील की हमीरगढ़ पंचायत द्वारा सन् 1980 से लेकर 31 जनवरी, 1984 तक 25 व्यक्तियों को निर्धारित दर (फिक्स्ड दर) पर 27 को नीलामी से एवं 6 को निःशुल्क, कुछ 58 व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। इनमें से 11 आवंटियों को पट्टे दिये जा चुके हैं। शेष को नही दिये गयें हैं। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 34 आवंटियों से पूर्ण राशि एवं 18 आवंटियों से आंशिक राशि प्राप्त हुई जिसका इन्द्राज रोकड़ में है। कुल 58 आवंटनों में से 30 का ही अधिकृत अधिकारी से अनुमोदन हुआ है। शेष 28 मिसलें अनुमोदन हेतु सम्बन्धित अधिकारी के पास प्रस्तुत की हुई हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि 58 भूखण्ड आवंटित किए गए जिनमें से 25 को निर्धारित दर पर, 27 को नीलामी से और छः को निःशुल्क, टोटल 58 भूखण्ड आवंटित किए गए। इनमें से 11 व्यक्तियों को पट्टे दिये गए। 30 का अनुमोदन हुआ है और 28 का अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है। जब 28 का अनुमोदन नहीं हुआ तो फिर इनका आवंटन क्यों किया गया ? क्या ये नियमानुसार हैं।

दूसरा जैसा आपने फर्माया, 11 व्यक्तियों को पट्टे दिए गए। उनमें से मेरे पास कुछ पट्टे हैं जिन पर सचिव के दस्तखत हैं, सरपंच के नहीं हैं। इस तरह के जो पट्टे दिए गए हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है ?

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि एक तो ये भूखण्ड नीलामी से और निर्धारित दर पर दिए गए हैं तो किसी को तो 71) रु० में दिए गए हैं, जो सूची मुझे आपसे प्राप्त हुई है उसमें किसी को दो हजार में दिया गया है, किसी को पांच सौ में, किसी को चार सौ में दिया गया है। आखिर यह किस नीति के अन्तर्गत हुआ है, यह मुझे बतायें।

श्री शीशराम ओला : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी चाहूंगा कि ये सारे भूखण्ड, जिनको पट्टे दिए गए हैं एक ही गांव में हैं या अलग अलग गांवों में हैं ?

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय मन्त्री महोदय, ये सारे जो भूखण्ड दिए गए हैं····

(व्यवधान)

बहुत तसल्ली है। मैं इस बारे में कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। आपका अपना विभाग है। मैं इतना चाहता हूं कि यह जो कुछ इर्रेगुलेरिटीज इसमें हुई हैं वह आपके ध्यान में आ जायें। अगर आप संतुष्ट कर देंगे तो मैं मान लूंगा। मेरा निवेदन करना यह है कि ये भूखण्ड हमीरगढ़ पंचायत में स्टेशन के नजदीक हैं, बहुत थिकली पापुलेटेड एरिया है और कोस्टली लैंड है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो निःशुल्क या सस्ती दरों पर भूखण्ड दिए गए हैं, मेरा निवेदन यह है कि यह एक ही जगह है, स्टेशन के नजदीक है, कोस्टली लैंड है। आप मुझे उत्तर बख्शा दें जो दो तीन बातें मैंने अर्ज की हैं।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य ने, अध्यक्षजी, दो तीन बातें कही हैं। पट्टों की कीमत में कुछ फर्क है तो इसका कारण यह है कि एक जमीन की नीलामी में अधिक कीमत आ सकती है और दूसरी जमीन महत्व की नहीं हो तो कम कीमत आ सकती है। मेरी कहीं कोई किसी को संरक्षण देने की मंशा नहीं है। जो कलेक्टर से इत्तला आई है उसमें पट्टे, जिन भूखण्ड की एक हजार तक की कीमत होती है, देने का अधिकार सरपंच को है। एक हजार से पांच हजार तक की कीमत जिसकी होती है उसकी स्वीकृति देने का पंचायत समिति को अधिकार है। पांच हजार से दस हजार तक का कलेक्टर को अधिकार है। इस प्रकार से आफिसरों के पास, एक दूसरे के पास फाइल जाने में सारा समय लगा हुआ है। यदि दस हजार से ऊपर का पट्टा है तो फिर वह गवर्नमेंट के पास आता है. उसमें स्वीकृति होती है कलेक्टर की सिफारिश से। इससे यह बात हो सकती है कि 28 को स्वीकृति नहीं मिली हो। फिर भी माननीय सदस्य अगर बतायेंगे कि इन जगहों पर यह धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है, तो इसकी जांच करवाई जाएगी। उसको करवा कर आपको संतुष्ट करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत अहमियत का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने रिप्लाई बहुत सरलता से दे दिया है कि इस तरह का अधिकार है। मेरा एक मात्र सवाल है वह नीतिगत प्रश्न है। सिमिलर केस है, एक ही लोकेलिटी है और यह काफी कोस्टली लैंड है। इस तरह से किसी को 71) रुपये में, किसी को पांच सौ में और किसी को चार में दे दिया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता चाहता हूं जैसे जमालुद्दीन है, आपकी सूची के अनुसार जिसको जमीन दी गई है, इसका क्रम संख्या 14 पर नाम है, इसको 71) रुपये में भूखंड दिया गया है। लेकिन इसको जो पट्टा दिया गया है उस पर सरपंच के दस्तखत नहीं हैं। मेरे पास इसकी फोटो

(श्री बंसीलाल पटवा)

स्टेट कापी है, आप चाहें तो मैं इसको सदन की टेबल पर रख सकता हूं। इस पर सरपंच के दस्तखत नहीं हैं, केवल सचिव के दस्तखत हैं, यह कोस्टली लैंड है। इसी तरह से क्रम सं० 53 पर एक श्रीमती सुजनदेवी का नाम दर्ज है, इस पर भी सचिव के दस्तखत हैं, सरपंच के दस्तखत नहीं हैं। इस तरह के पट्टे दिए गए हैं। जल्दी जल्दी से रिकार्ड की पूर्ति करके रिप्लाई भेज दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, गबन हुआ है और चीटिंग की गई है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी के ध्यान में ले आएं। अब इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बंसीलाल पटवा : जिस सरलता से मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर स्पष्ट दे दिया है।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दे दें कि इसकी विस्तार से जांच करवा लेंगे।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि 14 नम्बर के नाम जो पट्टा दिया गया है उसमें बड़ा घोटाला है। आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह नहीं पूछा कि किस किस मेजरमेंट के प्लाट हैं। इसकी जानकारी आप चाहेंगे तो वह भी मेरे पास उपलब्ध है। जैसा आपने कहा कि जो पट्टे दिए गए हैं उनको देने के लिए वह अधिकृत नहीं थे। उसके दस्तखतों से पट्टा दिया गया है तो मैं इसकी जांच कर इसको निरस्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कमलेन्द्रसिंह।

राज्य में खेलों के विकास हेतु सहायता

234. श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार से राज्य को खेलों के विकास के लिए इस वर्ष कितनी सहायता मिली है ?

(2) केन्द्र सरकार ने जो स्पोर्ट्स फंड कायम किया है उसमें से राजस्थान को कितनी सहायता मिलने वाली है ?

(3) इस राशि के उपयोग के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

राज्य मंत्री, खेल-कूद (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को खेलों के लिए सीधी ही कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। भारत

(श्री रामकिशन वर्मा)

सरकार द्वारा चलाई जा रही खेलों की विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के मार्फत संस्था विशेषों को आर्थिक सहायता दी जाती है । इस वर्ष कोई राशि अभी तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। इस वर्ष सहायता का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार के पास केन्द्र सरकार द्वारा स्पोर्ट्स फण्ड कायम किये जाने सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है। अतः मिलने वाली सहायता की राशि बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री कमलेन्द्रसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि श्री बूटासिंह ने पार्लियामेंट में यह अनाउंस किया था कि केन्द्रीय सरकार एक फण्ड बना चुकी है स्पोर्ट्स के लिए, उसमें से हर राज्य को मदद देगी। आप प्रश्न के भाग (2) के उत्तर को पढ़िये। आपने यह कहा कि ऐसा कोई फण्ड नहीं है, ऐसी सूचना नहीं है, जब कि केन्द्रीय मंत्री यह सूचना पार्लियामेंट में दे चुके हैं। आपके पास सूचना कैसे नहीं है? आपने कोई दावा पेश किया है। हमारे राजस्थान में इतना स्पोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए, यह स्कीम्स है, यह योजना है? आपने कह दिया कि प्रश्न नहीं उठता। आपके विभाग ने केन्द्र सरकार को कौन सी योजना पेश की? स्पोर्ट्स फण्ड, जो सेन्टर ने बना रखा है, से आपको कितनी राशि मिलने वाली है और आपने कितनी राशि की मांग की है?

श्री रामकिशन वर्मा : इस प्रकार के फण्ड से हमें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। हम तो राजस्थान सरकार की योजना के तहत ही स्पोर्ट्स विकास के लिये योजना लागू करते हैं। आप जिस फण्ड का बता रहे हैं वैसी हमें कोई जानकारी केन्द्र सरकार से नहीं मिली है। अगर कोई फण्ड है तो कल्याण कोष का है। इस तरह की हमारे यहां किसी फण्ड की सूचना नहीं मिली जिसमें से केन्द्र सरकार से सहायता उपलब्ध करवा सकें।

श्री कमलेन्द्रसिंह : आपके विभाग में क्या कार्यवाही हो रही है? राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में क्या पत्र व्यवहार हुआ है, इसके बारे में आपने कोई सूचना नहीं दी। कल्याणकारी फण्ड तो कभी से चल रहा है। जो कमजोर वर्ग के हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर स्पोर्ट्समेन हैं, उनको तो सहायता कभी से मिल रही है। मैं तो पूछ रहा हूं, जो नया फण्ड फेसेलिटी देने के लिये तैयार किया है, उससे हमको क्या मिलने वाला है? उसके बारे में आपने कोई सूचना नहीं दी। उसके बारे में आपका विभाग कोई काम कर रहा है या नहीं?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा, क्या राजस्थान को ही पैसा नहीं मिल रहा है या भारत सरकार के अन्य प्रान्तों को भी? स्पोर्ट्स से संबंधित कोई

Page No. 10

(10)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

राशि मिलती है या नहीं ? अगर अन्य सरकारों को मिलती है तो राजस्थान सरकार को क्यों नहीं मिली ? अगर अन्य सरकारों को मिलती है तो राजस्थान सरकार ने कोई योजना बना कर भारत सरकार को भेजी या नहीं ? राजस्थान के स्पोर्ट्स, खेलों के विकास के लिये कोई प्लान आज तक बना या नहीं और जो पिछले साल में मुख्य मंत्रीजी ने राशि घोषित की उसका यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं, जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के हैं उनको मदद न देने के कारण यह जो राशि स्वीकृत थी यह लैप्स हो चुकी है ?

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री रामकिशन वर्मा : थोड़ी आवाज समझ में नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके यहां खेल मंत्रालय ही नहीं है। आप सहायता किसको देंगे, कहां आपका सैक्रेटरी है ? कुछ है ही नहीं फिर विकास के प्रोग्राम कौन बनायेगा ?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्रालय भी है और उसके सैकेटरी भी लग चुके हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने अन्य प्रान्तों की जानकारी के बारे में पूछा, तो ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है कि उनको केन्द्र से क्या सहायता मिली और हमको क्या सहायता मिलेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से अन्य प्रान्तों को सहायता मिलती है या नहीं, यह हमारे मंत्रीजी को नहीं मालूम है, तब हमारे यहां खेलों का क्या विकास होगा ?

श्री कमलेन्द्रसिंह : केन्द्र में इसका कोई फण्ड बना है या नहीं, इसकी आपके पास जानकारी नहीं है। क्या आप यह जानकारी मंगवायेंगे और कोई योजना बना कर कर भेजेंगे, ताकि हमें कुछ सहायता मिल जाय ?

श्री रामकिशन वर्मा : केन्द्र सरकार से इस प्रकार की जानकारी मगाने के लिये लिखा गया है। जितनी भी मदद अपने इलाके के लोगों को दिलवा सकेंगे वह दिलवाई जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, सब उल्टा ही हो गया।

श्री अध्यक्ष : जो पूछा गया था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

सेन्टर गवर्नमेंट ने कोई फण्ड कायम

(श्री अध्यक्ष)

किया है, उसमें आपकी तरफ से प्रार्थना पत्र गया है या नहीं; उन्होंने स्पष्ट कहा है कि न तो केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना आई है, न फण्ड बनाया गया है और न प्लान बना कर भेजा है। इस संबंध में यह स्पष्ट कह दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्र सरकार को लिखा गया है। पहले यह कहा कि कोई हमें सूचना नहीं है; फिर क्या लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती विद्या पाठक।

पर्यटन विभाग द्वारा फोटो प्रतियोगिता का आयोजन

235.**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 में फोटो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ? यदि हां, तो कहां ?

(2) इस प्रतियोगिता व इससे संबंधित आयोजनों व इसके प्रचार-प्रसार, पुरस्कार व भत्तों पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? कृपया उपरोक्त मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोजन व खर्चे से राज्य के पर्यटन को क्या लाभ हुआ ?

(4) इस 1983-84 वर्ष में विभाग ने कितने स्वदेशी अथवा विदेशी पर्यटन प्रोत्साहन करने वाली पत्रिकाओं के प्रतिनिधि, लेखकों आदि को राज्य में बुलाया व फॅमिलराइजेशन टूर कराये व किस-किस को ?

राज्यमंत्री पर्यटन, (श्री बी.डी. कल्ला): (1) जी हां। प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई थी।

(2) फोटोग्राफी प्रतियोगिता पर हुए व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस प्रतियोगिता का आयोजन एवं तत्पश्चात् इन छाया चित्रों पर आधारित प्रदर्शनियों से राजस्थान पर्यटन को व्यापक प्रोत्साहन मिल रहा है। इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित छाया चित्रों को देख कर लोगों में राजस्थान दर्शन के लिये प्रेरणा मिली है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी, प्रश्न (2) में मैंने पूछा है, अलग-अलग मदवार विवरण दें। मंत्रीजी ने बताया है कि एक

(श्रीमती विद्या पाठक)

तो श्रेष्ठ छायाकारों को नकद पुरस्कार दिया गया है। इस संबंध में पांच आयोजन किये हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद में किये हैं और एक जगह बम्बई में किया है। इन पांचों जगह कम से कम 10-10 वरिष्ठ अधिकारी गये, 5-5 दिन का आयोजन हुआ और थ्रू-आउट कुछ अधिकारी वहीं रहे, क्या उन सब के भत्ते भी इसमें शामिल हैं ? आपने 75 हजार सिर्फ आर्टिस्ट या आर्टिस्ट नाम के लोगों को दिया, वह भी क्या इसमें शामिल है? जो इन आयोजनों में राज्य से बाहर गये, उनका किराया भत्ता आदि भी क्या इसमें शामिल है ? इसी तरह से भवन आदि प्रदर्शनियों के लिये किराये पर लिये, क्या उनका खर्चा भी इसमें शामिल है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, फोटोग्राफी प्रतियोगिता का जो प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में जो खर्चे माननीय सदस्या जानना चाहती हैं, वह बता रहा हूं। फोटोग्राफी प्रतियोगिता पर 63338.35 रुपये का खर्च हुआ जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इसके अतिरिक्त हमने पांच प्रदर्शनियों का आयोजन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और बम्बई में किया। उनके ऊपर जो खर्चा हुआ वह इस प्रकार है। कला दीर्घाओं पर 9310.00 रुपये, डिस्प्ले पर 4112.50 रुपये। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और अहमदाबाद के राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन पर 45846.65 रुपये व्यय हुए। इसी प्रकार नोटिफिकेशन और केटेलाग की छपाई पर 9000 रुपये व्यय हुए हैं। इस प्रकार यह जो पांच प्रदर्शनियां लगायी गयीं इन पर कुल मिला कर 132670.50 रुपये खर्च हुए हैं। यह प्रदर्शनियां फोटोग्राफी प्रतियोगिता से सम्बन्धित नहीं हैं। हमारा ध्येय राजस्थान के पर्यटन और उसकी संस्कृति को प्रमोट करना है। **We Promote tourism and culture**, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। कलकत्ता और मद्रास में भी ये कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसके अन्दर कलाकारों के आवागमन पर रेल किराया आदि पर 25026 रुपये का खर्च हुआ, कलाकारों को जो पारिश्रमिक दिया गया है वह है 77600/– रुपया और जो विभाग के अधिकारी आये गये उनके टी. ए., डी. ए पर 20 हजार रुपये व्यय हुए हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मिल गया होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : यह सारे प्रश्नों के उत्तर की सूची मुझे क्यों नहीं दी गयी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने केवल फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में ही प्रश्न किया था। आपने प्रदर्शनियों के बारे में नहीं पूछा है। यदि आप अलग से प्रश्न पूछतीं तो आपको इनका भी उत्तर दे देता।

श्रीमती विद्या पाठक : यह आयोजन इसी से सम्बन्धित हैं।

Page No. 13

(13)

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित तो यह होते कि स्वागत भाषण पर कितना व्यय हुआ, स्वागत गीत पर कितना व्यय हुआ । भाग (1) के अन्तर्गत आप इस तरह से पूछ लेते तो उत्तर आ जाता है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास जानकारी है । आप प्रश्न पूछ लें, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा ।

श्रीमती विद्या पाठक : इसी से सम्बन्धित प्रश्न है । आपने क्यों नहीं उत्तर दिया ? जहां से आपको चंदा मिल जाता है वहीं पर आप यह आयोजन करवाते हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है । पर्यटन विभाग का पूरे साल का कलेण्डर बना हुआ है । गत वर्ष बम्बई और देहली में इस प्रकार का आयोजन किया गया । उसके बाद कलकत्ता और मद्रास में यह आयोजन किया गया । इसमें किसी प्रकार का चंदा लोगों से नहीं लिया गया है । आप विवेकशील सदस्या हैं, सदन में इस प्रकार के अनर्गल आरोप आपको नहीं लगाने चाहिये । चंदा किसी प्रकार का नहीं लिया जाता है और न किसी प्रकार की एन्टरेन्स फी ली जाती है । यह राजस्थान के टूरिज्म और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिये कार्यक्रम किया जाता है ।

श्रीमती विद्या पाठक : आपने मेरे प्रश्न को गलत रूप से समझा है । मैंने कोई आरोप नहीं लगाये हैं । मैंने यह कहा कि जो चंदा देने वाले सेठ लोग हैं उनके कहने पर ही मद्रास, कलकत्ता में यह आयोजन किये जाते हैं वे लोग आपसे मिल जाते हैं । यह सारे कार्यक्रम मारवाड़ी बस्तियों में किये गये हैं इससे राजस्थान की संस्कृति का किस प्रकार प्रचार-प्रसार होगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत है । रवीन्द्र सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर 80 प्रतिशत बंगाली थे । सुभाषचन्द्र बोस की स्मृति में जो सदन बनाया गया है उसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया । यहां पर भी 70 प्रतिशत लोग बंगाली थे । एक कार्यक्रम सेंट पॉल चर्च में हुआ । इसमें प्रवासी राजस्थानी लोग आ सकते हैं । उनको किस प्रकार मनाही की जा सकती है ?

श्रीमती विद्या पाठक : लाखों रुपयों के खर्च को हजारों में नहीं बताया जाना चाहिये । यह सत्य को छिपाने की बात है । इसमें, अध्यक्ष महोदय, आपको एतराज होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आपने जितना पूछा है उतना उत्तर दे दिया गया है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : विदेशों में इस प्रकार के आयोजन कराना कब तक प्रस्तावित है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

Page No. 14

(8)

श्री महाराम चौधरी ।

ग्राम सीणोद का विद्युतीकरण

236. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील नागौर के ग्राम सिणोद के चारों तरफ से बिजली के खम्भे निकल गये हैं और बीच में सिर्फ यही गांव विद्युतीकृत होने से या विद्युतीकृत योजना से बचा है ? यदि हां, तो ग्राम सिणोद को, जबकि गांव की सीमा के बिलकुल नजदीक से बिजली की लाइन खींची हुई है, कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : जी नहीं। पंचायत समिति नागौर की माह फरवरी, 1984 में उत्तर एवं पूर्व दिशा के 49 ग्रामों की एक ओ बी. की योजना स्वीकृत की गयी है। ग्राम सिणोद पंचायत समिति के पश्चिम क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र की योजना बनाते समय इस क्षेत्र के गांवों के साथ इसको भी शामिल किया जा सकेगा।

श्री महाराम चौधरी : तीन किलोमीटर बिजली आ गयी है। पूर्व में भी है। दक्षिण में भी है। पंचायत समिति नागौर का यह आखिरी गांव है। इस गांव के लिये आप कब योजना बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई महत्वपूर्ण गांव होगा ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, नागौर का आखिरी गांव है। इसके बाद पश्चिम में नागौर का कोई दूसरा गांव नहीं है। 49 गांवों के साथ इसको और जोड़ लें। यह कोई पाकिस्तानी गांव नहीं है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि यह एकमात्र पश्चिमी गांव है इसको विद्युतीकृत करने की कृपा करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति नागौर में कुल 119 गांव हैं उनमें से 30 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। 49 गांवों की स्कीम तैयार हुई है जो अप्रेल 1984 से शुरू होगी। बाकी के गांवों का सर्वे किया जा रहा है। एक गांव की योजना नहीं है। इसलिये इसको योजना में शामिल कर लें, इतनी ही बात नहीं है। पहले सर्वे होता है, रिवीजन के लिये भेजते हैं, मौका देखते हैं, उसके पश्चात् इसको फाइनल किया जाता है और आर. ई. सी. को भेजी जाती है। आर. ई. सी. की मन्जूरी मिलने के बाद काम शुरू होता है। ऐसा मामला नहीं है कि सरकार अपनी स्टेज पर ही स्कीम बना ले। हमने आर. एस. ई. बी को निर्देश दिये हैं, किसी भी क्षेत्र में जहां पर गांव रह गये हैं, चाहे पोटेन्शियल हों, नान पोटेन्शियल हों, उन सबकी स्कीम एक साथ बनावें। 1984-85 में हम जिन गांवों या कुओं को विद्युतीकरण में लेने की कोशिश करेंगे, चाहे पोटेन्शियल हों या नान पोटेन्शियल हों, ज्यादा गांवों को लेने की कोशिश करेंगे। 49 गांवों की जो स्कीम है, मेहरवानी करके उसको आप

(श्रीमती कमला)

पूरी होने दीजिये। दुबारा स्कीम बनायी जायेगी, उसमें आपका गांव आ जाये, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने विद्युत मण्डल की कार्य योजना के बारे में नहीं पूछा। मेरा निवेदन था कि सिणोद गांव नागौर पंचायत का आखिरी गांव है उसके बाद नागौर पंचायत का अन्य कोई गांव नहीं है। इस सिणोद गांव को छोड़ दिया। जब 49 गांवों की योजना बनी है तो इस गांव को भी योजना में लेते। मेरा निवेदन है कि 49 के साथ 50वें गांव को भी इसी योजना में सम्मिलित करने का कष्ट करें, जिससे विद्युत मंण्डल का खर्चा कम हो।

श्रीमती कमला : जब स्कीम बनाई जाती है तो सिर्फ पंचायत के एरिया का ही ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि कभी-कभी हमको एक दो पंचायत समितियों के गांवों को भी मिलाकर योजना बनानी पड़ती है, कितने गांव फीजेबल हैं, कितनी पंचायतों को एक साथ योजना में लिया जा सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा गांवों को कवर करने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप स्वयं का गांव है क्या ?

श्री महाराम चौधरी : मंत्री महोदया मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा मतलब है कि आखिरी गांव है, यह पश्चिमी में पड़ता है दूसरे गांव उत्तर की तरफ पड़ते हैं। यह एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सारी पंचायत समितियों में इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, सिर्फ यह गांव बचा है। यह सूचना इनकी गलत है। पंचायत समिति के 119 गांव हैं जिसमें से 49 और 30 गांव मिलाने के बाद भी बाकी गांव बचते हैं। अभी तक 25 प्रतिशत गांवों में इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है, 75 प्रतिशत बाकी पड़े हैं।

श्री महाराम चौधरी : मेरा कहना है कि यह आखिरी गांव है। इस सिणोद गांव के चारों तरफ से खम्भे निकल गये हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं शामिल किया गया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से गांव हैं जिनके चारों तरफ बिजली आ गई। योजना बनाते हैं इसमें आखिरी सीमा भी होती है। उसमें आखिरी गांव भी होता है। योजना किसी गांव से शुरू भी करते हैं। इसमें भी पहले कोई गांव खत्म होता है, किसी न किसी गांव के बाद सीमा तक ही बिजली ले पायेंगे। इस तरह के बहुत से गांव हैं जिनके चारों तरफ बिजली आ गई है। अब मैं इस सिणोद गांव को अपने स्तर पर तो जोड़ नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(ब)

जिला कोटा में मोटरयान से दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को सहायता

237. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन के बाद कोटा जिले में मोटरयान दुर्घटनाओं में किसी मृतक अथवा घायल व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को सोलेटियम सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तिओं को ?

(2) कितने प्रकरण कब से विचाराधीन हैं ? नियमानुसार तुरन्त आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण, शर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) तीन प्रकरण दिनांक 19-11-83, 9-11-83 व 11-8-83 से विचाराधीन हैं। दो प्रकरण संबधित परगना अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अभाव में तथा एक प्रकरण एफ. आई. आर. की प्रति उपलब्ध न होने के कारण विचाराधीन है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह जो सोलेटियम फण्ड स्कीम है इसमें तत्काल सहायता देने का प्रावधान है, परन्तु फिर भी देरी क्यों की जा रही है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह स्कीम इसीलिए बनाई गई थी कि तत्काल सहायता दी जाय, परन्तु कुछ कानूनी खामियां होने की वजह से सहायता में देरी हुई है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप कह रहे हैं कानूनी खामियां होने के कारण से देरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इसमें तत्काल सहायता देने का प्रावधान है, जैसा कि आपने कहा, दो प्रकरणों में जांच अधिकारी की रिपोर्ट नहीं आई, एफ. आई. आर. की प्रति नहीं मिली, तो यह किसकी जिम्मेदारी है ? जांच रिपोर्ट आती है, एफ. आई. आर. आती है फिर इसकी एस. डी. ओ. जांच करता है, तहसीलदार जांच करता है, तो बहुत देर हो जाती है। इससे तो तत्काल का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस स्कीम को बनाने का क्या मतलब है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी क्लेम करेगा वह ही एफ. आई. आर. दर्ज करायेगा, पेश करेगा। तीन केस पैंडिंग हैं, उनमें कानूनी खामियां हैं। हमने कोटा को 16,000/– रुपये अलाट भी किये हैं कि मुआवजा दिया जाय, कम्पेन्सेशन दिया जाय। इसमें हमारी तरफ से कोई ढील नहीं है। हमने जिलाधीश महोदय, जो क्लेम ऑफिसर है, को भी लिख दिया है कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता देवें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा निवेदन है कि सोलेटियम स्कीम के तहत आपने कितनों को सहायता दी है ? सेंट पर्सेन्ट मामले ऐसे हैं, जिनको कोई सहायता नहीं मिली है। एस. डी. ओ. की जांच रिपोर्ट

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नहीं आती है, 8 महीने तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपकी योजना है कि लोगों को तत्काल सहायता मिले, परन्तु 8-8 महीने तक एस. डी. ओ. की जांच रिपोर्ट नहीं आती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस प्रकार की हमारे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। कम्पेन्सेशन के लिए किसी ने क्लेम किया तो उसको राजस्थान सरकार देती है। हम तो किसी प्रकार की कोई देरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कानून-कायदे पूरे होने पर ही सारी कार्यवाही होती है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कायदे-कानून तो तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी पूरे नहीं होते। आज तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 8-8 महीने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। आपने किसी अधिकारी को पूछा क्या कि इतना समय क्यों लगा ? नियमों के तहत उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। मैं इस बात की जानकारी कर लूंगा, अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत है, देरी हुई हो या क्लेम मन्जूर नहीं हुआ हो, तो कार्यवाही की जायेगी; उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 8 महीने से जांच रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, उत्तर आ गया है।

अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री को खनन हेतु लीज

238. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री को खनन हेतु लीज कब एवं कितने क्षेत्रफल पर दी गई ? कृपया लीज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फैक्ट्री से रायल्टी ली जाती है ? यदि हां, तो अप्रेल, 1982 से अप्रेल, 1983 तक कितनी रायल्टी ली गई ? रायल्टी निर्धारण किस प्रकार की गई ?

(3) क्या 31 जनवरी, 1984 तक इस फैक्ट्री में खनिज विभाग की कोई बकाया है ? यदि हां, तो कितनी तथा वसूल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ?

(4) समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये इस फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री (खनिज श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) खनन पट्टा वास्ते खनिज लाइम स्टोन

Page No. 18

(श्री जयकिशन शर्मा)

निकट ग्राम मण्डेरिया, तहसील बल्लभ नगर जिला उदयपुर में 1548.65 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिए दिनांक 30-12.68 को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत क्षेत्र में से 843.706 हैक्टेयर का आंशिक अध्यर्पण दिनांक 25-5-81 से स्वीकृत हुआ। इस प्रकार अब शेष क्षेत्र 704.944 हैक्टेयर है। लीज की प्रति संलग्न है। खनन पट्टा वास्ते खनिज लाइम स्टोन ग्राम मण्डेरिया, तहसील बल्लभनगर जिला-उदयपुर में क्षेत्रफल 213.33 हैक्टेयर का दिनांक 19-6-82 से स्वीकृत किया गया। लीज की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। अप्रेल, 1982 से अप्रेल, 1983 तक कुल 16,09,028.08 रायल्टी ली गई। रायल्टी का निर्धारण संस्थान द्वारा निर्गमित खनिज की मात्रा पर किया जाता है।

(3) 31 जनवरी, 1984 तक इस संस्थान में 5000.50 रुपये की बकाया है, जिसे अब वसूल कर लिया गया है।

(4) बकाया नहीं होने की स्थिति में फैक्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(लीज की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो रायल्टी ली जाती है यह किस आधार पर और किस रेट से ली जाती है ?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न से हटकर सवाल किया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रति साल लाखों का घाटा हो रहा है। इसका कारण यह है कि जितना प्रोडक्शन होता है उसके आधार पर रायल्टी देता है....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न यह पूछ लेते कि कितना प्रोडक्शन होता है, रायल्टी की रेट कितनी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो रायल्टी ली है, इसको लेने का मापदंड क्या था ?

खनिज मंत्री (**श्री हीरालाल देवपुरा**) : यह नहीं कहा है कि प्रोडक्शन के हिसाब से लेते हैं। जितना खनन करके लाइम स्टोन निकाला जाता है उसके आधार पर ली जाती है। माल उठाने के दो तरीके हैं....

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक तो माल ले जाते हैं ट्रकों के द्वारा जो कि वहां से खानों से निकालकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। दूसरा बिजली की ट्रालियां होती हैं उनमें ले जाया जाता है। तो जो ट्रक में माल जाता है वह तो वहां पर जो मशीन होती है उससे तोल लिया जाता है उसके हिसाब से प्रतिटन का फिक्स्ड है जो माल ट्रोली से जाता है तो उसका वेट फिक्स्ड होता है तो वह जितनी बार ट्रोली गयी उसको गिन लिया जाता है और इस हिसाब से उससे ट्रोली या ट्रक के हिसाब से रायल्टी वसूल कर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ली जाती है। इसमें चेक के लिये यह करते हैं कि लाइम स्टोन और सीमेंट का अनुपात फिक्स्ड होता है। 1.6 टन लाइम स्टोन में 1 टन सीमेंट होनी चाहिए, तो उसको वेरीफाई करते हैं अगर सीमेंट ज्यादा होती है तो रायल्टी ज्यादा ली जाती है। कम होने पर जितना हमने लाइम स्टोन दिया है उसके हिसाब से वसूल कर ली जाती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्रश्न यह है कि इस फैक्ट्री को जो लाइम स्टोन दिया जाता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है वह तो 1.25 रुपये है और जो नीचे की क्वालिटी का है वह 75 पैसे के हिसाब से है। अब यह बतायें कि आपने 1.25 रुपये के हिसाब से रायल्टी ली है या 75 पैसे के हिसाब से ली है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रायल्टी तो फिक्स्ड है। सीमेंट का लाइम स्टोन अलग होता है, केमिकल का लाइम स्टोन अलग होता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस फैक्ट्री से आप किस ग्रेड की रायल्टी ले रहे हैं ? वहां पर आपके डिपार्टमेंट का कोई आदमी है ? कोई आफिस है जो कि चेक करता हो कि कितना माल जा रहा है ? अगर हां, तो पिछली जनवरी 1983 से जनवरी, 1984 तक वहां पर कौन था ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : गिनती कौन करता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब आ गया। कौन आदमी बैठा था उसकी आयु कितनी है....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई आदमी नहीं रहता है, फैक्ट्री जो कहती है वह ही रायल्टी ले ली जाती है। वह सही नहीं देता है....

श्री अध्यक्ष : सैल्स टैक्स लगता है, इन्कम टैक्स लगता है, सबका तरीका है....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कम उत्पादन दिखायी देता है, लेवी की सीमेंट कम दिखायी देती है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : मैं पूछना चाहूंगा कि भाग (1) में जो जवाब दिया है खनिज पट्टे का कितना क्षेत्रफल है, तो क्या इसमें सीमेंट फैक्ट्री ने महाराज की केडी पंचायत की चरनोट की जमीन की तीस सौ बीघा की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है और वहां पर खनन कर रही हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठायें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : क्षेत्रफल की बात है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री के उत्पादन के आधार पर ही रायल्टी फिक्स कर दी गयी है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर

काफी छूट दे दी है।

कमला भाई।

जालरा में आदिवासी छात्रवास की योजना

239. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाड़िया) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जालरा में आदिवासी छात्रावास खोलने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो किस वर्ष तक छात्रावास खोल दिया जायेगा?

समाज कल्याण मंत्री (श्री दुलाराम) : जी नहीं। प्रत्येक गांव अथवा कस्बे में छात्रावास खोलने की समाज कल्याण विभाग की कोई योजना नहीं है। इसका कारण आवश्यक राशि के प्रावधान का न होना है।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने छात्रावास खोलने के बारे में बताया। निवेदन है कि समाज कल्याण मंत्री जी जब वहां पर पधारे थे तो 4–5 जगह, जालरा, जेताणा, कराकला, सेमपुर में मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि छात्रावास खोल देंगे और कहा था कि 1982 में ही छात्रावास खोल देंगे। आज तक उसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : घोषणा राजनैतिक कारणों से की थी।

श्री कमला भाई मीणा : मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि उस आदिवासी क्षेत्र में छात्रावास अब कब तक खोल दिया जायेगा?

श्री दुलाराम : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि समाज कल्याण मंत्री ने वहां पर घोषणा की है, तो माननीय सदस्य न तो कभी आकर मिले, न कोई लिखित में दिया कि आश्वासन दिया था....

श्री अध्यक्ष : आपने तो नहीं दिया था।

श्री दुलाराम : मैंने नहीं दिया था। मेरा एक ही निवेदन है कि हमारी कांग्रेस सरकार के मंत्री ने घोषणा की थी उस पर अवश्य विचार किया जायेगा और उसको जल्दी ही पूरा किया जायेगा। लेकिन प्रत्येक हाई स्कूल के साथ छात्रावास खोल दें, यह सम्भव नहीं है। उस स्कूल के आसपास 2–3 छात्रावास हों वह भी इसलिये कि बाहर के छात्र आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें जो कि 5 किलोमीटर, दो किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर हों, लेकिन उसी गांव के लोगों के लिये छात्रावास खोलने की कोई

(श्री दुलाराम)

तुक नहीं है। अगर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है तो विचार करेंगे।

श्री कमला भाई मीणा : मंत्री महोदय ने यह बताया कि जालरा गांव के आसपास छात्रावास है। उससे बीस किलोमीटर पर सलूम्बर पड़ता है वहाँ है छात्रावास। आसपास में कोई नहीं है। मंत्री महोदय ने घोषणा नहीं की लेकिन राज चला जाता है गद्दी तो वही रहती है।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : घोषणा किसने की थी, गोविन्द आमलिया ने ?

श्री कमला भाई मीणा : हरसहाय मीणा ने की थी।

श्री दुलाराम : नंदलाल मीणा ने की होगी तो भी खोल देंगे।

श्री नंदलाल मीणा : हमारी तो हमने ही पूरी कर दी थी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी घोषणा तो फाइल में ही रहती थी।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मंत्री महोदय, ऐसे आदिवासी क्षेत्रों, जहाँ पर कि तहसील या पंचायत हैड क्वार्टर है, में छात्रावास खोलेंगे क्या ?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, अलग प्रश्न है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, छात्रावास खोल दिये जायेंगे जबकि बजट में प्रावधान होगा, राजस्थान में कहीं भी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार या समाज कल्याण विभाग तृतीय श्रेणी के छात्रावास जहां हायर सैकण्डरी स्कूल हैं वहाँ पर नहीं खोल सकती ? अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी श्रेणी का छात्रावास खोलने से राज्य सरकार को बहुत ही कम अधिक भार वहन करना पड़ता है और उससे काफी लड़के लाभान्वित हो सकते हैं। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, इससे समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री दुलाराम : इसका उत्तर तो मैंने दे दिया। माननीय सदस्य ने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। दुबारा लेना है तो फिर पूछ लीजिये मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य नियमों से परिचित हैं इसलिये मैं समय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चरागाह भूमि पर कडाना प्रोजेक्ट का नाजायज कब्जा

290. श्री पूर्तीसिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में किस-किस गाँव में कितने-कितने बीघा गोचर जमीन ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रा०धनराज के मजरा डूंगरीपाडा ग्राम की चरागाह भूमि पर कडाना प्रोजेक्ट का नाजायज कब्जा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त चरागाह भूमि को पंचायत को सुपुर्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र के कुल 365 ग्रामों में 13288 हैक्टेयर गोचर भूमि ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। ग्रामवार सूची संलग्न कर दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत को सौंपी गई भूमि में से 30 हैक्टेयर भूमि पर वन विभाग का कब्जा है, जिसे पंचायत को वापिस दिलाने की कार्यवाही चल रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

"प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के तहत निपटाये गये मामले

291. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

"प्रशासन गांवों की ओर" अभियान में राजस्व संबंधी कितने मामले निपटाये गये थे उनमें कितने मामलों का राजस्व लेखों में आमद हो चुका है ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जैसलमेर की खानों के पत्थर पर रोक

292. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर शहर व निकटवर्ती क्षेत्र से निर्माण कार्य हेतु निकाले जाने वाले पत्थर के खनन पर खनिज विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

(2) क्या यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उक्त प्रतिबन्ध से जनता को निर्माण कार्य करवाने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त पत्थर के खनन को खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल पीले मार्बल व लाइम स्टोन के क्षेत्रों में मैसनरी स्टोन के नये खनन पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

(2) चूंकि खनिज विभाग द्वारा खनन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, अतः खनन के पुनः खोलने का प्रश्न नहीं है।

ग्राम पंचायत अमलावद प्रतापगढ़ की चरनोट भूमि

293. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अमलावद, तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ की चरनोट की भूमि पर नगरपालिका प्रतापगढ़ ने अतिक्रमण कर आवासीय भू-खण्ड काट कर आवंटित कर दिये हैं? यदि हाँ, तो पंचायत की कितनी चरनोट भूमि पर कब अतिक्रमण किया गया? चरनोट भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, क्या कार्यवाही की गई?

(2) राज्य सरकार ने चरनोट भूमि के अतिक्रमण पर स्वायत्त शासन विभाग से कितनी राशि वसूल की एवं नगरपालिका प्रतापगढ़ ने कितने भू-खंड काट कर किस व्यक्ति से कितनी-कितनी राशि प्राप्त की?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत की 1 बीघा 8 बिस्वा चरनोट भूमि पर 1977 में अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत निर्माण कार्य रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।

(2) नगर पालिका प्रतापगढ़ ने 8 व्यक्तियों को भू-खंड काटकर निम्न अनुसार राशि प्राप्त की गई है :—

1. श्री अम्बालाल पिता हीरालाल 9100/—
2. श्री सूरजमल पिता रतनलाल 9000/—
3. श्री चौधरी ब्रदर्स 7000/—
4. श्री रामरतन पिता नाथूलाल 13000/—
5. श्री लक्ष्मीनारायण सोनी 5500/—
6. श्री नरेन्द्रकुमार पिता जेवरलाल 6000/—
7. श्री भैरूलाल पिता परसाराम 14301
8. श्री जगदीश पिता मोतीलाल 2501/—

कुल 66402/—

उक्त राशि 66402/-रु० को तहसील में जमा कराने की मांग कायम की जाकर नगर पालिका प्रतापगढ़ एवं निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को तकाजा किया गया है।

फतेहगढ़ उप तहसील कार्यालय भवन

294. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फतेहगढ़ उप तहसील कार्यालय के लिए भवन व रहवास के क्वार्टर बनाने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पुरानी कच्ची बिल्डिंग व पक्की बिल्डिंग के कुछ हिस्से का काफी समय में बिखराव हो गया है ? क्या उसकी मरम्मत की व्यवस्था की जाएगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उप तहसील फतेहगढ़ भूतपूर्व तहसील भवन (फतेहगढ़ कोटा) में कायम की गई थी, जिसमें तहसील कार्यालय व स्टाफ के लिए आवास का प्रावधान उपलब्ध है। अतः कार्यालय एवं आवास के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी हां। इस वर्ष ही पुराने भवन की मरम्मत की जाकर जीर्णोद्धार किया गया है।

ग्राम पापड़ा के काश्तकार को भूमि की नीलामी

295. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम पापड़ा के श्री बजरंगलाल पुत्र भूरा अनुसूचित जाति की ख. न. 154 की 10 बीघा जमीन राजस्व अधिकारियों द्वारा नीलाम कर बेची गई थी ? यदि हां, तो क्यों, कब, किसको तथा कितने रुपये में ?

(2) उक्त रकम राज-कोष में कब जमा हुई तथा जमा होने तक यह किसके पास कब तक रही एवं क्यों ?

(3) क्या उक्त मामले में अनियमितता हुई थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। बैंक ऋण राशि 6048.66 रुपये की वसूली में दिनांक 12-12-82 को श्री किशनलाल पुत्र भोलू गूजर की अन्तिम बोली 6000/– रुपये में नीलाम की गई।

(2) नीलामी राशि 6000/– रुपये की चौथान 1750/– रुपये दिनांक 18-12-82 को राज कोष में जमा की गई है। शेष राशि बोली की स्वीकृति के अभाव में अभी तक जमा नहीं हुई है।

(3) इस मामले में अनियमितता होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं। अतः दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उद्योगों के लॉक आउट से प्रभावित मजदूर

296. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1981 से 31 जनवरी, 1984 तक किस उद्योग में कितने-कितने समय के लिए लॉक आउट रहा ?

(2) ऐसे किन-किन उद्योगों ने "लाक आउट" करने से पहले राज्य सरकार को सूचना भेजी है ?

(3) "लॉक आउट" कब-कब हटाये गये और लॉक आउट करने के क्या-क्या कारण पाये गये ? प्रत्येक लॉक आउट से कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं और उनको किस-किस प्रकार की हानि हुई है ?

उत्तर

(1) संलग्न सूची के कालम 2, 3, 4 में वांछित सूचना अंकित कर दी गई है।

(2) संलग्न सूची के कालम 5 में सूचना अंकित है।

(3) लॉक आउट के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों को हानि का उल्लेख संलग्न सूची के कालम 6,7,8 में अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

भीलवाड़ा जिले में निलम्बित किये गये विद्युत् कर्मचारी

297. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछली विद्युत् कर्मचारी हड़ताल में कुल कितने कर्मचारी किन-किन कारणों को लेकर निलम्बित किये गये ?

(2) उक्त निलम्बित कर्मचारियों में से कितनों को पुनः सेवा में लिया गया है ?

(3) क्या अब भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें नीतिगत उसूलों के आधार पर लिया जाना शेष है ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ? कृपया कर्मचारियों की सूची मय नाम व पद के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछली विद्युत कर्मचारी हड़ताल में कुल 74 कर्मचारी निलम्बित किए गए। इन कर्मचारियों का हड़ताल के दौरान उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधिक कृत्य जैसे दंगा-फसाद, मारपीट, तोड़-फोड़, कार्य में बाधा, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि के कारण भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पुलिस द्वारा केस न्यायालय में चालान किया गया।

Page No. 26

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त 74 निलम्बित कर्मचारियों में से न्यायालय द्वारा दोष-मुक्त किए जाने के कारण 54 कर्मचारियों को निलम्बन से बहाल कर पुनः सेवा में ले लिया गया है।

(3) किसी नीतिगत मामले के अधीन नहीं बल्कि निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक मामले न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण ही वे अभी तक निलम्बित हैं तथा उनका सेवा में लिया जाना न्यायालय के निर्णय पर ही निर्भर है। इन 20 निलम्बित कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' में मय उनके नाम, पद व निलम्बन के कारण देते हुए सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पं० स० सुल्तानपुर एवं सांगोद के किसानों के कुएं व घरों में बिजली कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

298. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं पंचायत समिति सांगोद में कितने ग्रामों के किसानों के प्रार्थना-पत्र कुओं व घरों के कनेक्शन हेतु पड़े हुए हैं व कब से ?

(2) उक्त भारी तादात में वर्षों से पड़े कनेक्शनों पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन प्रार्थना-पत्रों में बहुतायत परिगणित व पिछड़ी जातियों के हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं सांगोद के ग्रामों में घरेलू व कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

Page No. 27

(ऊर्जा मंत्री)

क्र० स०	नाम पंचायत समिति	ग्रामों की संख्या जिनमें प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ।	80–81	81–82	82–83	83–84	योग
1.	सुल्तानपुर						
	1. कृषि	41	—	13	3	49	65
	2. घरेलू	70	30	50	210	405	695
2.	सांगोद						
	1. कृषि	148	60	204	213	295	772
	2. घरेलू	140	—	97	236	438	771

(2) वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए वर्षवार विद्युत कनेक्शन देने हेतु मण्डल द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं एवं उसके अनुसार ही कनेक्शन दिये जाते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी न किये जाने के कारण विचाराधीन प्रार्थना पत्रों पर अग्रिम कार्यवाही उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकता पूर्ण कर लेने के बाद ही कर पाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं, पंचायत समिति सुल्तानपुर में परिगणित जातियों के कोई प्रार्थना पत्र पेन्डिग नहीं हैं। पंचायत समिति सांगोद में विन्दु संख्या एक में दर्शाये गये विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों में से परिगणित व पिछड़ी जातियों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है—

कृषि		घरेलू	
एस०सी०	एस०टी०	एस०सी०	एस०टी०
35	34	10	21

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

299. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कुल गांवों में से कितने गांवों का अब तक विद्युतीकरण कर दिया है ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) विद्युतीकरण किये गए गांवों में से कितने गांवों में दिसम्बर, 1983 तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) विद्युतीकरण के लिए वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक प्रति वर्ष कितने आदिवासी कृषकों ने उपयोजना क्षेत्रों में अपने कुओं पर विद्युत् सम्बन्ध चाहने बाबत आवेदन किया, जिसमें से कितने को डिमान्ड नोटिस दिये गये, कितने कुओं पर इसमें से विद्युत् सम्बन्ध किया तथा कितने बकाया हैं और बकाया के क्या कारण हैं ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कुल 4491 ग्रामों में से 1779 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । तहसीलवार ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जो ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जाते हैं, उनमें विद्युत पहुंचाने के बाद ही उन्हें विद्युतीकृत किया जाता है ।

(3) वर्ष 1980-81 से 1983-84 (फरवरी, 84 तक) प्रति वर्ष आदिवासी कृषकों ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अपने कुओं पर विद्युत संबंध लेने हेतु 2523 आवेदकों ने आवेदन किया. इसमें से 2023 आवेदकों को डिमान्ड नोटिस जारी किया गया एवं 1041 आवेदकों को विद्युत संबंध प्रदान किया गया । अब इस क्षेत्र में 624 आवेदकों के प्रार्थना-पत्र विभिन्न कारणों से बकाया हैं । वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है । बाकी आवेदकों को विद्युत संबध न दिये जाने के कारण मुख्यतः निम्न हैं :—

(1) सीमित संसाधनों के कारण कुओं के ऊर्जाकरण के सीमित लक्ष्य रक्खे जाना,

(2) कुछ आवेदन पत्रों का एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया में न होना,

(3) कुछ उपभोक्ताओं से एल फार्म प्राप्त न होना,

(4) कई मामलों में कनेक्शन देने के लिये लम्बी 11 के. वी. लाइन, जिसके लिये सीमित धनराशि उपलब्ध है, खींचने की आवश्यकताओं होना, तथा

(5) कुछ आवेदनों को कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर होना ।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सवाई माधोपुर में कृषकों को विद्युत कनेक्शन

300. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हंसराज शर्मा)

(1) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक के दो वर्षों में काश्तकारों द्वारा कृषि हेतु मोटरों में विजली देने के कितने प्रार्थना-पत्र अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, सवाई माधोपुर के पास आये हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दो वर्षों में जो कनेक्शन दिये गये हैं वे अधिकांशतः अनुसूचित जाति व जनजाति व छोटे काश्तकारों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी अलग सूची प्रति वर्षवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सवाई माधोपुर के अधीनस्थ कार्यालयों में कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन लेने बावत कुल 1507 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । इस अवधि में 381 आवेदकों को कनेक्शन दे दिये गये ।

(2) जी हां । वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पोकरण से जैसलमेर को 123 के. वी. ए. लाइन से जोड़ना

301. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पोकरण से जैसलमेर को 132 के. वी. ए. लाइन से जोड़ने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कितने समय में पूर्ण कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं, राज्य की छठी योजना के स्वीकृत कार्यों में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

संस्कृत अकादमी के पदाधिकारियों व कर्मचारियों की सूची

302. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगांद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृपया राज्य में संस्कृत अकादमी के पदाधिकारियों व कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करें ।

(2) उक्त संस्था का गत दो वर्षों का आय-व्यय व उपलब्धियों का विवरण भी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान संस्कृत अकादमी में निम्नलिखित पदाधिकारी व कर्मचारी हैं :–

1. डा. मण्डन मिश्र, अध्यक्ष

2. श्री ललितकिशोर, मानद निदेशक

3. श्री राधेश्याम व्यास

प्रति नियुक्त वरिष्ठ लिपिक

4. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, टंकक

5. श्री किशोरसिंह, च. श्रे. क.

6. श्री अनिल कुमार, अंशकालीन च. श्रे. क.।

(2) (क) 1980–81 तथा 1981–82 का आय-व्यय विवरण संलग्न है। वर्ष 1982–83 का लेखा अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने जा रहा है।

(ख) उक्त अवधि में अकादमी की उपलब्धियां संलग्न है।

(विवरण व उपलब्धियों के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राजकीय संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक

303. **श्री यदुनाथसिंह** (नथबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संस्कृत योग्यताधारी प्रधानाध्यापक के अभाव के आधार पर संस्कृत निदेशक ने कुछ शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त की है या अनुदान अनुशंसा रोक दी है? यदि हां, तो ऐसी सभी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निदेशक ने कुछ राजकीय संस्कृत विद्यालयों में ऐसे लोगों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया है जो संस्कृत योग्यता धारी नहीं हैं? यदि हां, तो यह किस नियम के अन्तर्गत?

(3) क्या निदेशक ने कुछ शारीरिक प्रशिक्षकों व उद्योग प्रशिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सरकार द्वारा राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना

304. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना है?

(श्री वंसीलाल पटवा)

यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक किस स्थान पर स्थापित कर देगी ?

(2) क्या राज्य सरकार घोषित नीति के विपरीत कृषि विश्वविद्यालय को बहुसंकाय में बदलना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में अलग से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

(2) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

संस्कृत शिक्षा विभाग में नवीन पदों का सृजन

305. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग ने जनवरी, 1983 में हुई बी. एफ. सी. की मीटिंग में कुछ नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमोदित कराये ? यदि हां, तो किस-किस स्केल के, क्या-क्या पद, कितनी संख्या में, किस स्थान के लिए अनुमोदित हुए थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, संस्कृत शिक्षा ने अनुमोदित मूल प्रस्तावों मे अपनी पत्रावलियों में काटा पीटी व टेम्परिंग करके तदनुसार 31 मार्च, 1983 को जो स्वीकृतियां राज्य सरकार से जारी कराई हैं उनमें अनुमोदित पदों की संख्या व वेतन स्केल आदि मनमाने ढंग से बढ़ा दिये ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति आदेश तुलनात्मक विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार इस भ्रष्टाचार के लिए निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । दिनांक 31-3-83 को जारी की गई स्वीकृति में कुछ त्रुटियां रह गई थीं जिन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 18-1-84 के द्वारा सही कर दिया गया है ।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बांसवाड़ा जिला परिषद् द्वारा जिले में शराब बंदी लागू किये जाने का निर्णय

306. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वह सही है कि बांसवाड़ा जिला

(श्री नंदलाल मीणा)

परिषद् की माह जनवरा, 1984 में हुई साधारण बैठक में यह सर्व सम्मत निर्णय लिया गया था कि जिले में शराब बन्दी लागू की जाये ? यदि हां, तो आदिवासी इलाकों में शराब बन्दी की सरकार क्या नीति अपनाना चाहती है ?

उत्तर

जी हां, बांसवाड़ा जिला परिषद् की माह जनवरी, 1984 में हुई साधारण बैठक में बांसवाड़ा जिले में शराब बन्दी एवं अवैध शराब की रोकथाम के लिये लिये गये निर्णय की जानकारी जिलाधीश बांसवाड़ा के माध्यम से प्राप्त हुई थी। आदिवासी इलाकों में मदिरा की दुकानें नीलामी द्वारा नहीं दी जातीं। इन इलाकों में दुकानें गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जाती है।

राज्य पर 1980–81 से 31 जनवरी, 1984 तक ओवर ड्राफ्ट की स्थिति

307. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पर 1980–81, 1981–82 व 1983 से 31 जनवरी, 1984 तक के समय में कितना ओवर ड्राफ्ट रहा ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ओवर ड्राफ्ट चुकाने में राज्य सरकार असमर्थ है ?

(3) यदि नहीं, तो उक्त ओवर ड्राफ्ट किस रूप में व कितनी अवधि में चुका दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1983–84 में 31–1 84 को राज्य सरकार पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। केवल 1581.00 लाख का मार्गोपाय अग्रिम चुकाना शेष था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जिला पाली की पंचायत समितियों में दी गई छात्रवृत्तियां

308. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितने छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी गई ? कृपया विद्यालयवार छात्रों की संख्या एवं भुगतान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

(2) इन क्षेत्रों में कितने आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ? कृपया ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक छात्रों को दी गई विकलांग छात्रवृत्ति की सूचना विद्यालयवार संलग्न परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत कर दी गइ है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

(2) इन क्षेत्रों के आशार्थियों को निम्न प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया गया :—

1.	मारवाड़ जंक्शन	93
2	रानी	54
3	देसूरी	36

ग्रामवार सूचना परिशिष्ट "व" में संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

झालावाड़, भवानीमंडी तथा सुनेल कस्बों में मकानों का पंजीकरण

311. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़, भवानीमंडी तथा सुनेल कस्बे में कितने व्यक्तियों ने निर्मित मकान प्राप्ति हेतु पंजीकरण कराया है ?

(2) उक्त स्थानों पर मकानों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ? भवन निर्माण हेतु किन-किन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की है तथा उनको कितना मुआवजा देय होगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़, भवानीमंडी तथा सुनेल में क्रमशः 199, 267 एवं 343 आवेदकों ने पंजीकरण कराया है।

(2) झालावाड़ व भवानीमंडी में आवास निर्माण हेतु योजना बनाकर आवास एवं नगरीय विकास निगम नई दिल्ली को ऋण प्राप्त करने हेतु भेजी जा चुकी है। योजना स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। सुनेल कस्बे में भवन निर्माण हेतु योजना बनाई जा रही है जिसे ऋण प्राप्ति हेतु आवासन एवं नगरीय विकास निगम को भेजा जायेगा, योजना स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। झालावाड़ में

(आवासन मंत्री)

14.14 बीघा चरागाह भूमि जिलाधीश द्वारा मण्डल को आवंटित की गई है तथा 20 बीघा भूमि नगर पालिका से प्राप्त की गई है। सुनेल में तथा भवानीमंडी में भवन निर्माण हेतु जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की जा रही है उसकी सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

मुआवजे अदा करने के मामले विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के समक्ष विचारार्थ हैं। अतः अवार्ड दिये जाने पर अवार्ड की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

अजमेर नगर के अनुसूचित जाति के लोगों को कर्जे व अनुदान

312. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अजमेर नगर के अनुसूचित जाति के कितने परिवारों को वर्ष 1982-83 व वर्ष 1983-84 में अनुदान तथा कर्जे के रूप में नकद राशि प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जनवरी व फरवरी, 1984 की अनुदान और कर्जे की रकम का भुगतान विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्जे व अनुदान देने का कोई मापदंड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अजमेर नगर के किसी अनुसूचित जाति के परिवार को वर्ष 82-83 व 83-84 में कोई अनुदान नहीं दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर ने अजमेर नगर के अनुसूचित जाति के 227 परिवारों को वर्ष 1982-83 में तथा 240 परिवारों को वर्ष 1983-84 में क्रमशः 1.13 लाख रुपये 2.62 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया तथा इतनी ही राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई।

(2) माह फरवरी, 84 तक समाज कल्याण विभाग एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर के पास अनुसूचित जाति के किसी आवेदक का अनुदान / कर्जे का भुगतान विचाराधीन नहीं था। बैंकों में 152 आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं।

(3) बैंकों द्वारा किसी उत्पादन अथवा व्यावसायिक इकाई हेतु ऋण स्वीकृत करने पर इकाई की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5,000 की राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत की जानी है। बैंक ऋण उन्हीं इकाइयों पर स्वीकृत करते हैं जिनसे लाभ अर्जित हो सके और मूल रकम बनी रहे।

कोटा नगर में आवासन मंडल के निर्मित मकान

313. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में आवासन मंडल के तलमंडी एवं दादावाड़ी विस्तार क्षेत्र में कितने-कितने मकान किस-किस श्रेणी के कब-कब से पूर्ण व अपूर्ण स्थिति में बने हुये खड़े हैं ? उन्हें अलाट कब से नहीं किया जा रहा है और भविष्य में कब तक अलाट कर दिया जावेगा ?

(2) क्या उक्त पुराने बने हुये मकानों को अलाट करते समय आज की कीमत व लागत के हिसाब से पैसा वसूल किया जावेगा ?

(3) क्या काफी पूंजी लगा कर बनाये गये इन मकानों को वर्षों से आवटित न कर निष्प्रयोजित पड़े रहने से हुई हानि और उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से लम्बे समय तक मकानों से वंचित करने और ऊंची दर पर मकान उपलब्ध कराने की मण्डल की इस शिथिलता के विरुद्ध सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) दादावाड़ी विस्तार योजना एवं तलवंडी योजना में सभी मकान आवंटित कर दिये गये हैं, अनावंटित अपूर्ण मकानों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इनको पूर्ण करा कर 84-85 के वर्ष में अलाट कर दिया जायेगा।

(2) जी नहीं। उक्त पुराने बने हुयें मकानों को अलाट करते समय उनके निर्माण के समय की लागत वसूल की जाती है।

(3) जी नहीं। ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

कुशलगढ़ क्षेत्र में निगम की बसों का आवागमन

314. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में परिवहन निगम की कितनी बसें पूरे दिन में, कब कब आती जाती हैं कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से कुशलगढ़ आने जाने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बसें समय से नहीं चलती हैं व कई बसें बन्द कर दी गई हैं? क्या सरकार

(श्री फते सिंह)

पूरी बसें समय पर चलायेगी ? यदि हां, तो कब से नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य पथ परिवहन अधिकारी जान-बूझकर बसों को बन्द करते हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा 500 या 1000 रुपये रिश्वत लेकर डेली वेजेज पर कण्डक्टर लगाये जाते हैं जो कि बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

(5) क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि पिछले 3 सालों में कितने कण्डक्टर डेली वेजेज पर रखे गये ?

(6) क्या यह सही है कि अधिकारियों की सांठगांठ से कन्डक्टर चोरी करते हैं व रोडवेज घाटे में रहती है ?

(7) क्या सरकार इस समस्या से सख्ती से निपटेगी ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में परिवहन निगम की 23 बस सेवायें आती जाती हैं। इन बस सेवाओं की समय सारिणी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शीतकालीन समय सारिणी के अनुसार सभी सेवायें समय से व पूर्ण संख्या में संचालित हैं। कभी-कभी यांत्रिक खराबी के कारण वाहन मार्ग पर लेट हो जाती है जिसकी वजह से कुछ परिचक्रों का संचालन अनियमित हो जाता है।

(3) जी नहीं। यात्री भार की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये सेवाओं में वृद्धि/कमी की जाती है तथा कभी-कभी यात्री उपलब्धता कम होने या अचानक यांत्रिक खराबी हो जाने से किसी बस सेवा का एक आध परिचक्र निरस्त हो जाता है।

(4) जी नहीं। निगम द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कर सेवा चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का परिचालक पद हेतु पैनल तैयार किया जाता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है इस पैनल में से नियुक्ति अधिकारी द्वारा पहले डेली वेजेज पर नियुक्ति दी जाती है तथा बिना टिकट ले जाने का मामला नहीं पाये जाने पर उनको नियमित नियुक्ति दे दी जाती है। बिना टिकट यात्री ले जाते हुए पकड़े जाने पर उनको नियमानुसार सेवा से हटा दिया जाता है।

(5) जी नहीं। निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में 9675 परिचालकों को दैनिक वेतन पर चयन सूची में से नियुक्ति दी गई है।

(6) जी नहीं।

(7) इस समस्या से निपटने के लिए निगम ने कई प्रकार के कदम उठाये हैं। परिचालक द्वारा बिना टिकट यात्री ले जाने की समस्या से निपटने की दृष्टि से मुख्यालय

(श्री राज्य मंत्री, यातायात)

सम्भाग व आगार स्तर से आकस्मिक सघन निरीक्षण कराया जाता है तथा पकड़े जाने पर सम्बन्धित परिचालक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

(सारिणी के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

निगम की वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री

315. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 28-1-84 को बारां-कोटा वाहन संख्या आर आर जी 972 में अन्ता से कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

(2) क्या यह सही है कि प्रति शनिवार को अन्ता से 60 यात्रियों की क्षमता वाले अनेक वाहनों में 150 से भी अधिक यात्री यात्रा करते हैं ? यदि हां, तो इस व्यवस्था को सुधारने हेतु निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(3) क्या आर. टी. ओ. को निगम की बसें चैक करने का अधिकार है ? यदि हां, तो वर्ष 1983 में कितनी बसे चैक की ?

उत्तर

(1) दिनांक 28-1-84 को बारां-कोटा मार्ग पर वाहन संख्या आरआरजी 972 में अन्ता से 44 यात्रियों के द्वारा यात्रा की गई।

(2) जी नहीं। लेकिन अन्ता में प्रति शनिवार को हाट लगने के कारण सायंकाल वाली बस में क्षमता से अधिक यात्री हो जाते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में कोटा से अन्ता के बीच शटल सेवायें संचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) जी हां। वर्ष 1983 में 30 बसें चैक की गयी हैं।

पोकरण-नाचना जैसलमेर बाड़मेर सड़क का राष्ट्रीयकरण

316. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पोकरण-नाचना तथा जैसलमेर-बाड़मेर वाया म्याजलार सड़क मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। उक्त मार्ग निजी वाहन स्वामियों के मार्ग हैं। वर्तमान में इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना निगम के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति बांदीकुई के आवासीय मकान

317. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बांदीकुई के आवासीय मकान कितने हैं व किन-किन लोगों को आवंटित हैं ?

(2) क्या ये भवन पचायत समिति के अलावा भी किसी व्यक्ति को आवंटित किये जा सकते हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन को व किस आधार पर ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बांदीकुई के 15 आवासीय भवन एवं एक विश्रामगृह है। ये आवासीय भवन जिन-जिन को आवंटित है, उसकी सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(2) जी हाँ। यदि पंचायत समिति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इन आवासीय भवनों की आवश्यकता नहीं हो तो अन्य राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये आवासीय भवन इस शर्त पर आवंटित किये जा सकते हैं कि पंचायत समिति के कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर ये आवासीय भवन तत्काल खाली करने होंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19

प्रदेश में पंचायतों को सम्भलाये गये हैण्ड पम्प

318. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) प्रदेश में सन् 1983-84 में पंचायतों को कुल कितने हैण्ड पम्प सम्भलाये गये ? सूची जिलेवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त हैण्ड पम्पों में कितने हैण्ड पम्प खराब थे जिन्हें पंचायतों के माध्यम से ठीक कराया गया और उनमें कितनी राशि व्यय की गई। ब्यौरा जिलेवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) पंचायतों के अधीन वर्तमान में प्रदेश में कितने हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं जिन्हें ठीक कराने में पंचायतों को कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी और उस राशि की व्यवस्था कहाँ से की जायेगी ?

उत्तर

(1) 26 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 में पंचायतों को कुल 20,797 हैण्ड पम्प संभलवाये गये हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। जिला भीलवाड़ा की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) उक्त हैण्ड पम्पों में से 4,321 हैण्ड पम्प खराब थे। खराब हैण्ड पम्पों में

(पंचायत राज मंत्री),

से 213। हैण्ड पम्पों को पंचायतों के माध्यम से ठीक कराया गया और उनकी मरम्मत पर 1,45,276/–रुपया व्यय हुआ। इसका विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) वर्तमान में पंचायतों के अधीन 5,940 हैण्ड पम्प खराब हालत में हैं जिन्हें ठीक कराने के लिए 28,13,222/–रुपये की राशि का व्यय होने का अनुमान है। आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार धन-राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला बाड़मेर की पंचायत समितियों में प्राइमरी अध्यापकों के पद

319 श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की आठों पंचायत समितियों में प्रति पंचायत प्राइमरी अध्यापक के कितने-कितने स्वीकृत पद हैं और उन पदों के बदले में कितने पद रिक्त हैं ? कृपया जिले की पंचायत समितिवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों को नहीं भरने का क्या कारण है ?

(3) आठों पंचायत समितियों में पृथक् पृथक् 49 छात्रों की संख्या के पीछे एक अध्यापक के हिसाब से कितने-कितने अध्यापकों की आवश्यकता है ?

(4) क्या यह सही है कि सभी पंचायत समितियों में एक प्राइमरी स्कूल और कम से कम एक अध्यापक के सिद्धान्त का पालन नहीं हो रहा है ? कृपया समितिवार उन प्राइमरी स्कूलों की संख्या देने का कष्ट करें जिनमें कोई अध्यापक नहीं है और स्कूल स्वीकृत है।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) अध्यापकों के रिक्त पदों को सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा नियोजन कार्यालय के माध्यम से पूर्ति किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 369 अतिरिक्त अध्यापकों के पदों की आवश्यकता है जिसका विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(4) जी नहीं। जिला बाड़मेर की सभी पचायत समितियों की सभी प्राथमिक शालाओं के लिए कम से कम एक अध्यापक का पद स्वीकृत है। ऐसी कोई स्वीकृत प्राथमिक शाला नहीं है जिसमें अध्यापक नहीं है।

(पंचायत राज मंत्री)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

पंचायत समिति टौंक में सूत्र "सब साक्षर" के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति

320. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या सोलह "सब साक्षर" के अन्तर्गत टौंक पंचायत समिति में 6 से 11 वर्ष की आयु के कितने बालक अध्ययन कर रहे हैं ?

(2) वर्ष 1980-81 से अब तक विभिन्न वर्षों में कितने छात्रों का नामांकन का लक्ष्य रखा गया है एवं कितने-कितने छात्रों का नामांकन किया गया है ?

(3) इस सूत्र के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के कितने केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित हैं ?

(4) विभिन्न वर्षों में कितने व्यक्ति साक्षर हो गये ? सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, टौंक में 6 से 11 वर्ष की आयु के कुल 9,757 छात्र एवं छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(3) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा के 24 केन्द्र एवं ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 केन्द्र स्थापित हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पंचायत समिति, टौंक में अभी तक चालू नहीं किया गया है।

(4) सूचना सदन के पटल पर रखदी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

पंचायत समिति, अन्ता में कुओं का निर्माण

321. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति, अन्ता, जिला कोटा के कितने गांवों में कितने कुओं का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या इन कुओं को पूरा कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो ये कुए कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

उत्तर

पंचायत समिति अन्ता, जिला-कोटा के 14 गांवों में, 18 कुओं का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इन कुओं को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं माडा योजना

(पंचायत राज मंत्री)

के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की योजना है। उक्त कुओं का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवा दिया जावेगा।

जिला पाली में गरीब को छ॰ र योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति

322. श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन में जून 1980 से दिसम्बर, 1983 तक "गरीब को छप्पर" के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ? कृपया ग्राम के नाम सहित लाभान्वित व्यक्तियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी राशि प्रति व्यक्ति दी गई ?

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति, रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक गरीब को छप्पर अनुदान योजना के अन्तर्गत 644 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। लाभान्वित व्यक्तियों एवं उनके ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) लाभान्वित व्यक्तियों को दी गयी अनुदान राशि का विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

1. सर्वश्री मालाराम व नाथूसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 18 मार्च को सीकर में आयोजित एक कवि सम्मेलन के अवसर पर मर्करी लाइट के टूट जाने से उसकी जहरीली गैस से करीब 400 व्यक्तियों की नेत्र ज्योति खराब हो जाने के विषय में,

2. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के खातोली कस्बे में जलदाय योजना को नियमित रूप से बिजली न मिलने के कारण पेयजल के संकट के विषय में,

3. सर्वश्री हरीश शर्मा, बालचन्द आर्य-वीर, गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा में गोदावरी धाम संकट मोचन हनुमानजी के मन्दिर के पास आवासन मण्डल द्वारा गटर का पानी छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(६)

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 फरवरी को पुलिस थाना नोखा में मांगीलाल हरिजन की पुलिस द्वारा पिटाई के विषय में,

5. श्री गीगमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधायक श्री दीन मोहम्मद द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की कथित घटना के विषय में,

6. सर्वश्री रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदयाल जोशी, घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 20 मार्च की रात्रि को कोटा बारां रोड पर दो मोटर साइकिलों पर सवार चार व्यक्तियों की हत्या के विषय में,

7. श्री समरथलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले में कुछ तृतीय श्रेणी ग्रेड 7 अध्यापकों को 1977 की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियुक्तियां न देने के विषय में,

8. श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील की आटूण पंचायत में 1969 तक आवंटित चार हजार भू-खण्डों को जिलाधीश द्वारा लम्बी अवधि के बाद निरस्त करने की कार्यवाही के विषय में,

9. श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांध सुखाल जिला सवाई-माधोपुर में डूब में आई हुई जमीन का मुआवजा देने के बाद लगान व पेनल्टी की राशि मुआवजे में से काटने के विषय में,

10. श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सिकराय के गांव गंवडी में भूमिहीन ग्रामीणों को आवंटित खसरा नम्बर 2 पर तहसीलदार द्वारा जारी प्रीमियम की राशि जमा करने के आदेश देने के विषय में,

11. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आज सुबह 6.55 बजे जयपुर में नेशनल हाईवे बाई पास पर ईदगाह कच्ची बस्ती में आग लग जाने के पश्चात् दमकल की उचित व्यवस्था न होने के विषय में,

12. श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तकनीकी रिपोर्ट के बावजूद धौलपुर में लगाये जाने वाले थर्मल प्लांट को सरकार द्वारा भीलवाड़ा ले जाने की आशंका के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

13. श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर के मनु टाइम्स के कार्यालय में आगजनी की घटना।

(श्री अध्यक्ष)

इस विषय पर सदन में आज एक वक्तव्य हो रहा है और माननीय सदस्य उस समय चर्चा में भाग ले सकते हैं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :

1. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राजस्थान के शिक्षकों द्वारा 15 मार्च से आम हड़ताल करने का नोटिस।

सरकार ने सूचित किया है कि वार्ता के पश्चात् राजस्थान शिक्षक संघ ने हड़ताल वापस ले ली है और हड़ताल नहीं हुई।

2. श्री गोपा पचेरवाल : केशोरायपाटन जिला बूंदी के किसानों को सिंचाई विभाग द्वारा पानी न दिये जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि गांधी सागर कैचमेंट में वर्षा के अभाव के कारण पर्याप्त पानी नहीं आ सका, फिर भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध पानी की पूरी व्यवस्था करने के पूरे प्रयत्न किये गये और बाईं नहर की कापरेन व पाटन ब्रांच उनसे निकलने वाले बाईपास से, प्रोग्राम से अधिक फसल के लिये पानी दिया गया जो कि सी सी.ए. का लगभग 70 प्रतिशत है और परियोजना रिपोर्ट के प्रावधान से कहीं अधिक है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जो धौलपुर में कोटा के थर्मल प्लांट लगने हैं उसके बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया। आप कह रहे हैं कि सूचनाएं मंगायेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज या कल में उस तकनीकी रिपोर्ट को स्क्रेप किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। इसमें आप सूचना मंगा रहे हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह कोई ऐसी सूचना नहीं है जो बाहर से मंगानी पड़े या कहीं और से मंगानी पड़े। राज्य सरकार यहां बैठती है, उसको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर लैण्ड इश्यू हुआ है टाटा एक्सपर्टाइज ने फीजेबिलटी रिपोर्ट दी है, सबसे ज्यादा उपयुक्त धौलपुर को माना है क्योंकि वहां पानी भी मौजूद है, सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, कोयले का खर्च कम होगा, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सूचना आने दीजिये। इस परियोजना....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सूचना आयेगी तब तक राजस्थान का भट्टा बैठा दिया जायगा। उसको वहां ले जाया जा रहा है। भीलवाड़ा ही राजस्थान नहीं है। वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ राजनीतिक कारणों से राजस्थान के विकास को, राजस्थान में बिजली के उत्पादन को गिराने का काम किया जा रहा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप आज ही सरकार को बाध्य करें....

५५

श्री अध्यक्ष : सूचना आने दीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार यहां बैठी है, सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार यह तो घोषणा करे कि जैसी फीजेबिलिटी रिपोर्ट आयेगी, उसी के आधार पर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : फीजेबिलिटी रिपोर्ट भी देख लेंगे, माननीय सदस्य। समाप्त करिये, अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बुरी तरह दबाया जा रहा है इंजीनियर्स को मुख्य मन्त्री द्वारा ताकि इसको भीलवाड़ा की फीजेबिलिटी रिपोर्ट में बदला जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाया जाय। मेरी भावना को समझें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : सिंगरौली से जयपुर लाइन आ रही है। 25-30 लाख रुपया एक किलोमीटर लाइन पर लगता है। भीलवाड़ा से वहां लाइन डालेंगे, दो साल का जो समय निकला है वह समय बर्बाद जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समय बैठिये। अन्य कोई अवसर आयेगा उस समय इसको उठायें। जानकारी आने पर मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : उसके बाद कोई अवसर नहीं। अवसर का कोई अवसर नहीं रहेगा। कोई रेलेवेन्स नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

एक शब्द का उत्तर है मेरा तो, ऊर्जा मंत्री जी, मैं इस मामले को इतनी आसानी से बाई-पास नहीं करने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर आने दीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार उत्तर क्या देगी। कल से इंजीनियर्स को धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है सस्पेण्ड करने की, फीजेबिलिटी रिपोर्ट बदलने की। कल तक तो रिपोर्ट बदल दी जायेगी। जो फीजेबिलिटी रिपोर्ट टाटा एक्सार्टाइज ने दी है उसी के आधार पर उस प्लाण्ट को लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है इस संबंध में। कृपया धैर्य रखिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक शब्द का....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय न लें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, तो फिर मैं आज की कार्यवाही जमीन पर बैठ कर करूंगा। जवाब दिलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा-बारां रोड पर लोगों को लूटा गया, उनको मारा, उनकी हत्यायें की गयीं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : आप जानकारी के लिए भेज रहे हैं। वहां असंतोष बढ़ रहा है। आप से निवेदन है कि राज्य सरकार से आज ही स्टेटमेण्ट दिलवाया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है अगर कोई इतनी गम्भीर बात थी तो इससे पहले वह मुझ बताते तो मैं जानकारी भी कर लेती। आज तक कभी इस बारे में, चाहे वह इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, किसी ने कहा नहीं। अभी मैं कमरे में जा रही हूं। आप पधारिये और मुझे बताइये कि क्या दिक्कत है। मै देखूंगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने एडजॉर्नमेण्ट मोशन रखा है उसके पहले आप लोगों ने कभी जिक्र किया ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : लूट और हत्यायें चल रही हैं....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : रोज कत्ल कर दिये जाते हैं, लोगों के हाथ पैर काट लिये जाते हैं, पुलिस के बारे में, पुलिस मंत्री यहां बैठे हैं, कोई जवाब नहीं देते।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई सदस्य इस बारे में मुझसे मिले नहीं, न इस तरफ के, न उस तरफ के। जबर्दस्ती हंगामा खड़ा कर दिया।

श्री त्रिलोक सिंह : वहां पुलिस ने लोगों को कत्ल किया है, यहां कोई जवाब नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अभी कोई निर्णय ही नहीं हुआ उससे पहले ही....

श्री अध्यक्ष : मैं यदुनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं। आवेश में आने की आवश्यकता नहीं। मंत्री महोदया ने आपको निमंत्रण दिया है। कृपया जाकर आप उनको कहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय एक शब्द का आश्वासन....

श्रीमती कमला : जहां भी सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति पाई जायेगी उसके मुताबिक कार्यवाही की जायेगी। अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। बिना फैसले के सरकार पर जबर्दस्ती आरोप लगा रहे हैं। माननीय सदस्य ने आज तक कभी कहा नहीं, न कोई फैसला हुआ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : फिजबिलिटी रिपोर्ट को नहीं दबाया जायेगा, यह बात कह दीजिए। फिजबिलिटी रिपोर्ट पर गौर किया जायेगा।

श्रीमती कमला : रिपोर्ट आयेगी तब हम देख लेंगे कि उस जगह की क्या रिपोर्ट आई है।

श्री यदुनाथ सिंह : रिपोर्ट आ गयी है।

श्रीमती कमला : कौन सा स्थान उचित हो सकता है। एक जगह की आने से थोड़े ही हो सकता है। उस सम्बन्ध में सारी जगह की रिपोर्ट्स आ आयेंगी उसके बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद फैसला होगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बढ़िया जगह धौलपुर को माना गया है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं अपने स्थान पर। पर्याप्त है आपके लिए। अभी आगे बहुत से अवसर आयेंगे, माननीय सदस्य, बैठिये। ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य। बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोटा में चार लोगों का मर्डर हुआ। दो घण्टे तक रास्ता रोककर मारा गया। नंगा करके, उनके कपड़ों से उनके हाथ बांधकर खेतों में डाल दिये गये उस पर हमने स्थगन प्रस्ताव रखा है। आपने जानकारी के लिए भेजा है। कोटा में निरन्तर हत्यायें हो रही हैं। उसी जगह 6 महीने पहले इसी प्रकार हत्या की गयी। मैं और माननीय दाऊदयाल जी स्पाट पर गये थे। नंगे लोग, उन्हीं के कपड़ों से हाथ बांधकर उल्टे लटका दिये। 4 स्पाट पर मर गये, 3 जिन्दा बच गये। सुबह हाथ बंधे हुए थे। दूध वालों को बुलाकर अपने हाथ खुलवाये। तब जाकर रिपोर्ट दी। सरकार के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। वहां असंतोष बढ़ गया है। कोटा-बारां रोड असुरक्षित हो गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आज ही सरकार स्टेटमेंट दे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सी० एम० के पेट्रोल पम्प को लूट ले गये, उनका ट्रैक्टर गायब हो गया और किसी की क्या रक्षा करेंगे।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ जो पुलिस दमन के खिलाफ था? कुछ नहीं होगा तो हम यहां क्या करने आये हैं? क्या यहां इन लोगों को देखने आये हैं? लोगों के हाथ पैर काट दिये गये, थानों में मारा गया और हमारे पास जवाब नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। धैर्य रखियें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, कोटा-बारां रोड के ऊपर मंगलवार की रात को दुखद घटना हुई, श्रीमन्....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : स्टेटमेण्ट दे रहे हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं, सुन लीजिए। बाद में नतीजे पर पहुँच जायेंगे कि स्टेटमैण्ट है या नहीं। बाद में विचार कर लेंगे इस पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 4 आदमियों की हत्या की गयी और तीन को घायल किया गया। श्रीमन्, यह बात सही है कि इस मेन कोटा-बारां रोड के ऊपर कोटा से 3–4 किलोमीटर दूर घटना हुई। कुछ लोग उधर से आ रहे थे उनको रोका गया। रोककर उनको बगल के कोई 60–70 गज आगे खेत है, वहां ले जाया गया। पहले दो आदमियों को ले गये। उनके कपड़े उतारकर उनको उसी तरह लूटा, फिर मार दिया। 2 आदमियों को फिर ले गये, फिर मारा। बाकी जो आदमी आये थे उनके साथ भी इसी तरह से किया गया। यह बात सही है, प्रातःकाल साढ़े सात बजे इस बात की सूचना उद्योग नगर थाने, पुलिस स्टेशन के ऊपर प्राप्त हुई। हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जयपुर से भी हमने डो० आई० जी० (क्राइम) फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के असिस्टेण्ड डायरेक्टर को, डॉग स्क्वाय को यहां से भेजा है। सुबह स्पेशल आई. जी. को रवाना किया गया है सरकार की तरफ से कि वे वहां जाकर स्थिति को तत्परता से देखें। जो लोग इस कत्ल के दोषी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाय। राजस्थान के बाहर के पुलिस थानों पर भी टोलियां भेजी हुई हैं। कोटा जिले के अन्दर भी बहुत सरगर्मी से जांच की जा रही है, दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस दुखद घटना पर निश्चित रूप से खेद तो है ही। जो भी कार्यवाही हम कर सकते थे, की है, बराबर पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क किये हुए हैं। अभी भी टेलीफोन और वायरलैस से बराबर बात करके आया हूं। अभी तो यही सूचना आपके माध्यम से इस सदन को दे सकता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसी स्थान पर इसी प्रकार 6 महीने पहले हत्या की गयी, हाथ बांधकर खेत में डाला गया। उसके बाद क्या किया सरकार ने ?

(व्यवधान)

इसी प्रकार की हत्या कुछ महीने पहले की गई है, उनको नंगा किया गया, हाथ बांधकर खेत में डाल गये इसी स्थान पर उसके लिये क्या किया सरकार ने ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की नाक के नीचे इस प्रकार की घटना हुई है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Page No. 48

श्री रघुवीर सिंह कौशल : दो घण्टे तक लगातार मार-पीट की है, जो आया उसको पकड़ा, तीन लोगों को मरा जानकर डाल गये। इनको कई घण्टे बाद होश आया तो रेंगते हुए, क्योंकि हाथ बन्धे हुए थे, सरक-सरक कर सड़क पर आये। सड़क पर आकर इत्तला की है। ऐसा अत्याचार पुलिस लाइन से दो किलोमीटर दूर हुआ है। यही नहीं कि पहली बार हुआ हो, इनकी पुनरावृत्ति हुई है। मंत्री महोदय इसके लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? क्या आपने 4 हत्यारों में से एक को भी पकड़ा? कुछ महीने पहले इसी प्रकार की घटना हुई ह, क्या उसके हत्यारे पकड़े गये? वह भी सड़क पर तीन लोगों को बस में से उतार कर, तीन लोगों को 5 सौ लोगों के सामने, आपके डी. आई. जी. के सामने नंगा कर हत्या कर दी गई। इसके लिये आपको कुछ खेद है?

अध्यक्ष महोदय, कोटा से बारां तक 50 मील में एक भी थाना इस रोड पर नहीं है जिससे कि रोड सुरक्षित हो। कोटा में सबसे ज्यादा चलने वाली सड़क पर 50 मील में एक भी थाना नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। सरकार जनता में रोष पैदा करना चाहती है। वहां के आसपास के गांव में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 7 बजे के बाद लोग उस सड़क पर जाना बन्द हो गये हैं। 25 साल से 32 साल के बीच के 4 लोग मारे गये हैं। 3 अस्पताल में हैं जो मौत से जूझ रहे हैं, जिन्दगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। चारों लोग ऐसे हैं जिनके 4-4, 6-6 महीने के बच्चे हैं वह किसको रोयेंगे, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : काफी विस्तार में नहीं जायं....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, 4 लोगों की सड़क पर हत्या की गई है इसी स्थान पर। इसी प्रकार की हत्यायें पहले भी की गई हैं, कुछ महीने पहले तीन लोगों की हत्यायें की गई हैं....

श्री अध्यक्ष : कई बार यह बात आप कह चुके हैं। आर्डर, आर्डर।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी हत्यायें होने के बाद आपकी तरफ से क्या कदम उठाये गये, डी. आई. जी. चले गये, उनके जाने से क्या होता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर बार-बार इस तरह की घटनायें होती हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो....

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह कौन कहता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, जो कुछ भी हुआ है....

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दादाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। बैठ जायं, कृपया बैठ जायं।

यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है। जब से यह सूचना आप लोगों के पास और हमारे लोगों के पास आई है हम सबको जो दुर्घटना हुई है, उससे दुःख हुआ है। इस घटना के महत्व को देखते हुए आज इनको कोई वक्तव्य नहीं देना था लेकिन मंत्रीजी ने कुछ तथ्य सदन के सामने रखे। माननीय सदस्यों ने भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि 50 मील की लम्बी सड़क पर एक भी पुलिस स्टेशन नहीं है। इसी तरह का मोडस आपरेन्डी का अपराध पहले भी हो चुका है, यह भी आपने बात

× × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 50

(50)

(श्री अध्यक्ष)

सामने रखी है। तो इन सब बातों पर विचार करके इसके बारे में वक्तव्य दिलाने का मैं प्रबन्ध करूंगा। लेकिन आवेश में आयें, कितना ही आवेश प्रकट करें तो उससे तो इसका इलाज नहीं हो सकता। सुरक्षा के प्रबन्ध कैसे होने चाहिये, जिन्होंने अपराध किया है कोई मोटर में आये या अन्य कोई तेज सवारी में थे, उनकी गिरफ्तारी के बारे में क्या किया जा सकता है, कौन लोग हो सकते हैं, उसके पीछे कौन सा इरादा था ऐसी मोटी-मोटी बातें हैं। यह सभी पक्ष हैं, इन सभी पक्षों पर विचार करके वांछित सूचना मंगा लेंगे जल्दी से जल्दी। माननीय सदस्यों को और इस सदन को सूचित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि दुखद घटना पर रोष प्रकट करना उचित बात है। लेकिन इस सदन में आखिर कई मामले आते हैं, कई दुखद घटनायें होती हैं उनको हम अनिश्चितकाल के लिये लम्बा नहीं चला सकते हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : आज ही दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे जब दिला देंगे। अगर वक्तव्य दिलाने से इसका उपचार हो जाता हो तो दो घण्टे में भी आ जायेगा लेकिन पूरी जानकारी आने दीजिये। आपने भी कुछ बातें रखी हैं, अगर ऐसी घटना पूर्व में हुई हैं 2-3 पहले, और अपराध करने का वही तरीका है, तो यह एक नया आयाम जोड़ देती हैं। तो यह सब बातें आने दीजिये....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : ××××

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप अंकित नहीं होने दे रहे हैं हमें इस सम्बन्ध में अपना रोष प्रकट करना है। हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : किस बारे में? सिंचाई के सम्बन्ध में हां ना?

श्री अध्यक्ष : सिंचाई के सम्बन्ध में।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने केशोरायपाटन क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार ने आपको जानकारी दी कि सरकार ने इस विधान सभा क्षेत्र में समुचित व्यवस्था की है पानी की। हमारे जिले के प्रभारी मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक केशोरायपाटन चुनाव क्षेत्र की सारी नहरें बन्द करके मात्र बूंदी जिले में सिंचाई व्यवस्था की गई है। केशोरायपाटन चुनाव क्षेत्र को इसलिए उपेक्षित रखा है कि वहां का जनमानस विरोध पक्ष का है, वहां का सदस्य विरोधी दल का है। 9 फरवरी से 14 फरवरी तक, अध्यक्ष महोदय, सारे क्षेत्र का पानी बन्द कर दिया गया। हमारे माननीय मन्त्री महोदय, हमारे जिले के प्रभारी मन्त्री महोदय ने बून्दी और कोटा में बैठ करके कोटा और बून्दी जो कांग्रेस के क्षेत्र है, के साथ के सारे क्षेत्रों में पानी दिया और विरोध पक्ष के क्षेत्रों को पानी नहीं दिया। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन के क्षेत्र के लोगों ने वहां एक आन्दोलन किया उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद थे और जनता पार्टी के लोग मौजूद थे, जिला प्रशासन ने 4 फरवरी को आश्वासन दिया कि पूरे क्षेत्र में पानी पिलाया जायगा आप अपना आंदोलन समाप्त कर दीजिये। वहां के किसानों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने और वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो जानकारी आपको भेजी है कि हमने पूरे क्षेत्र में पानी दिया है वह गलत है। आज आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका में किसानों का असन्तोष झलका है। कांग्रेस के लोगों के बयान हैं, अखबारों में विरोध पक्ष के लोगों के बयान हैं कि आज भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त हो करके सिंचाई अधिकारियों को दबाया जाता है कि इस क्षेत्र को पानी नहीं दिया जाय, इस क्षेत्र के लोगों की और सिंचाई सीमा रोक दी जाय। अध्यक्ष महोदय, यह पक्षपात किया जा रहा है। किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। एक तरफ आप पानी दे नहीं रहे हैं, दूसरी किसानी के साथ अभी वसूली के दौरान ज्यादतियां की गई हैं, उनसे पैसा मांगा गया है, उनके साथ मार-पीट की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब बजट भाषण पर चर्चा करूंगा तो आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन जिस तरह की बेईमानी वहां के किसानों के साथ की जा रही है, पानी की

Page No. 52

(52)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जो अव्यवस्था है, उसको सुधारने के लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस पर जो जानकारी दी है आपको सरकार ने, यह बिल्कुल गलत, असत्य, निराधार है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के जो किसान हैं उनको सम्पूर्ण रूप से सिंचाई के लिये पानी दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पानी हमारे यहां भी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो, आर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

समिति का प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति का 23 वां प्रतिवेदन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

विधायी कार्य--पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक 1984.

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा) : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1983) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री नंदलाल मीणा, श्री बंसीलाल पटवा, डा. उजला अरोड़ा श्री नाथूसिंह, श्री कमलेन्द्र सिंह और श्री मेघराज तावड़ माननीय सदस्यों ने दी थी। वक्तव्य और उस पर होने वाली चर्चा अथवा स्पष्टीकरण के लिये में कुल मिलाकर आधे घण्टे का समय निश्चित किया जाता है। मन्त्री जी।

शासकीय वक्तव्य

मनुटाइम्स उदयपुर के कार्यालय में आगजनी

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24-2-84 को 8 बजकर 45 मिनट पर श्री मदन मोदी, सम्पादक मनु टाइम्स, उदयपुर द्वारा अपर अधीक्षक पुलिस को टेलीफोन द्वारा सूचना दी गई कि उनके प्रेस में किसी ने आग लगा दी है और प्रेस जल रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही की गई। पुलिस कण्ट्रोल रूम से फ्लाइंग स्क्वायड और म्यूनिसिपैलिटी से अग्नि शमन दल प्रबन्धक पुलिस थाना भूपालपुरा एवं डी.वाई. एस. पी. नगर तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे। मनु टाइम्स के सम्पादक के कार्यालय में आग लगी हुई थी, अग्नि शमन दल द्वारा तुरन्त उस पर काबू पाया गया। दैनिक मनु टाइम्स के सम्पादक श्री मदन मोदी ने इस घटना की एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें इन्होंने आग से उनके ऑफिस में रखी, सोफा की दो कुर्सियां, स्टेशनरी, अखबार छापने का कागज और अखबार का बण्डल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जलकर नष्ट होना बताया। रिपोर्ट में उन्होंने करीब 8000 रुपयों का नुकसान होना अंकित किया। साथ ही उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि यह कार्यवाही बदले की भावना से की गई है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि इस घटना के पूर्व उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा टेलीफोन पर धमकी दी गई थी। मोदी की इस रिपोर्ट पर थाना भूपालपुरा पर अभियोग संख्या 26/84 अन्तर्गत धारा 456, 436 ता. हि. दिनांक 24-2-84 का पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। पुलिस अधीक्षक उदयपुर भी घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक निर्देश दिये। अनुसन्धान से बदमाशान द्वारा प्रेस भवन के पिछवाड़े का ताला तोड़कर भवन में घुसना पाया गया तथा मौके पर साइकिल के टायरों के दो निशान भी मिले। आसपास के पड़ोसियों से तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है और अभी अभियोग अनुसन्धान तीव्रता से जारी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया, उसमें इस बात को इन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जो अपने पत्र में समय-समय पर उन दिनों में जो समाचार इन सब घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण था वह यही था। बल्लभनगर क्षेत्र के अन्दर बोडी गांव के अन्दर एक महिला, जो मेघवाल परिवार की विधवा महिला है, के घर को जलाया गया। उसने एक रिपोर्ट पुलिस थाना सरोपा में दर्ज कराई। 12 लोगों की नामजद रिपोर्ट में उस क्षेत्र के उप प्रधानजी का नाम आया था। 19 तारीख को उप प्रधानजी को पास में ही एक स्थान है, वहां गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको मावली कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत नहीं हुई और उनका जुडिशियल रिमाण्ड हुआ।

दूसरे लोग भी वहां उपस्थित थे। वहां पर अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर और एस. पी. व जिला प्रमुख सभी वहां पर उपस्थित थे। उस सारी घटना के बाद पहले दिन इस घटना के बारे में और दूसरे दिन अखबार में आया, उप प्रधान गिरफ्तार। दूसरे दिन 22 तारीख को फिर, इस घटना को बाकी सारे अखबारों ने दिया केवल एक ही अखबार ने नहीं दिया पहले दिन तो. लेकिन 22 तारीख को और किसी अखबार ने इस घटना को आगे नहीं बढ़ाया, केवल इसी अखबार ने फिर दूसरे दिन 22 तारीख को दिया, हरिजन विधवा का घर बरबाद करने वाले उप प्रधान घनश्याम को बचाने की राजनैतिक कोशिश की। उसमें उन्होंने सारे जो,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फैक्ट्स थे कि किस तरह से जिला प्रमुख ने यह बयान दिया कि 11.00 बजे ये तो मेरे घर उपस्थित थे, जबकि जो बच्चे स्कूल में थे उनके बयान यह हैं कि 2.00 बजे स्वयं प्रधानजी हमारे स्कूल में आये। स्कूल के बच्चे, प्रधानाध्यापक और चपरासी को ले करके दर्जी के घर पर आक्रमण किया और उनके घर पर रहने वाले लोगों को मार कर के भगा दिया और बाद में उसके घर को आग लगा दी। 20 तारीख को राजस्थान पत्रिका ने उसका सारा तहस-नहस घर का भी फोटो दिया। इसके बाद यह घटना 22 तारीख को भी आगे बढ़ गयी। 23 तारीख को फिर इन्होंने अपने अखबार में दिया। 23 तारीख जिस दिन जली है ये अखबार उसी दिन का उनके टेबल पर रखा हुआ था। ये उनका स्केल जो पड़ा था इन्होंने 23 तारीख को फिर अपने अखबार में निकाला, अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण की घोर भर्त्सना। उदयपुर में जितनी पालिटिकल पार्टी है, सामाजिक-असामाजिक सब लोगों ने इसको कण्डेम किया और इसमें उन्हें यह बात लगी कि इसमें कौन जिला प्रमुख है, जिसने सलोदा थाने को आग लगा देने वाली बात और धमकी थाने को जाकर दी। उसका भी इसमें जिक्र था। 23 तारीख के सायंकाल में इसी से संबंधित चार लोग जिस टैक्सी में बैठ कर गये, श्रीमन, वह टैक्सी स्वयं जिला प्रमुख की थी। जिसका नंबर उन्होंने दे रखा है आर. एस. सी. 6227। इसमें चार लोग नामजद थे जो सरपंच ये उसी क्षेत्र के थे। वे आफिस गये और जब आफिस में वे नहीं मिले तो रात को उनके घर गये और उनके पड़ोसी को जगा करके पूछा कि वे कहां रहते हैं, उनका पता करके, रात को उनको उठाया। उठाने के बाद एक घंटे तक उनसे मगजमारी करते रहे ये सोच करके कि आइन्दा ऐसी बात नहीं लिखोगे। उन्होंने उनकी बात को माना नहीं और फिर ये जो 23 तारीख की घटना है जिस दिन उन्होंने ये 23 तारीख को अखबार में निकाला। फिर उस सारी घटना के बारे में अखबार में जब निकाला तो 24 तारीख प्रातःकाल ये आग लगायी थी। जब ये सवाल पैदा हुआ कि जब आग लग गयी, हमारी पुलिस रिपोर्ट यह मानती है कि आग लगी है, घटना एक के बाद एक क्रम में चल रही है उसके बाद भी नामजद आदमी को जान करके पुलिस ने इतने दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यही नहीं उदयपुर के जितने भी प्रेस के लोग थे उन्होंने स्वयं मुख्य मंत्री जब उदयपुर आये थे तो उनके सामने ये सारा प्रोटेस्ट किया और मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि 9 तारीख तक हम उन लोगों को पकड़ लेंगे। लेकिन जब 9 तारीख को भी नहीं पकड़ा गया तो 10 तारीख को इसके सम्पादक ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। उसके बाद आपने ये भी जाना कि ग्रोवर साहब जो यहां आये वे केवल इसी बात के लिये आये कि एक छोटे पत्रकार ने जिसने अपनी बात को, अपने मन की बात को और सच्ची बात को प्रकट करने की कोशिश की, का कार्यालय जला, कर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के हमेशा के लिये नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। वह स्वयं पहुंचे और उन्होंने जाकर के उसका पांच दिन के बाद अनशन तुड़ाया। आखिर इस प्रकार की घटना जिस मुल्क में लोकतंत्र है, जिस मुल्क में हम यह मानते हैं कि लोकतंत्र के लिये प्रेस एक खम्भे के रूप में काम करती है, जो हम सब लोग, हम भी दोषी हो सकते हैं. हमारी भी वे आलोचना करते हैं, मैं आपको इसी पृष्ठ पर जो दोष छपा है उन्होंने हमारे बारे में भी लिखा लेकिन ये तो अखबार है चाहे जो लिख सकता है। उन्होंने लिखा है भारतीय जनता पार्टी—शर्म शर्म, क्योंकि इस घटना को जिस तरह से हमको कण्डेम करना चाहिये था. नहीं किया। श्रीमन्, मेरे पास वह टेप है अगर आप स्वीकृति देंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। आपस में अधिकारी इस बात को मानते हैं कि हां, वास्तव में इन लोगों ने जलाया है लेकिन आज दिन तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की और जो पूछताछ की यही उनको मेहमान की तरह से बुला करके पूछ लिया कि आखिर क्या हुआ? उनका वह तो आचरण है। और ये सारी घटना इस कारण से हुई, श्रीमन्, क्यों कि वहां प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा हुआ था और प्रधान जनता पार्टी का था और अगर ये लोग गिरफ्तार होते हैं, उप प्रधान गिरफ्तार होता है और अगर सरपंच गिरफ्तार होता है तो उनका जो नो-कांफिडेंस मोशन मूव किया हुआ है वह शायद पास नहीं हो सकेगा इसलिये इनको राजनैतिक संरक्षण देकर इस घटना को उजागर नहीं किया जाय। इस घटना को दबाने के लिये आग लगायी है। क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आग लगायी है तो उसका कुछ मुआवजा दिया जाय? ये तो राजस्थान की पत्रकारिता की स्वतंत्रता है! अगर आपने ये माना है तो आपको आज तक मुआवजा देने में क्या तकलीफ थी और जिन लोगों को मानते हैं और नामजद हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिनके नाम अंकित हैं उन लोगों को आपने गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों उन्हें मेहमान की तरह से आपने बुलाया जो लोग जा करके धमकी दें? श्रीमन्, ये धमकी ही नहीं, दुबारा फिर उनका टेलीफोन गया और फिर उन्होंने टेलीफोन पर धमकाया वह टेलीफोन इसमें रिकार्ड है। जो सरपंच हैं उन्होंने ये धमकी दी कि इसके बाद भी अगर तुम निकालते रहोगे? इसके बाद भी 28 को निकालता रहा। आगे भी निकालता रहा। श्रीमान् से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार की मन्शा वास्तव में यह है कि वह प्रेस की स्वतन्त्रता में विश्वास करती है तो चाहे वह जिला प्रमुख हो या हिन्दुस्तान का कोई भी बड़ा शहंशाह हो, जिसने भी पत्रकारिता को इस तरह से नष्ट करने का प्रयत्न किया है उसके खिलाफ नामजद एफ. आई. आर. होने के कारण उनके खिलाफ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक्शन होना चाहिये । यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पांच तारीख को जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उसमें मेरा भी नाम है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । श्री भारद्वाज....

श्री दाऊदयाल जोशी : 5 तारीख के स्थगन प्रस्तावों में श्री गुलाबचन्द जी कटारिया के साथ मेरा भी नाम है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, मैंने श्री कमलेन्द्र सिंह जी को पुकारा है ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने दिया है वह इतना गोलमोल दिया है कि उसमें किसी का कोई नाम नहीं दिया गया है । एफ. आई. आर. में किसका नाम दर्ज है, उसका नाम नहीं है, किन आदमियों ने धमकी दी है उनका नाम नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी के लिये मुझे यह कहना पड़ेगा कि जिन चार आदमियों ने मनु टाइम्स के एडीटर को धमकी दी थी आगजनी के दो दिन पहले 22 तारीख को, उनमें चार सरपंच हैं । एक जयदेव सिंह एडी का सरपंच है, एक जवान सिंह अमरपुरा का सरपंच है और तीसरा जो सरपंच है गोवर्धन सिंह, चौथा आदमी कौन था उसका नाम उन्होंने अंकित नहीं किया । पर इसी सरपंच ने उदयपुर में जाकर के और मनु टाइम्स के एडीटर के घर पर जाकर के धमकी दी । जहां तक जवान सिंह का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका एक क्रिमिनल रिकार्ड है । आज कानोड़ के थाने में जाकर देख लेंगे तो कम से कम 20 रिपोर्ट उसके खिलाफ है....

श्री अध्यक्ष : पर जनता उसके फेवर में है ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : जनता वोट दे देती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, सरपंच बनने के बाद इन्होंने ये सब कार्यवाही चालू की हैं । एक रिपोर्ट जो वरदा चमार ने की थी आज 6 महीने से अनुसंधान में पड़ी हुई है । उसको और उसके घरवालों, सबको पीटा है इस जवान सिंह ने और उसके बाद होम मिनिस्टर को उन्होंने लिखा है तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया है । उस वरदा चमार की आज भी स्थिति ऐसी है कि उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है और कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं । जवान सिंह ने एक केस और किया है जो डूंडला थाना में है । उसमें यहा है कि एक झगड़े में इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ कर उसके मुंह में गाय की हड्डी डाली और उससे लिखवाया गया है कि मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है । जमीन का डिस्प्यूट था । इसमें जवान सिंह की नामजद रिपोर्ट है तो भी कोई कार्य-

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

वाही नहीं हुई। इसीलिये नहीं हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस (आई) का बेज पहन रखा है और कभी वे कांग्रेस पार्टी के मेम्बर बन जाते हैं, कभी किसी और पार्टी के मैम्बर बन जाते हैं. उनको पूरी सुरक्षा दी जा रही है चारों तरफ आतंक फैला हुआ है। कोई भी आदमी....

श्री अध्यक्ष : पहले आपकी पार्टी में थे क्या ?

श्री कमलेन्द्र सिंह : मेरी पार्टी में नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977 से लगातार अपनी क्रिमिनल कार्यवाहियां करते रहे हैं और जहाँ भी उनको सुरक्षा मिलती है वहां जाकर बैठ जाते हैं। आज कांग्रेस (आई) से उनको सुरक्षा मिल रही है इसलिये वहां पर जा बैठे हैं और जो भी सुरक्षा देगा वहां जाकर बैठेंगे। इस जवान सिंह के खिलाफ कार्यवाई आज 6 महीने से गवर्नमेंट नहीं कर रही है। उसी को भेजा गया, उसी को दारू पिलायी गयी। उसी को मनु टाइम्स के घर पर भेजा गया और वह एक जाल गिरोह के पीछे पीछे, जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसका अविश्वास के प्रस्ताव का बैक ग्राउण्ड है। चार सरपंच वहां मौजूद थे और इसलिये मौजूद थे कि जितने भी कांग्रेस (आई) के सरपंच थे उनको गार्ड करने के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये कि कहीं वे भाग नहीं जाय, एक कमरे में बन्द करके इन चारों को रखा था। जब यह ड्यूटी उनकी पूरी हो गयी तो जो मनु टाइम्स है उनकी जीप लगायी बन्दूक, लगाकर वहां भेजा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चारों सरपंचों को इन्होंने अविश्वास के लिये उपयोग किया है। दूसरी बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मनु टाइम्स ने जो वास्तव में अखबार में छापा है जो सरसी विधवा का, मेघवाल का घर जलाया गया है, अध्यक्ष महोदय, यह पहला केस नहीं है। आज से डेढ़ साल पहले इसी मौसम में सरसी बाई मेघवाल का घर खाली कराया था। इसी घनश्याम ने खाली कराया था जो उप प्रधान है और उससे खाली करवाकर, बारिश का दिन था, उसकी जितनी भी फसल थी खेत में सबको कटवाकर बाहर कर दिया। केवल एक ही झगड़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका। सरसी बाई के दो लड़के जो हैं वे हिन्दुस्तान जिन्क में नौकर है, 1600-1700 रुपये तनख्वाह मिलती है, उनके पास पैसा है, पैसा बन गया है और मकान बनाने की हैसियत में हैं, साथ ही साथ गांव में मनी लेंडिंग भी करते हैं। घनश्याम और उसके परिवार वाले तथा जिन 12 लोगों के नाम जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, और जो 12 नाम एफ. आई. आर. में दर्ज हैं सभी मनी लेंडिग का काम करते हैं। वह नहीं चाहते कि मेघवाल परिवार मनी लेंडर बने। वह लोग जमीन को गिरवी रखते हैं और सरसी भाई के लोग भी गिरवी रखने लग गये हैं। उनमें आर्थिक टकराव है इस कारण उनको गांव से निकालने की साजिश हो....

श्री अध्यक्ष : एस. सी. वाली बात खास महत्व नहीं रखती. सरसी बाई तो खुद सक्षम है।

श्री कैलाश मेघवाल : जाति तो जाति होती है, कैसे सक्षम है ?

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा लेने वाले जितने भी हैं वह 70 मेघवाल परिवार हैं, जो मनी लेंडिंग चलाते हैं। उसी में सरसी बाई भी यह काम करती है। इसलिए टकराव है। उनको डेढ़ साल पहले हरैस करके घर से, गांव से निकाला गया। जिस घर को जलाया गया उसकी पट्टियां नीचे डाल दी गई। सरसी बाई ने दिल्ली, जयपुर सब जगह चक्कर लगाये, मेरे पास आई थीं. तब सब नहीं चल रहा था। मैंने मुख्य मंत्रीजी को कागज दिखाये। मैं उनसे मिला उनको बताया कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पेरेलल कार्यवाही वहां पर चल रही है। घनश्यामजी लोक सभा के माननीय सदस्य दीन बंधुजी को साथ लेकर यहां आये और मुख्य मंत्रीजी से मिले। उनसे कहा कि पुलिस सरसी बाई के साथ जो कार्यवाही कर रही है. वह हमारे खिलाफ कार्यवाही है। उस साल 20 आदमियों की एफ. आइ. आर. दर्ज हुई थी, उसमें घनश्याम का भी नाम है। वह खुद डेलीगेशन लेकर आया कि हम आपके साथ हैं। पुलिस कार्यवाही कर रही है। इस स्थिति को देखते हुए जितने भी वहां पर अफसर थे, एस. डी. ओ., डी. एस पी. थानेदार, सबका ट्रांसफार कर दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी से खुद मिला हूं। मैंने कहा, यह स्थिति ज्यादा बन रही है, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन घनश्यामजी बिगाड़ रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आये थे। उनके कहने से मैंने यह कर दिया है। आपके अफसर किस काम के हैं ? डबोक हवाई अड्डे पर जब मैं उतरता हूं, वह हवाई अड्डा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, तो कोई वहां पर सैल्यूट मारने नहीं जाता है। यह मुख्य मंत्रीजी के शब्द हैं। ऐसे अफसर क्या कर सकते हैं ? उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि साल भर के बाद यही की यही घटना हुई है। उस समय सरसी बाई ने इसी घनश्याम को 6 हजार रुपये समझौता कराने के लिए, फिरौती के रूप में दिये थे कि मुझे यहीं रहने दो। घनश्याम को आज फिर पैसे की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव था, खर्चा चाहिए, गाड़ी चाहिए लोगों को खिलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि सरसी बाई से पांच-छः हजार रुपये मिल जायेंगे। इस नीयत से उसने चार दिन तक उसे बन्द रखा, स्कूल के लड़कों को भेजता रहा कि इसका मकान जला दो, बाड़ा हटा दो। इससे कोई काम नहीं चलेगा, सरसी बाई कहती गई मैंने तुम्हें एक बार छः हजार रुपये दिये थे, अब मैं घनश्याम को एक पैसा भी नहीं दूंगी। इसके बाद उसका घर जलाया गया। स्थिति यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा था, पैसे की आवश्यकता थी और सरसी बाई जैसे कमजोर वर्ग के घर नहीं मिलता, जिस जगह पैसा मिल सकता था वह जानता था कि उनके पास पैसा है, उसके दोनों लड़के कमाते हैं, घर में तीन-चार हजार रुपये महीने की आमदनी है, यह पैसा दे सकते है। चन्दा कोई उसे देने को तैयार नहीं

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

था, इसलिए उन्होंने यह फिरौती का काम चालू किया ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

फिरौती की आदत पड़ गई थी । उन्हें सुरक्षा कहां से मिली ? मुख्य मंत्रीजी से । जो कार्यवाही करने वाले अफसर थे उनका ट्रांसफर कर दिया । हो सकता है कोई डबोक एयर पोर्ट पर सेल्यूट नहीं मारे तो उनकी प्रतिष्ठा में फर्क पड़ सकता है । दीन बन्धुजी डेलीगेशन लाये और ट्रांसफर करने की कोशिश कराई । नहीं हुआ तो उनकी प्रतिष्ठा में फर्क पड़ सकता था । आज दिन तक सरसी बाई की प्रतिष्ठा के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा है । मेघवाल जाति की भी कोई प्रतिष्ठा है, इस बारे में कांस्टीट्यूशन आने के बाद जो सरकारें बनी हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इनकी भी कोई प्रतिष्ठा है । मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि जब तक अनुसूचित जाति या कमजोर वर्ग के लिए प्रतिष्ठा का सवाल सरकार नहीं बनाती, सरकारी अफसर नहीं बनाते और जो उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है । जब तक यह नहीं रुकेगा, तब तक अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिय ....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी अवसर दूंगा । श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो काण्ड हुआ, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । पहले भी जब ऐसी बात आती है तो ज्यादा चिल्लाकर मैं कहता रहा हूं । जिस वर्ग में ऐसा दर्द है, उस वर्ग से मैं आता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय इन लोगों ने सरसी बाई का घर जलाया, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो इतना कहा गया, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाये जाने के बाद भी और बार-बार हम मुख्य मंत्रीजी से मिले । उसके बाद भी उन लोगों, जो दोषी थे, को बचाया गया । उनके खिलाफ न कोई कार्यवाही की गई और न ही उनको गिरफ्तार किया गया । उसी को लेकर 10 तारीख को एक पत्रकार को अनशन पर बैठना पड़ा । माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार तो लोकतन्त्र का स्तम्भ है, अगर वह अपनी भावना, जो कुछ घटित हो रहा है उस को जनता तक नहीं पहुंचायेगा तो सरकार कैसे समझेगी । सरकार अगर ऐसे पत्रकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो प्रजातन्त्र खतरे में है । किसी भी पार्टी के लोग, कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उनको क्या लाइसेंस दिया गया है कि तुम घरों को जलाओ ? उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही । मुख्य मंत्रीजी से मिलने के बाद भी इस तरह की बात हुई, इसलिये भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा जिसे माननीय ग्रोवर साहब ने वहां जाकर अनशन तुड़वाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । मुझे खेद है कि उदयपुर के ब्लिट्ज के ब्यूरो चीफ माननीय श्री हीरेन मुखर्जी

(श्री मेघराज तावड़)

को भी कालाबाजारियों ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी। कल किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। कोई बात होती है तो वह उजागर करता है तो क्या उसके बाल-बच्चों को मारा जा सकता है? सरकार का फर्ज है कि उसकी सरकार रक्षा करे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को बचाया जा रहा है आज तक, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए। इसकी सी. बी. आई. से जांच करायी जानी चाहिए।

दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज भी वही स्थिति है। सरसी बाई गांव में नहीं जा सकती, अपने घर नहीं जा सकती। क्या, मंत्री महोदय, उसको वापस गांव में लाने के लिए पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन दिया गया है? अगर नहीं दिया गया तो पुलिस का पहरा लगाकर सरसी बाई की रक्षा की जाय। इस तरह की घटनाओं के बारे में सरकार सख्ती से निपटे। अगर मुख्य मन्त्रीजी की प्रतिष्ठा में कमी आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को इंग्लैंड चले जाना चाहिए अंग्रेज बनकर। वहीं रहें। यह रवैया अंग्रेजों का था कि कोई खड़ा नहीं होता, सैल्यूट नहीं मारता....

श्री अध्यक्ष : खड़ा नहीं होना या सैल्यूट नहीं मारना, यह तो अनुशासन है।

श्री मेघराज तावड़ : आज प्रजातंत्र है....

श्री अध्यक्ष : प्रजातन्त्र तो है पर उसकी भी जगह है। जो अनुशासित संगठन है उसको सब कायदे कानून निभाने पड़ते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : हम भी रास्ते में मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। लेकिन जो नहीं पहुंचा तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना मुख्य मन्त्रीजी के लिए उचित नहीं है। यह अंग्रेजों का काम है। मैं अभी सोवियत रूस गया था, मैंने इस तरह की कोई बात वहां नहीं पाई। वहां समानता है, समाजवाद है। समाजवाद में यह नहीं होता। समाजवाद की बात मुख्य मंत्रीजी करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी टाटा-बिड़ला ने खरीद ली।

श्री गोपाल पचेरवाल : दिल्ली के दरबार में यह लोग सिर झुकाकर नहीं जाते हैं तो इनका पत्ता कट जाता है।

श्री मेघराज तावड़ : उनके कार्यकर्ता हैं, मुख्य मंत्रीजी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सरकार कुछ नहीं करती तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी गरीब आदमी, जिस पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, खड़ा होगा और आपसे व पुलिस से सड़क पर निपटेगा, वह छोड़ने वाला नहीं है। इसकी सी. बी. आई. से जाँच कराई जाये। जो दोषी व्यक्ति हैं अगर उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही

नहीं करती है तो जनता निपटने के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी० पी० जोशी।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य पत्रकारों पर होने वाले हमले के प्रति सचेत हैं। मैं भी इस बारे में उनकी इस भावना से सहमत हूं कि पत्रकारों पर हमला नहीं होना चाहिए लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पर सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहता है। बल्लभनगर के गांव भोंडी में खसरा नम्बर 1047, 1049, और 1048 की जमीन है उसमें स्कूल भवन बना हुआ है। माननीय सदस्य जानते हैं इस बात को कि स्कूल के भवन की बाउण्ड्री का एक डिस्प्यूट है। आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि सरसी बाई का परिवार आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न परिवार है। इस स्कूल की बाउण्ड्री के ऊपर झगड़ा वहां पर चल रहा है। झगड़ा इस बात का है कि स्कूल की बाउण्ड्री की नपती सही की जाये। इस सम्बन्ध में वहां के प्रधानाध्यापक 3–5–63 से बराबर कार्यवाही कर रहे हैं। वहां के पटवारी, वहां के एस. डी. एम. साहब ने मिलकर उस जमीन की नपती की और बताया कि यह जमीन स्कूल की बाउण्ड्री की है और यह जमीन सरसी बाई की जमीन है। उस बाउण्ड्री के आधार पर वहां के पटवारी ने, वहां के एस. डी. एम. साहब के सामने तहसीलदार ने बाउण्ड्री का डिमार्केशन कर दिया। डिमार्केशन करने के बाद बता दिया गया कि यह स्कूल की बाउण्ड्री है और यह बाउण्ड्री सरसीबाई की है। उस बाउण्ड्री का डिमार्केशन होने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि उस स्कूल की बाउण्ड्री की जब वहां पर पत्थरगढ़ी की बात प्रारम्भ हुई तो प्रधानाध्यापकजी से वहां सरसी बाई और उनके दोनों लड़क और परिवार वालों ने गाली-गलौच की। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई। उस पर कार्यवाही चल रही थी जिसके बीच में प्रधानाध्यापक जी ने एस.डी. एम. और थानेदार को यह भी बताया। आपके द्वारा और तहसीलदार के द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश देने के बाद और नपती करने के बाद जो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जा रही है इस पर गाली-गलौच करके व्यवधान उपस्थित करते हैं। उनके चपरासी और मास्टर के साथ गाली-गलौच कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने पुलिस में समय-समय पर दर्ज करा दी। 13 तारीख को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उस स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के कमरों में कैंच की फली बिखेर दी गयी। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 13 तारीख को स्कूल बाउण्ड्री के अन्दर पड़ने वाले कमरों के अन्दर कैंच की फली बिखेर दी गयी? कैंच की फली बिखेरी तो, अध्यक्ष महोदय, स्वयं आप इस बात को जानते हैं कि जो इफेक्टेड पार्टी होगी उसी ने बिखेरी होगी। उससे छात्रों के अन्दर आक्रोश उत्पन्न हुआ। वहां के प्रधानाध्यापकजी इसकी रिपोट

लेकर वहां के एस. एच. ओ. और एस. डी. एम. साहब के पास गये....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री सी० पी० जोशी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में ही....

श्री अध्यक्ष : मनु टाइम्स पर ही....

श्री सी० पी० जोशी :....मनु टाइम्स पर आना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पृष्ठ-भूमि बताई गई है कि इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण है। अध्यक्ष महोदय, सारा विवेचन करने का मेरा उद्देश्य यही है। यहां जो कार्यवाही प्रधानाध्यापकजी ने एस. डी. एम. के सामने प्रस्तुत की और पुलिस ने तारीख 17 को लिख कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी मैं आप को सुनाना चाहता हूं। तारीख 17 को एस. एच. ओ. को लिखकर दी है रिपोर्ट, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी कि इस घटना के पीछे पूरे कारण क्या हैं और इसकी पृष्ठभूमि क्या बनाई गई है। माननीय सभापति महोदय, थानेदार साहब ने यह लिखा है, जो रिपोर्ट आपने दर्ज कराई है उसके आधार पर हम इसकी पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। तारीख 17 को प्रधानाध्यापकजी उन्होंने को एक रिपोर्ट लिख कर दी है कि आपकी जो सूचना 13 तारीख की है उसके आधार पर सरसी वाई और

(1.04 म० प०)

(श्री हरिसिंह सभापति, पदासीन)

उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ कार्यवाही बल्लभनगर एस. डी. एम. के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह तारीख 17 की बात है। माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित तौर पर सत्य बात है कि बल्लभ-नगर में प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव था। इस बात को मैं मना नहीं करता लेकिन बल्लभनगर के प्रधान के अविश्वास के प्रस्ताव को नहीं देने की पृष्ठ-भूमि बनाने के लिए जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, वहां के विधान चन्द जी कोठारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सदस्य हैं, एक पत्र लिखा, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह पार्टी का कोई मेम्बर ही नहीं है।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, वह इस पृष्ठभूमि को और भी स्पष्ट करेगा। उस पत्र को उन्होंने लिखा है....

Page No. 64

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह पार्टी का मेम्बर ही नहीं है।

श्री सी० पी० जोशी : वह आप पता लगा लें। वह पत्रकार हैं, आपकी पार्टी के सदस्य हैं और आपके चुनाव में मुख्य चुनाव एजेन्ट थे। इस बात को भी माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया मना करें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वह आपके चुनाव में चुनाव एजेन्ट थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : आम ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : ....आर्डर प्लीज। आप बिराजें। आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उस पर वक्तव्य है और स्पष्ट रूप से मनु टाइम्स पर हमले के बारे में वक्तव्य है। यह दूसरे मुद्दे उठाकर इश्यू को साइड ट्रेक कर रहे हैं। कहां पर गांव में झगड़ा हुआ, क्या हुआ उसका यहां डिस्कशन हाउस में कर ही नहीं सकते।

श्री सभापति : ठीक है, विषय पर ही बोलेंगे आप।

श्री नाथूसिंह : मनु टाइम्स पर बोलिये आप।

(व्यवधान)

श्री सी० पी० जोशी : मुझे इस बात की खुशी है, दाऊदयाल जी, नाथूसिंह जी को दस मिनट में अपने दिमाग से सोचने का अवसर मिलता है। इस बात की मुझे खुशी है।

श्री सभापति : उससे संबंधित जो भी बातें हों वही कहें।

श्री सी० पी० जोशी : हां, सभापति महोदय, मानता हूं। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताकर बताना चाहता हूं कि जो पत्रकार है, जो पत्र निकल रहा है मनु टाइम्स, और जिसके ऊपर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय। वहां के विधान कोठारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और पत्रकार भी हैं....

श्री गुलाबचंद कटारिया : नहीं हैं।

श्री नाथूसिंह : वह कांग्रेस के मेम्बर हैं।

श्री सी० पी० जोशी : मुझे खुशी है इस बात की....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 1976 में ही उनको निकाला। आज नहीं निकाला 1975 में निकाला है।

श्री सी० पी० जोशी : अच्छा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी मान लूं कि उनको 75 में निकाल दिया....

श्री सभापति : वह तो अपनी जानकारी के हिसाब से बात कहेंगे।

श्री सी० पी० जोशी : ....माननीय सभापति महोदय, मुझे यह खुशी है, यह कह रहे हैं कि 75 में निकाल दिया लेकिन 75 से पहले वह भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ता थे। इस बात में उनको तकलीफ नहीं है। यह बताते हैं वह पत्रकार भी हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा, श्री मदन जी मोदी, जो कि प्रधान सम्पादक भी हैं मनु टाइम्स के, को लिखा है पत्र....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। वह अपनी बात कर रहे हैं। आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, सत्य बात सुनने का साहस नहीं है। माननीय नाथूसिंह जी, आपका मौका आये अपनी बात कह दें। मुझे क्या तकलीफ है इस बात पर ?

माननीय सभापति महोदय, उस पत्र के कुछ एक्सट्रेक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने, विधान कोठारी ने मदन मोदी, जो मनु टाइम्स के सम्पादक हैं, के नाम पर लिखा है। उन्होंने लिखा है :

"आपके कार्यालय में लगी आग के समाचार पढ़कर दुख व आश्चर्य हुआ। इस दारुण दुख में मैं व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हो सका इसके लिए क्षमा। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाया।"

उन्होंने पृष्ठभूमि लिखी है :

"यहां के कतिपय राजनेता-जन नेता जैसे गुलाबसिंह जी, देवपुरा जी, परसराम जी त्रिवेदी, राजेन्द्र जी चौधरी, भानुकुमार जी, घुप्पड़ साहब, जोधसिंह जी आदि-आदि न केवल अपने-अपने समय के संघर्षशील व लड़ाकू नेता रहे हैं बल्कि उन्होंने कभी भी सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया। लोकतंत्र के प्रति उन लोगों की अटूट आस्था रही है। हिंसा में उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया और ना ही कभी उससे संबंधित लोगों को प्रश्रय देने के बारे में सोचा। स्वर्गीय सुखाड़िया जी के समय राजनैतिक विरोध और कड़े चुनावी संघर्ष के बावजूद यहां ऐसी घटनायें कभी नहीं हुई....

श्री बंशीलाल पटवा : इसका क्या संबंध है मनु टाइम्स से ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, विषय से हटकर बोल रहे हैं यह तो।

श्री सभापति : आप तो मनु टाइम्स के ऊपर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री सभापति : सदन का टाइम खराब होने से आप बचायें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कर क्या रहे हैं ? क्या लिखाकर लाये हैं यह ?

श्री सी० पी० जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं इनको यह पृष्ठभूमि बताने के बाद कि मदनजी मोदी, जो कि मनु टाइम्स के सम्पादक हैं, मालिक हैं. के बारे में लिखा है। उनका जो बैक ग्राउण्ड है इससे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी परिचित हैं और वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य भी परिचित हैं। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि यह राजनेता हमारे उदयपुर डिवीजन के रहे हैं और किसी भी जन नेता चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, की आज दिन तक पत्रकारों पर हमला करने की या उसे प्रोत्साहित करने की नीयत हमारे उदयपुर में नहीं रही। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए पत्रकारों की चिंता होनी चाहिए लेकिन जिस पत्रकार और पत्र के बारे में बात कही गयी है उस पत्रकार के बैकग्राउन्ड को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। समय-समय पर आप जो कुछ करते रहते हैं उस पर कभी गम्भीरता से विचार करें। कभी आत्म-हत्या या आत्म-दाह का प्रयास करना, कभी टैन्ट लगाकर और कभी हाकर के बहाने प्रशासन से टकराव लेकर पब्लिसिटी प्राप्त करना आदि कृत्यों से केवल आपकी बल्कि सम्पूर्ण प्रेस की बदनामी होती है। चूंकि आप किसी राजनैतिक दल के सक्रिय कार्यकर्त्ता नहीं हैं अतः पत्रकार के नाते पत्र में लिखकर समाज का ध्यान आकर्षित करना ही पर्याप्त होता है।

जन समस्याओं के लिए टैन्ट लगाना आदि कार्य राजनैतिक दल करते रहते हैं। प्रदर्शन और विरोध के मार्फत वे लोग शासन व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं—उन्हें भी प्रेस के सहयोग की आवश्यकता रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मनु टाइम्स की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं पत्रकारिता की स्वतंत्रता में विश्वास रखता हू लेकिन आत्मदाह के नाम पर सस्ती वाहवाही लूटकर ब्लैकमेल में विश्वास करना चाहते हैं तो निश्चित ही हमको दुख होता है। इसके पीछे पृष्ठभूमि यह है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, उन्होंने जो बैंक से लोन लिया वह बैंक लोन की किश्त नहीं चुका पाये। ब्लैक मेल करने के लिये जिला प्रमुख का नाम लिख दिया....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप बोल क्या रहे हैं....

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपके मुख्य मन्त्री ने स्वयं कहा है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह गलत बोल रहे हैं। आप उनको ब्लैक लिस्ट करते, उनका प्रेस बन्द करवाते। एक निर्भीक, निडर व्यक्ति पत्र निकालता है। ब्लैकमेल कर रहा है ? शर्म आनी चाहिये।

श्री सभापति : विवाद में न पड़ें।

श्री भगवानदास शास्त्री : उनका पत्र बन्द करवाते....

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मनु टाइम्स पर....

श्री सभापति : आप किसी पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं ?

श्री कमलेन्द्र सिंह : जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति : जवाब देने की जरूरत नहीं। जवाब तो मंत्रीजी देंगे।

श्री कमलेन्द्र सिंह : मंत्री जी नहीं दे सकते, उनके पास वक्तव्य नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : वह पत्रकार अपनी जान पर खेला है। आपकी पत्रकार के प्रति श्रद्धा नहीं है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मनु टाइम्स के एडीटर का जैसा करेक्टर बताया जा रहा है, इसका मतलब है उसका घर जला दिया जाये ?

श्री सी० पी० जोशी : यह बात नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिये....

श्री कमलेन्द्र सिंह : क्योंकि जमीन का डिस्प्यूट है इसलिये उसका घर जला दिया जाये ? माननीय सभापति महोदय, आप जस्टीफिकेशन किस बात का दे रहे हैं ?

श्री सभापति : उन्होंने अपनी बात रखी है। यह जरूरी नहीं है, आप उनसे सहमत हों। उनको अधिकार है अपनी बात रखने का, उन्होंने अपनी बात रखी है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : कोई एक्सयूज नहीं है। मकान जला है, यह दिख रहा है, पुलिस को भी दिख रहा है, अपने को भी दिख रहा है, सब को दिख रहा है। इसका मतलब यह है. यह जस्टीफाइड है ? वह बदमाश है तो इसका प्रेस जला दो....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको अधिकार है कि किसी नतीजे पर पहुंचें। उनको प्रेस कैसे कर रहे हैं....

श्री सी० पी० जोशी : मैं वहां रहता हूं, आपको मालूम नहीं है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(1.15 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है, कृपया एक मिनट बैठ जायें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, वाद विवाद के नियमों से माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं। बार-बार आसन आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता है। यह कौन से विवाद के नियम हैं कोई माननीय सदस्य जब इधर से बोलें, उस वक्त आम तौर से सत्ता पक्ष शांति से उसकी बात सुनता है, और जब इधर से कोई माननीय सदस्य कहें तो अच्छे ढंग से न सुनें! कटु सत्य भी यहां सुनना पड़ता है....

एक माननीय सदस्य : दोनों को सुनना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। कृपया धैर्य रखिये। बात अच्छी तरह से सुन लीजिये।

मैंने समय निश्चित कर दिया था, वैसे तो मैं चर्चा समाप्त करता लेकिन क्योंकि इसमें बाधा उपस्थित करके काफी समय ले लिया है, इसलिये मैं थोड़ा समय इस में बढ़ा देता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वाद विवाद के जो न्यायोचित नियम हैं उनका पालन होना चाहिये। कटु से कटु सत्य हो उसको अंगीकार करके उसको स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिये। उसके पश्चात् यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आसन की अनुमति से बेशक थोड़े में अपनी बात कह सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सी० पी० जोशी अपनी बात कहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट। एक स्पष्टीकरण....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। यह कोई तरीका नहीं है। प्रवृत्ति यह है, जब जवाब आता है पाइंट आफ आर्डर के नाम पर, स्पष्टीकरण के नाम पर....

(व्यवधान)

धैर्य रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल धैर्य रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। व्यवधान पैदा न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक स्पष्टीकरण।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे बाध्य न करें। यह बर्दाश्त नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपनी बात....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा। मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री सी० पी० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बात इसलिये कही कि प्रेस की स्वतंत्रता की जितनी चिन्ता विरोधी पक्ष को है उतनी कांग्रेस में बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी है। प्रेस में आग लगी लेकिन उसमें कुछ सरपंचों, कुछ प्रधानों को इन्वाल्व करके राजनैतिक लाभ उठाना चाहें, उसमें हमको तकलीफ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आग लगी लेकिन उसके खिलाफ किसी आदमी को नामजद करके पोलिटिकली डाउन करने का प्रयास किया जाये, उसकी हम निन्दा करते हैं। उसकी जांच होनी चाहिये। प्रेस में आग लगे उसके जो कल-प्रिट हैं उनको पकड़ लेना चाहिये, उसमें तकलीफ नहीं। लेकिन यहां यह कहना कि उसमें उदयपुर ज़िला प्रमुख इन्वाल्व था, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे हमको दुख होता है। इस तरह की सस्ती वाहवाही लूटने के लिये, अपनी राजनैतिक दुकान जमाने के लिये किसी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता को इसमें इन्वाल्व किया जाये, इससे हमको तकलीफ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा. क्या यह सत्य है कि स्कूल की बाउण्डरी के लिये वहां का सरपंच काम न करें, वहां के प्रधानाध्यापक के लिखने के बाद भी कार्यवाही न हो? स्कूल की बाउण्डरी के लिये सरपंच काम करे और हम यहां यह कहें कि सरपंच गलत काम कर रहा है। चाहे रामलाल हो चाहे सोहन लाल हो, बाउण्डरी के लिये सरपंच काम नहीं करे, केवल मात्र शिड्यूल्ड कास्ट का नाम लेकर सस्ती वाहवाही लूटना चाहें तो वस्तुस्थिति में काम नहीं कर पायेंगे। मैं यह बात विरोधी पक्ष के नेता से कहना चाहूंगा, क्या यह सत्य है कि स्कूल की बाउण्डरी में डिस्प्यूट था? आग लगी है, आग लगाने वाला कौन था? आग लगाई किन लोगों ने....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री सी० पी० जोशी : लेकिन चूंकि घनश्याम जी का नाम आ गया, सरपंच का नाम आ गया, जिला प्रमुख का नाम आ गया, इस सारी स्थिति को इस तरह से रिलेट करते हैं, यह ठीक नहीं है। प्रेस की स्वतन्त्रता होनी चाहिये लेकिन प्रेस की स्वतन्त्रता की आड़ में पोलिटिकल आदमी पर मोटिव एट्रीब्यूट किया जाय, उससे हमें दुख है। आग लगने का मामला एक सिंपल मामला है जिसकी जांच होनी चाहिये, लेकिन इसके आधार पर जो राजनीति चलाना चाहते हैं, उनको हम कन्डेम करते हैं। प्रेस की चिन्ता जितनी आपको है उतनी ही हमको है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं अवसर दूंगा।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा

(श्री अध्यक्ष)

कि इस वक्तव्य के लिये आधे घण्टे का समय निश्चित किया गया था। समय उससे कुछ अधिक हो चुका है। कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिये कोई अन्य तथ्य हों तो दो दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पाइन्टेड सवाल करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्टेड ही कहते है इसीलिये मैंने अवसर दिया है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना चाहता हूं, पहले तो कि माननीय सदस्य साइड ट्रेक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास किया उन्होंने। सवाल इस बात का है कि इस मामले में डाइरेक्ट माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम आया है।

श्री अध्यक्ष : वह आप फिर साइड ट्रेक कर रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : साइड ट्रेक इसलिये नहीं हो रहा, अध्यक्ष महोदय, मनु टाइम्स के कार्यालय में आग लगाई गई। आग लगाई गई और हमला किया गया है फिर भी आज तक केवल पूछताछ चल रही है। माननीय सदस्य, जो उस क्षेत्र से आये हैं ने कहा है मुख्य मन्त्री जी से उनके नेतृत्व में डेलीगेशन मिला। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रमाणित किया, वहां के अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यदि सरकार द्वारा अधिकारी, जो वहां पर कार्यवाही कर रहे थे, या जो भी अधिकारी उस समय इससे सम्बन्धित थे यदि उनका ट्रांसफर किया जाता तो जो नये अधिकारी हैं वे माननीय संसद सदस्य और माननीय मुख्य मन्त्री के रिलेशन में हैं, उनको सब जानते है, क्या वे निष्पक्ष जांच कर सकेंगे ? यदि पुलिस इस मामले की जांच करेगी....

(व्यवधान)

एक साथ बोल देना, हां, एक साथ बोल देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइन्टेड सवाल है इसलिये पाइन्टेड उत्तर दे देता हूं।

श्री नाथू सिंह : तो क्या पुलिस इस मामले में डाइरेक्ट या निष्पक्ष रूप से जांच कर सकेगी ?

दूसरा मेरा निवेदन है, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और पत्र पढ़कर यहां सुनाया। उस पत्र को पत्रकार ने लिखा है उसकी डेट नहीं बताई, किस डेट को लिखा गया है। उसमें लिखा है, जैसा विरोधी दल का रवैया है और आंदोलन है यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथू सिंह : प्रेस आजादी का उतना ही तगड़ा प्रहरी होता है लोकतन्त्र का जितना विरोधी दल। विरोधी दल के बोलने के लिये सदन है, प्रेस के बोलने के लिये समाचार पत्र का माध्यम है।

श्री अध्यक्ष : फर्क इतना ही है केवल कि उनको कलम काम में लेनी चाहिये और राजनीतिज्ञों को अपनी जीभ काम में लेनी चाहिये।

श्री नाथू सिंह : बिलकुल, मैं यही कह रहा हूँ, यह अन्तर आपने स्पष्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जब वे अपनी कलम चलाते हैं, यदि विरोधी दल के ध्यान से कोई चीज रह जाय, जिसको विरोधी दल नहीं उठाते हैं यदि उसको प्रेस उठाता है........

श्री प्रद्युम्न : कौनसा सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर वही बात कर रहे हैं जिसका मैंने निषेध किया है।

श्री नाथू सिंह : प्रेस सरकार की आलोचना भी करती है। यदि, प्रेस अध्यक्ष महोदय, चुने हुए प्रतिनिधि, जनता ने जिनको चुना है की आलोचना करती है और यदि वह आलोचना गलत है और यदि वह बेइज्जती करना चाहता है तो आपके पास अधिकार है, नियमों में प्रावधान है, उसके समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन कैन्सिल कर दीजिये। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते है। लेकिन यह तरीका नहीं है कि उसके घर पर हमला करवाया जाय, उसके कार्यालय में आग लगवाई जाय और गुण्डे भेजे जाये। यह कोई लोकतन्त्र का तरीका नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में यदि उस पत्रकार की गलती थी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसका पहले से ऐसा करेक्टर था, तो क्या माननीय मन्त्री महोदय ने, आदेश देने से पहले वहां पर इस प्रकार की कार्यवाही हुई है, आग लगाई गई है इतना सब कुछ हुआ तो उस सबको रुकवाने से पहले क्या आपने नियमों के तहत कोई कार्यवाही की ? यदि आप कोई कार्यवाही करते तो हम वाकई यह समझते कि पत्रकार का करेक्टर ही ऐसा था। लेकिन वह तो किया नहीं और उसके कार्यालय में आग लगवाई गई। उसमें वहाँ के जिला प्रमुख का हाथ था। इस बात को बचाने के लिये इस तरह की आप दलीलें दे रहे हैं और पत्र पढ़कर सुना रहे हैं........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथू सिंह : एक मिनट में समाप्त करता हूँ। इसलिये मैं मांग करता हूँ कि किसी इन्डिपेन्ट एजेन्सी से, पुलिस के अलावा जांच करवायें और दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध यदि क्रिमिनल आफेन्स है तो कार्यवाही कीजिये। क्रिमिनल आफेन्स में 24 तारीख से लेकर आज, अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख हो गई फिर भी आज तक कोई कार्यवाही न करना, केवल पूछताछ करना, इसका मतलब मैं समझता हूँ, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस मामले में दोषी व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार करवाया जाय और सदन को उससे सूचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रमिती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह घटना 13 तारीख को घटी, 24 तारीख को अखबार में छपा। इसके बाद अभी तक जो अपराधी थे, वे पकड़े नहीं गये। एक तो अपराधी अविलम्ब गिरफ्तार हों, उनके खिलाफ कार्यवाही हो, क्योंकि नामजद रिपोर्ट है। दूसरा इससे सम्बन्धित निवेदन है, यह मुन टाइम्स की घटना है। सिरसी गाँव में नहीं है। उसको गाँव में घुसने नही दिया जा रहा है। वह अभी तक असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा की जाय ताकि वह घर में रह सके और इस तरह की बात की पुनरावृत्ति न हो। दुश्मनी अगर किसी ढंग से है तो वह कानूनी लड़ाई लड़े। अगर कोई स्कूल की बिल्डिंग का झगड़ा था वह तो कोर्ट में गई हुई थी, उसके पीछे आग लगाई गई है और धमकी देकर आग लगाई है। पैसे मांगे गये हैं। इस तरह से सत्ता पक्ष, सत्ता का दुरुपयोग करके जो अधिकारी जांच कर रहे हों, उनको तबादले के ढंग से निकाले, मैं समझती हूँ, गलत है। पत्र के आधार पर ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूँ। इसी तरह राजस्थान पत्रिका में एडीटोरियल में कुछ छप गया तो कांग्रेस के लोगों ने, 50-60 आदमियों ने वहाँ प्रदर्शन किया, आग लगाने की धमकी दी। यह कौनसा तरीका है कि आप पत्रकार का इतना नुकसान करना चाहते हैं ताकि वह अपनी बात साफ साफ न कह सके। अगर कह दे तो उनको इस तरह से चोट पहुँचाई जाय। मैं समझती हूँ, यह गलत तरीका है, चाहे इसमें मुख्य मन्त्री इन्वालव्ड हों और चाहे सी० पी० जोशी कहीं से चिट्ठी लिखा लाये हों, अगर मनु टाइम्स के नाम चिट्ठी दी तो वह टाइम्स के पास होनी चाहिये थी फिर सी० पी० जोशी के पास क्यों? उसका दुरुपयोग करने लिये सी०पी० जोशी जानबूझ कर लिख कर ले आये क्योंकि इनको टाइम मिल गया। 7 तारीख से आज तारीख हो गई 22, इसलिये यहाँ चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। सारा अग्नि काण्ड, चाहे सिरसी का घर जला हो और चाहे मनु टाइम्स का दफ्तर जला हो, राजनीतिज्ञों की दुश्मनी निकालने के लिये घर जलाये गये। कैसी बातें कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय, आप मुद्दे पर आइये, अपराधियों को पकड़िये और उनको आप दण्डित कीजिये। जो निष्पक्ष एजेन्सी है उससे जांच करवायें जिससे दुबारा ऐसी घटना न घटे और जिनका नुकसान हुआ है उसको जो भी सहायता पहुँचाई जा सकती है वह सहायता कीजिये, यही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभाकर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये तो कांग्रेस को बचाने की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, चोर की दाढ़ी में तिनका।

अध्यक्ष महोदय, अभी मनु टाइम्स की घटना पर वल्लभनगर से आये हुऐ माननीय सदस्य कमलेन्द्र जी और उदयपुर से आये हुए माननीय सदस्य कटारिया जी ने कुछ बातें आपके सामने रखीं। यह बात सही है कि जिन दो घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे निश्चित रूप से ऐसी हैं जो नहीं

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

होनी चाहिये देश में, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। परन्तु प्रश्न एक है, अध्यक्ष महोदय. जिस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। घटना क्रम इस प्रकार बनता है कि 9 फरवरी, 84 को भिन्डर पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ जिलाधीश को अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है। चूंकि वहां का उप प्रधान मोडी गांव का रहने वाला है, जिसे प्रधान की हत्या से प्रधान बनाये जाने की सम्भावना थी। 9 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव रखने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो उजला जी ने सन्देह प्रकट किया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना यह चाहता हूं, मोडी गांव में उस प्रधान की प्रतिष्ठा को गिराया जाय, जन प्रतिनिधियों का जो उसको समर्थन प्राप्त है, उसको घटाया जाय, इसलिये कुछ राजनैतिक दलों के सदस्यों ने वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसकी वजह से जो घटना नहीं होनी चाहिये थी वह घटना वहां के बालकों द्वारा या कुछ अन्य लोगों के द्वारा हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति को उकसाना बहुत आसान है और उस स्थिति का राजनैतिक लाभ लेना दूसरी बात है।

ठीक इसी तरह मनु टाइम्स की घटना के अन्दर 24 फरवरी की बात बताई। मतदान हो रहा था 8 मार्च को। ये दोनों घटनाएँ इसी समम बीच में हुई हैं। प्रयत्न इस बात का किया गया कि घनश्याम, जो वहां के उप प्रधान हैं, को बदनाम किया जाय। दूसरी ओर गुलाब सिंह जी शक्तावत, जो वहां पर कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार थे चुनाव में, को बदनाम किया जाय। तो मैं यह कहना चाहता हूं, इन दोनों के पीछे उन लोगों की साजिश होनी चाहिये जो राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे। इसके लिये शर्म आनी चाहिये। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस के लोग इस तरह से राजनैतिक लाभ उठाने की बात नहीं सोचते, कांग्रेस के लोग देश के दमन की बात नहीं सोचते, कांग्रेस के लोग हरिजनों के घर जलाने की बात नहीं सोच सकते। सोचने वाले तत्त्व कौनसे हैं? घटनाओं को उत्तेजित करके राजनैतिक नाजायज लाभ उठाने की बात आखिर कौन सोच सकते हैं? अभी माननीय गृह मन्त्री ने वक्तव्य दिया। यह सारी घटनाएँ 9 फरवरी से 8 मार्च के बीच में क्यों हुई? जो इस प्रस्ताव से सम्बन्धित लोग हैं, उनको ही क्यों उछाला गया, इससे यह भी स्थिति साफ हो जायगी। केवल राजनैतिक दृष्टि से इस तरह के प्रश्नों को सदन में लाना मैं उचित नहीं समझता। यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : 9 के बाद तो शांति है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : शान्ति है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य अन्तिम वक्ता होंगे।

(व्यवधान)

आपका नाम नहीं है। आपके कोटा संभाग से एक माननीय सदस्यको मैं अवसर दे रहा हूं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हीरालाल आर्य)

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे है जिससे उनमें भय और आतंक फैला हुआ है । इसी तरह के अत्याचार की घटना खोड़ी गाँव में हुई जहाँ हरिजन महिला सरसीबाई, जो विधवा और गरीब है, के मकान को जला दिया गया । क्या यह सही नहीं है कि इसके मकान को जलाया गया है ? यदि किसी हरिजन के मकान को जलाया गया है तो क्या जिन लोगों ने इस हरिजन के मकान को जलाया उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए ? लेकिन क्योंकि उसमें कांग्रेसी सरपंच और उप प्रधान हैं और प्रधान बनने के लिए लालायित हैं, वह लोग इन्वालव्ड हैं इसलिए राजनीतिक बात हो गयी । अध्यक्ष महोदय, इस घटना को·······

एक माननीय सदस्य : आप गये क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये लोग प्रभावी हैं इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि हरिजनों पर अत्याचार होते रहने चाहिए इस तरह यह उनको प्रोटेक्ट करते हैं ! क्योंकि स्वयं अखबार वाले ने गरीब हरिजन महिला की बात को प्रकाशित किया इसलिए उसको भी धमकी दी कि आप इस प्रकार की घटना को नहीं । उसने इसके बावजूद, इसकी चिन्ता नहीं करके, क्योंकि वह निर्भीक पत्रकार है, हरिजन महिला के ऊपर हुए अत्याचार को प्रकाशित किया तो इनके लोगों ने जाकर उसको धमकी दी । उसने नहीं मानी तो उसके कार्यालय में जाकर तोड़ फोड़ की और आग लगा दी । क्या यह सही नहीं है कि तोड़ फोड़ की और आग लगायी ? इस तरह से निर्भीक पत्रकार, जो प्रजातन्त्र के प्रहरी हैं, के यहाँ आग लगायी जाय और आग लगाने वाले जो हैं, आपके जिला प्रमुख इन्वाल्व हैं, उनको बचाने के लिए कह दें कि राजनीतिक बात है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से हरिजनों के साथ जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, पत्रकारों को बार बार पीटा जा रहा है और-उन पर हमले हो रहे हैं, यदि आप प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं और दुर्बल और गरीब हरिजनों की रक्षा करना चाहते हैं तो उनके साथ इस तरह की जो ज्यादतियाँ और जुल्म हो रहे हैं उनके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक बात कहूंगा । केवल मात्र एक·······

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने एक प्रस्ताव दिया था ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मनु टाइम्स के पत्रकार ने तो सिरसी का घर जलाने के बाद अखबार में समाचार छापा । सिरसी का घर जलाने के लिए अखबार वाले ने नहीं कहा था । अखबार वालों ने सिरसी का घर जलाने के लिए कहा था क्या, भइया तू जाना और जाकर आग लगा देना फिर मैं तेरी खबर छापूंगा ? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता । मूल प्रश्न

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तो यह है कि 24 फरवरी की घटना से लेकर आज 22 मार्च आ गया, नामजद रिपोर्ट है, 4 अपराधी घोषित हैं और 4 अपराधियों में से आज तक एक अपराधी भी नहीं पकड़ा गया। हमारी तो एक ही मांग है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाय।

साथ ही माननीय हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी ने जो बात कही है कि कांग्रेसी लोग ऐसे नहीं होते। तो कांग्रेसी लोग कैसे होते हैं, कोटा जिले के छाबड़ा के कांग्रेसी उपप्रधान ने एक औरत के साथ बलात्कार किया।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कांग्रेसी लोग ऐसे होते हैं कि बयाना के संसद के चुनाव में बलात्कार किया। बयाना के कांग्रेसी लोग ऐसे होते है·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये ऐसे होते हैं कांग्रेसी लोग।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विषयान्तर हो रहे हैं। मन्त्री जी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं इसलिए हमारी बात कड़वी लग रही है। सत्यम् ब्रुयात्, प्रियम् ब्रुयात्

(व्यवधान)

हम सत्य बोल रहे हैं। इसलिए आपको हमारी बात चुभ रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। गृह राज्य मन्त्री जी।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था। मैं केवल 2–3 बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मैंने मना कर दिया। सभी परिस्थियों में। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। मन्त्री जी। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों की अवहेलना न करें। बैठ जायें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कोई स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया जायेगा। मन्त्री जी। अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(76)

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : समय नहीं लें व्यर्थ में। विराज जायें। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायें। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रेस की आजादी का प्रश्न है····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पहले आप इनकी व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : एक गिलास पानी लाकर पिला दो।

एक माननीय सदस्य : इनकी जेब में बोल लो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठे बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहाँ तक प्रेस की आजादी का सवाल है हमारी पार्टी और हमारी सरकार का इसमें पूरा विश्वास है। सरकार की तरफ से इसको कायम रखने के लिए जो भी कार्यवाही हमें करनी पड़ेगी हम निश्चित रूप से करेंगे।

दूसरी बात इस मामले को एक हरिजन महिला के घर के जलाने से भी जोड़ा गया है, पृष्ठभूमि बतायी गयी है और यहाँ इस बात का आभास सदन के अन्दर दिया गया है कि सरकार इस कार्यवाही को लेकर किन्हीं अधिकारियों का तबादला करने जा रही है। मैं आपके मार्फत इस सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले के अन्दर बिन्दर पचायत समिति के उप-प्रधान को जो सिरसीबाई वाला मामला है उसमें गिरफ्तार किया जा चुका है हालांकि उसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकताओं में भयंकर रोष है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई वह बहुत गलत हुई है। उन्होंने इस सम्बन्ध में ज्ञापन आदि भी दिये हैं, लेकिन एक प्रक्रिया थी। अगर दबाव देने का सवाल था तो पूर्व में दबाव दिया जा सकता था, सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाय लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई इस मामले के अन्दर········

श्री अध्यक्ष : सत्ताधारियों के लिए तो उपयुक्त अवसर होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दबाव डालने की बात कही गयी है। हमने कहीं दबाव नहीं डाला, यह केस चला, कहीं दबाव नहीं डाला। यहाँ पर काल्पनिक प्रश्न खड़े किये जाते हैं और बिना फैक्ट्स के पूरी जानकारी किये यहाँ जो बातें कही जाती हैं मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था, श्रीमान्। यहाँ पर इस बात की चर्चा भी की गयी, इस बात को भी यहाँ दर्शाने की चेष्टा की गयी कि

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किन्हीं लोगों के एफ०आई०आर० में नाम नामजद थे, बराबर इस बात को कहा गया कि नामजद मुलजिम हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं एफ०आई०आर० पढ़ कर सुना सकता हूं, किसी भी व्यक्ति का एफ० आई.आर. के अन्दर नाम नामजद नहीं है। आप किस की बात कर रहे हैं। खाली आशंका के ऊपर उन्होंने यह बात कही कि चूंकि उस हरिजन महिला के घर को जलाने के मामले को लेकर खबर निकाली है इस बात से क्षुब्ध होकर ऐसी आशंका है कि ऐसा उनके आदमियों से करवा सकते हैं। तो कानून क्या अपना रास्ता लेगा नहीं। जब तक कि हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं आयेंगे, सबूत कोई पेश नहीं करेगा, किसी के लिए कोई आशंका कह दी जाय, कहीं कोई घटना हो जाय, विरोधी पक्ष के एम०एल०ए० का नाम लिखा दे तो क्या उसे गिरफ्तार करेंगे·······

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो एक प्रक्रिया है कि सी.आर.पी.सी. के तहत सबूत पेश करने पड़ते हैं। फिर यह कहा गया कि कोई चार आदमी उनके घर आये और घर पर आकर उन पर दबाव डाला। अध्यक्ष महोदय, एक बात सदन के अन्दर किसी ने, विरोध पक्ष के लोगों ने नहीं बतायी, कि यह इन्द्र कुमार जो उनके घर गये, कानोड़ गाँव के रहने वाले हैं। कानोड़ आता है बिन्दर पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर। यह उस गाँव के रहने वाले हैं। श्री मोदी भी पुराने निवासी कानोड़ गाँव के हैं। पास में काकोड़ा गाँव है जो इन्द्रकुमार के पड़ोस में हैं। यह वहाँ गए, इन्होंने जा करके कहा, श्री इन्द्रकुमार उप सरपंच थे·······

श्री अध्यक्ष : यह जनतांत्रिक प्रक्रिया है, समझाना बुझाना, अपने माफिक करना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देता हूं कि चूंकि इन दिनों के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव को पास करने की प्रक्रिया चल रही थी तो इन्द्रकुमार के साथ इन सरपंचों का होना स्वाभाविक था। इसमें कोई नई बात नहीं थी। जो प्रक्रिया थी, कुछ तो बचाव में अपनी कोशिश कर रहे थे, कुछ पास कराने के अन्दर कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर राजनैतिक दलों की मजबूरी हो सकती है। इस सिलसिले में यह इन्द्रकुमार वहाँ गए। उनके घर गए और साथ में उन्होंने पोकरना को लिया जो कि यूनिवर्सिटी के अन्दर सेक्शन आफिस हैं। श्री पोकरना का स्टेटमेंट है, उनके बयान लिए हैं पुलिस ने। श्री पोकरना चूंकि राजनैतिक आदमी हैं नहीं, यूनिवर्सिटी में नौकर हैं, कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उन्होंने और इन्द्रकुमार दोनों ने अपने बयानों में इस बात को कहा है कि उनके पास गए और हमने यह कहा, इन्द्र कुमार पोकरना को लेकर गए, और यह कहा कि भाई तुम यह खबर निकालो कि श्री गुलाबसिंह का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। उनको हम किसलिए घसीट रहे हैं। इस मामले के अन्दर यह बात उन्होंने कही। इसी बात की ताइद पोकरना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने अपने बयान में की है। मैं इस बात को नहीं कहता लेकिन उसको तूल दे दिया गया है। यहां वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऐसे सरपंच का नाम इसके अन्दर जोड़ दिया जो मौके पर ही नहीं था। उसके एन्टीसीडेंस के बारे में चर्चा कर डाली। उनका एफ० आई० आर० तक में नाम नहीं है। उन्होंने एफ० आई० आर० में नाम लिखाये हैं दो अलग सरपंचों के और आपने तीसरे सरपंच का नाम जोड़ दिया। तो इस सदन को कन्फ्यूज करने की चेष्टा श्रीमान, यहां की गई है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जहां तक प्रेस की आजादी का सवाल है हमारे और आपके विचार एक हैं। हम इस आजादी को कायम रखने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं।

श्रीमन् दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जहां तक इसके अन्दर आग लगाई गई है, आग निश्चित रूप से लगी है। कोई आदमी मेरी समझ में नहीं आता कि अपने प्रेस के अन्दर स्वयं आग लगाये। यह मेरी समझ के परे की बात है। इसके अन्दर मुलजिमों का पता लगायेंगे, उनको सजा देंगे लेकिन सिर्फ आशंका के ऊपर किसी भले आदमी के ऊपर हम हाथ डालने की स्थिति में नहीं हैं, यही बात मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, इन दाऊदयालजी का कोई इन्तजाम कर दीजिए कि ये चुप बैठे रहें इस सदन में।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक माह हो गया है.......

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री बालचन्द आर्य वीर : आप चुप नहीं कर सकते दाऊदयालजी को। आप गृह मंत्री हो.......

(व्यवधान)

यह हाड़ौती का शेर है, हाड़ौती का शेर।

श्री दाऊदयाल जोशी : नेताओं को मरवा डालो तुम........

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक 1984–85, प्रथम अवस्था, अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद। श्री रामपाल उपाध्याय।

सूचना : मुख्य मन्त्री के पैट्रोल पम्प पर लूट

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : On a point of information, sir. अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ यह सूचित करना पड़ता है कि कल रात को सांगानेर से पाँच किलोमीटर दूर बीलवा गाँव के पास प्रदीप एण्टरप्राइजेज नाम का पैट्रोल पम्प, जो कि माननीय सदन के नेता महोदय का है, अध्यक्ष महोदय, उसको लूट लिया गया है। अगर यह सरकार मुख्य मंत्री के लुटते हुए पैट्रोल पम्प को नहीं बचा सकती तो जैसलमेर के लोगों की क्या हालत होगी......

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे राजस्थान को क्या हालत होगी, अध्यक्ष महोदय.......

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : वहाँ से पैट्रोल ले गए, बाइस हजार रुपये ले गए.......

श्री अध्यक्ष : इसको इस तरह से नहीं उठाया जा सकता। हमारे नियमों के अन्दर कई तरह से प्रावधान हैं।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : जैसलमेर के अन्दर पाकिस्तान के लोग 25-25 किलोमीटर अन्दर आकर हमारे मवेशी खोल कर ले जाते हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, यह सरकार कहती है कि हम सक्षम हैं ····

श्री अध्यक्ष : किसी विषय को हमारी सभा के समक्ष लाने के नियम हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का पेट्रोल पम्प लुट गया जबकि सारे जयपुर की पुलिस वहां पर बैठी है। जयपुर में अगर कोई डकैती पड़ जाती है, कोई दुकान लुट जाती है आज की तारीख में, तो एक पुलिस आफिसर, कोई कर्मचारी वहां नजर नहीं आएगा। आपका सारा पुलिस डिपार्टमेंट सांगानेर में बैठा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राज्य मन्त्री जी, आपको यह भी आशंका होगी कि यह विपक्ष ने करवा दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : किसी मुख्य मंत्री का पेट्रोल पम्प लुट जाय, 22 हजार की धनराशि लोग ले जावें, पैदल लोग आयें, सशस्त्र लोग आयें, अगर इस तरह से मुख्य मंत्रियों के पेट्रोल पम्प लुटेंगे तो आम आदमी का क्या होगा ? कौन उनको सुरक्षा प्रदान करेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर....

श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत विचारणीय प्रश्न है, मुख्य मंत्रीजी का पेट्रोल पम्प लुट जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें....

(व्यवधान)

कृपया नियमों का थोड़ा ध्यान रखिये। माननीय सदस्य, बैठ जावें। व्यर्थ में समय न लें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आज सारा जयपुर खाली हो रहा है, जयपुर लुट रहा है....

श्री बालचन्द आर्यवीर : फिर राजस्थान की जनता का क्या होगा....

अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जावें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भी पेंट्रोल पम्प लूट कर ले गए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : यह तो लूट का माल था जो लूट कर ले गए।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : इन दुकानों को कौन संरक्षण प्रदान करेगा ? सारा पुलिस डिपार्टमेंट माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पेंट्रोल पम्प पर एकत्रित है।

श्री हंसराज शर्मा : लूटो और खाओ, क्या है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सन् 1984-85 का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है....

श्री दाऊदयाल जोशी : पंडितजी, सही-सही बोलना, आप तो धर्म की बात करना।

श्री महावीरप्रसाद जैन : आपके खुद के क्षेत्र में क्या हो रहा है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : कुछ बात है ऐसी कि हस्ती न मिटती हमारी....

श्री नाथू सिंह : आपकी तो मिटा दी। आपकी तो पहले ही मिटा दी मुख्य मंत्रीजी ने....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको ऐसे शुद्ध कर लीजिए, ऐसे बोल दीजिए हस्ती मिटती नहीं हमारी....

(व्यवधान)

(1.46 म. प.)

(श्री हरिसिंह कुम्हेर, सभापति पदासीन)

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्या, जीवन में मिटना, उठना और गिरना सनातन सत्य होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिलकुल ठीक है।

श्री रामपाल उपाध्याय : यह तो उठना, उठ कर गिरना फिर आगे बढ़ जाना, उठना गिरना, गिरना उठना जीवन का इतिहास है। यह जिन्दगी की परिभाषा है, माननीय सभापति महोदय। इसलिए उठना और गिरना तो आता है और....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं चाहूंगा कि आपके स्नेह का भागीदार बनूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी टूटी फूटी बात है उसको सुनने की चेष्टा करें, क्योंकि मैं आपकी सारी बातों को हार्दिक सम्मान से सुनता आया हूं। निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान का 1984-85 का लेखे जोखे का जो प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव में जो आंकड़े दिये हैं, जो आर्थिक स्थिति का निरूपण किया है उसकी समीक्षा करने के पहले इस प्रदेश की अन्य स्थितियों के बारे में विचार करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी भौगोलिक विषमतायें हैं। यह एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसकी अपनी ऐतिहासिक परम्परायें हैं, और यह एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसकी अपनी सामाजिक परिस्थितियां हैं। दूसरे प्रदेशों से यही कुछ परिस्थितियां इस प्रदेश को अलग थलग करती हैं। मैं समझता हूं कि सदियों से चली आने वाली पारम्परिक परिस्थितियां चाहे वह सामाजिक हों, चाहे वह सामन्तवादी हों, चाहे वह आर्थिक हों, चाहे वह परम्परावादी हों, मैं समझता हूं, उनको समझे बगैर हम इस लेखे जोखे के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

मेरा यह निवेदन है कि इस दृष्टिकोण से इस सदन के दोनों पक्षों के सम्माननीय सदस्य महानुभावों ने अपना-अपना नजरिया रखा। किसी ने इस बजट को घाटे का बजट कहा, किसी ने चुनावी बजट बताया, किसी ने दिशाहीन की संज्ञा दी, किसी ने उधारी बजट बताया, किसी ने आस्थाहीन और किसी ने यथार्थवादी बजट बताया। कुछ माननीय सदस्यों ने इसको दूरदृष्टि वाला बजट बताया तो किसी ने इसको बाहर उजाला अन्दर अन्धेरा, ऐसा बजट बताया। यह अपना-अपना नजरिया है, अपनी-अपनी समझ, अध्ययन; दृष्टि और परम्परा है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आर्थिक और सांस्कृतिक परम्परा एक दिन में ही नहीं बनती है और न मिटती है, इसलिये हमें इतिहास की गहराई में जाना चाहिये। मैं इन बातों पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। यहां किस प्रकार पानी का अभाव है, किस प्रकार जन संख्या का विस्तार हो रहा है, अनेक प्रकार की बातों के साथ पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने गंभीरता से इन बातों को कहा है जिस पर

(श्री रामपाल उपाध्याय)

बोल कर मैं सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि बजट इस प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होना चाहिये और बजट एक....

(व्यवधान)

माननीय महावीर जी, आपका प्रेम और आपका स्नेह तो हमेशा प्रेरणा देता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट उत्पादन में वृद्धि करने वाला, सृजनात्मक और उत्पादक शक्तियों को बढ़ाने वाला होना चाहिये। सार्वजनिक व्यय को अधिकाधिक उत्पादक स्वरूप में ढाले और वित्तीय अनुशासन भी रखे, ऐसा बजट होना चाहिये। बजट जन साधारण को आम उपयोगी चीजें आसानी से उपलब्ध कराने में पहल करने वाला होना चाहिये, प्रदेश के जीवन की सुन्दर अर्थ व्यवस्था का द्योतक होना चाहिये। इसी तरह से बजट में सामाजिक न्याय परिलक्षित होना चाहिये। अल्प वर्ग की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिये। बजट संतुलित होना चाहिये और मेरे ख्याल में अनुशासित और संयमित होना चाहिये। मेरे ख्याल से बजट वित्तीय स्थिति को सुधारने वाला, उत्पादन में वृद्धि करने वाला और विकास की गति को तेज करने वाला होना चाहिये। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में लोकतांत्रिक परम्पराओं, जिस लोकतंत्र के आधार पर माननीय सदस्य महानुभाव यहां पर विचार कर रहे हैं. की सुरक्षा करने वाला होना चाहिये, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

अब इस सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करूं कि कृषि किसी भी प्रदेश में या देश में उत्पादन का मुख्य जरिया है। पहला कृषि उत्पादन और दूसरा औद्योगिक उत्पादन। माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा प्रदेश विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है। इसमें पानी का अभाव है। इसके पहले आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्राकृतिक सम्पदाएं, जिनसे हम बिजली पैदा करते हैं और जो हमारे सिंचाई के काम में आती हैं। दो तरह की नदियां हमारे राजस्थान प्रदेश में हैं, एक वह जो दूसरे प्रदेश से बह कर आती हैं और दूसरे प्रदेश में ही बह कर चली जाती हैं, और दूसरी जो राजस्थान से निकल कर राजस्थान में ही समाहित हो जाती है। तो ऐसी नदियों का हमारे पास पानी है, उसका उपयोग इस प्यासी धरती के लिये किया जाना अनिवार्य होना चाहिये। मैं समझता हूं इसीलिये हमारे दूरदृष्टा पं. जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर एक सुनियोजित व्यवस्था का श्रीगणेश किया। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में आज इस लेखे-जोखे पर हम विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, कुछ मित्रों ने राजस्थान कैनाल के बारे में कहा। मैं समझता हूं, मेरे विनम्र विचार से राजस्थान कैनाल का पानी दूरदृष्टि का प्रतीक है। यदि उस पानी को समय पर राजस्थान में नहीं लाया जाता, तो गंगानगर हो, चाहे जैसलमेर,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

बाड़मेर, चूरू और जोधपुर हो, पेय जल की दृष्टि से आस-पास की सदियों-सदियों से प्यासी धरती की प्यास यावत् चन्द्र दिवाकर:, जब तक सूर्य और चन्द्रमा हैं, कभी नहीं बुझती। इसलिये उस दूरदृष्टा ने जो राजस्थान कैनाल का प्रतिपादन करके सुनहरे स्वप्न को साकार किया है, मैं समझता हूं वह बहुत ही दूरदृष्टि का काम रहा है। मुझे खुशी है कि उस पानी को हमारे प्रदेश की प्यासी धरती पर उपयोग में लाया जा रहा है, तेजी से उसका उपयोग किया जा रहा है। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो एस्टीमेट (ख) समिति के साथ सात राज्यों के दौरे पर गये थे, उस दौरे पर प्रथम राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के आगे हम जा रहे थे, मेरे साथ पक्ष और विपक्ष के साथी गये थे. तो वहां के एक साथी ने कहा, कोई सज्जन वहां थे उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में किसी मंत्री और राजस्थान सरकार ने कोई काम किया है तो राजस्थान कैनाल का काम किया है। उस पर भी इस वर्ष तेजी से काम किया गया है, उसमें श्री चदनमल वैद, जो कि वर्तमान राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के प्रभारी मंत्री हैं, ने कहा, एक बात मुझे बताई जो कभी नहीं भूलूंगा....

श्री महावीरप्रसाद जैन : उन्होंने एक बात और कही थी, वह भी कह दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : वह भी कह दूंगा।

मैं निवेदन कर रहा हूं सभापति महोदय, उस आदमी की आंखों में चमक थी, राजस्थान के गौरव पर। उसको इस बात का गौरव हो रहा था, वही एक आदमी था जो हमारी कमेटी के तमाम साथियों का अभिन्न दोस्त बन गया। जब वह पहुंचाने गय तो उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। उस आदमी के दिमाग में यह विचार आया जिसका राजस्थान में कोई कारोबार नहीं, वहीं स्थित है, कारोबार कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल न केवल इस प्रदेश की साढ़े तीन करोड़ जनता की आशा और आस्था का प्रतीक है बल्कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में भी इसके प्रति सुन्दर दृष्टि लगाई जाती है। मेरा निवेदन है, बल्कि मुझे इस बात का दुःख है, मैं नहीं मानता कि किसी एक पक्ष ने बहुत मीर मार डाले हों या किसी एक की गलती हो। यह परम्परा का मामला है, अनेक आर्थिक परिस्थितियां और व्यवधान, कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि राजस्थान कैनाल का इन्फ्रास्ट्रक्चर जल्दी तैयार हो जाता तो हम आज ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते। अकाली राजस्थान कैनाल के बारे में, रावी, सतलज और व्यास के पानी के बारे में विवाद खड़ा करते हैं, रोज इस तरह की शर्तें रखते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि हमें पानी कम मिलता है। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले पूरा हो जाता तो हम इसका ज्यादा उपयोग करते। मुझे खुशी है कि राजस्थान कैनाल से, जैसा कि प्रभारी मंत्री जी ने प्रश्नोत्तर में कहा था, आज वर्षों की सूखी धरती लहलहा रही है और

(श्री रामपाल उपाध्याय)

उत्पादन में योगदान कैनाल के पानी से हो रहा है। कुछ समय में जहां हजारों हजारों वर्षों से पेय जल की समस्या बनी हुई है, उसका भी समाधान होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कैनाल का वास्तव में हमें स्वागत करना चाहिये। इस कैनाल पर इस बार इतना अधिक काम किया गया है, इतनी तेज गति प्रदान की गई है, हमारे मंत्री चंदनमल जी वैद ने, मैं समझता हूं, कई वर्षों का काम एक वर्ष में कराया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं। दूसरे मंत्रालय में इतना काम नहीं कर पाते जितना काम राजस्थान कैनाल में कर पाये हैं। अपना नाम अमर किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारी जो प्राकृतिक सम्पदा है वह पानी है। इसके ऊपर ही हाइडल इलेक्ट्रिसिटी निर्भर है और खेती निर्भर है। चाहे वह चम्बल हो, चाहे वह राजस्थान कैनाल हो, चाहे वह माही हो। माही मध्य प्रदेश से बढ़ कर गुजरात में जाती है। राजस्थान सरकार ने दूर दृष्टि से इसके पानी को रोका और पानी को रोक कर किसानों को पानी देने की व्यवस्था की। जैसा इस बजट में बताया गया है, इस साल के एंड में, 1984 के अन्त में 25 मेगावाट बिजली माही नदी देगी। मैं समझता हूं कि यह कदम प्रशंसनीय है। ऐसे कार्य को पहले किया जाना चाहिये। हमारे कतिपय माननीय सदस्यों का यह कहना है कि इससे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ जायेगा। मुझे क्षमा करें, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इससे कतई क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं होगा, बल्कि सदियों से जो क्षेत्र पानी से वंचित था, खेती की बात को दूर रखिये, पेयजल से वंचित था, उसके साथ सबसे बड़ा सामाजिक न्याय हुआ है, सबसे बड़ा राजनैतिक न्याय हुआ है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक न्याय हुआ है। मैं कहता हूं कि इतिहास बदलने के साथ-साथ भूगोल को बदल कर के प्रशासन ने अपना कर्त्तव्य निभाया है। मेरा अनुरोध है, और प्रयत्न कर के इस काम को तेज गति से करना चाहिये। यदि राजस्थान कैनाल नहीं होती तो मैं समझता हूं कि जोधपुर और उसके आस-पास जो बड़ी पेयजल योजनाएं हैं, उनके लिये इस बजट में 2 करोड़ रुपये के प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते थे। जब वहां पानी नहीं होता तो कैसे यह प्रस्ताव आते? आज जैसलमेर जिले में राजस्थान कैनाल का पानी जा रहा है। आगे गडरा रोड तक बाड़मेर जिले में पानी के जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 5 लिफ्ट योजनाओं के तहत पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुल मिला कर यह काम प्रशंसनीय है, स्तुत्य है और एक स्थायी अमरता का प्रतीक है। इस प्रदेश को स्थायी गति देने वाला है। इस प्रदेश की गरीबी को मिटाने वाला बहुत बड़ा आधार स्तम्भ है। इसके लिये मैंने इसके बारे में बात की।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप यह देखिये, मैं इससे सहमत नहीं हूं मैं मानता हूं कि इस प्रदेश पर आर्थिक संकट की एक भयंकर छाया

(श्री रामपाल उपाध्याय)

है। मैं मानता हूं कि निरन्तर अकाल पड़ने के कारण, चार-चार साल से अकाल पड़ने से इस प्रदेश के आर्थिक तंत्र पर वजन पड़ा है। मैं यह मानने को तैयार हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि तीन, चार साल जो अकाल पड़ा, उस वक्त चाहे भारत सरकार ने समुचित रूप से हमको धनराशि दी हो या नहीं दी हो, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसका मुकाबला किया। लोगों को मरने नहीं दिया और इस देश को इस अकाल की विभीषिका से बचाने का हर संभव प्रयत्न किया।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण हमारा अर्थतंत्र जरूर डगमगाया। अर्थतंत्र के डगमगाने से वास्तव में विचित्र स्थिति हमारे आर्थिक ढांचे की हो गई। मैं समझता हूं, अगर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, मेरा विनम्र अनुरोध है, शांति से इस पर विचार करें, शांति से इस बजट की पाण्डुलिपि को पढ़ें तो मैं समझता हूं कि वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसके अलावा और क्या कदम उठाये जा सकते हैं? मैं समझता हूं, वित्त मंत्रीजी को भी इस बात के लिये तैयार होना चाहिये कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई उपयोगी सुझाव इस अर्थतंत्र की विषमता को मिटाने का आये तो उस पर विचार करें। मैं नहीं समझता हूं कि वे उसे मानने को तैयार न होंगे। मेरा यह मानना है कि हमारे पास अर्थतंत्र का एक वर्ष का शुद्ध लेखे-जोखे का प्रस्ताव है। जो उसकी क्रियान्विति हो रही है, योजना खराब हो रही है, कहीं विषमता बढ़ रही है, कहीं समता हो रही है, कहीं रीजनल इम्बेलेन्स हो रहा है, कहीं असन्तुलन हो रहा है, मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि हमको सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट की डिमाण्ड की चर्चा में विस्तार से इस पर कहना चाहिये और उसमें सच्चाई कहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार के कान होते हैं, आंख नहीं होती। हम जन-प्रतिनिधि सरकार की आंख हैं। ऐसी आंख को सही दृष्टि से देखना चाहिये। मुझे इस बात को दोहराने में कोई तकलीफ नहीं है "तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय" हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चल, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। कोई तकलीफ नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस लेखे-जोखे को देखिये, इसको परखिये। समाज के प्रत्येक वर्ग को स्पर्श करने का इसमें प्रयत्न किया गया है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा।

(व्यवधान)

आपका हृदय जो मानता है वैसा समझ लीजिये।....

श्री सभापति : व्यवधान न डालें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सारा शरीर सड़ गया। एक अंग को ठीक करने से ठीक नहीं होगा। मैं यह याद दिला रहा हूं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन यह करना चाह रहा था····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : इतने दिनों की छुटन निकाल रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे कद्रदान, मेरे अभिन्न मित्र इस सदन में बहुत ज्यादा हैं। मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : व्यक्तिगत तौर पर आपकी कद्र करते हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उधर नहीं हैं, इधर हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको याद दिला रहा हूं, जो गीता का श्लोक आपने कहा है वह आप दुबारा कहें। गीता का श्लोक है····

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गम्
न पुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम्-
आर्त नाशनम्।।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, इस सदन का सौभाग्य है कि ऐसी विद्वान् माननीय सदस्या हमारे यहां उपस्थित हैं। मैं उनका आदर करता हूं। उनके सुझाव को हृदयगम करता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो हमारे उत्पादन का मुख्य आधार है वह कृषि है। मैंने आलोचक की दृष्टि से भी विचार किया है कि क्या यह प्रतिगामी बजट है। मैं यह मानता हूं कि अगर हमारे पास अर्थ होता और 430 करोड़ की जो हमारी वार्षिक योजना है वह अगर 1500-2000 करोड़ की होती या हमको ज्यादा पैसा मिलता। किसको नहीं चाहिये पैसा, किसको नहीं चाहिये खुशहाली, किसको नहीं चाहिये पानी, शिक्षा, बिजली ? मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने कृषि के आंकड़े देखे हैं निश्चित तौर पर और मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये निवेदन करूं कि मैंने 1979 से 1985 तक की सारी बजट स्पीचेज पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने उनकी समीक्षाएं देखी हैं, काम किया है। मैं नहीं कहता कि पहले कुछ नहीं किया और आज ही सब कुछ हो रहा है, या आज कुछ नहीं किया जा रहा और पहले सब कुछ होता

(श्री रामपाल उपाध्याय)

रहा। मैं देखता हूं कि it is a continaing process, जीवन की यह निरन्तर प्रक्रिया है। मेरे पास 5-6 साल के हैं मैं निवेदन कर रहा था····

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास 52 से हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, वे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम जितने भी पीछे के लोग आये हैं उनका ज्ञानवर्द्धन निश्चित तौर से करना चाहिए। कृषि के आंकड़े देखें, हमने एस्टीमेट कमेटी के माध्यम से कृषि विभाग को एग्जामिन भी किया है, उसका उल्लेख तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो महसूस किया वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 1979, 80, 81, 82, 83 व 84-85 के खाद्यान्न के आंकड़े देखें तो जो हमारे 79-80 में करीब 80 लाख मैट्रिक टन उत्पादन था वह बढ़ते-बढ़ते 99.96 लाख मैट्रिक टन हो गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 78 के भी आंकड़े बता दीजिये ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने पहले भी निवेदन किया है कि 79-80 से आंकड़े हैं, मैंने 78 के आंकड़े देखे नहीं हैं। वर्ष 79 से अर्ज कर रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप कोटा व उदयपुर सम्भाग के यह समझते हैं कि अकाल रेगिस्तान में ही पड़ता है। लेकिन अकाल की चपेट में भीलवाड़ा, उदयपुर भी आते हैं, आपको यह पता है या नही ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा डी. पी. एम. पी. डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं वहां भी सबसे ज्यादा अकाल पड़ा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके यहां तो जो सड़कें बनी हैं, वे हवा में उड़ रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको यह गलतफहमी है। राजस्थान के किन-किन जिलों के अन्दर ब्लैकटाप रोड ज्यादा है, इस साल का तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर जिले रेगिस्तान के हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : सड़कें उड़ गईं....

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो ब्लैक-टोप रोड की बात कह रहा हूं। और सब तो उड़ जाती होंगी लेकिन यह तो नहीं उड़ती हैं।

श्री महाराम चौधरी : वे तो काली सड़कें हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप दूध निकालना चाहते हैं उसका भी इन्तजाम करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : डिफेन्स के कारण से यह एक लाभ मिला हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : डिफेन्स के कारण से आर. सी. पी. प्रोजेक्ट के कारण से, सी. ए. डी. के कारण से मिला....

श्री त्रिलोक सिंह : मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे फतेहपुर में 115 गांव-कस्बे में एक फीट सड़क भी नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में मेरा ज्यादा भ्रमण नहीं हुआ। लेकिन नेशनल हाई वे तो माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है।

श्री त्रिलोकसिंह : नेशनल हाई वे से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जमीन को हड़प लिया गया, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया।

श्री सभापति : कृपया आप विराजें। आर्डर, आर्डर।

श्री राजबहादुर : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सड़कें हैं उनका रख-रखाव इतना खराब है, आप देखें, तो आपको फर्क मालूम पड़ जायेगा। हरियाणा में चलिये, वहां पर नेशनल हाई वे सड़क देखिये, कितनी फर्स्ट क्लास हैं। और यहां राजस्थान में पता लगा लीजिये, चाहे शहरों की सड़कें देख लीजिये, चाहे गांवों की सड़कें देख लीजिये, इतने माल की चोरी होती है, इतना करप्शन है....

श्री सभापति : उपाध्यायजी को बोलने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विश्व बैंक ने प्रमाण-पत्र दे दिया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। माननीय सदस्य बुजुर्ग हैं, वे बोल रहे हैं। आप बैठ जायें।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत सरकार में जो उस वक्त केन्द्रीय सरकार के चीफ व्हिप, पॉलियामेन्ट अफेयर्स मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनकी निगाह के नीचे सड़कें बनी हैं तो कौन सा करप्शन है।

श्री राजबहादुर : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बात कह रहा हूं, आगरा से बीकानेर होकर फतेहपुर की तरफ से जो निकलती है उस सड़क की बात कह रहा हूं नेशनल हाई वे आगरा टू बीकानेर की।

श्री राजबहादुर : जयपुर टू भोपाल वाया टोंक एण्ड बून्दी, इन सब का भी कह दीजिये। मेरा कहना है कि आपकी जो सड़कें हैं उनका रख-रखाव ठीक कीजिये। शहरों की सड़कें हों, चाहे गांवों की सड़कें हों उनका रख-रखाव ठीक कीजिये। जो रख-रखाव होता है क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं? यह कह दीजिये।

श्री सभापति : श्री रामपालजी का बोलने का समय है, उनको बोलने दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : जब दो ज्ञाननिष्ठ, वयोवृद्ध महानुभाव आपस में कुछ चर्चा करें तो मुझे चुप्पी साधने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे खुशी है कि इनके ज्ञानवर्द्धन से सारे सदन का ज्ञानवर्द्धन होगा। भरतपुर से आने वाले माननीय वरिष्ठ महानुभाव से निवेदन करना चाहूंगा कि गांधीजी के साथ आप लोगों ने सर्वोदय की बात की, उसके बाद अन्त्योदय योजना की बात आई, उसका संचालन सम्भवतः आप ही लोगों ने किया था। अन्त्योदय, कोई पता नहीं रिजिडिटी आ गई। जो टालस्टाय था, वह महान् विद्वान था और गांधीजी ने उस टालस्टाय के....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें।

श्रीरामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति, आपने जो समय दिया उसका 90 प्रतिशत समय तो आपस में वाद-विवाद में चला गया, मैं इसके लिए कहां जिम्मेदार हूं। आप आज्ञा दें।

श्री सभापति : मैंने बैठने के लिए थोड़े ही कहा है, आप ध्यान रखिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अन्त्योदय को मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, इस छोटी सी बुद्धि से। अन्त्योदय सर्वोदय का ही एक पक्ष है। सर्वोदय का अर्थ अन्त्योदय है जिसको भूतपूर्व सरकार, वर्तमान सरकार ने किसी न किसी नाम से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तौर तरीके से माना। मैं समझता हूं उसका समग्र स्वरूप 20 सूत्री कार्यक्रम था। सर्वोदय हो, चाहे अन्त्योदय हो, कुल मिलाकर 20 सूत्री कार्यक्रम का एक संकल्प हमारे देश की महान् नेता ने राष्ट्र को दिया। देखिये, परिस्थितियों और आने वाली आवश्यकताओं को....

श्री बंसीलाल पटवा : 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके जिले में क्या हो रहा है, आप बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : इनके जिले में अन्त्योदय से ज्यादा ही 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य हुए हैं, ज्यादा प्रगति हुई है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अन्त्योदय का ही समग्र स्वरूप 20 सूत्री कार्यक्रम है और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इस बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे समाज में दीन, निर्बल वर्ग है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता पेयजल, विद्युत, शिक्षा और उद्योग इत्यादि हैं। इसके आधार पर हमारा एक आधारभूत ढांचा खड़ा होगा। देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस बजट में जो 300 करोड़ रुपये का बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये प्रावधान किया गया है वह ठीक है। इसके तहत हमारी जो ग्रामीण योजनायें हैं, ग्रामीण योजनाओं को

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जो हमने प्राथमिकता दी है, माननीय वित्त मन्त्री जी ने ग्रामीण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये जो कदम उठाने का प्रस्ताव किया है, मैं समझता हूं कि वह सराहनीय है। मैं आपको निवेदन करूं कि ये ग्रामीण योजनायें ग्रामों और शहरों को अलग-अलग टुकड़ों में करके नहीं चलने वाली हैं. फिर भी, शहर का अपना दर्शन है, ग्रामीण क्षेत्र की अपनी परम्परा है, अपना दर्शन है। बीच में मैं, सभापति महोदय यह निवेदन करूंगा कि वर्तमान में हमारा जो प्रासंगिक समाज है उसमें व्यक्ति स्वयं को प्रगतिशील मानता है और परिवार में अपने को परम्परावादी मानता है और समाज में रूढ़िवादी। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ प्रगतिशील, परम्परावादी और रूढ़िवादी, व्यक्ति, परिवार और समाज इन तीनों के अन्दर जब अलग-अलग भूमिका निभाने का समय आता है तब उसका मापदण्ड अलग-अलग हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें यदि हमको प्रगतिशीलता की तरफ बढ़ना है तो व्यक्ति की उन्नति के लिये विशेषकर मजदूर, किसान की उन्नति के लिये निश्चित तौर पर हमको हमारा जो भी बजट है, जो उपलब्ध है, उसका अधिकांश भाग उस निर्बल वर्ग पर, उस उपेक्षित वर्ग पर और उस अल्पसंख्यक वर्ग पर खर्च करना पड़ेगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कृषि वाली बात। इसी तरह से खाद्यानों की बात कही, बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कही। अब मैं बताऊं तिलहनों के मामले में 1979-80 के आंकड़े देखें, 4.50 मैट्रिक का उत्पादन हुआ। 80 81 6.20 मैट्रिक टन, 81-82 में 6.45 मैट्रिक टन, 82-83 मे 6.95 मैट्रिक टन और 83-84 में 7.95 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ। अब 1984-85 में 10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया गया है। इसी प्रकार कपास की गांठें, गन्ना और दूसरे कारोबार को लिया जा सकता है। मैं यह कह रहा था कि कृषि का उत्पादन, जो कि उद्योगों का भी आधार है, मैं समझता हूं, मैं यह कह सकता हूं, जो राशि इस वर्तमान बजट में कृषि कार्यों के लिये दी है और बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये दी है, उसकी सराहना करनी चाहिये।

अब मेरा अनुरोध सिंचाई के बारे में है। सिंचाई के बिना कृषि चल नहीं सकती है। सिंचाई के बगैर कृषि के जो प्रतिफल मिलने चाहिए वह नहीं मिल सकते हैं। मुझे खुशी है कि सिंचाई पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजस्थान कैनाल का काम बहुत ही द्रुतगति से चल रहा है। चार-छः बड़ी योजनाओं का श्रीगणेश किया है। मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि कहीं भी कोई एक बूंद पानी रोकने की तैयारी करनी पड़े, प्राथमिकता से करनी चाहिए। राज्य सरकार को इस बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ कदम उठाये हैं और प्रारम्भिक कार्यवाही करने का तय किया है। मेरा निवेदन है कि पानी-बिजली जो दूसरे प्रदेशों से मिलती है उसके लिये हमको पहले पहल करनी चाहिए। हमारी चीज जो यहीं रहती है उसका तो बाद में भी उपयोग कर लेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं माननीय रामपाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वे कृपा करके वता दें बांध गरडदा और विसलपुर में माननीय सिचाई मन्त्री जी ने कितना रुपया दिया है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : गरड़दा बांध जो बूंदी में माननीय-वित्त मन्त्री जी के यहां पर वन रहा है उस पर कितना पैसा दिया गया है और विसलपुर बांध जो आपके यहां पर वन रहा है उसके लिये कितना रुपया दिया गया है, यह जांच लें। यह केवल कल्पना की वात आप कर रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ·· ····

श्री सभापति : किसी वात का उत्तर नहीं दें, आप तो अपनी वात कहें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, अपनी वात ही कर रहा हूं किसी वात का उत्तर नहीं दे रहा हूं । मैं तो माननीय सदस्य को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी वात को करने की प्रथम स्टेज कल्पना ही हो सकती है। अगर कल्पना की है तो प्रथम स्टेज की तैयारी की है।

श्री दाऊदयाल जोशी : चार साल हो गये चम्बल वैराज के लिये रो रहे हैं। रोज हम देखते हैं कि चम्वल वैराज से नीचे पानी वह जाता है। चार साल तो हो गये, पांचवा साल चालू हो गया।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि एक बड़ी समस्या का हल करो तो 100 छोटी-छोटी समस्याओं का निर्माण हो जाता है। यह एक साइकोलोजिकल वात है, मनोवैज्ञानिक वात है कि एक समस्या को हल करें तो दूसरी आ जाती है । कभी नहर टूट जाती है, कभी क्या हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है।

अव मैं विद्युत के वारे में निवेदन करना चाहता हूं उसके आंकड़े दे रहा हूं····

श्री सभापति : आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं तो 4 मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा लेकिन बीच में····

श्री सभापति : पूरा प्रयास करेंगे कि व्यवधान न हो।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊं कि 79–80 में 816.94 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। 82-83 में 1400 मेगावाट से ऊपर उत्पादन हुआ और 83-84 में 1760 मेगावाट हुआ या कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं, जैसा माननीय सदस्यों को पता ,ही है हमारे यहां पर जो विद्युत हम पैदा कर रहे हैं उसके अलावा अनेक प्रदेशों से विद्युत लेनी पड़ रही है। मैं आपको निवेदन करूं, हमारे यहां पर वर्तमान में विद्युत का भयंकर संकट है। इसके लिये अभी जिस प्रकार से धनराशि आवंटित की गयी है, मेरे

Page No. 92

(92)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

विचार से वह कम है। किसी प्रकार यह राशि बढ़ा सकें तो मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इसके लिये और उपलब्ध करायें। विद्युत उत्पादन बढ़ेगा तो पानी बढ़ेगा पेयजल की समस्या हल होगी, खेती बढ़ेगी, कारखानों को काम ज्यादा करना होगा ले आफ नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे सेल्स टैक्स बढ़ेगा, फिर उससे इन्कम टैक्स बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। मैं समझता हूं कि हमको इस ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में 2025 करोड़ का प्रावधान है और यह हमारा अंतिम वर्ष है इसे जोड़ने के बाद हमें 172 पाइन्ट कुछ करोड़ की कमी रहती है अर्थात् इस प्रकार हम 2025 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मैंने अध्ययन किया। मैं निवेदन करूंगा कि हमने एडवान्स के रूप में 200 करोड़ रुपया पहले ही फैमिन रिलीफ के लिये लिया है अगर उसको जोड़ें तो यह 2025 करोड़ से ऊपर चला जाता है। हमारे स्वयं के संसाधन बहुत सीमित हैं। माननीय सदस्य से नहीं बल्कि आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत गम्भीर बात है और गम्भीर बात इसलिये है कि एक तरफ तो अकाल, बाढ़, विषमतायें दूसरी तरफ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि राजस्थान के आने वाले सुनहरे दिनों के बारे में, राजस्थान के भविष्य के बारे में आज नहीं बैठेंगे तो एक दिन ऐसा आयेगा, इतिहास कहेगा, आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे प्रतिनिधियों ने, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने राजस्थान को ठीक नहीं किया, ठीक से नहीं संजोया, ठीक से नहीं संवारा। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ती मान्यताओं को छोड़ कर हमको हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को हमारी कल्पना के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिये गम्भीरता से देखना चाहिए, सोचना चाहिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सलाह जोर की दी है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि भविष्य के लिये जो योजना है जैसे कोटा थर्मल की सैकिण्ड स्टेज, माइका उद्योग, सिंगरोली से जो बिजली मिलने वाली है और आर. ए. पी. पी. की सैकिण्ड यूनिट के लिये राजस्थान को काफी जोर देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि हमको ज्यादा बिजली मिल सके। 175 पाइंट कुछ करोड़ रुपये का हमारा घाटे का बजट है। मैंने इस पर काफी मनन किया और सम्पर्क किया। मैंने उनसे पूछताछ की और फिर मैंने इस पर कहा, माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि एक दिन में घाटा नहीं आता। एक दिन में घाटा नहीं जाता और एक दिन में किसी चीज का निर्माण नहीं होता तो मैं इसके इतिहास में गया। मैं आपको निवेदन करूं कि हमारा बजट डेफिसिट का है, इसके बारे में यहां पर बात

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कही है 175 पाइन्ट कुछ करोड़ का बजट डेफिसिट छोड़ दिया है। मैं निवेदन करूं कि इसके इतिहास में हमको जाना पड़ेगा, इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। मैंने अध्ययन किया है, 1977-78 में 58.94 करोड़ का डेफिसिट था, 1978-79 में 34.22 करोड़ का, 1979-80 में 70.80 करोड़ का डेफिसिट था। 1980-81 में 58.04 करोड़ का घाटा विरासत में मिला था। 1981-82 में 95.57 करोड़, 1982-83 में 14.49 का बजट डेफिसिट था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

1983-84 में 23.84 करोड़ का डेफिसिट और 1984-85 में 175.52 करोड़ का डेफिसिट था तो इसके कारणों को समझना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसके कारणों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण आप देखिये। इस साल हमको डी. ए. की तीन किश्तें देनी पड़ीं सरकारी कर्मचारियों को, 24 करोड़ इसमें गया। पांच किश्त ड्यू हो गयीं 40 करोड़ इसमें जायगा। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा 2200 करोड़ का पब्लिक देय है जिसका करीब 175 करोड़ की इन्ट्रेस्ट की लायबिलिटी है हमारे ऊपर। ये सारी इस प्रकार की बातें हैं। अब मैं थोड़ा विचार करना चाहता हूं, हमको आत्मालोचन करना चाहिये, अपने दिल से पूछना चाहिये, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा को किसी भी प्रकार का व्यापक स्वरूप दिया गया हो, राजस्थान कैनाल को दिया गया हो, सिंचाई के लिये कुछ कल्पना और क्रियान्विति की गई हो, स्वास्थ्य के लिये किसी प्रकार का कदम उठाया गया हो, सहकारिता के लिये कुछ किया गया हो और निर्बल वर्गों के लिये कुछ किया गया हो, मैं आपको बताता हूं कितने कदम उठाये गये इस साल। राजस्थान वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन करके सरकार कुछ करना चाहती है, राज्य में औद्योगिक परिषद् का गठन करके सरकार कुछ करना चाहती है। राज्य में औद्योगिक अनुदान योजना में संशोधन करके सरकार कुछ करना चाहती है, राजस्थान हाथकरघा विकास निगम की स्थापना करके कुछ करना चाहती है। 11 स्थानों पर टी. वी. इन्स्टीट्यूट स्थापित करके सरकार कुछ करना चाहती है, टैक्सटाइल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना करके टैक्सटाइल को नया आयाम देना चाहती है। बृजभाषा अकादमी की स्थापना करके बृजभाषा को महत्व देना चाहती है। इसी तरह से शिक्षित बेरोजगारों के लिये जैसें स्वनियोजन योजना है उसके तहत अगले साल तक 15000 लोगों को स्थान देना चाहती है।

सहकारिता के क्षेत्र में मैं, वित्त मंत्रीजी, आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा। हमें ऐसी परिस्थिति में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वृद्धि करनी चाहिये और सहकारिता इसका एक बहुत गूढ़ आकार हैं। आपने भीलवाड़ा में दो-तीन सहकारी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

संस्थानों का बजट भाषण अन्दर उल्लेख किया है। मेरा अनुरोध है आपसे कि राजस्थान में इतनी कपास की गांठें हमारे पास सरप्लस हैं, बहुत सी चीजें सरप्लस हैं गंगानगर में. किशनगढ़ में. विजयनगर में, सुमेरपुर में, चित्तौड़ में, फतेहनगर मे, और आमेर में, जिनके लिये इस प्रकार के प्रस्ताव हैं। आप थोड़ा सा पैसा अगर खर्च करें इस पर, फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन, एन. सी. डी. सी. है. वर्ल्ड बैंक है, उसके द्वारा इतने रुपये हमको मिल सकें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पुरजोर शब्दों में अनुरोध करूंगा कि आप कोआपरेटिव के जरिये उन लोगों को लेने का कष्ट करने पर विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति सहकारी विकास निगम बना रहे हैं और महिला विकास अभिकरण द्वारा आप सब जिलों में कोई नया कार्यक्रम देना चाहते हैं, मुझे आपको यह निवेदन करना है लेकिन साथ ही जहां हमारे बिजली की कटौती हो रही है, बिजली की कमी हो रही है, हमें सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। इस बारे में जो हमारे पास नवीनतम तकनीक है उसके आधार पर किस प्रकार हम कुछ करें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : एक मिनट दो मिनट में कोई फर्क नहीं होता है।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे आस-पास जो अन्य राज्य हैं उनके अन्दर जो कृषि उपकरण हैं, किसान के काम में जो चीज आती हैं. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के काम में आने वाली चीज और किसान रीढ़ की हड्डी है इस प्रदेश का, उसी के आधार आधार पर हमारा सारा उत्पादन होता है, सारे कार्यक्रम चलते हैं, मेहरबानी करके उनको उनके लिये कुछ राहत देनी चाहिये, सोचना चाहिये।

श्री महाराम चौधरी : मेहरबानी करके उनको तोड़ दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस रीढ़ की हड्डी को जितनी शक्ति अन्य राज्यों की तरह से आप दे सकें, देने का प्रयत्न करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज हिन्दी भाषा के विकास पर, साहित्य अकादमी के विकास पर आपने ध्यान दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आप क्षमा करेंगे, कला संस्कृति और साहित्य के बारे आपने में बहुत कम ध्यान

(श्री रामपाल उपाध्याय)

दिया है। मेरा निवेदन है कि जब तक हृदय, अन्तस में उजाला नहीं होगा, बाहर के उजाले से पीढ़ियां नहीं चलेंगी, काम नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, संस्कृति नहीं बनेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं तो ये सारी बातें, सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिये कह रहा हूं कि जिन्दगी में बार-बार यही गलती करता हूं आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। इसलिये ये सारी बातें मैंने अपने मन की कही हैं। सारे राज्यों को देखते हुए मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने अपनी कुशलता से जिसके बारे में जो कुछ किया, मैं समझता हूं कि आर्थिक शक्ति से आर्थिक कल्याण करने की बात करिये, अनुशासन रखने की बात करिये और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करिये। आज 175 करोड़ तो हमें ब्याज में देना पड़ रहा है यानि हालात बहुत गम्भीर हैं। फिर भी, ऐसे गम्भीर हालात में आपने जिस दूर-दृष्टि से, दृढ़ता से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं अपनी ओर से इसका हृदय से समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विभिन्न व्यवधानों के बीच आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह।

आपकी पार्टी का समय 15 मिनट है। कृपया 15 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, मेरी पार्टी का भी....

श्री सभापति : केवल आपका न ?

श्री राजबहादुर : मेरा समय भी श्री त्रिलोक सिंह को और पचेरवाल को दे दिया जाय।

श्री सभापति : लोकदल के पास आज समय नहीं है इसलिये कुछ बोलें तो लाभ होगा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, मुझे राजस्थान के बजट पर बोलना है। ये बजट पेश हुआ है जिसके बारे में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। जब हम राजस्थान की धरती पर निगाह डालते हैं, राजस्थान के नक्शे को देखते हैं और दूसरी ओर इन बातों को देखते हैं, लोग कहते हैं हमने राजस्थान में बहुत कुछ किया। मैं पूछना चाहता हूं, 36 साल के लम्बे अरसे में क्या किया ? राजस्थान के अवाम के साथ क्या किया ? जो तुम्हारे काले कारनामे हैं, इतिहास पर काला धब्बा है; जब जमाना आयेगा, लोगों को जब इन बातों का पता लगेगा, आप लोगों से जवाबतलब किया जायेगा। कहने को और लिखने को कुछ भी लिख दें, लेकिन हकीकत क्या है कहते हैं, सबसे पहले हम राजस्थान नहर

(श्री त्रिलोक सिंह)

को वहां ले गये, गडरा तक । हकीकत क्या है, राजस्थान नहर के तमाम गीत गाने के बावजूद, राजस्थान नहर की तमाम उपलब्धियां बताने के बावजूद राजस्थान की एक प्रतिशत जमीन सिंचित होती है । 99 प्रतिशत जमीन आज भी सूखी है, भूखी है । लोहारू से गडरा तक, लोहारू से गुजरात तक, जहां करोड़ों आदमी रहते हैं, क्या हालत है, वह अब सामने नजर आती है । यह सरकार 36 साल के अरसे में हमारे खेतों को पानी नहीं दे सकी, उसकी वजह से राजस्थान बातह हो गया । मैं कहना चाहता हूं, सभी विषयों पर एक-एक करके आऊंगा । सबसे पहले मैं यह पूछना चाहूंगा, जो राजस्थान के लोगों की जिन्दगी का आधार है–खेती, उसके लिए क्या किया ? कहते हैं. नहर ले गये । जो आज से पहले कभी की पूरी हो जानी चाहिए थी, जहां 100 करोड़ रुपयों में पूरी हो जानी चाहिए थी, वहां 600 करोड़ रुपये लग गये, और अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन धोरों में ही अटकी हुई है । लोगों के खेतों की, लोगों की क्या हालत है ? बड़े इलाके, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर और धौलपुर, क्या हालत है इनकी जहां करोड़ों लोग रहते हैं, उनके खेतों को पानी नहीं, उनकी जिन्दगी के लिए खुशहाली का कोई लक्ष्य नहीं । यह सरकार आज कहती है, हमने लोगों के लिए बहुत किया । मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार इन इलाकों को पानी नहीं दे सकती उस सरकार को मुंह दिखाने का भी हक है क्या ? 36 साल के अरसे में खेतों को पानी देना तो दूर की बात है, पीने के पानी के भी आज तक लाले पड़े हुए हैं । कागजों में तो कहते हैं, हमने 24 हजार गांवों को पानी दिया । वह गांव कहां हैं ? पाकिस्तान में हैं या अमरीका में? राजस्थान में हमने देखा है, गडरा से लेकर हरियाणा तक, लोहारू तक क्या हालत है । कहीं एक कुंआ बना दिया और उससे 20 गांव लगा दिये । कहते हैं कि यह रीजनल स्कीम है इससे पानी देंगे । पर हकीकत क्या है ? टेल के गांव की तो बहुत दूर की बात है, जहां ट्यूब वैल है उन गांवों को भी पानी नही मिलता है । मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था परसराम जी से कि मेरी तहसील में चले जाइये, मैंने बार-बार पूछा कि क्या हम पंजाब में रहते हैं, जो हमारे इलाके में कोई भी विकास नहीं, न सड़क है, न स्कूल है, न बिजली है, न पानी है, कोई चीज नहीं है । स्वास्थ्य की तो बाद की बात है, अस्पताल की तो बात ही जुदा है, पानी की व्यवस्था नहीं है । पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । वह इलाका किसके राज में है ? राजस्थान में नहीं है ? राजस्थान में है । कहते हैं, हमने नेशनल हाई-वे बनाया । काहे के लिए ? फौजी पर्पज के लिए । पाकिस्तान तक भेज दिया गया । किसी गांव से कोई ताल्लुक नहीं । मेरे इलाके में 115 गांव और 2 कस्बे ऐसे हैं, जिनकी आबादी लाख के करीब है, वहां वहां सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है । ऐसी हालत है और यह सरकार दावा करती है कि हमने लोगों को पानी दिया । किसको दिया ? अगर इसी रफ्तार

(श्री त्रिलोक सिंह)

से चले तो मुद्दत तक लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी ऐसी सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी, कायम की जाती है के विकास की रफ्तार यही होती है ? जनता पर टैक्स लगाकर पैसा जितना आया सब यह सरकार खा गयी, इसके आफिसर खा गये। यह ब्यूरोक्रेट्स सबसे बड़े डाकू हैं, यह खा गये। मैं दावे से कहता हूं, कोई कमेटी बना दीजिए, उससे इनकी जांच करवाइये। ठीक है, चंद लोग ऐसे हैं जो आपके साझीदार हैं, लूट में साझीदार हैं, वह दावा करेंगे, ठीक है, विकास हुआ। ठीक है, फतेहपुर को छोड़ दीजिए, वहां कांग्रेस नहीं पनपी। कांग्रेस वाला जीत नहीं सकता। पड़ोस को ले लीजिए, रतनगढ़, चूरू, जहां से कांग्रेस का प्रतिनिधि है, जहां से कांग्रेस का विधायक है, इन्दोरिया जी, जयदेव प्रसाद जी इन्दोरिया पूछ रहे थे, जो इलाके मुद्दत से पानी नहीं मिलने से पीड़ित हैं, उनको क्या पानी मिला है ? नहीं मिला। न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न अस्पताल है।

आज अगर गांव का किसान 15-20-50 मील से चल कर शहर में आता है अस्पताल में बीमार बेटी को लेकर, तो डॉक्टर कहता है, पहले पूजा करो, पैसा दो। अगर पैसा नहीं दे सकते तो कोई इलाज नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे से कहता हूं, सीकर, जहां हमारे जिला हैड क्वार्टर पर सबसे बड़ा अस्पताल है, के किसान की 15 साल की बेटी का पैर कट गया। 3 महीने से पीड़ित है। डाक्टर कहता है, पैर कटेगा। मैंने पूछा, क्या बात हुई ? क्या डाक्टर का मुंह बंद कर दिया, 300 रुपये दे दिये। उसके बावजूद कहता है, रुपये और दो। यह हालत है उसके बावजूद आप बैठे हो।

कॉलेज के लिए कल मेरे फतेहगढ के लोग आये थे, कहने लगे कि वहां हम दो लाख लोगों के बीच में सरकारी कॉलेज होना चाहिए। श्री इन्दोरिया जी खुद ने डिमाण्ड की, खुद मांग की कि हमारी तहसील में कॉलेज नहीं है, कॉलेज होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मांग मानी गयी ? यही नहीं, यह होता तो गनीमत थी। मैं चौधरी परसराम जी से पूछना चाहता हूं, कल किसी कांग्रेसी विधायक ने यहां किसानों को जिन अलफाजों में, जिन गन्दे शब्दों में सम्बोधित किया, तमाम सदन उससे शर्म से डूब गया। जिस किसान ने कांग्रेसी राज के लिए कुर्बानियां दीं, उनके लिए यह कहा कि यह कुलक हैं, यह डाकू हैं, यह देश को लूटकर खा गये। हमने देश को रोटी दी, देश को जिन्दगी दी, देश की हिफाजत के लिए हमारे बेटे कट गये, पाकिस्तान से युद्ध के वक्त, एक बार नहीं, कई बार, हजारों नहीं लाखों, उनको सी. पी. जोशी कहता है, कुलक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेसी राज आया, उसके थोड़े दिन पहले सन् 1950 में भीलवाड़ा में चीफ मिनिस्टर के जिले में 50 किसानों का कत्ल किया गया। यह ठीक है, चौधरी परसराम जी हमारा झण्डा गिरा कर भाग गये, कांग्रेस में चले गये। मैं पूछना चाहता हूं, उन किसानों का क्या हुआ जिन किसानों

(श्री त्रिलोक सिंह)

का कत्ल किया ? यही नहीं, परसराम जी की खुद की तहसील में ठीक चुनाव के दो घण्टे पहले 22 किसानों का सिर काटकर देवी के चढ़ा दिया गया, जिन्दा जला दिया। यही नहीं, सीकर शेखावाटी में जलसा किया गया, किसानों को गोलियों से उड़ा दिया गया। यहां तक ही गनीमत नहीं रही, इस राज ने उनको इनाम दिया। गंगानगर में जमीन गरीब हरिजन को नहीं, गरीब आदिवासियों को नहीं, जमींदारों को दी, और मामूली नहीं लाखों एकड़ दी, यह नक्शा है आपके राज का, यह नक्शा है आपकी सरकार का।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरा बार-बार नाम ले रहे हैं. मैं तो आपका भी हमराही रहा हूं, कॉमरेड़।

श्री त्रिलोक सिंह : हमारे प्रतिनिधि थे, आप किसान के बेटे थे, इसलिये नाम लेता हूं। किसान सभा का झण्डा लेकर भाग गये और क्यों भाग गये....

(व्यवधान)

इतिहास बता दूंगा तो बड़ा खतरनाक होगा। जिस इलाके में 90 प्रतिशत किसान हों, उनके खेत को पानी नहीं मिले, उनकी हिफाजत नहीं हो, उनका कत्ल कर दिया जाय। क्या है न्याय व्यवस्था ? काजीपुर में चले जाइये, डूब मरिये शर्म से, कोटपूतली में चले जाइये, अलवर में चले जाइये, जयपुर में चले जाइये, कोटा में चले जाइये। सुबह कैसा काण्ड आया, लेकिन यह सत्ता जिन्दी है, बेशर्मी से जिन्दी है, गूंगी-बहरी बैठी हुई है। कहती है कि हमने यह विकास किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं दावे से, विकास तो किया पर किताबों में किया, मिनिस्टरों का किया, कांग्रेसी लीडरों का किया, कांग्रेसी एम. एल. एज. का किया। मैं उन लोगों से अपील करूंगा, ईमानदार किसानों के बेटे यहां सदन में बैठे हैं। कल जो बात कही थी सी. पी. जोशी ने, वह नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। वह कहता था कि देश को लूट कर खा गये, किसान कुलक हो गये। बिलकुल सफेद झूठ। हमने देश के लिये महान् कुर्बानियां कीं। सी. पी. जोशी जानता नहीं कि हमारा कैसा इतिहास है। हमने हजारों साल तक हमलावरों से मुकाबला किया, इन निठल्ले लोगों को रोटियां दी, खून बहाया, इनकी झूठी दुकानों को बचाने के लिये हमने लाखों बेटों का कत्ल भी करवाया। मथुरा का इतिहास देख लीजिये, एक जुल्म का मुकाबला नहीं किया, जो कोई भी जुल्म किया गया इस मुल्क पर, उसका मुकाबला किया। आज भी मैं कहता हूं कि यह कांग्रेसी सरकार किसानों की दुश्मन नम्बर एक है। इस कांग्रेसी सरकार का भी वही हस्र होगा जो और लोगों का हुआ है।

कैसी ताज्जुब की बात है। मुझे याद है सीकर में एक नागरिक ,को कोतवाल ने मारा था। हम लोगों ने राजा को शिकायत की, राजा ने उसका काला मुंह करके गधे पर चढ़ाकर निकाल दिया। आज जब

(श्री त्रिलोक सिंह)

हम शिकायत करते हैं तो कुछ नहीं होता है....

श्री परसराम मदेरणा : सी. पी. एम. का दुश्मन नम्बर एक कौन है ?

श्री त्रिलोक सिंह : कांग्रेस, कांग्रेस ही नहीं, परसराम जी मदेरणा ने हमें धोखा दिया, किसान सभा का झण्डा लेकर भाग गये । सन् 1950 में ऐसी हालत थी जब किसानों का राज कायम होने वाला था, कांग्रेसी सेठों के हाथ चले गये । क्यों चले गये, कैसे चले गये यह तो खुद सोचें....

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : आपके साथ कितने हैं ? "मैं और मेरा दल"....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : आप तो बैठो ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, अभी हमारी खेती जल गई, फसल जल गई और यह सरकार आंख तक नहीं खोलती । मैं सरकार से मांग करूंगा कि पानी की व्यवस्था की जाय सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में । अगर नहीं की जायेगी तो हम इस सरकार के खिलाफ एक जबर्दस्त आन्दोलन करेंगे ?

यही नहीं, और लीजिये । अरे ! हमारे सीकर में एक जगह है सलादीपुरा, खण्डेला के पास में, यहां अरबों मन कच्चा खाद का माल जमीन में पड़ा हुआ है । वहां खाद का कारखाना न खोलकर भीलवाड़ा ले जाना चाहते हैं । भीलवाड़ा क्यों ले जाना चाहते हैं ? क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहां के हैं इसीलिये ले जाना चाहते हैं । क्यों ले जाना चाहते हैं ? बात बिलकुल साफ है, राजस्थान सरकार एन्टी-पीजेन्ट है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है । अभी मुझसे पहले बोलने वाले मातहत जी कह रहे थे कि दो बातें प्रमुख होनी चाहिये । क्या ? उत्पादन बढ़ना चाहिये । अरे, उत्पादन के सब रास्ते काट दिये गये, किसान के खेतों को पानी नहीं दिया, मजदूरों को मार-मार कर भुर्ता बना दिया गया, कारखानों से निकाल दिया, कारखाने बन्द कर दिये गये । कभी कोटा बन्द, कभी ब्यावर बन्द । जो कोई मजदूर बोलता है उसको गोली से उड़ा दिया जाता है, यह रोज देख लीजिये । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सलादीपुरा का कारखाना खुलेगा । अगर वहां से कच्चा माल उठाने की कोशिश की गई, यह सवाल सीकर का नहीं, झुंझुनू, चूरू, सीकर और जयपुर के लाखों किसानों की जिन्दगी का स्रोत है, अगर सरकार यहां से माल उठाने की कोशिश करेगी तो हमारी लाशें भी ले जायेगी । हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाकाबिले बर्दाश्त होगा । यह आज मैं पूछना चाहता हूं, सीकर में....

श्री परसराम मदेरणा : ताली कौन बजा रहा है ?

श्री त्रिलोक सिंह : 15 लाख बसते हैं, एक भी स्कूल नहीं लड़कियों का, एक भी होस्टल नहीं, और कहते हैं कि तालीम देते हैं लोगों को। पढ़ाने वाले लड़के कूड़ा बीनते है, कप-प्लेट धोते हैं होटलों में, 5-5 साल के बच्चे होटलों में कप-प्लेटें धोते हैं, गन्दगी में कूड़ा बीनते हैं और इन लोगों के लड़के अमेरिका में पढ़ते हैं, ब्रिटेन में पढ़ते हैं। किसलिये पढ़ते हैं ? यह चाहते हैं कि हम राज करें और हमारी औलाद भी करे। यह औलाद की कब्र भी बनाना चाहते हैं। एक दिन आयेगा....

श्री परसराम मदेरणा : ज्योति बसु, मुख्य मंत्री वेस्ट बंगाल कहां पर पढ़ते थे, कितने साल इंगलैण्ड में पढ़े थे ?

श्री त्रिलोक सिंह : अभी आ रहा हूं। अरे ! चौधरी साहब, ठीक है, हमें तो धोखा दे गये, किसान सभा का झण्डा भी ले गये, किसान-द्रोही भी बन गये....

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टरी में नम्बर नहीं आया, आज तक नहीं आया और न आगे आयेगा क्योंकि जो आदमी धोखा देता है वह पापी रावण और दुर्योधन से भी बड़ा पापी होता है। कृषक वर्ग को धोखा दिया, लाखों किसानों को धोखा दिया, झण्डा लेकर भाग गये। ठीक है, दो दिन की चुपड़ी रोटी खा लो, कल क्या होगा ? इन्कलाब आयेगा। हो सकता है आप लोग खुदकशी करके मर जायं, आपकी औलादें भी खुदकशी कर ले तो कब्रों से हड्डियां निकाल कर जनता अदालत बनेगी और मुतालब किया जायेगा आपके महा-पापों का। आपसे बड़े पापी राजस्थान में न जागीरदार हुये, न राजा हुये, इतना बड़ा पाप किया है इस देश की 4 करोड़ जनता के साथ। आपको पता तब लगेगा जब जनता समझेगी। यह ढोंग, बजट का भुलावा, यह क्या तमाशा है ? टैक्स नहीं लगाये गये पर जनता को क्या मिला ? यह जनता की सरकार है, इतिहास उसको देखेगा, चाहे लोग आप को सलाम कर लें, आपकी देवीजी जाती हैं, उनका इतिहास देखो, लाखों लोगों को गोली से उड़ा दिया, हम लोगों को घोड़ों से बान्ध कर ढकेला गया। आप लोगों ने क्या किया ? आप लोगों ने अवाम को धोखा दिया। किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को धोखा दिया और आप लोगों ने अपने घर बनाये, अपनी औलाद के घर बनाये। क्या हालत है ? लोग आपसे जायजा लेंगे। आपने देश को बरबाद कर दिया, यह हकीकत है; यह नक्शा है देश का, इसे भुलाया नहीं जा सकता, इसका कोई जवाब नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं बताता हूं यह राजस्थान का बजट एक धोखा है, एक निकम्मा बजट है जिसमें विकास के बारे में

(श्री त्रिलोक सिंह)

कुछ नहीं. जिसमें लोगों की जिन्दगी के बारे में कुछ नहीं। ऐसा निकम्मा धोखा कब तक देंगे ? यह याद रखो यह इससे बड़ा धोखा....

श्री परसराम मदेरणा : सब फरेब है।

श्री त्रिलोक सिंह : ठीक है, आपके लिए तो सब ठीक है। ऐसा औरों ने भी दिया था, इतिहास भरा हुआ है ऐसे दुर्योधनों से। दुर्योधन ने भी ऐसा ही धोखा दिया था, राजगद्दी पर बैठ गया था, हिन्दुस्तान का बादशाह बन गया था।

श्री परसराम मदेरणा : दुर्योधन और जयचन्द तो थे नहीं थे, लेकिन आप तो दूसरे देशों की सरकार की तरफ देखते हो। यह कोई राष्ट्रीयता है ? यह कोई नेशनेलिज्म है, यह कोई राष्ट्रभक्ति है ?

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं-नहीं, चौधरी परसरामजी, आपकी इन्दिराजी देखती है, भीख मांगने के लिये आप झोली पसारते हैं, हम नहीं जाते हैं। हम तो नहीं देखते, रोज झोली पसार करके रोज देखती है। एक ओर कहते हैं हथियारों का खतरा है, दूसरी ओर कहते हैं रूस, दे दो हमें हथियार। हिन्दुस्तान को जंग का मैदान बनाओगे। आपकी ओर देखो, आपकी सरकार की ओर देखो। यह गलत इल्जाम है। आप लोग अगर देश भक्त हो तो सबसे झूठ बात है। आप जैसा कोई नहीं होगा। वर्ल्ड को धोखा दिया, देश को धोखा दिया और अब भी दे रहे हो। इससे बड़ा कोई सबूत है नहीं। अब भी संभल जाओ, वक्त है, अब भी रास्ते आ जाओ, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी, हरगिज माफ नहीं करेगी। अरे ! ऐसी बात सदन में की जाय, कल पी. सी. जोशी ने कहा और अब बीच-बीच में चौधरी साहब सफाई देना चाहते हैं। किस बात की सफाई ? यहां से चले जाओ चौधरी साहब के गांव तक, गडरा तक, कहीं पानी नजर नहीं आयेगा। क्या किया आपने ? 36 साल के अरसे में देश को लूटा, देश को बरबाद किया, देश को जलालत के हवाले कर दिया, देश का भविष्य अन्धकार में है। अगले दिन मेरे सीकर में आठ पटवारियों की जगह थी, आठ हजार दरख्वास्तें दी गई। ऐसी सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिये। फिर हर नियुक्ति में रुपया। यह हकीकत नहीं है ? पहले हमारे गांव के आदमी फौज में भर्ती हो जाते थे। आज फौज में भर्ती होने के लिये भी आठ हजार रुपया, पांच हजार रुपया लिया जाता है। हकीकत है।

श्री परसराम मदेरणा : तीन साल पहले जो मुल्क आजाद हुए वह अन्न के मामले में आज भी आत्म-निर्भर नहीं हैं। यह उन देशों की प्रगति है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : झूठी बात है....

यदुनाथ सिंह : आप सेल्फ सफिशियेन्ट

(श्री यदुनाथ सिंह)

हैं क्या ? काहे के लिए हर साल बुला रहे हो ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : सुनिये, 115 मुल्कों में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नम्बर है, देश को भिखमंगों की लाइन में खड़ा किया। आप लोगों ने कर दिया, आपकी इन्दिराजी ने कर दिया। आप लोगों ने महापाप किया जो कभी मुल्क में पहले किसी ने नहीं किया। आज गरीबी की रेखा के नीचे क्या है। कहते हैं, हम हरिजनों की हिफाजत करते हैं। अरे, आज भी अखबार में निकला है कि एक हरिजन को उठाकर गुड़ के कड़ाहे में डालकर भून दिया। यह हालत है आज भी। कल अखबार में निकला था। हरिजन ने जुबानी बताया कि मैं जब गांव गया तो गांव के लोगों ने मुझे घर पर नहीं बैठने दिया, पानी नहीं पीने दिया। यह सब ढोंग है इस सरकार का। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं यह बजट प्रतिगामी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहीं पश्चिमी बंगाल की बात तो नहीं कर रहे हैं आप, कलकत्ता की ? वहां यह हालत होगी, यहां नहीं है यह हालत, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : कहां कलकत्ता ? आपको पता ही नहीं कलकत्ता कहां है। आपको पता है कौन राज करता है ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : आपके समझ में नहीं आती, आप तो बन्धुआ मजदूर हैं, आपको पता है कलकत्ता क्या है ? कलकत्ता आपकी देवीजी कई बार घुटने टेक आई हैं। वहां मैदान में रगड़ दिया, आपको कन्धा देने वाला नहीं मिला। यह हालत है बंगाल की। मैं आपको दावे से कहता हूं, चैलेन्ज देता हूं कि वह बंगाल नहीं, वह त्रिपुरा नहीं, आप जाना और देवीजी को भी ले जाना। अरे, कहां अमन की बात करते हो, कलकत्ता में गुण्डे भेजे जाते हैं, त्रिपुरा में दिल्ली से गुण्डे भेजे जाते हैं, गरीबों की हत्या कराई जाती है और अमन की बात करते हो। यह राजस्थान भी करवट बदल रहा है, चन्द दिनों के बाद आपका पाटिया साफ है। कैसा अमन, आप याद रखें....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप इस धरती पर दुबारा नहीं आओगे, याद रखना, जनता समझ गई है, जग गई है। आपने क्या किया ? आपने लुटेरों की मदद की, हत्यारों की मदद की, गरीबों को धोखा दिया और बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया। बीस सूत्री कार्यक्रम में गरीब का लड़का स्कूल नहीं जा सकता, गरीब का लड़का नौकरी नहीं पा सकता। क्या करें इस बीस सूत्री कार्यक्रम का ? बीस सूत्री कार्यक्रम का आपने एक बोर्ड बनाया और देवीजी ने आगे बढ़कर....

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : आपने पढ़ा है बीस सूत्री कार्यक्रम ? सूत्र नम्बर 3 क्या है ? गरीबों का कार्यक्रम नहीं है तो क्या है ?

(व्यवधान)

इन्दिरा गांधी को बदनाम कर रहे हो....

श्री त्रिलोक सिंह : डांगीजी को यह पता नहीं है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। काफी समय बोल चुके हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : बन्धुआ मजदूरों के बारे में मैं बोल रहा था। मुझे डांगीजी बोले, ठाकुर साहब। मैंने कहा, मैं ठाकुर त्रिलोक सिंह नहीं, मैं कामरेड त्रिलोक सिंह हूं। मैंने हरिजनों के साथ अन्याय करने वाले चौधरी परसरामजी के कुनबों की कब्र खोद दी। ये मदेरणाजी, हरिजनों की मदद करते हैं, गरीबों की हिमायत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं ज्यादा चर्चा न कर कहूंगा, सभापति महोदय बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, वे भी चाहते हैं इनकी ज्यादा पोल नही खोली जाय।

श्री सभापति : मैं तो आपका समय की ओर ध्यान दिला रहा हूं....

श्री त्रिलोक सिंह : ये × × ×....

(व्यवधान)

श्री सभापति : × × × अन-पार्लियामेण्ट्र है, एक्सपन्ज किया जाय।

श्री यदुनाथसिंह : क्यों ? यह तो कई बार आ चुका है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह दुश्मन के बेटे हैं।

(व्यवधान)

जब सरसों बाजार में आयी तो तीन सौ रुपये क्विन्टल, और जब हमने ली तो नौ सौ रुपये क्विन्टल। मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं आपके राज में डकेतों का यह बाजार है, जिनकी हिमायत करते हैं, आपकी सरकार करती है। जब ग्वार बाजार में आया, जब हमने चूरू, सीकर, गुना, शेखावाटी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, भेजा तो डेढ़ सौ रुपया क्विन्टल और आज सीकर में चालीस रुपये किलो ग्वार। मैंने पूछा, सभापति महोदय, उसको, तो उसने बताया कि ग्वार की थैली 40 रुपये किलो।

एक माननीय सदस्य : कभी ग्वार की 40 रुपये किलो थैली होती है क्या ?

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : हां 40 रुपये किलो ग्वार की थैली। तुम्हें क्या पता है, तुमने तो डोरा बेचा है डोरा। तुम्हें क्या पता है कि खेती क्या होती है। तुम्हें क्या पता है

× × × शब्द माननीय अध्ययक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

किसान क्या है। तुमने तो जमीन चोरी का धन्धा किया है।

(व्यवधान)

तुम्हारा घर देखो, तुमने तो बड़े-बड़े कुत्ते देखे हैं। पण्डित जी, किस की वकालत करते हो। आप ठहरो आपका हिसाब होगा, आपका हिसाब लिखा जा रहा है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, न इसको किसान बर्दाश्त करेगा और न ही इसको अवाम बर्दाश्त करेगा, और न ही इस बात को देश की जनता बर्दाश्त करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं एक बात कह कर अपनी स्पीच समाप्त करूंगा। अरे, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि कोई और दूसरा केन्डीडेट नहीं मिला तुम्हें? बिरला ही केन्डीडेट मिला? इनका केन्डीडेट है के. के बिरला। वह के. के. बिरला, जिसको सीकर और शेखावाटी के लोगों ने धूल चटा दी थी, आज वापस दिल्ली से कांग्रेस को खरीदने के लिये आया है। अरे, उसके हाथ में कांग्रेस बिक गयी। अरे, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है, जिस के. के. बिरला को सीकर और शेखावाटी के वीरों ने धूल चटा दी थी, वह सीकर और शेखावाटी के लोग, रामदेवसिंह जिनके ऊपर फूल बिखरे हैं जो वहां के प्रतिनिधि हैं, आज यहां पर किसान के प्रतिनिधि कहलाने वाले तेजपाल, भैरूंलाल जी बिरला को वोट देंगे। यह बिरला ××× है। यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा किसान विरोधी और ××× है। इसको आप वोट दे रहे हैं, मैं अपील करूंगा इस सदन के माननीय सदस्यों को कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि किसान का बेटा जागेगा और वह करवट लेगा और इसको धूल चटा देगा।

सभापति महोदय, इस बिरला ने दिल्ली में कहा है कि मैंने एक करोड़ रुपया इन्दिरा को दिया है और एक करोड़ रुपया मैंने यहां के लोगों को दिया है, पांच करोड़ रुपया खर्च करूंगा। मैं यह इल्जाम लगाता हूं यह बजट जो यहां पर सदन में पेश किया गया है वह प्रतिगामी है, किसान विरोधी है और मैं इस बजट की पोल खोल दूंगा, मैं इसकी पोल खोल दूंगा। तुम्हारी पोल खोलूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : हमारी तो पोल खुलने वाली नहीं है, कामरेड, पर तुम्हारी पोल चारों तरफ से खुल गयी है।

श्री त्रिलोक सिंह : आप बैठ जाइये। मैं सबकी पोल खोल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : यस, बिरला की फैक्ट्री में ही तो लोग काम करते हैं।

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आर्डर ।

श्री त्रिलोक सिंह : आप बैठ जाओ, आप तो बहुत ही भले आदमी के बेटे हैं। आप तो एक गरीब आदमी के लड़के हैं, आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । आप अगर हजारों पाप कर दोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा पर इन चौधरियों को माफ नहीं करूंगा । आपके तो हुजारों पाप माफ. कर दूंगा क्योंकि आप एक गरीब आदमी के लड़के हो, आप एक गरीब हरिजन के बेटे हो, आपके तो मैं हजारों पाप माफ कर दूंगा ।

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि यह नये स्कूल खोलेंगे, यह पानी लायेंगे, यह दवाखाने खोलेंगे पर वह स्कूल कब खुलेंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब खुलेंगे स्कूल ? कब आयेगा पानी ? और कब आयेगी बिजली ? इन 36 सालों में तो आई नहीं । न स्कूल खोले गये, न पानी आया, न बिजली आयी । यह कब होगा ? यह सब झूठ है । यह तो तब खुलेंगे जब राजस्थान खूखार होगा । तब यह आपकी कब्रों पर खुलेंगे और यह आपका हुकूमत की कब्रों पर खुलेंगे । तो, सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का विरोध करता हूं, इस बजट को प्रतिगामी बताता हूं और इस बजट को किसान विरोधी और जनता का विरोधी और मजदूर विरोधी बताता हूं ।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, हमें भी बोलना है ।

श्री सभापति : भारतीय जनता पार्टी के लिये तीन घन्टे तय किये थे । वह समय आपकी पार्टी के सदस्य ले चुके हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारा नाम है ।

श्री सभापति : पर निर्धारित समय तो समाप्त हो चुका है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो बात आई गयी हो गयी है. उससे क्या । हम लोग तो सुबह से सुन रहे हैं, हम भी तो कुछ बोलेंगे । थोड़ा समय आपको एक्सटेन्ड करना पड़ेगा ।

श्री सभापति : अभी तो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं वह बोलेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बाद तो हमें अवसर मिलेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ताम्बी, आप दस मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे ।

श्री रतनलाल ताम्बी : दस नहीं, मैं 20 मिनट का समय लूंगा । मैं इस सैशन में पहली बार बोल रहा हूं ।

सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा में जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने बजट

(रतनलाल ताम्बी)

प्रस्तुत किया है उसका मैंने बहुत ही गम्भीरता से अध्ययन किया है। यह बजट आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रगतिशील, समाजवादी नीतियों का पालन करते हुए और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह 23 पेजों की पुस्तिका में है। यदि बहुत ही गम्भीरता स देखा जाय तो यह बहुत ही उपयुक्त बजट है मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। हमारे देश में प्रजातान्त्रिक सरकार ने वायदे किये हैं कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जायगी। इस सारे बजट में एक-एक कार्यक्रम को अगर उठा कर देखा जाय तो मालूम होगा कि जो वायदे हमने किये थे और जो हमारी योजनायें थीं उन सभी को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से मैं सदन में यह सुनता आ रहा हूं, कई माननीय सदस्य तो यह कहते हैं कि यह बजट प्रतिगामी है, कई सदस्य यह कहते हैं कि यह बजट निराशाजनक है, कई यह बताते हैं कि यह बजट बेकार है तो कई माननीय सदस्य कई विशेषण लगाकर इस सदन में इसके बारे में कहते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में अकाल की विभीषिका और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चरमराती मलीन हालत में इससे ज्यादा अच्छा बजट क्या बनता। मैं समझता हूं कि यह बजट जो बनाया है, यह एक अनुभवी और विवेकशील वित्त मन्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो न तो प्रतिगामी है और न ही किसान विरोधी है। आज की हालत में यह बजट राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इस बजट को जनता के हित में मानते हुए इस बजट का स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, इस बजट के मुख्य मुख्य मुद्दों को अगर देखें तो मालूम होगा कि जहां सन् 70 में हमारे यहां पर प्रति व्यक्ति आय 575 रुपये थी वहां अब प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढ़ कर 1575 रुपये हो गयी है। मैं इसको देखते हुए यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे बजट में जो योजनायें प्रस्तुत की गयी थीं पिछले वर्षों में उनकी क्रियान्वित की गयी, इसके कारण ही हमारे यहां के लोगों की आय बढ़ी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जहां हमारे यहां कृषि का उत्पादन 23.6 लाख टन था और तिलहन का 6.29 लाख टन था वह बढ़ कर 99.96 लाख टन तो खाद्यान्न की पैदावार हो गयी है और तिलहन की 7.96 लाख टन हो गयी है। यह हमारे यहाँ के विकास का द्योतक है। राजस्थान, जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, में इस तरह की बात होना एक गौरव की बात है।

अब, सभापति महोदय, इसके अलावा जो योजनायें बनी हैं उनके संसाधनों के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लिये 750.70 करोड़ रुपये जुटाने के लिये जो लक्ष्य रखा गया था वह भी पूरा किये जाने की कोशिश है। बराबर हमारे यहां पर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में 729.83 करोड़ रुपये के साधन जुटाये थे। आज इससे यह मालूम होता है कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति का ढांचा मजबूत है। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहां की योजना के अन्तर्गत आगे के लिये 430.38 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। इनके लिये क्या आवश्यकता हो सकती है, आज राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों के लिये क्या आवश्यकता हो सकती है इसके लिये बजट में प्रावधान हमारे वित्त मन्त्री जी ने किया है। उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई और बिजली की योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। 206.8 करोड़ का प्रावधान तथा सामुदायिक सेवाओं पर 99.92 करोड़ है जो हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से इसे उसमें सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 77.13 करोड़ रुपया कृषि सेवाओं के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से संचार, उद्योग और खनिज के ऊपर इस बजट में ध्यान देकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

मैं इस मौके पर कुछ सुझाव इस बारे में देने चाहूंगा। हमारे विरोधी भाई इस बात को कहते आये हैं कि कोई कर नहीं लगना चाहिए। हम भी मानते हैं कि राजस्थान की जनता पर अधिक टैक्स का भार नहीं होना चाहिए। मुझे हास्यास्पद स्थिति लगी, जब हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इन परिस्थितियों के बीच में टैक्स लागू नहीं किया तो इधर से आवाज आई कि राजस्थान का टैक्स के बिना कैसे विकास होगा। टैक्स लगाते हैं तो कहते हैं कि न लगाओ, नहीं लगाते हैं तो कहते हैं कि लगाओ। इस बात की आवश्यकता है कि हमारे साधन हैं वह उत्पादक योजनाओं में लगें और उसका अधिक से अधिक लाभ राजस्थान के लिए हो। मैं इस विषय पर दो-तीन मुद्दों पर कहना चाहूंगा। आज भी राजस्थान के अनेक विभागों पर बकाया का हिसाब लगा कर देखें तो 150–200 करोड़ रुपये बकाया हैं चाहे बिजली की बकाया हो, चाहे पानी की बकाया हो, चाहे अन्य विभागों की बकाया हो और चाहे सेल्स टैक्स की बकाया हो। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, कि छोटे-छोटे किसानों से वसूली की बात की जाती है। बड़े लोगों में जो बकाया है वह वसूल की जाय तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति में बहुत भारी सुधार हो सकता है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान वह प्रदेश है जिसको प्राकृतिक वरदान प्राप्त है, जिसकी धरती में अरबों-खरबों रुपयों की खनिज सम्पदा छिपी पड़ी है। आज उसके दोहन की आवश्यकता है। आज हमारे सामने इसके दोहन में बाधायें आती हैं। माननीय वित्त मन्त्री राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह बहुत पुराने नेता हैं, मैं वर्षों से इन्हें जानता हूं, इनके सपने हैं। आपको इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आज जी. एस. आई. के नाम से बहुत बड़ा खनिज

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का क्षेत्र सुरक्षित किया गया है। अगर कोई नया पट्टा लेना चाहे तो उसको नहीं मिलता है। एक ओर इससे बेरोजगारी बढ़ती है दूसरी ओर हमारे खजाने में आमदनी घटती है। जी. एस. आई. में पच्चीस-पच्चीस साल से क्षेत्र सुरक्षित है, न वह खनन करते हैं और न ही किसी दूसरे को करने देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप सशक्त लेखनी से राज्य सरकार की मार्फत भारत सरकार से अनुरोध करें कि जी. एस. आई. के नाम से जिस काम के लिए क्षेत्र रिजर्व कर रखा है उसके अतिरिक्त काम में लेने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो। इससे मजदूरों को काम मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। दूसरी ओर फोरेस्ट के क्षेत्र में खनिज सम्पदा के लिए अवसर सुलभ नहीं हैं। कई फोरेस्ट केवल नाम के हैं, उनमें फोरेस्ट जैसी चीज नहीं है। मैं चाहूंगा जहां खनिज सम्पदा है उस क्षेत्र को फोरेस्ट से निकाल कर आप खनिज का दोहन का काम करें। जहां बहुत जमीनें बेकार पड़ी हैं, उसका रकबा काट कर फोरेस्ट को दें। इस प्रकार खनिज दोहन करें। इससे अतिरिक्त जो नहरी महंगी जमीन हैं, इसमें करोड़ों रुपये लगे हैं। उस जमीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उनसे पूरा पैसा राजस्थान के खजाने में जमा करवायें जिससे राजस्थान के विकास का काम आगे बढ़ सके। हमारे विद्युत का 28-30 प्रतिशत लीकेज है, यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है। लाइनें ठीक करके विद्युत की चोरी को रोक कर जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज भी कई बड़े-बड़े तालाब हैं जिनका मूल्य बहुत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत के अनुसार वह रुके पड़े हैं। वहाँ जो फसल करता है वह सारी जब्त करें और सामान्य जुर्माना न लगाकर बहुत बड़ा जुर्माना करें। इससे लाखों की इनकम सरकार को हो सकती है। मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा कि विद्युत की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर न केवल कुछ कहा गया है, बल्कि कुछ किया भी गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां 1982-83 में हमारा 1401 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, आज दिन तक 1707 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके और सतपुड़ा, सिंगरौली से हमारे हिस्से की बिजली प्राप्त करके राजस्थान के भारी उद्योगों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं समझता हूं कि बिजली का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है, उसका इससे बहुत बड़ा समाधान होगा। कोटा में दो तापीय परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया, इससे 210 मेगावाट बिजली पैदा होगी, इसके साथ-साथ माही प्रोजेक्ट, जो आदिवासी इलाके में है, से 140 मेगावाट बिजली पैदा होगी, लिग्नाइट से 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की योजना का कार्यक्रम है। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, सरकार इन योजनाओं को सबसे पहले पूरा करे ताकि लोगों की आय बढ़े, आर्थिक विकास हो और दूसरी ओर राजस्थान के खजाने में पैसा जमा हो। इसी दृष्टि से राजस्थान सरकार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ने जहां 18,900 ग्रामों में 2.55 लाख कुओं का विद्युतीकरण पिछले वर्ष किया है, एक नया कार्यक्रम हाथ में लिया और अगले वर्ष 11000 कुओं का 1100 गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। यह महत्वपूर्ण कार्य किसानों की दृष्टि से सरकार ने किया है। 1984–85 में सिंचाई के लिए लगभग 92.45 करोड़ रुपयों में से 12.4 करोड़ बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए, करीब 52.56 करोड़ रुपया वृहत्त योजनाओं के लिए, 14.35 करोड़ मध्यम योजनाओं के लिए, 6 करोड़ आधुनिकीकरण के लिए और साढ़े छः करोड़ लघु सिंचाई के लिए रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज पानी की इतनी कमी राजस्थान में नहीं है। बहुत नदी नालों में पानी जा रहा है। मध्यमश्रेणी की और लघु योजनाएं हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान नहर मन्त्री जी ने एक सपना इस वर्ष काफी प्रयत्न करके पूरा किया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। यह जीवनदायनी योजना धरती पर पानी बिखेरंगी और शस्य श्यामला धरती सोना उगलेगी, यह राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। सिंचाई योजना के लिए आज भी आवश्यकता है मास्टर प्लान बनाने की। जब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा, मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना पानी कहां जा रहा है। इसका योजनाबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया जाए। राज्य सरकार ने इस वर्ष खास तौर से जल साधन विकास निगम बनाया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में और बाहर कितना पानी जा रहा है उसका किस तरह से उपयोग हो सके, इस बारे में एक योजनाबद्ध कार्यक्रम जल्दी से जल्दी पूरा करे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नलकूपों की बड़ी आवश्यकता है। जिलों में इसका विस्तार हो और नई योजनाओं के जरिये नल कूप बनें, इसके लिए मैं चाहूंगा सरकार का ध्यान इस ओर जल्दी जाए। पानी अभी जमीन में है, उस पानी को बाहर लाकर किसानों के घरों में पहुंचाने का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। इसी तरह से बिसलपुर प्रोजेक्ट की वर्षों से योजना चल रही थी। यह आपने हाथ में लिया है, मुझे मालूम नहीं कि इसके लिये कितना पैसा रखा। निश्चित रूप से यह योजना मेरे इलाके से जुड़ी हुई है, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, इसके लिए आपको प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरे इलाके में 15–17 सिंचाई योजनाएं हैं जिनका सर्वे हो गया, रुपया अकाल का खर्च हो गया हैं, उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वे आफिस जहाजपुर में कायम करके जो योजना हमारे जिले की हैं, उनको तैयार किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपकी घण्टी बज रही है, मैंने तैयारी काफी की है, दो-चार मिनट में समाप्त करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम में पिछड़े और अन्तिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का आर्थिक और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम है। बहुत सारे भाई विरोध करते हैं, खाने-पीने की बात करते है। मुझे इसमें एतराज नहीं है कि जहां खाया जाए वहां दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। किन्तु इस योजना को बुरा बतायें, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। राजस्थान में एक लाख बियालीस हजार परिवारों का चयन करके उनको राहत दी जा रही है, हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, कहीं कमी हो। आज राजस्थान की जनता का दिमाग बदल रहा है क्योंकि उसके लिए भलाई के कार्य किये जा रहे हैं। आपको इससे परेशानी महसूस होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार आगे बढ़ रही है, आप घबरा रहे हैं। पहले इसके लिए 71 करोड़ का प्रावधान किया गया था इस बार 300 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम के लिये रखकर एक नये आयाम का निर्माण राजस्थान में हुआ है।

इसके साथ ही साथ मैं पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पेयजल समस्या राजस्थान के लिए जन जन के लिए अभिशाप है। हैंड पम्प काफी तादाद में लगे और लगने के बाद भी यह समस्या आज हमारे लिए बहुत गम्भीर है। इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें आपको निवेदन करना चाहूंगा। 1981-82 में 44.41 करोड़ रुपया, और 1982-83 में 53.52 रुपया और 1984-85 में 60.52 करोड़ रु. रुपया इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार ने रखा है। इसे हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से सरकार ने माना है। मैं समझता हूं कि इसके जरिये राजस्थान के गांवों में, ढाणियों और मोहल्लों में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी बस्तियों के लिए अलग से प्रावधान किया है 3 करोड़ का, उनको भी लाभ मिलेगा। छोटी-छोटी ढाणियों और मोहल्लों, जहां पानी नहीं पहुंचता था, में रहने वाले गरीब और छोटी-छोटी आबादी के लोगों की ओर राज्य सरकार ने निश्चय ही ध्यान दिया है। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई दूंगा। इसके साथ-साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की 250 और 300 की आबादी होगी वहां उनको एक पब्लिक कनेक्शन अलग से मिल जायेगा। यह भी एक अच्छी बात इस बार की है। इसके साथ ही साथ मेरा एक यह निवेदन है कि हैंड पम्पों का कार्यक्रम चला, हैंड पम्प लगें इसमें दो राय नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक समस्या पैदा हुई है, वह यह है कि कई बार एक ही बड़े गाँव में लग जाते हैं, एक ही मोहल्ले में दो दो और तीन तीन लग जाते हैं और जहां दूर-दूर के गांव ढाणियां बसी हुई हैं, मोहल्ले बसे हुए हैं, वहां नहीं पहुंचते हैं। एक तो इस बारे में एक निश्चित नीति होनी चाहिए।

दूसरा मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, "प्रशासन गांवों की ओर," "प्रशासन शहरों की ओर" और "प्रशासन मण्डियों की ओर" कार्यक्रम आपने चला करके लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। मैं अभी जन सम्पर्क अभियान में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें । आर्डर प्लीज ।

श्री रतनलाल ताम्बी : ....मैं निवेदन करता हूं कि मैं अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घूमा था, मैंने यह महसूस किया है कि हैंड पम्प लगे हैं लेकिन हैंड पम्पों को संभालने की व्यवस्था नाम की चीज मुझे महसूस नहीं हुई । कई हैंड पम्प लम्बे समय से खराब पड़े हैं, कहां लगे नहीं । मैं एक बात, माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये जन स्वास्थ्य अभियानत्रिकी मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रेल महीने या ज्यों ही विधान सभा समाप्त हो या 15 मई तक राजस्थान में "प्रशासन हैंड पम्पों की ओर" कार्यक्रम आप हाथ में लीजिए । जो हैंड पम्प दूर-दूर वस्ती में खराब पड़े हैं और जिनकी मैंने नामावली भी दी है उनको ठीक करायें तो निश्चित रूप से सेवा होगी राजस्थान की जनता की । हैंड पम्प तो लग गये लेकिन वह ठीक काम नहीं करते हैं, कहीं फेल्योर हैं, कहीं लगे हैं लेकिन पानी नीचे उतर गया है तो बेकार हो गये हैं । उन हैंड पम्पों को आप एक बार फिर से ठीक करके राजस्थान में रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन के लिए आवश्यक पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर सकेंगे, इसके साथ ही साथ जो योजनायें बहुत पहले बनी हुई हैं उन योजनाओं को पुनर्गठीत करें । कहीं टैंकरों की क्षमता कम है तो उसके बारे में आपका ध्यान जायेगा, ऐसा मैं मानता हूं ।

अब मैं दो तीन मुद्दे हमारे जो हैं उनके ऊपर निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, साहब ।

शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे राजस्थान का स्थान है वह 16वां स्थान है ! यह हमारे लिए अभिशाप की बात है । यह हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है । इसलिए जहां राजस्थान में 24.38 प्रतिशत साक्षरता है उस राजस्थान में शिक्षा के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है । पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने 1700 के करीब प्राइमरी स्कूल और 600 के करीब मिडल स्कूल खोले और इसके अलावा सब्जेक्ट्स भी दिये । इस विशाल राजस्थान, जहां जनसंख्या 3.50 करोड़ से अधिक पहुंच गयी, में यह भी देते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा है । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर देखता हूं तो यह मुझे बहुत ही कम महसूस होता है । इस वर्ष जहां आपने प्राथमिक विद्यालय एक हजार रखे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा हम सबसे पहले दें । इसलिए यह बहुत कम संख्या है और ज्यादा की हमें आवश्यकता है । तो 2 हजार प्राइमरी विद्यालय राजस्थान में हो, यह मेरा निवेदन है । कहीं खर्च आप कम कीजिए, कहीं कटौती कीजिए, और कुछ कीजिए, पर शिक्षा है, पानी है, बिजली है, जो हमारे गांवों की प्राथमिक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आवश्यकतायें हैं, उनकी तरफ ध्यान दें उदारतापूर्वक। यह आवश्यक है। मिडिल स्कूल जहां अपने 600 रखे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको एक हजार तक बढ़ाया जाये और हायर सैकण्डरी नाम का आपने एक भी नहीं रखा है। राजस्थान विशाल प्रदेश है जिसमें कई बड़े-बड़े गांव और तहसील हैड-क्वार्टर्स आज भी ऐसे हैं जहां हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, जहां कन्याओं के विद्यालय नहीं हैं, उस राजस्थान में आपने इस साल एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं रखा, यह दुर्भाग्य की बात है। इस साल 350 हायर सैकण्डरी स्कूल और 500 सैकण्डरी स्कूल रखने के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उर्दू शिक्षा के बारे में आपने अच्छा किया।

इसके साथ-साथ अध्यापकों की कमी का बहुत अहम् सवाल है। आपने मात्र 3 हजार अध्यापक रखे हैं। इससे क्या होने वाला है? इस साल आपने 1500 स्कूल खोले और अगली साल खोलेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले से ही बहुत अध्यापकों की कमी है। इस बारे में आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं राज्य सरकार को निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि इस साल भीलवाड़ा में कामर्स कालेज, पोलीटैक्निक स्कूल टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट की स्थापना करके भीलवाड़ा जिले की 15 लाख जनता की जो वर्षों की मांग थी उसको आपने पूरा किया है। मैं इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आप आई०टी०आई० भी बढ़ाइये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इसकी आवश्यकता महसूस करता हूं। आपने 44.99 करोड़ रुपये जो शिक्षा के लिए रखे हैं उसे 60 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की आज आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, आमदनी करने का आपका इरादा हो तो बहुत सारे आपकी जो लीकेजेज हैं उनको रोकने के सुझाव मैंने दिये हैं और अवसर आने पर और भी दूंगा, उनसे इसकी पूर्ति की जा सकती है।

आज एक-एक पंचायत में एक सब सेन्टर औषधालय ही नहीं है यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इस बार जैसे आपने 300 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल दिया वहां आप यह निर्णय भी कर लीजिए कि एक पंचायत में एक मिडिल स्कूल होगा और कम से कम एक चिकित्सालय की भी व्यवस्था होगी। योजनाबद्ध विकास का आपका एक तरीका शिक्षा में भी हो, चिकित्सा में भी हो तो अपने आप महसूस होगा कि लोगों का काम हो रहा है। बहुत सारी कई प्रकार की बातें करते हैं ....

एक माननीय : भेदभाव किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : भेदभाव कहां किया? इस साल जो जनसंख्या में आया सब को स्कूल दिये गये।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जनरल नर्सिंग के 30 से 50 तक इस बार सैन्टर कायम करने और 5 जिला स्तर से क्रमोन्नत करने और 150 केन्द्र को क्रमोन्नत करने उपकेन्द्रों को फर्स्ट ऐड पोस्ट कायम करने का कुछ प्रावधान किया है यह पर्याप्त नहीं है। इसमें 250 तो उपकेन्द्र रखे हैं जबकि राजस्थान में हजारों हैं उनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। 12 पी.

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एच. सी. रखे हैं सारे राजस्थान में। आपने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा जहां जनसंख्या होगी वहां हम दूसरा पी. एच. सी. देंगे, तो इस 12 पी एच. सी. को किस किस को देंगे ? कहां-कहां पहुंचायेंगे ? इसलिए 50 पी. एच. सी. प्रतिवर्ष होंगे तो राजस्थान की समस्या मिटेगी।

इसके अलावा ग्रामीण डिस्पेंसिरियों को क्रमोन्नत करने का काम 50 के आधार पर कहां हो सकता है ? इसे राजस्थान में कितने वर्षों तक पूरा करेंगे आप ? तो रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो अनिवार्य आवश्यकतायें हैं उनके लिये आपके बजट में केवल मामूली प्रावधान है। कृपा करके और कुछ खर्च कम कीजिये, आय बढ़ाइये और इन साधनों को आप पूरा कीजिए। इस पर ध्यान जाना चाहिए।

इस समय राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक औषधालय खोले। हर क्षेत्र में करीब करीब एक मिलेगा। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। इसी प्रकार औषधालय गये वर्ष में भी 200 रखे हैं, इसको भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा सकें तो बड़ी कृपा होगी। मेरे जहाजपुर क्षेत्र में जहां 50 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग रहते हों और जहां देश के विभिन्न मोर्चों पर 5 हजार से अधिक लोग सेना में काम करते हों और बर्फानी चट्टानों नेफा, और लद्दाख, जब चीन और पाकिस्तान की लड़ाई चलती है, में पहुंचते हैं और वहां बलिदान होते हैं, की की महिलाओं को आज चिकित्सा सुविधा सुलभ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी. ओ. हैडक्वार्टर के नाम पर वहां पर रिफलर हास्पिटल नहीं है, और वहां 4 लाख खर्च करके एक वार्ड बनाकर दिया है जो बेकार पड़ा है दो सालसे। मैं चाहूंगा कि वहां पर 50 बेड्स का एक रेफरल हास्पिटल कायम किया जाये। इसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेंसरीज की कुछ मांग है वह पूरी की जाये।

सड़कों के बारे में राज्य सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छी एक नीति निर्धारित की है कि हर पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ना है, एक हजार की जनसंख्या जिनकी 1971 में है उन गांवों को जोड़ना और 14 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके अलावा माडा और दूसरी योजनाओं का पैसा भी इसमें लगेगा। यह सारी बातें अच्छी होंगी। यह राजस्थान के लिए एक बहुत ही शुभ बात है।

बैंकों के जरिये भी उद्योगों के लिए और बेरोजगार युवकों को इस बार ऋण देने की प्रधान मंत्री ने एक शुभ योजना शुरू की। उससे राजस्थान में 14517 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : कर रहा हूं। दो चार मिनट और।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी :....मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि हाथ करघा निगम की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थापना का इस साल राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। घड़ी डायल का एक कारखाना, सीमेन्ट का कारखाना और कुछ वनस्पति मिल, कुछ टैक्सटाइल की मिल को आपरेटिव सैक्टर में बनाने का सब कुछ किया लेकिन मेरे क्षेत्र में जहां सारा पहाड़ी इलाका है, उद्योग और खनिज की गुंजाइश है, वहाँ सीमेन्ट फैक्ट्री अथवा आइल मिल भी को आपरेटिव सैक्टर में लगाने की बात के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

राजस्थान की कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थ व्यवस्था है। उस दृष्टि से पशुपालन की बड़ी मांग रहती है। इसके साथ ही ग्राम आधार योजना और चिकित्सालयों में भी वृद्धि की जाये। जनजाति योजनाओं की दृष्टि से भी माडा क्षेत्र में नाम मात्र काम होता है। वहां एनीक्ट्स और बड़ी बड़ी योजनायें हाथ में ली जायें।

अब मैं यातायात....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। सभी विषय पर बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था है वह शनैः शनैः कम होती जा रही है। मेरी सूचना के अनुसार नागौर जिले में सारी बसें को बन्द हो गयीं। वहां लोग बस चलाने की स्थिति में नहीं रहे। इसीलिये राजस्थान के कई जिलों में बसें बन्द होती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हैं। उधर बसों को ओवर लोड चला रहे हैं। इस बारे में आपको आज पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। राजस्थान में पिछले वर्ष जो टैक्स लगाया गया हैं उस टैक्स से यह व्यवसाय चरमरा गया है। इस दृष्टि से राजस्थान की जनता के हित के लिये आज पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जितनी बसें चलती है, कुछ ठीक कन्डीशन में नहीं होती हैं पर सब पर टैक्स है। टैक्स की छूट नहीं होने से मोटर व्यवसाय समाप्त हो गया है। इसलिए राजस्थान की जनता के व्यापक हित के लिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। समाज कल्याण की हरिजन बस्तियों में विद्युत के लिए जो पैसा रखा है उस कार्यक्रम को ज्यादा आगे बढ़ाया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ जो वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बजट रखा है मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गोपल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, 15 मार्च को जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया....

श्री कुंजीलाल मीणा (बामनवास) : कांग्रेस (आई) बहुत बड़ी पार्टी है। उधर मौका दिया जा रहा है, हम इन्तजार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह यह छोटा दल है तो उनका टाइम भी कम भी कम है। टाइम से ज्यादा नहीं बोलेंगे। उसके बाद आपको बोलना है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 15 मार्च को जो बजट पेश किया, बजट पेश करने के बाद जयपुर से निकलने वाले पत्रों के पत्रकार साथियों ने हम लोगों, विपक्ष के लोगों, सत्ता पक्ष के लोगों से राय जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझ से भी राय जानने की कोशिश की। हमने एक बात कही; यह बजट छल और फरेब का बजट है, जनता इस बजट के भार को नहीं ढोयेगी। माननीय वित्त मंत्री जी को बड़ा आश्चर्य होगा, इसमें कोई टैक्स नहीं है, फिर जनता भार को कैसे ढोयेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जनता इस बजट के भार को कैसे ढोयेगी। माननीय सभापति महोदय, पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने सहकारिता के बारे जो बातें कहीं हैं, सहकारिता के सम्बन्ध कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "सहकारिता के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 6 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। सहकारी वर्ष 1984-85 में 150 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋणों, 14 करोड़ रु. के मध्यकालीन ऋणों तथा 27 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों के वितरण का लक्ष्य है। वर्ष 1984-85 को अन्त तक 65 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।" यह माननीय वित्त मंत्री जी ने फर्माया है। दूसरा निवेदन है यह जो समीक्षा है इसमें से एक लाइन पढ़ना चाहता हूं "ग्रामजनों के आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में सहकारिता का विशेष योगदान रहा है।" यह आर्थिक समीक्षा और माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है। माननीय वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट जो अखबार में छपा है वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सहकारिता वसूलियां चल रही हैं सहकारिता की वसूलियों के लिये उन छोटे किसानों के साथ, उन गरीब किसानों के साथ यह कैसा व्यवहार करते हैं वह मैं बातना चाहता हूं। सदन में अनुसूचित जाति और हरिजनों के विकास की यह सरकार बड़ी दुहाई देती है। बीस सूत्री कार्यक्रम, पिछड़े लोगों को आगे लाने और बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में आये दिन कांग्रेस के नेता और इन्दिरा गांधी अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टी.वी. के माध्यम से सारे सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके रोज कहा करते हैं, हम इस वर्ग को आगे लाना चाहते हैं; लेकिन को आपरेटिव की वसूली में जो गरीब लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसके बारे में मंत्री जी का अखबार में प्रकाशित वक्तव्य आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। "जिलाधीश को ऋण उचित तरीके से वसूल करने के आदेश।" कितना धोखा है जनता के साथ! माननीय वित्त मंत्री जी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

का बयान है, "जिलाधीश को ऋण उचित तरीके से वसूल करने का आदेश । बूंदी-4 फरवरी, वित्त मंत्री बृज सुन्दर शर्मा ने जिलाधीश को ऋण की वसूली उचित तरीके से करवाने के निर्देश दिये हैं । वहाँ गाँव वालों को भ्रष्ट अधिकारियों को गाव में नहीं आने देने की सलाह दी है" दोनों बातें कैसे, सभापति महोदय ? आगे आपने फर्माया, "शर्मा ने बूंदी जिले के बावड़ी गांव के अनुसूचित जाति के तीन जनों को मुर्गा बनाये जाने की कड़ी शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि मेरे वित्त मंत्री होते हुए, मेरे गृह जिला में लोगों को मुर्गा बनाया जाने की घटना प्रशासन के लिये शर्मनाक बात है ।" प्रशासन के लिये, शासन के लिये नहीं । राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री के लिये शर्म की बात नहीं । यह नहीं कहा कि राजस्थान सरकार के लिये शर्म की बात है कि बूंदी जिले के, राजस्थान के वित्त मंत्री बृज सुन्दर शर्मा के गृह जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को मुर्गा बनाया जा रहा है । यह बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री अफसोस जाहिर कर रहे हैं । एक तरफ जिलाधीश को निर्देश देते हैं, इस तरह से वसूलियाँ की जायें और दूसरी तरफ आप निंदा भी कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं यह दोहरी नीति क्यों ? आप वित्त मंत्री थे आपने यह क्यों नहीं कहा कि मैं राजस्थान के वित्त मन्त्री की हैसियत से निर्देश देता हूं कि इस तरह से गरीब लोगों के साथा, पिछड़े लोगों के साथ छोटे लोगों के साथ ऋण वसूली में ज्यादती न की जाये । यह कहने में आपको दिक्कत क्या थी ? आप वित्त मन्त्री थे आप आदेश दे देते, राज्य सरकार आदेश दे देती कि इस तरह से ज्यादतियाँ न की जायें । लेकिन जिला प्रशासन के सामने आप बोल नहीं सकते । केवल अखबारों में इन लोगों के साथ हमदर्दी दिखाकर आप बूंदी जिले के लोगों, राजस्थान के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं । यह दोहरी नीति क्यों चला रहे हैं ? माननीय वित्त मन्त्री जी का जो बयान है, आप उस पर गम्भीरता से विचार करें । कौन-सा बयान सही है ? जिलाधीश को मौखिक आदेश या मुर्गा बनाये जा रहे हैं । यह इनके गृह जिले की बूंदी जिले की उपलब्धि है । हमारे बूंदी जिले के किसानों के साथ छोटे लोगों के साथ, बैरवा जाति के साथ, गरीब किसानों के साथ, हरिजनों के साथ, सभापति महोदय, ज्यादती हुई है । इसमें उल्लेख है, बावड़ी गांव के छोटू लाल बैरवा, जगन्नाथ मीणा, धनलाल मीणा को ऋण वसूली निरीक्षक महावीर सिंह ने सरे आम पीटकर तीन घण्टे मुर्गा बनाया । यह इनकी नीति है। मन्त्री जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ? सभापति महोदय। मैं कहता हूं तो कहा जाता है विरोधी दल के आदमी हैं, गलत बयान करते हैं । लेकिन हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्री श्री बृज सुन्दर शर्मा, विधायक बूंदी कह रहे हैं, किसानों के साथ यह ज्यादती की जा रही है । यह कहा है लेकिन महावीरसिंह निरीक्षक के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है ? उसके बाद एक दूसरा बयान मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसमें किसानों को उत्तेजित किया गया । वह बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूं । "भ्रष्ट अधिकारियों को सड़कों पर ही निपटें ।" वित्त मन्त्री तो निपट नहीं सकके । आप छोड़ दीजिये, जनता आपसे भी निपट

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लेगी और भ्रष्ट अधिकारियों को निपट लेगी। आप सरकार में क्यों बैठे हैं? आप सरकारी अधिकारियों को ठीक नहीं कर सकते, सरकार आप चला नहीं सकते तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? आप क्या हो? जनता आपको क्यों नमस्ते करे? आप क्यों इस गद्दी को पकड़ कर बैठे हैं? इस सदन में क्यों इस तरह का बजट पेश कर रहे हैं? फरेब का बजट पेश करके क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: जनता इनको वोट देती है, इसलिये बैठे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल: मैं जानता हूं, पन्डित जी को वोट कैसे मिलते हैं बूंदी जिले में।

(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं डालें। आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल पचेरवाल: माननीय सभापति महोदय, जो दूसरे बयान के बारे में मैं निवेदन कर रहा था वह यह है, वित्त मन्त्री बृज सुन्दर शर्मा ने फरमाया है, बूंदी जिले के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से कहा है कि भ्रष्ट तथा जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों से सड़क पर निपटें। उन्होंने ग्रामजनों को कहा है, ऐसे अधिकारियों को गांवों में नहीं घुसने दें। "बृज सुन्दर शर्मा सोमवार को नागरिकों और पत्रकारों से सर्किट हाउस में बात चीत कर रहे थे। शर्मा ने कहा, बावड़ी गांव के तीन चार जनों को मुर्गा बनाना और निरीक्षक महावीरसिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होना जिला प्रशासन के लिये शर्म की बात है।" वित्त मन्त्री ने कहा है। उन्होंने शिकायत की, चम्बल की नहरों से पानी नहीं पहुंच रहा है। जनता की फसलें सूख रही हैं। "उन्होंने चम्बल विकास विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने किसानों को पानी नहीं पहुंचाया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।" सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आज स्थगन प्रस्ताव के दौरान भी यह कहा था, आज भी बूंदी जिले के किसानों, आज भी बसवाड़ा, जो कि मेरे क्षेत्र का गांव है, के किसानों को पानी नहीं पहुंचा। मैं आपका बयान आपको याद दिलाना चाहूंगा यदि आपको याद नहीं है। आपने कहा था, सिंचाई विभाग के लोग यदि किसानों को पानी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं कहता हूं आपका चहेता शर्मा एक्स. ईएन. के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आपके पाटन क्षेत्र में बसवाड़ा है, लवान है, बावड़ी है, इन गांवों में आज भी पानी नहीं पहुंचा। किसी के खिलाफ कोई एक्शन आप ले नहीं सकते, कलेक्टर को आप रोक नहीं सकते, फिर अखबारों में क्यों मखौल उड़ाते हैं? आपकी बात चलती नहीं है, अधिकारियों पर आपका रोब-दाब नहीं है, अधिकारी आपको कोई महत्व नहीं देते, तो फिर क्यों बयानबाजी करते हो? जो आपने कहा, मैंने आपके क्षेत्र के नाम बताये हैं और आपके क्षेत्र की हालत बताई है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा, महावीरसिंह, जो ऋण

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वसूली अधिकारी है, निरीक्षक है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। लेकिन सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी के बयान केवल अखबार तक ही सीमित रह गये। अधिकारियों ने मन्त्रीजी के बयानों की परवाह तक नहीं की। इतनी बात तो हम भी कह देते तो कलेक्टर दस बार नाचता और काम करता। लेकिन क्या है, वित्त मन्त्रीजी चले जायेंगे और आ जायेंगे, क्या फर्क पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, इनके बयानों से क्या फर्क पड़ा, जनता में क्या असर पड़ा? जब जब लोगों ने कहा हमारे वित्त मन्त्री जी कहते हैं उन अधिकारियों से निपटो, तो उन लोगों ने अधिकारियों से निपटना शुरू कर दिया, मार पीट हुई, पुलिस में केस दर्ज हुए किन्तु सरकार द्वारा अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऋण वसूली अधिकारियों के साथ, कोआपरेटिव बैंक केअधिकारियों के साथ मार पिटाई की और जब जनता थाने में गई मन्त्री जी की रिपोर्ट पर, इस आधार पर कि राजस्थान सरकार बोल रही है, राजस्थान का वित्त मन्त्री बोल रहा है, बूंदी का विधायक श्री बृज सुन्दर शर्मा बोल रहा है कि किसान सजग होकर अधिकारियों से निपटें तो वे भूल गये। हम तो इनको 30 साल से जानते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। इसका नतीजा क्या हुआ, सभापति महोदय, उनको पुलिस की गिरफ्त में जाना पड़ा और उनके खिलाफ केस बन गये, मुकदमे बनाये जा रहे हैं। आज बूंदी जिले के किसानों के साथ ऐसी ज्यादतियां हो रही हैं, इनके होते हुए भी जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हो रही है। आज जो आपका कोआपरेटिव का तरीका है, वह बिल्कुल गलत है। मेरे पास सब नकलें हैं। आज जो कहा जा रहा है कि हम किसानों के लिये यह कर रहे हैं और वह कर रहे हैं, यहां ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, हम इतने मध्यकालीन ऋण और इतने अल्प कालीन ऋण दे रहे हैं, इसके विपरीत किसानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं हरिजन, मेघवाल, बैरवा, मीणा आदि के सामान कुर्क किये जा रहे हैं, नीलाम किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, क्या नीलाम किया गया? चारपाई, उनके खाना बनाने के बर्तन, भगोने, चम्मच, सब्जी बनाने के बर्तन नीलाम किये जा रहे हैं पाटन के बाजार में। ये वे लोग हैं जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन मिली है। अब वह जमीन भी कितनी मिली है, किसी को दो बीघा, किसी को 5 बीघा जमीन। यह आपका 20 सूत्री कार्यक्रम है, यह आपका प्रगतिशील कार्यक्रम है? चारपाई नीलाम, उनके सब्जी बनाने के भगोने नीलाम, उनकी चम्मच नीलाम, लोटा, छुरा नीलाम हो रहा है। जो प्रभावी लोग हैं, उनके नहीं उन छोटे गरीब हरिजनों जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके उत्थान की बातें करते हैं, का सामान बाजार में बेच दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं हिन्डौली से आने वाले माननीय सदस्य और नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य वहां मौजूद थे और

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वित्त मन्त्री जी वहां मौजूद थे, जब जिला प्रशासन की 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग हो रही थी तब मैंने जिक्र किया था मीटिंग में कि एक तरफ आप जमीन दे रहे हैं, उनको खेती के लिए लोन दे रहे हैं, सहकारिता से लोन दिलवा रहे हैं। तबी भी जिलाधीश महोदय ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है, युवा है, राजनैतिक ताकत है। यह सही है कि हमारे वित्त मन्त्री जी के वे बड़े अजीज है, भावना और जवानी के जोश में कह गये डण्डे के जोर से निपटूंगा। मैंने कहा भी था, बोल कहां रहे हो। हम लोग भी वहां बैठे थे, वित्त मन्त्री जी बैठे थे और कहते हैं डण्डे से निपटूंगा । तो, सभापति महोदय, हुआ क्या ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह गलत है।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह गलत नहीं है, यहसही है। मैंने कहा, बूंदी में निपटिये, हिन्डौली में निपटिये। मीटिंग में कहा है और आपके सामने कहा है, आप लोग नहीं बोले और जिलाधीश के सामने बड़ी जिद्दो-जहद हुई। ये गलत बोल रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपके सही कहने से कैसे होगा....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : इनके गलत कहने से क्या होगा ? मैं सही कह रहा हूं। पंडित जी के बयान बता रहा हूं। ये बयान इनके हैं, मेरे नहीं हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : आप कलेक्टर वाली बात कर रहे हैं या बयान वाली बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : आपकी मौजूदगी में कहा है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : नहीं कहा।

श्री गोपाल पचेरवाल : ठीक है, मत मानिये। मैंने एक उदाहरण पेश किया, एक व्यक्ति केशोरयापाटन का रहने वाला है, उसकी पत्नी के नाम से ऋण है, सभापति महोदय, उसका पति गांव चला गया उसके पीछे से सहकारिता वाले गये। उसकी औरत को धक्का देकर निकाल दिया।

श्री सभापति : कृपया पांच मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति : आपकी पार्टी के 20 मिनट हैं, 20 मिनट पूरे ले लिये हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : 45 मिनट हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था उसके मकान को सीज कर दिया, उसकी औरत को और

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। आज दिन तक उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सके। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वित्त मन्त्री जी, क्यों ऐसा नाटक कर रहे हैं ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उद्योगों के मामले में, उद्योगों के बारे में यहाँ बजट में जिक्र हुआ है। हमारे वित्त मन्त्री जी ने उद्योगों का जिक्र किया है। मैं केवल एक लाइन माननीय वित्त मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। आपने कहा, "औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ है।" दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा उद्योग का, वित्त निगम का जिसमें है, कहा है "आलोच्य वर्ष में माह सितम्बर, 1983 तक क्रमश: 6118 बिजली व 3665 लघु उद्योगों का पंजीकरण किया। राज्य में कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या 97984 तक बढ़ गई है। गत वर्ष की तुलना में 18.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है"

सभापति महोदय, मैं वित्त निगम की बात कहना चाहता हूं, वित्त निगम के बारे में कहा है। सभापति महोदय, राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से मध्यम एवं दीर्घ कालीन ऋण, जो यातायात, होटल उद्योग में लगे उपक्रमियों को प्रदान किये जाते हैं, "आलोच्य वर्ष में निगम द्वारा 55 करोड़ का लक्ष्य है और 44 करोड़ का ऋण वितरित किया जाना सम्भावित है।" दूसरा कहा, अनुसूचित जातियों के बारे में, "अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 24 औद्योगिक भू-खण्ड रियायती दरों पर आवंटित किये गये हैं, 500 एकड़ भूमि अवाप्त कर 1066 औद्योगिक भू-खण्ड आवंटित किये जिसमें केवल 24 अनुसूचित जाति के लोगों को दिये गये हैं।" 1066 में से केवल 24 को दिये गये हैं। यह है इनकी प्रगति ? अब जो उद्योग के मामले में उत्पादन की बात कही, मैं वित्त निगम की बात कहना चाहता हूं, वित्त निगम के बारे में आपकी जानकारी चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण वितरण वर्ष 1982–83 में 56 करोड़ और वर्ष 1983–84 में 45 करोड़। सभापति महोदय, आप इनको देखिये 1982–83 में इनके 56 करोड़ और 1983-84 में आके 45 करोड़ रह गये, 11 करोड़ कम हो गये। आप बढ़े नहीं, कम हो गये। 56 करोड़ के बजाय 70 करोड़ करते तब तो कोई बात समझ में आती, लेकिन आप तो 56 से नीचे उतर 45 पर ही आ गये। तो फिर उपलब्धि क्या है आपकी ? कम होने में आप अपनी उपलब्धि समझते हैं क्या ?

इसी तरह ऋण वितरण किया वर्ष 1982-83 में 28 करोड़ और वर्ष 1983-84 में 27 करोड़। फिर आपकी उपलब्धि क्या रही ? वित्त निगम में पैसा है लेकिन वितरण हुआ नहीं, फिर उपलब्धियां की चर्चा करना ही आपका बेकार है। इधर उद्योग लगेंगे नहीं तो आपकी उपलब्धि क्या होगी, आपका उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? ऋण में हमारी उपलब्धि जा रही है, उत्पादन में हमारी उपलब्धि जा रही है तो फिर उपलब्धि क्या रही ? वर्ष 1983-84 में लाखों की तादाद में जो नौजवान उद्योग

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लगाना चाहते थे, लाखों की तादाद में इन्होंने उनके आवेदन-पत्र खारिज कर दिये । जो लाखों की तादाद में आवेदन-पत्र पैन्डिंग थे, वित्त मन्त्री जी ने उन सबको खारिज दिया । किसी में टैक्निकल मिस्टेक वता दी, किसी में कोई पूर्ति नहीं है, किसी में फोटो नहीं है, किसी में क्या नहीं है, इस तरह की कमियों को वता कर आवेदन पत्र खारिज कर दिये । लाखों की तादाद में खारिज कर दिये । फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उद्योगों में आपने क्या प्रगति की है ? उद्योग लग नहीं रहे, उधर उद्योगों को बिजली मिल नहीं रही है तो फिर उद्योगों के मामले में प्रगति कैसे होगी ? क्या इसमें भी आप कोई चमत्कार या जादू का डण्डा घुमा रहे हैं जिससे प्रगति अपने आप हो जायगी ? यह कोई इन्दिरा गान्धी का डण्डा है क्या ? सभापति महोदय, 1984 में हमारी राजस्थान सरकार ने 600 यूनिट को बिजली कम दी है, उसके अभाव में कई उद्योग बन्द पड़े हैं । 600 यूनिट वित्त निगम अपने कब्जे में ले रही है । कब्जे में

(4.00 म. प.)

लेकर उनकी नीलामी की, किन्तु वह बिक नहीं रही हैं । क्यों नहीं बिक रहीहैं ? क्योंकि उसमें कई नेताओं के रिश्तेदारों के नाम हैं, कई वित्त निगम के बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों की फैक्ट्रियां हैं । वह वित्त निगम ने अपने कब्जे में लीं, वह इसलिए नहीं बिक रहीं क्योंकि नेताओं के रिश्तेदारों का सवाल है, क्योंकि वित्त निगम के अधिकारियों के रिश्तेदारों का सवाल है । जब आप फैक्ट्रियां जब्त कर रहे हो, आप लोन नहीं दे रहे हो, आपके लोन मंजूर नहीं हो रहे हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका क्या होगा । सभापति महोदय, 600 करोड़ रुपया कुल फैक्ट्रियों में उधार है जो वसूल नहीं हो रहा । अभी इन्होंने वसूली के लिए एक कैम्प लगाया था रिकवरी कैम्प । जैसे कोआपरेटिव विभाग ने अभियान चलाया, उसी प्रकार वित्त निगम ने भी वसूली का एक कैम्प चलाया । मैं जानना चाहूंगा, आप बताइये कि आर०पी०सी०, वित्त निगम का जो कैम्प चला था इस अभियान में कितना पैसा वसूल किया गया । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आप नये उद्योगों को बिजली नहीं दे पा रहे तो आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, आपका उत्पादन कैसे बढ़ रहा है और आपने क्या प्रगति की ? इनकी प्रगति यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जो 1000 भूखण्ड आवंटित किये थे उनमें से 24 को दिये । उसमें आपने क्या प्रगति की ?

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में ग्रामीण विकास की बात को बढ़ा चढ़ा कर रखा गया है । मैं वित्त मन्त्री जी को ग्रामीण विकास की ओर ले जाना चाहूंगा ।

आप बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

ग्रामीण विकास का जो आपने जिक्र किया उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी बात कहता हूं । सभापति महोदय, पांच पंच

(१२२)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार द्वारा 1160 अरब रुपये खर्च किये गये। इन योजनाओं की मन्शा यह रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार आती है, उनकी योजनाओं की मन्शा केवल यह रहती है कि ग्रामीण विकास हो, पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो। क्योंकि देश की आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है, इसलिए हर सरकार की मन्शा यह रहती है कि गांवों का विकास हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में कुल 5 लाख 76 हजार गांव है। यदि पंचवर्षीय योजनाओं का आधा हिस्सा भी गांवों के विकास में लगाया जाता, ग्रामीण विकास में लगाया जाता तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मदेरणा साहब जो बैठे हैं वह बहुत ही सजग हैं, प्रति गांव 1560444 रुपया आता है। पंचवर्षीय योजनाओं का आधा हिस्सा भी गांवों में लगाया जाता तो एक गांव के हिस्से में 1560444 रुपया आता। यह आप तय कर लीजिए कि उन गांवों की क्या हालत होती। आज उन गांवों में अन्धकार नहीं होता, उन गांवों में भुखमरी नहीं होती, उन गांवों में पानी का अभाव नहीं होता, उन गांवों में बिजली का अभाव नहीं होता, आज औषधालय का अभाव नहीं होता। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा सेठों की जेब में और शासन चलाने वाले बड़े लोगों की जेबों में चला गया और गांवों के विकास में उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। तो फिर किस तरह से विकास करना चाहते हैं ? यह हमारे देश की हालत है। हमारे बजट और हमारी योजनाओं की यह हालत है। यह योजनाएं और यह बजट केवल बड़े लोगों को लाभ देने के लिए हैं, देश के पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए यह सारा नाटक किया जाता है। आज हमारे विकास के रास्ते बन्द हैं। पिछड़े लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, उनके सारे द्वार बन्द पड़े हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने बजट पेश किया है, यह उसकी हालत है। सभापति महोदय, बहुत जल्दी मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

एक बेरोजगारी की बात मैं कहना चाहूंगा। हमारे इस बजट में स्व-रोजगार योजना का जिक्र किया गया। माननीय वित्त मन्त्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बूंदी जिले में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो लोन मंजूर हुए हैं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम, युवा कांग्रेस के नगराध्यक्ष के नाम, शुगर फैक्ट्री में जो नौकरी कर रहे हैं उनके नाम हुए हैं। स्वरोजगार योजना का लाभ उस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है जिसको रोजगार की जरूरत है, स्वरोजगार योजना के नाम पर उस आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है जिसको एक टाइम की रोटी नसीब नहीं है, जो कालेज की डिग्री लेकर सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसका लाभ उसको मिल रहा है जो शुगर मिल में बाबू है, जो शुगर मिल में इन्सपेक्टर है। यहीं तक नहीं, आपके क्षेत्र में....

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य, शुगर मिल की तो बात

(श्री परसराम मदेरणा)

और है लेकिन युवा कांग्रेस का आदमी अगर एजूकेटेड है और अनएम्पलायड है, तो क्या वह ब्लैक लिस्टेड है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं, मैं वही निवेदन करता हूं। मैं चाहता था पण्डितजी यह बात पूछें। आपको पता रहेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल, (वारां) : पचेरवाल साहब, कोटा के सारे बैंक मैनेजर्स ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर कहा कि 80 पर्सेन्ट लोन गलत लोगों को मिला है। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो नगरपालिका में नौकरी कर रहे हैं, और जो सेठों के लड़के हैं उनको मिला है। यह सारे बैंक मैनेजर्स ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर उसमें कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : बारां से आने वाले माननीय सदस्य, अगर आप सुनना सच्चाई चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि यह बैंक के मैनेजर्स वगैरह नीति के अन्दर सबसे बड़े रोड़े हैं और वह बहुत ही रीएक्शनरी लोग हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने जो बात कही, वह सही है। कांग्रेस का हो या किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर वह बेरोजगार है, तो निश्चित रूप से उसको रोजगार मिलना चाहिए, यह बात सही है लेकिन राजनीतिक आधार पर किसी के कार्यकर्ता या जरूरतमंद आदमी का नाम काटकर और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो को-आपरेटिव शुगर मिल सहकारी संस्थान में रोजगार में है....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मुझे तो अब तक यह भी पता नहीं कि किसको मिला है, किसको नहीं मिला है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पण्डित जी, आपके और मेरे सामने मीटिंग में सारी चर्चा हुई है। बुजुर्ग लोग हो आप, इस तरह की बात करते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपके सामने मीटिंग में बात हुई है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरे सामने नहीं हुई।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपकी उम्र के हिसाब से भूल जाते हो तो कोई बात नहीं।

श्री सभापति : व्यक्तिगत बात नहीं करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो याद दिला रहा था।

माननीय सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन लोगों को लोन मिला है जो कांग्रेस के नगराध्यक्ष हैं, और शुगर मिल में बाबू हैं, इनके निर्वाचन क्षेत्र के एक आदमी रामभरोसी, आप नाम नोट कर लीजिए, लिखवा लीजिए, थर्ड ग्रेड का टीचर फालना पंचायत समिति में है, आप लिख लीजिए। उसको लोन मिला है, उसको सैंक्शन हुआ है। यह ठीक है कि हमको

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पता चला तो हमने कलेक्टर से कहा कि यह क्या हो रहा है, और उसको लोन मिलना रुक गया। नाम आप मंगवा लीजिए और आप मंगवाइये केशोरायपाटन की लिस्ट और देखिये केशोरायपाटन में कितने लोगों को लोन मिला है, फिर उस लिस्ट को उठा कर देखिये और मुझे बुलाइये, मैं आपको बताऊंगा कि कौन आदमी इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कौन नौकरी कर रहा है और उसको लोन मिला है। तो, सभापति महोदय, बेरोजगारी की जो हालत है, इसमें 15000 लोगों को ग्रामोद्योग आदि के आधार पर रोजगार देने की बात कही है, इसमें जिक्र है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। पण्डित जी को याद हो न हो लेकिन मदेरणा साहब को बहुत अच्छी तरह याद होगा, मैं 31 दिसम्बर, 80 के बेरोजगारी के आंकड़ों का जिक्र करना चाहूंगा जो रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज थे, वह 316710 थे और इनमें से अनुसूचित जाति के 43468 नाम थे, अनुसूचित जनजाति के 18696 लोग थे, अशिक्षित 46122 थे, साक्षर 68189 थे, आठवीं पास 77180 थे, सैकण्डरी पास 56868 थे, हायर सैकण्डरी पास 59352 थे, बी. ए. पास 39174 थे और एम. ए. पास 4825 थे; यह आपके आंकड़े हैं जो दिसम्बर, 1980 तक राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज थे। तीन साल में जो हमारी सरकार ने प्रगति की, वह बताऊंगा। राजस्थान सरकार ने जो बेरोजगारी मिटाने में प्रगति की है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जो बेरोजगारों के दिसम्बर, 1983 में नाम दर्ज किये थे नियोजन कार्यालय में, मेरे आंकड़े नहीं हैं, आपके आकड़े हैं, वह हैं 463341 तीन साल में आपके 20-सूत्रीय कार्यक्रम, स्व-रोजगार योजना और, अन्य कोई इन्दिरा गांधी योजना की यह उपलब्धि है कि बेरोजगार 316710 से दिसम्बर, 1983 में 463341 पर पहुंच गये। यह आपकी प्रगति है वित्त मंत्री जी। जो आपकी बेरोजगारी को समाप्त करने की योजना है, उसमें आपने हर वर्ष 33877 बेरोजगारों की कतार बढ़ाई है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों की संख्या में बताना चाहूंगा। आपके 4 लाख बेरोजगार में से 249315 शिक्षित हैं और 263026 अशिक्षित बेरोजगार हैं।

श्री सभापति : कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं तो अच्छी बात कर रहा हूं। नौजवानों की, गरीबों की बात कर रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह तो रिजर्वेशन से हैं, चलने दो।

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्यों को बोलना है, वह भी अच्छी बात कहेंगे। जो बाद में बोलेंगे वह भी अच्छी ही कहेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं उस पीड़ा को समझता हूं। आप भी सारा समझते हैं, फिर आपकी कृपा होनी चाहिए।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी जो योजना है, उस योजना की जो प्रगति है, इसमें, तो कहते हैं कि देश की गरीबी को मिटायेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भई, इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन आपकी जो योजना है, आपका जो प्लानिंग है बेरोजगारी मिटाने का, वह अच्छा नहीं है। आप शिक्षा को रोजगार से जोड़ नहीं रहे हो, आपका जो लोन देने का तरीका है उसमें राजनीतिक आधार पर फैसला करते हो। तो, माननीय सभापति महोदय, आपका जो प्लानिंग है, सरकार को इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविक लोगों को रोजगार देने का तरीका है इसके ऊपर आप हमसे, सारे लोगों से बैठकर सलाह लीजिए कि देश की बेरोजगारी कैसे खतम हो सकती है। यह नहीं है कि आपने अखबारों में बजट का जिक्र कर दिया और जादू का डण्डा घुमा दिया....

(व्यवधान)

यह आपके समझ की बात नहीं है, बजारीजी, यह तो बुद्धि की बात है। इसमें आप कहां बोल रहे हैं? इसमें आप कहां बोल रहे हो?

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर): बुद्धि तुमसे ज्यादा है।

श्री गोपाल पचेरवाल: मुझसे ज्यादा होती तो बोलते ही नहीं। मैं बेरोजगारों की समस्या बता रहा हूं आपने कहा कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, सरकार प्रगति कर रही है। इस प्रगति की क्या हालत है यह मैं बताना चाहता हूं। यह नवयुवकों के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय।

एक जिक्र और करना चाहता हूं।

(4-11 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय वित्त मंत्रीजी, अपने जिले का सवाल है, बूंदी जिले का सवाल है। आपने बड़े आंकड़े दिए हैं और आप उत्तर भी देंगे उसमें कहेंगे कि हमने पिछड़ों को बढ़ाया है। मेरे पास एक आवेदन पत्र है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ही है। इस आवेदन पत्र को पढ़ने से पता हो जायगा कि इसका लोन मंजूर किया बड़ोदा बैंक ने। इसका नाम शम्भूलाल बैरवा है और इसका लोन मंजूर हो गया। फार्म बैंक में भेज दिया। बैंक को भेजने के बाद, जब वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जनता पार्टी का, जिसमें मैं गया, तो वह मेरे से मिलने आ गया। कैसे आ गया? शिड्यूल्ड कास्ट का होने के नाते। इससे पहले उसने कई चक्कर काटे थे, जब लोन नहीं मिला तो उसने मुझे कहा कि लोन नहीं मिल रहा है, मुझे 25 हजार रुपया सैंक्शन हो चुका है दुकान

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लगाने के लिए, मैंने इस बात का किसी से जिक्र किया तो लोगों ने जाकर कह दिया कि यह पचेरवाल से मिला था और उनसे कह रहा था कि बैंक मुझ को लोन नहीं दे रही है। उसके आधार पर, माननीय वित्त मंत्रीजी, उसका लोन रोक दिया गया है। क्योंकि वह गोपाल पचेरवाल से मिल लिया, इसलिए लोन नहीं दिया जायगा। यह उसका आवेदन पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी यह 25 हजार की स्व-रोजगार योजना है। मैंने आंकड़ों से आपके सामने पेश किया है कि आपकी स्व-रोजगार योजना की क्या उपलब्धियां हैं। आपके बजट में जो आप बेरोजगारी समाप्त करने की बात कह रहे हैं, उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब अन्त में इस बजट के बारे में निवेदन करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना करना चाहूंगा, आपका जो बजट है उसके अन्त में आपने लिखा है, "इस घाटे का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा की जाने वाले ब्याज की अदायगियों में वृद्धि तथा राज्य कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते का प्रावधान है।"

दूसरी लाइन में आपने लिखा है, "राजस्व एवं पूंजी खाते के घाटे को जोड़ने पर इस वर्ष के अन्त में 16545 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।"

अन्त में आपने आगे लिखा है, "इसको पूरा करने के लिए वर्ष 1983-84 का घाटा 31 करोड़ रुपये का अनुमानित है। इस वर्ष के 26.07 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक घाटे को जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1983-84 के अन्त में 57.07 करोड़ रुपये का समग्र घाटा अनुमानित है। इस घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार 47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायेगी। इस प्रकार इस वर्ष 1983-84 के अन्त में 10.07 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा रहने का अनुमान है।"

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आगे लिखा है, "वर्ष 1983-84 के 10.07 करोड़ रुपये के घाटे को वर्ष 1984-85 के 165.45 करोड़ रुपये के घाटे में जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1984-85 के अन्त में समग्र घाटा 175.52 करोड़ रुपये अनुमानित है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि आपने यह बजट घाटे का बजट पेश किया है और जो आपका मूल कर्जा है उसका ब्याज आप चुकाना चाहते हैं। आप घाटे का बजट पेश कर रहे हैं और इस प्रदेश के विकास की बात भी आप कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे पर कुल कर्जा 19087 33 करोड़ बताया है माननीय वित्त मंत्रीजी ने, जिसमें शामिल है केन्द्रीय सरकार का कर्जा जो कि 1638.97 करोड़ रुपया है, बाजार का कर्जा, जो 297.10

(श्री गोपाल पचेरवाल)

करोड़ रुपया है, स्वायत्त शासी संस्थाओं का कर्जा, जो 92.83 करोड़ रुपया है और अन्य है 33 करोड़ रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1983–84 के 31 मार्च, 1984 तक राज्य के खाते में चालू बकाया के आधार पर 17.25 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट और 24 करोड़ का अतिरिक्त कर्जा हमारे पर है। अब इतना कर्जा हम पर है, अध्यक्ष महोदय, उस कर्जे के पेटे 26.91 लाख रुपया हम प्रतिदिन का ब्याज देंगे। आप अन्दाज लगायें, पूरे एक वर्ष का ब्याज हमारे पर कितना हो जाता है, अध्यक्ष महोदय। वर्ष 1983–84 में कुल ब्याज चुकाना पड़ेगा हमको 98.23 करोड़ रुपया। यह हमको एक साल में ब्याज चुकाना पड़ेगा। आपने कहा कि हम घाटे की पूर्ति करेंगे केन्द्रीय सरकार की सहायता से। तो हम ब्याज का रुपया देंगे 98.23 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। हमारे पर जितना कर्जा है और केन्द्रीय सरकार से जो राहत हमको मिलने वाली है, सरकार से जो मदद मिलने वाली है, उस मदद के आधार पर हम विकास करना चाहते हैं। आपको जो सहायता मिलने वाली है, आपको जो अनुदान मिलने वाला है उससे ज्यादा राशि का, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। फिर इस प्रदेश को आप कहां ले जायेंगे ? इस प्रदेश का विकास कैसे होगा ? वित्त मंत्रीजी, आपको इस प्रदेश की जनसंख्या का ज्ञान होगा। आपकी उम्र अधिक हो गई है इसलिए आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 3.51 करोड़ की हमारी आबादी है। यदि इस सारे कर्जे को प्रति व्यक्ति पर फलावें तो मैं कहूंगा कि यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान प्रदेश के वित्त मंत्री वृजसुन्दर शर्मा हैं, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इसके मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर हैं, जिनके कार्यकाल में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर 28 हजार रुपया कर्जा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना प्रति व्यक्ति कर्जा है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आबादी बढ़ रही है इसलिए प्रति व्यक्ति....

श्री गोपाल पचेरवाल : इससे भी कम हो गया है।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पर इतना कर्जा है उस पर इतना ब्याज देंगे। हमारे राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर 28 हजार का कर्जा है। माननीय वित्त मंत्रीजी, बड़ी करतल ध्वनियों में, बड़े क्रीम के सूटबूट में 15 मार्च को राजस्थान का बजट पेश कर राजस्थान की जनता को गुमराह करते हैं। मैंने कहा था कि यह फरेब और भुलावे का बजट है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारे आंकड़ों को पेश करने के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्रीजी साहब से, आपका जवाब भी होगा, यह आपका घाटे का बजट है। आपने इतना कर्जा लिया है, इतना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। राजस्थान के नागरिक पर 28 हजार रुपयों का कर्जा है। इस कर्जे के बाद आप इस प्रदेश के गरीब आदमी को आगे कैसे लायेंगे? राजस्थान, जो आज पेयजल समस्या से ग्रस्त है, को आप पानी कैसे देंगे? राजस्थान में जिन हरिजन बस्तियों में आज बिजली नहीं है. उनको आप बिजली कैसे देंगे? हमारे पर इतने करोड़ का कर्जा है उसको चुकाने के बाद आप उस गरीब आदमी को रोजगार कैसे देंगे और बेरोजगारों की जो बढ़ती हुई कतार है उसको समाप्त कैसे करेंगे? माननीय सभापति महोदय....

श्री विष्णु बजारी : माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विचार आपके सामने पेश किये हैं। लेकिन हमारी सरकार रहमदिल है, हमारे वित्त मंत्रीजी बड़े कृपालु हैं क्योंकि हमारे बूंदी के हैं. मंत्रीजी ने कृपा की है, उन बड़े लोगों, जिनकी तरफ सैल्स टैक्स का पैसा बकाया है, जिन पर वित्त निगम का पैसा बकाया है वह वित्त निगम का पैसा आप वसूल कर नहीं सकते। बड़े लोगों पर कोआपरेटिव का पैसा बकाया है आप उसको वसूल नहीं कर सकते। सैल्स टैक्स का 43.09 करोड़ रुपया बकाया है, राजस्थान सरकार वसूल नहीं कर रही है। पंडितजी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैंने जो आपको कहा कि आप गलत बोलेंगे तो कह देंगे कि कलेक्टर की बात गलत हो गई। ये आपके आंकड़े हैं। आपके ऊपर सरकार का जो कर्जा बकाया चल रहा है 43.09 करोड़ रुपया उसको वसूल कर लें तो हमारी सरकार को राहत मिलेगी। 43.09 करोड़ रुपया सैल्स टैक्स का बकाया है, सरकार वसूल नहीं कर पा रही है। वित्त निगम का वसूल नहीं कर पा रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कम समय है, उसमें बीस सूत्री कार्यक्रम का काफी जिक्र है। कांग्रेस से आने वाले कई माननीय सदस्य बड़ी प्रशंसा में पुल बांधते हैं हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के। नये बीस सूत्री कार्यक्रम से लेकर पुराने बीस सूत्री कार्यक्रम में जो देश में प्रगति हुई है, मैं एक ही बात याद दिलाना चाहूंगा कि जो सन् 1977 से पूर्व गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या थी या उनका जो प्रतिशत था, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1977 से पूर्व 45.09 प्रतिशत ग्रामीण लोग थे जो गरीबी की रेखा से नीचे थे और 41.22 प्रतिशत शहरी लोग थे। जनता पार्टी की यह उपलब्धि रही। मैं जानता हूं कि आप हंगामा करेंगे अभी, जनता पार्टी कहां से आ गई। लेकिन जनता पार्टी की यह उपलब्धि रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की संख्या में हमने कमी की थी। हमने 54.09 की संख्या घटा कर 50.82 की थी ग्रामीण लोगों की, और शहरी लोगों की थी 38.19। यह जनता पार्टी की उपलब्धि थी। उसके बाद आपके

(श्री गोपाल पचेरवाल)

शासन की उपलब्धि बता देना कि आप राज सम्भालने के बाद 50 82 से कितने नीचे ले गये? शहरी लोगों को आप 38.19 से कितने नीचे लाये? आप बता देना अपने उत्तर में। अध्यक्ष महोदय, यह बीस सूत्री कार्यक्रम की बड़ी चर्चा की जाती है बड़े ऊंचे अन्दाज से बड़ी अदाओं से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम नये से पुराने तक कांग्रेस के लोगों की, अधिकारियों की जेब भरने का एक तरीका है। यह इन्हीं की रिपोर्ट है। इन्हीं की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी सरकार की रिपोर्ट है जो हमको मिली है। परिवारों को जो सहायता दी गई, जो आपका पाइन्ट सात है, बीस सूत्री कार्यकम का सातवां पाइन्ट, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। "अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता का लक्ष्य था 62 हजार का, यह लक्ष्य था सन् 1984 का।" यह प्रगति विवरण और आय-व्ययक अध्ययन 1984 का जिक्र है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ देने का जो लक्ष्य था 62 हजार का उसमें कितनी प्रगति की है आपने? आपने प्रगति की 49.559। इनका लक्ष्य था 62 हजार और आपने प्रगति की 49,559। यह आपकी प्रगति है। आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। इसके बाद भी आप कहते हैं प्रगति कर रहे हैं। क्या प्रगति कर रहे हैं? लोगों को लुटवाने में प्रगति कर रहे हैं. डाके डलवाने में प्रगति कर रहे हैं। क्या प्रगति कर रहे हैं?

श्री छोगाराम बकोलिया (उप मंत्री, समाज कल्याण) : 20 सूत्री कार्यक्रम का जो टार्गेट है उसमें राजस्थान प्रथम है। कैसे प्रगति नहीं कर रहे हैं? बिजली के तार खींचने के संबंध में....

श्री गोपाल पचेरवाल : यह बिजली के तार खींचने का मामला नहीं है, यह पढ़ने और समझने का मामला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री): समझते तो सब आप ही हैं। प्रगति की बात कर रहे हो, आपके समय में जनता पार्टी का कोई डिप्टी मिनिस्टर बना था आपकी कौम का? हमारी भारत सरकार में फुल-फलेज्ड केबिनेट मिनिस्टर है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आपके लोगों ने पहाड़िया को मुख्य मंत्री बनाया था, उसको भी उतार दिया, कौम की क्या बात कर रहे हो?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य को पता नहीं भारत ने जो आज उन्नति की है 20 सूत्री प्रोग्राम में, फेज्ड. प्रोग्राम के अर्न्तगत चल रहे हैं, आपकी तरह नहीं करते कि कनेक्शन तो कर दिये अनलिमिटेड, और जनरेशन बढ़ाया नहीं। हमारे यहां जितनी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं बिल्कुल फेज्ड. प्रोग्राम के अन्तर्गत कर रहे हैं। इसमें हमने उन्नति की है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो कागजों में की है। यह फर्जी आंकड़े हैं सारे, यह भी ध्यान में रखें। इससे राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक बात सुनो। हमारे पास 20 सूत्री प्रोग्राम तो है जिससे हम प्रगति कर रहे हैं। आपके पास प्रोग्राम कौनसा था?

एक माननीय सदस्य : यह फर्जी कार्यक्रम है, यही मेनका गांधी कह कर गई।...

श्री भंवरलाल शर्मा : ट्वन्टी नहीं फोर ट्वन्टी है आपका प्रोग्राम।

श्री अध्यक्ष : बाधा न पहुंचायें। श्री पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह आपकी किताब है, पहले आप इसको पढ़ना, फिर बात करेंगे। आपकी किताब है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दूसरा, आवासीय भूखण्डों पर अनुदान पाइन्ट 9 पर है। इसमें अनुदान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अनुदान का लक्ष्य है 31,970 जिसमें से केवल 19100 की उपलब्धि रही। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी तरक्की है, और 20 सूत्री प्रोग्राम की यह चिल्ल-पो कर रहे हैं। गरीब लोगों को महंगाई मार रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम पर बात चल रही है लेकिन आप लोगों को सिर्फ नाटक करने के सिवाय कुछ नहीं दे रहे हो। फिर, माननीय अध्यक्षजी, और बकोलिया साहब, मैं आपका भारत सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं उनके कथन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, बीस सूत्री प्रोग्राम में गरीब को आगे लाने की बात करते हो, अगर आपमें सही भावना है तो आप मांगीलालजी को फिर शपथ दिलवा दीजिये, मैं आपका स्वागत करूंगा। आपको अगर नैतिकता का भास हो तो मांगीलालजी आर्य को आज की तारीख में शपथ दिलवा दीजिये। आपने मांगीलालजी को क्यों हटाया, जगन्नाथजी पहाड़िया हरिजन मंत्री थे, उनको क्यों हटाया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मांगीलालजी तो पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और फिर बन जायेंगे लेकिन तुम को तो झांसे ही झांसे में रखा।

श्री गोपाल पचेरवाल : जनता पार्टी ने सन् 1977 में राजस्थान में गोपाल पचेरवाल, एक इंस्पेक्टर को जिता कर विधायक बनाया।

श्री मांगीलाल आर्य : छोड़िये पचेरवाल साहब, कांग्रेस का उसूल है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने किसी मेहतर को टिकट दिया है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम थे प्रथम।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : इसका दावा जनता पार्टी नहीं कर सकती।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो इधर आ जाओ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपमें इतना आकर्षण नहीं है कि उधर आ जाऊं मैं। अगर खेतसिंह मुझे गोद ले लें तो गोद में जा सकता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले इधर तो आइये, फिर सोचेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीब किस तरह शोषित हो रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ गरीबों को कुछ दे नहीं रहे हो नाटक के सिवाय,। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, लोकसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री श्री एम. एम. संजीव राव हैं, उन्होंने यह उत्तर दिया है जनता पार्टी के जाने के बाद महंगाई बढ़ी है, जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, 1979 में लाल मिर्च का भाव 11) रु. था, और 1983 में वह 15) रु. हो गया। खेतसिंह जी को तो डाक्टर ने मना कर दिया कि मिर्ची कम खाना लेकिन गरीब आदमी. मिर्ची से रोटी खा कर खेत में हल चलाने वाला है उसको महंगाई ने मारा। 11) रु० किलो मिर्ची 1979 में जनता पार्टी के राज में थी वह 1983 में 15)रु० किलो दे रहे हैं, यह आपकी उपलब्धि है। हल्दी 8) रु० किलो थी, हल्दी का उपयोग हर छोटे-बड़े घर में होता है, सारे धार्मिक कामों में उपयोग होता है, जनता पार्टी के राज में 1979 में 8) रु० किलो थी जो आज, खेतसिंह जी, 17) रु० किलो है। दूसरा, 1979 में दूध 2.60 रु० लिटर था लेकिन आज भाव है 4) रु० लिटर। छैणा 7.50 की जगह 10) रुपये। मूंग 3.60 रु० किलो था, आज 6) रु० किलो। मसूर गरीब आदमी, छोटा आदमी दैनिक जीवन में खाने के काम में लेता है उसका भाव"""

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : 80 रुपये के भाव बाजरा बिका है, आप क्या कर रहे हो किसानों के लिये ? किसानों को लाभ नहीं मिला"""""

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मूंग का लाभ किसको मिलेगा, जरा समझो तो सही। इस खोपड़े में कुछ तो अक्ल आनी चाहिये।

(व्यवधान)

मूंग का किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननी सदस्य। आर्डर, आर्डर। बैठ जायं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि इसका लाभ किसानों को

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इसका लाभ बिलोचियों को मिल रहा है, किसानों को नहीं मिला। किसानों को लाभ मिलेगा तब तक सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे। लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिला, यह लाभ मिला है आप जैसे लोगों को। यह लाभ मिला है बिचौलियों को।

एक माननीय सदस्य : आज बिलोचिये हैं ही नही। सीधा कृषि उपज मण्डियों के थ्रू सेल होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें कृपया।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो मसूर 3.60 से 6.00 रुपये किलो, उड़द 4.60 से 6.75 सरसों 11.40 से 21.00, वनस्पति 11.40 से 16.20, चावल 2.20 से 4.00, गेहूं 1.55 से 2.20, आलू 1.00 से 1.50 रु. किलो, मिट्टी का तेल 1.54 से 1.89 प्रति लिटर, देशी घी 25 रुपये से 43 रुपये किलो हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में यह हालत है महंगाई की। मैंने गरीबों को रोजगार के फैक्ट्स पेश किये आपके सामने। इस प्रकार आप कब तक गरीब को गुमराह करेंगे, माननीय वित्त मन्त्री जी ? आप राजस्थान के विकास में, गरीबी दूर करने में और महंगाई दूर करने में कोई महत्वपूर्ण फैसला करें तो निश्चित रूप से गरीबों को लाभ मिलेगा अन्यथा यह छलावे और धोखे का बजट है।

अन्त में मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

आवास की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आवास के मामले में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो मकान अलाट किये जाते हैं, मैं राजस्थान सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं, आपकी एक लाख के ऊपर मकान की जो योजना है, एक लाख का मकान कोई गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है। एक लाख का मकान आपका सैक्रेटेरियेट का बाबू नहीं खरीद सकता है, अगर वह ईमानदार है। गांव में पढ़ाने वाला मास्टर, गांव के किसी हैल्थ सैन्टर में बैठने वाली नर्स या कम्पाउण्डर वह मकान नहीं खरीद सकता है। राजस्थान सरकार यह फैसला करे कि 50 हजार से नीचे वाले मकान का ही निर्माण करायेगी। इसके लिये एक निश्चित अवधि तय करे कि एक वर्ष, पांच वर्ष, जो भी आप तय करें, तय कर लें, और 50 हजार तक के मकानों का निर्माण कार्य ही किया जाये। जब तक राजस्थान के आवास की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक एक लाख के ऊपर के मकानों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। इस बुनियादी काम को आप करेंगे तो इस प्रदेश के जो आवासहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं उनको मकान मिल सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मन्त्री जी ने मण्डियों से वसूल करने की बात कही थी। आज हमारे बूंदी जिले में कोआपरेटिव की जो सहकारी खाण्डसारी फैक्ट्रियां हैं, उनकी तरफ हमारी बकाया है। वह वसूल की जानी चाहिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अगर हम वह वसूल करते हैं तो हमारी सरकार को लाभ होगा। सेल्स टेक्स के पैसे की जो बकाया है। वह वसूल की जानी चाहिये ताकि लाभ मिले। वित्त निगम के द्वारा जो कर्ज दिया गया है वह वसूल किया जाना चाहिये, लाभ मिलेगा। बड़े पूंजी-पतियों पर जो पैसा बकाया है, उद्योगपति छोटा या बड़ा, उस पर जो पैसा बकाया है, वसूल करेंगे तो इससे हमारे बजट घाटे की पूर्ति हो सकती है, और हमारे ऊपर जो कर्जा है वह समाप्त हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो तथ्य पेश किये हैं उसके अनुसार यह छलावे और धोखाधड़ी का बजट है। इस बजट की मैं निंदा करता हूं। मैंने बात कही है कि इस बजट से प्रति व्यक्ति पर 28 हजार रुपये के कर्ज का भार है जिसे जनता ढोती रहेगी। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। यह छलावे का बजट है। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। मुझे आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट यहां पेश किया है उस में चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार साल के सूखे के बाद राजस्थान को थोड़ी राहत की सांस मिली है। सूखे की परिस्थितियों में अकाल राहत के पैसे को राजस्थान में किस तरह से सरकार पानी की तरह बहाती रही वह हमारी मजबूरी थी। लगातार चार साल के अकाल के बाद यह जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा बजट और कोई नहीं हो सकता। वित्त मन्त्री जी बुजुर्ग हैं और इन्होंने अच्छी बुद्धि का परिचय भी दिया है।

(व्यवधान)

लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय.........

(व्यवधान)

नहीं दिया, तो इसके प्रमाण तो आप देख रहे हो। यह तो आपका काम है जो कर रहे हैं। लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि पिछले चार साल में जिस हिसाब से, चाहे फेमिन के तहत हो, चाहे आई. आर. डी. के तहत हो, चाहे एन. आर. ई. पी. के तहत हो, जो गांवों में कार्य हुए हैं, वे बताते हैं कि कहीं पाठशाला, कहीं सांड शाला बनी है, कहीं पक्के काम हुए हैं, कहीं तालाब बंधे हैं। इनको आपकी बातें नहीं मिटा सकती। आप कहते रहें, इनकी चिन्ह बता रहे हैं कि यह कब बनी हैं। पिछले समय में कितनी बनीं और अभी कितनी बनी हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, हम यह देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान अभी काफी पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद पिछले तीन चार साल से लगातार हमारे बजट में प्रावधान रखा जाता है। उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेन्ट किया जाता है। जैसे कई विषय

(श्री रामधन चौधरी)

खोले गये, कई नई पाठशालाएं खोली गयीं, कई को क्रमोन्नत किया गया । इस साल भी उसी हिसाब से बजट रखा हुआ है । मगर हम एक एक महकमे के बजट को देखते हैं तो लगता है कि बजट बहुत ही कम है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साधन सीमित हैं । दूसरी स्टेट्स को हम देखें, तो उनकी जो राजस्व आय है, उनके सोर्सेज हैं, वह राजस्थान से कहीं ज्यादा है । हमारे यहां पर कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं जिससे कि हम इस घाटे को पूरा कर सकें । अब बजट घाटे में जरूर है, इस बात को कई माननीय सदस्यों ने कहा लेकिन मैं यह जताना चाहता हूं और इस की मुझे खुशी है कि घाटा हो या नफा, राजस्थान की जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया है । इस घाटे जो कैसे पूरा करेंगे, वित्त मन्त्री जी का बड़ा दिमाग है, वह किसी तरह से करें लेकिन उन्होंने हमारी जनता पर कोई बोझ नहीं डाला है इसकी हमें खुशी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता । मुख्य मुख्य मुद्दे ही कहूंगा, मैं वित्त मन्त्री जी को निवेदन करूं कि हमारे यहां पर जो पीने के पानी की समस्या है, उसके लिये जो बजट रखा गया है, अगर हम उस बजट को देखें तो वह बहुत कम है । मैं सुझाव देना चाहता हूं इसमें, अध्यक्ष महोदय । मुझे तो ताज्जुब इस बात का हुआ कि हम 23 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिये रखते हैं और उसमें 13.7 करोड़ रुपया शहर के लिये रखते हैं और 11 करोड़ गांव के लिये रखते हैं । इसमें बड़ा ताज्जुब होता है और बड़ा दुख होता है । हमारी 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है । एक तरफ हम गाँव की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम यह मानते हैं कि हमारे गांव में बीस बीस किलोमीटर से लोग पानी लाते हैं । राजस्थान नहर से बाड़मेर, और आशा है कि जोधपुर, तक पानी पहुंचेगा । लेकिन बावजूद इसके 11 करोड़ रुपये में सब जिलों में हम पीने का पानी ले जा सकेंगे, यह बड़ा मुश्किल है । यह थोड़ा विचारणीय विषय है कि 11 करोड़ रुपये में हम कितने गांवों को किस प्रकार पानी पहुंचायेंगे । मेरे यहां कई जल योजनाओं का कार्य शुरू है । सीकर जिले में ट्यूब वैल खोद कर वहां से बिजली का कनेक्शन देकर पानी लाडनूं तहसील की जनता को दिया जाता है । वह जो पानी देते हैं उस पानी को बीस बीस, पच्चीस पच्चीस किलोमीटर तक गाँव में पहुचाते हैं । उस हिसाब से बजट में 11 करोड़ रुपये गाँव के लिये रखे गये हैं, मैं समझता हूं कि उससे यह स्कीम पूरी नहीं होने वाली है । अगर यह स्कीम पूरी नहीं होती है तो, अध्यक्ष महोदय, 35 साल की आजादी के बाद भी हम जनता को अच्छा पानी नहीं पिला सकते हैं ।

सूचना : पोलेण्ड संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का दर्शक दीर्घा में पधारने पर स्वागत ।

श्री अध्यक्ष : हस्तक्षेप के लिये क्षमा करें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

मुझे सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है की हमारे मेहमान के रूप में हमारी दीर्घा में पोलेण्ड की पार्लियामेन्ट के महामहिम अध्यक्ष महोदय और उनके साथ

(श्री अध्यक्ष)

अन्य पार्लियामेन्ट के मेम्बर, पोलेण्ड के भारत में महामहिम राजदूत, उनकी पत्नी, अध्यक्ष महोदयजी की श्रीमतीजी एवं अन्य अधिकारीगण पधारे हैं। यह हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इनका स्वागत है।

श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी : तो मैं यह बता रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 करोड़ रुपया जो हमने गांवों के लिये रखा है वह बहुत ही कम है। मैं हमारे वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर आप थोड़ा विचार करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा राजस्थान गांवों में बसा हुआ है। गांव में जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है, वहां हमारा प्रथम कर्तव्य है कि पीने का पानी हम गांवों में सुलभ करावें।

इसके बाद बिजली वाले महकमे का बता रहा हूं। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि इस साल किसानों को बिजली की प्राब्लम नहीं आयी, कोई खेत नहीं जले, कोई सिंचाई के पानी की समस्या नहीं आयी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं जैसा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में भी हैं "गांव में उजाला" सूत्र। हर बात में गांव का ध्यान रखें।

मंत्री महोदय जिले के बाहर जाते हैं यह इससे प्रमाणित होता है कि इस बजट में इन्होंने रखा है कि 100 पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे। यह इसलिये खोल रहे हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमारे किसानों की जीविका का साधन पशु है। इसी हाउस में मैंने श्री श्रीरामजी, हमारे पशु पालन मंत्री जी को निवेदन किया था कि आप पशु शब्द को याद रखें। मुझे दुःख है, अध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर जिले में दो ऐसे गांव हैं जहां पर हमने सोचा एक औषधालय तो पांतो आयेगा, लेकिन पशु चिकित्सालय नहीं खोला। केवल मात्र मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं। इस साल भी हमने यही लिखा है। श्रीमानजी, हम पश्चिमी राजस्थान का नाम लेते हैं, हकीकत में सही बात है, आज राजस्थान के गांवों में 30 किलोमीटर तक कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। पांच हजार रुपये का यदि ऊंट बीमार हो जाता है तो उसको 15 कोस ले जाते हैं, तब तक तो वह खतम हो जाता है। वास्तव में हमारी सरकार, वित्त मंत्रीजी यह बजट बनाते हैं तब तो इसमें इन बातों को लिखते हैं, इसके लिए मुझे खुशी है। साथ ही साथ खेद है कि हमारे मंत्रिमण्डल के माननीय मंत्रीजी लोग इन आंकड़ों को भुलाकर सिर्फ मुंह देखकर तिलक लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, जो लिखा गया है, जो प्रावधान रखा गया है, उसके मुताबिक ही मंत्री लोग इस बात को दिमाग में रख कर कि कहां पर ज्यादा जरूरी है और कहां जरूरी नहीं है, औषधालय खोलें। अभी मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा, दवाइयां भेजेंगे यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो औषधालय खोला है उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं, सरकार का आभारी हूं। अभी

(श्री रामधन चौधरी)

पिछले साल का कार्य पूरा किया है, फिर भी धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : यह सत्र आ गया इसलिए ।

श्री रामधन चौधरी : लेकिन यह होने के बाद आसान नहीं है । आज मैंने सुबह सिसोदिया, जो हैल्थ के इन्चार्ज हैं, को टेलिफोन किया तो उन्होंने कहा कि आदेश आने पर ही होगा । खैर मार्च में, अप्रेल में आदेश भी आ जायेंगे ।

मैं बजट के लिए वित्त मंत्रीजी की बहुत सराहना करता हूं, लेकिन बिजली और पानी ये दो बिन्दु ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं । किसान खेतों से आकर खाना खाते ही पानी पीता है । पशुओं को पानी पिलाता है । तो कम से कम उनको पानी तो पीने को शुद्ध मिले । अध्यक्ष महोदय, मैं साफ शब्दों में कहूंगा आप मेरे यहां के आंकड़े देख लीजिये, आज 30 पर्सेन्ट गांवों के अन्दर पीने का पानी सुलभ नहीं हो रहा है । स्कीम बनती है, राहत दी जाती है । अभी 11 करोड़ रुपये दिये गये । मुझे उम्मीद है, और वित्त मंत्रीजी से वह बद्ध निवेदन है कि वे इस विषय पर विचार करें, ताकि गांवों के अन्दर लोगों को पानी मिल सके ।

पश्चिमी राजस्थान की बात कहूं, जोधपुर के कई ऐसे गांव हैं, जहां जिस ढाणी में 15 मकान हैं वह जल योजना से जुड़ी हुई है, इनके लिए पैसा भी रखा जाता है, परन्तु हमारे यहां 100 ढाणियां हैं वहां तीन-तीन कोस में कुआं नहीं, लोग 10 किलोमीटर से अपने माथे पर घड़ा रख कर पानी लाते हैं । हम इस तरह की समस्या तो मिटा नहीं पाते और दूसरी ओर लालायित रहते हैं । पानी की मूल समस्या है । इसको जब तक नहीं सुलझा पायेंगे तब तक उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जो भी तीर छोड़ेंगे उसका मुकाबला हम टेबल थपथपाकर भले ही कर दें, परन्तु मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते । शहरों में पीने को पानी है, गांवों में नहीं मिल पाता....

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): शहरों में भी पीने का पानी 24 घण्टे में एक बार ही मिल पाता है ।

श्री रामधन चौधरी : शहरों में तो टूंटी से पानी ले सकते हैं । गांवों में 10 किलोमीटर से किसान लोग अपने माथे पर पानी लाते हैं । वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे कुछ न कुछ जवाब देंगे या अपने दिमाग से सोच समझ कर परिवर्तन करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में जरूर है, पिछड़े हुए जरूर हैं, लेकिन पिछले साल कुछ रफ्तार पकड़ी है । मेरा निवेदन है, जैसा बजट में प्रावधान रखा है उसी अनुसार उसको ढालते जायें तो वह दिन दूर नहीं कि हिन्दुस्तान के प्रान्तों में राजस्थान का नम्बर पहले नम्बर पर आयेगा ।

(श्री रामधन चौधरी)

अभी पचेरवाल साहब ने कुछ आंकड़े दिये, परन्तु मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। अभी दिल्ली की सरकार ने भी माना है कि राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम में पहले नम्बर पर है। हो सकता है थोड़ा बहुत घपला हो, लेकिन 100 का 100 पर्सेन्ट घपला चल नहीं सकता। हम चाहे बढ़ा चढ़ा कर बात कहें, लेकिन जो सत्यता है उसको तो मानना ही पड़ेगा। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा था, अगर हम 20 सूत्री कार्यक्रम को वरदान मानें तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी। इस 20 सूत्री कार्यक्रम से गरीब तबके को लाभ मिला है, हालांकि मैं मानता हूं कुछ अधिकारी लोग हैं जो उसको अच्छी तरह से लागू नहीं करते। परन्तु मेरा यह मानना है कि अगर सभी माननीय सदस्य इसके लिए सक्रिय हो जायं तो कोई कारण नहीं है कि नीचे की मशीनरी कोई घोटाला करे। कोई मैनेजर का रिश्तेदार है तो कोई कुछ कुछ है, इन कारणों से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीब तबके को पूरी राहत नहीं मिल पाती। हमें मानना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे कार्य किये हैं। गरीब तबका यह नहीं समझा था कि उसको राज से कोई सहायता मिलेगी। आज छोटे उद्योग के लिए, जूती बनाने वालों को बैंक से लोन मिलने लग गया है। खाल बनाने के लिए लोन मिलने लग गया है, इससे इनके छोरे अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप मानें या न मानें, विरोधी सदस्य दिल में जरूर मानते हैं, परन्तु बाहर नहीं मानते हैं।

आज राजस्थान नहर, हमें कहना चाहिए कि राजस्थान के भाग्य में अंधेरे में उजाला हुआ है। मैं इस रेगिस्तान की धरती में ऊंट छोड़ने गया था, मुझे अनुभव है कि वहां पर कोसों दूर तक मनुष्य तो दूर रहा, कोई चिड़कली नहीं रहती है, केवल उजाड़ ही उजाड़ और टीले ही टीले नजर आते हैं। आज हमारी सरकार की मदद से इसका कार्य किया है। माननीय चन्दनमलजी के पास जब से यह चार्ज आया, रोज अखबार में पढ़ते हैं और वहां के जो लोग, ठेकेदार आते हैं वे कहते हैं कि काम दिन रात चल रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो उपलब्धियां हैं, इनको भूल नहीं सकते। हमारी कहीं कमजोरी भी है। काफी मंत्री लोग विराज हुए हैं। आयुर्वेद मंत्रीजी को मैं बहुत ही ईमानदार आदमी मानता हूं, वे अपने महकमे में इतना अच्छा काम करते हैं कि इनके पास कोई भी शिकायत आयी है तो इन्होंने उसको बख्शा नहीं है। जितना बजट मिला है इस विभाग को, उस से नये आयुर्वेदिक औषधालय सही मायने में खोले गये हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह बात बतायें कि वहां पर दवाई कितने को पहुंची? यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री रामधन चौधरी : यह आपका काम है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : दो हजार रुपये की तनख्वाह वैद्यजी महाराज की और वह पाँच रुपये की पुड़िया देते हैं।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : दवाई तो आप ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री रामधन चौधरी : पिछले साल भी उन्होंने मेरे ख्याल से हर तहसील में एक-एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला था। मेरे यहां पर न तो कोई पद रिक्त है और न ही कोई आयुर्वेदिक औषधालय की शिकायत है। इस साल भी 200 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रावधान है। इसको भी समय पर क्रियान्वित करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : 85 खोले हैं, 200 खोलने थे। साल खतम हो गया, सारा पैसा डूब गया है।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): 200 खुल चुके हैं।

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : सुनो जरा, 200 खुल चुके हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कहां खोल दिये ? कब खोल दिये ?

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : आपको क्या मालूम, 200 खुल चुके हैं। आप खोलते हैं क्या ?

श्री हीरालाल आर्य : उनमें वैद्य नहीं हैं। वैद्यों का तो ट्रान्सफर कर रहे हैं।

श्री दिनेश डांगी : अरे इनकी तो 1968 से आदत हो गयी है असत्य बोलने की, आप अनुसूचित जाति के होकर ब्राह्मण की बातों में क्यों आते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : यह ब्राह्मण कभी असत्य नहीं बोलता है। झूठ बोलना पाप समझता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह कब घोषणा की, और कब, किस तारीख को खोले, यह बता दें।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, ये विपक्षी पार्टी के हैं तो भी इनके यहां पर मैंने औषधालय खोला है। मैंने यह किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ये कह रहे हैं कि मेरे यहां पर औषधालय खोल दिया है। जो 10 साल से औषधालय चल रहा था उसको बंद करके दूसरी जगह पर ले गये हैं। अगर कोई नया खोला हो तो बतायें।

श्री दिनेश डांगी : अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो उसको कल ही तोड़ दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह तो करते ही हैं आप ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : ठीक है मैं कल ही तोड़ दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : ठीक है, मैं कल ही उसको तोड़ देता हूं ।

(व्यवधान)

जरूर तोड़ूंगा । हिम्मत है तो खुलवा लेना ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने अपने पैसों से खोले हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : बाई जी का राज है क्या ?

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): आपने अपने पैसों से खोले हैं क्या जो बंद कर देंगे ? अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ऐसी बात कह रहे हैं, इनको ताड़ना दें ।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी भी पक्ष का माननीय सदस्य बोलता हो, उसकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं । मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं । इनकी आदत है तो कोई बात नहीं, मैं बोलूं तब न बोलें। मंत्रीजी बोलें तो व्यवधान डालते रहें। अपनी-अपनी बात कहने का हक सबको है ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने मंत्री बोले तभी बाधा उपस्थित की है।

श्री रामधन चौधरी : कोई अपनी बात करता है तो कहे, मंत्री जो कुछ कहें, तो यह तो सभी जानते हैं कि कौन मंत्री कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है । जो बात मेरी समझ में आयी है, मैंने सुना था वहाँ पर कि यह डायरेक्टर गबन करता है तो उसको दूसरे दिन ही हमारे आयुर्वेद मंत्रीजी ने सस्पेंड कर दिया । उसके बाद भी अधिकारियों से जब भी मैंने सम्पर्क किया तो पता चला कि अब आयुर्वेद का ढांचा सुधर गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : किस कारण से उसको सस्पेंड किया गया था ? सारा पेमेंट हो गया है, काला जीरा, हींग आदि सब का पेमेंट हो गया है ।

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

श्री रामधन चौधरी : आपकी आप जानें, मेरे यहां पर ऐसी प्राब्लम नहीं है । मेरे यहां पर तो सब ठीक है । आप जाकर

(श्री रामधन चौधरी)

देखते नहीं होंगे । मैं ऐसा सदस्य हूं, जो हर नाइट गांव में गुजराता हूं, 10 घंटे तहसील में रहता हू, और जैसे ही ड्यूटी आवर खत्म होते हैं, गांव में चला जाता हूं । एक एक स्कूल को, अस्पताल को, आयुर्वेदिक अस्पताल को जाकर देखता हूं, इसलिये मेरा अनुभव है कि चपरासी से लेकर वैद्य तक सब अच्छा काम कर रहे हैं । मैं यह बता सकता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब की बार हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी के ऊपर काफी बोझा पड़ा है । जो आंकड़े इन्होंने लिखे हैं उन पर वित्त मंत्रीजी ने भी विशेष ध्यान दिया है । ये मुख्य सचेतक भी हैं और यहां पर विधान सभा में मंत्री भी हैं । वैसे अच्छे आदमी भी हैं, पुराने और तजुर्बेकार भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि अब केवल एक अधिवेशन का ही मौका और मिलेगा, इसलिये, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपने जितना लिखा है वह सब का सब ईमानदारी से कर दें, विश्वासघात नहीं करें, तो आपकी वाहवाही हो जायेगी । पक्षपात मत करना, मेहरबानी रखना ।

श्री महाराम चौधरी : पक्षपात के बगैर कुछ नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रान्सफर में विश्वास नहीं रखता हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी भी इस बात को जानते हैं कि मैं ट्रान्सफर करवाने कभी नहीं गया । इतना होने के बावजूद मेरे यहां पर 2-3 डाक्टरों के पद रिक्त हैं । जसवंतगढ़ में डाक्टर नहीं लगाया गया है । दो डाक्टर हैं, जो एक लाडनूं चला जाता है, एक रहता है । विधान सभा में प्रश्न भी दिया था लेकिन अभी तक वह भी दबा कर रखा हुआ है । मैं तो चिल्लाता नहीं हूं इसलिये कि कहीं मंत्री जी नाराज न हो जायं । लाडनूं का, जसवंतगढ़ का काफी पुराना हास्पिटल है, काफी बड़ा गांव है, वहां पर मुख्य चिकित्सक का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है । इसलिये आपसे निवेदन है कि आप ऐसी बातों की तरफ ध्यान दें । रोज-रोज जो ट्रान्सफर की बात लेकर आते हैं, उनकी सुनते हैं तो जो खाली पद हैं उनको पहले भरें । यह जनता के लिये तकलीफ की बात है । यह कर दें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे ।

अभी-अभी आपने जो आदेश दिये हैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं । उम्मीद करता हूं कि आप निष्पक्ष भाव से चलेंगे । ऐसा ही आपका तजुर्बा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कई बार कहा है कि पहली बार ही मैं चुन कर आया हू और चार बजट मैंने देखे हैं । सड़कों का हमारे राजस्थान में प्रावधान रखा गया है, 14 करोड़ रुपया और 2500 किलोमीटर की सड़क । अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी का आभारी हूं इन्होंने हमारे यहां का रिकार्ड तोड़ दिया, और पांच किलोमीटर की पक्की सड़क बना दी, नहीं तो मेरे लाडनूं में आज से नहीं, बीस साल से एक

(श्री रामधन चौधरी)

किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। बड़े ताज्जुब की बात है। मैंने कई बार कोशिश की है, मैं मिला हूं। कौनसा क्राइटेरिया होता है, हर साल 2000 किलोमीटर सड़क बनायी जाती है और एक विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं बनायी जाती है, एक किलो-मीटर भी नहीं बनायी जाती है। मेरे यहां पर पंचायत हैडक्वार्टर है, आप घोषणा करते हैं....

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट का समय बाकी है।

श्री रामधन चौधरी : इस बजट में आप घोषणा करते हैं कि हर पंचायत हैडक्वार्टर को सड़कों से जोड़ा जायेगा....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : तीन मिनट में तीन किलोमीटर सड़क बनवा लो।

श्री रामधन चौधरी : इस सड़क के बजट को मैं चाहता हूं कि पानी वाले में ट्रान्सफर कर दो तो हम तो बिना सड़क के ही निकाल देंगे समय, पीने को अगर पानी आ जायेगा तो।

इस प्रकार से इसको मैंने जितना देखा उसके हिसाब से मेरे दिमाग में जो बात थी उसको मैंने आपके सामने कहा। मैं यह मानता हूं कि पिछले 4-5 साल से लगातार अकाल होने से राजस्थान में दिक्कत हुई। फिर भी जो नया मंत्रिमंडल और नयी विधान सभा बनी उसके बाद से काफी कुछ गांवों में जागृति आयी है। इसके साथ-साथ काम भी हुए हैं, इस बात को मैं मानता हूं। इस स्थिति को देखते हुए जो बजट बनाया है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद। मुझे निवेदन करना है कि पानी वाले मामले पर दुबारा विचार करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 23 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

142

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 230 का विवरण

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	जिला	तहसील	खनिज
1.	बीकानेर	बीकानेर	कंकर, ईंट. मिट्टी, जिप्सम, बजरी, बालक्ले, फायरक्ले
		लूनकरणसर	सेलेनाइट, ईंट, मिट्टी, कंकर, मेसेन-रीस्टोन, पट्टी कातला।
		नोखा	बजरी, कंकर, ईंट मिट्टी।
		कोलायत	बालक्ले, व्हाइटक्ले, चायनाक्ले, रेड व यलोओकर, मुल्तानी मिट्टी, ईंट मिट्टी, ग्लास सैण्ड, कंकर व जिप्सम।
2.	चूरू	सुजानगढ़	बेलास्ट स्टोन, मेसेनरीस्टोन, पट्टी कातला, धांधला एवं झंझरा पत्थर।
		डूंगरगढ़	ईंट मिट्टी।
		सरदार शहर	,, ,,
		रतनगढ़	,, ,,
		तारानगर	शून्य।
		राजगढ़	ईंट मिट्टी।
		चूरू	,, ,,

(143)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 232 की अनुसूची

1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रारूप योजनाओं की फाइनल स्कीम की दिनांक व वाहनों के संचालन की दिनांक

क्र.सं.	मार्ग का नाम	प्रारूप योजना के प्रकाशन की दिनांक	फाइनल स्कीम की दिनांक	राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा योजना लागू करने की दिनांक	वाहनों के संचालन की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	बीकानेर–सैंथल बीकानेर–नापासर बीकानेर–खाजूवाला	7-4-70	30-1-80	1-2-80	13-2-80
2.	डूंगरपुर–आसपुर वाया गणेशपुर डूंगरपुर–आसपुर वाया बनकोडा आसपुर–सागवाड़ा डूंगरपुर–निठुउवा	26-7-76	23-2-80	25-2-80	12-3-80
3.	कोटा–रंगपुर	20-9-76	1-11-80	3-11-80	3-11-80
4.	कोटा–कोटाडेम कोटा–बुढादीत कोटा–कोटरादीपसिंह	30-10-76	,,	,,	,,
5.	जयपुर–नायला	31-11-76	,,	,,	,,

Page No. 144

1	2	3	4	5	6
6.	गंगानगर–करणपुर वाया जैंडमाइनर गंगानगर–करणपुर वाया मिरजावली गंगानगर–केशरीसिंहपुर	26-7-76	1-11-80	3-11-80	3-11-80
7.	चौमू–चन्दावाजी	31-12-76	,,	,,	,,
8.	कोटा–रावतभाटा कोटा–खातोली कोटा–इटावा	3-4-76	26-11-80	3-12-80	3-12-80

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 233 की सूचना

ग्राम पंचायत हमीरगढ, द्वारा वर्ष 1980 से लेकर 31 जनवरी, 1984 तक पट्टे दिये जाने का विवरण

(पंचायत समिति सुवाणा जिला–भीलवाड़ा)

क्र.सं	आवंटी का नाम व पता	उस ग्राम का नाम जहां भूखण्ड आवंटित किया गया	आवंटन की तिथि	फिक्स दर नीलामी अथवा निःशुल्क आवंटित किये गये	राशि जिसमें भूखण्ड दिया गया	पट्टा दिया जा चुका है अथवा नहीं	प्राप्त राशि का रोकड़ में जमा होने का दि.	राशि प्राप्त हुई अथवा नहीं	क्या भूखण्ड अधिकृत अधिकारी से अनुमोदित किया हुआ है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री मनोहरलाल/चोथमल दरोगा	हमीरगढ़	12-2-80	फिक्सदर	301/-	हां	13-2-80	हां	नहीं
2.	श्री मीठूलाल/ ,, ,,	,,	,,	,,	301/-	हां	,,	,,	,,
3.	श्री भैरू/गणेश खाटीक	हमीरघाटी	29-8-81	,,	201/-	हां	17-11-81	,,	,,
4.	श्री शांतीलाल/चुन्नीलाल मंडावरा	,, कविनगर	18-4-82	नीलामी	2400/-	नहीं	15-9-82	,,	हो चुका है

Page No. 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	श्री बालू/गंगाराम बलाई	हमीरगढ	12-6-82	फिक्स	201/-	नहीं	27-7-82	हां	नहीं
6.	श्री नूरखां/अलीखां	नई आबादी	16-5-82	,,	91/-	,,	16-5-82	,,	,,
7.	श्री संजय/माणकचन्द लोढ़ा	कविनगर ह.	18-4-82	नीलामी	2481/-	,,	2-6-83	1500/-	हां
8.	श्री भगवानी बेवा धना अहीर	,,	12-11-82	फिक्स	2500/-	,,	1-6-83/	2000/-	हां
							15-1-84	500/-	,,
9.	श्री कल्पना/ओमप्रकाश शर्मा	,,	5-11-82	नीलामी	1151/-	,,	2-11-82	100/-	,,
							29-7-83	851/-	
							4-12-83	200/-	
10.	मयूर इण्डस्ट्रीज अशोक कुमार चौर.	कविनगर ह.	9-5-82	नीलामी	1700/-	नहीं	30-10-82	1000/-	हां
							31-10-82	500/-	हां
11.	श्री यशोदा/भोपालसिंह दरोगा	हमीरगढ़घाटी	16-5-82	फिक्स	101/-	,,	16-5-82	101/-	नहीं
12.	श्री भेरू/गणेश खटीक	,,	12-6-82	,,	1001/-	,,	8-6-83	1001/-	,,
13.	श्री गनीमोहम्मद/अनार मो.	नई आबादी	9-10-82	,,	151/-	,,	9-8-83	151/-	,,
14.	श्री जमालुद्दीन/करीमशाह फकीर	,,	9-5-82	,,	71/-	,,	9-5-82	71/-	,,
15.	श्री शंकर/कल्याणमल ढोली	,,	16-5-82	,,	101/-	,,	16-5-82	101/-	,,
16.	श्री गफूर/हसन सोरगर	,,	9-10-82	निःशुल्क	—	,,	—	—	,,
17.	श्री मुबारिक/हसन सोरगर	,,	,,	,,	—	,,	—	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	श्री विमलादेवी/देवीलाल मून्दडा	कविनगर हमी.	5-12-82	नीलामी	1039/-	नहीं	19-2-83	300/-	हो चुका
							12-6-82	251/-	
19.	श्री पुरूषोतम/मगनीराम चोबे	माताजीमगरी	12-6-82	फिक्स	101/-	हां	23-6-82	101/-	नहीं
20.	श्री हरिदास/प्रभुदास वैष्णव	नानामोती	24-8-82	,,	151/-	,,	24-8-82	151/-	,,
21.	श्री नानू/जेता रेमर	कविनगर	9-10-82	निःशुल्क	—	नहीं	—	—	,,
22.	श्री मोहन देवी बावरी	हमी. घाटी	,,	,,	—	,,	—	—	हो चुका
23.	श्री कालू/सोहन गंवारिया	कविनगर	25-12-82	नीलामी	2012/-	,,	1-9-82	1000/-	
							1-11-82	1000/-	,,
24.	श्री फतेहमोहम्म/गुलमोहम्मदद	,,	,,	,,	220/-	,,	23-9-83	220/-	,,
25.	श्री रूपा/जोधा रेगर	,,	,,	,,	1500/-	,,	4-8-83	1500/-	,,
26.	श्री गोपाल/नारायण पालीवाल	,,	5-12-82	,,	1551/-	,,	23-9-83	150/-	,,
27.	श्री दीवाकर भट्ट/फेण्डस्टोन ग्रेशर	घाटीमार्ग	27-2-82	फिक्स	2001/-	हां	27-2-82	1200/-	नहीं
							19-3-82	801/-	
28.	श्री शिव कुमार/रूपलाल सोनी	कविनगर	20-12-82	,,	2576/-	नहीं	20-6-83	2576/-	हो चुका
29.	श्री लक्ष्मीनारायण/कालू दरोगा	,,	27-11-82	,,	1500/-	,,	10-7-83	1500/-	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	श्री ओमप्रकाश/मदनलाल शर्मा	कविनगर	5-2-83	नीलामी	6006/-	हां	1-11-82	4000/-	हो चुका
							1-6-83	2006/-	,,
31.	श्री गिरीशचन्द्र/महेशचन्द्र शर्मा	,,	20-1-83	,,	1471/	नहीं	23-9-83	157/-	,,
32.	श्री शिवनन्दन/गंगाधर शर्मा	,,	,,	,,	4009/-	,,	20-2-83	1500/-	,,
							14-6-83	1500/-	,,
							7-10-83	1000/-	,,
33.	श्री बृजमोहन/जमनालाल सोडावत	,,	5-2-83	,,	2001/-	,,	23-3-83	2001/-	,,
34.	श्री जगदीशचन्द्र/मनोहरलाल शुक्ला	,,	20-1-83	,,	1551/-	,,	10-6-83	1500,-	,,
35.	बालू/हजारी धोबी	,,	5-2-83	,,	2500/-	,,	3-6-83	1000/-	,,
							10-6-83	1000/-	,,
							15-6-83	500/-	,,
36.	श्री सत्यनारायण/नानूराम सोनी	,,	20-1-83	फिक्स	2500/-	,,	7--783	2500/-	,,
37.	श्री मोहम्मद हनीफ/अहमद नीलगर	तालाव	27-6-83	,,	701/-	,,	25-3-83	701/-	नहीं
38.	श्री मुबारिक हुसैन/फकरूद्दीन ,,	कविनगर	26-5-83	नीलामी	1021/-	,,	4-12-83	500/-	हो चुका
39.	श्री अशोक कुमार/शंकरलाल भूतड़ा	,,	,,	,,	1121/-	,,	20-2-83	1121/-	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	श्री संतोषचन्द्र/नन्दलाल व्यास	कविनगर	26-5-82	नीलामी	1527/-	नहीं	23-9-83	152/-	हो चुका
41.	श्री बालू/ऊंकार गुवांरिया	,,	27-6-83	,,	2007/-	,,	21-5-83	2000/-	,,
42.	श्री कान्ता/कैलाशचन्द्र मण्डावरा	,,	,,	,,	2000/-	,,	29-7-83	2000/-	,,
43.	श्री भंवरलाल/छोगालाल भण्डिया	,,	,,	,,	1576/-	,,	23-9-83	220/-	,,
44.	श्री लक्ष्मीनारायण/हजारीलाल सैन	,,	26-7-83	,,	2050/-	,,	26-7-83	2000/-	,,
45.	श्री भंवरूलाल/कालूदास वैष्णव	माताजी	8-11-81	फिक्स	101/-	हां	8-11-81	101/-	नहीं
46.	श्री सागरमल/सुरेशकुमार बाफना	कविनगर	23-2-82	नीलामी	6009/-	नहीं	1-9-82	3000/-	हो चुका
							1-11-82	1000/-	,,
							23-6-83	2000/-	
47.	श्री भंवरलाल/किशनलाल राव	माताजी	8-11-81	फिक्स	101/-	हां	8-11-81	101/-	नहीं
48.	श्री लजमा शफीमोहम्मद फकीर	नई आवादी	16-3-82	निःशुल्क	—	नहीं	—	—	—
49.	श्री लतीफ/इसमाइल विसायती	,,	22-3-82	फिक्स	101/-	,,	22-3-82	101/-	नहीं
50.	श्री सावरा/सदरूदीन	मेवाफरोस	,,	,,	71/-	,,	,,	71/-	,,
51.	श्री सजन/कासम नीलगर	नई आवादी	,,	,,	101/-	,,	,,	101/-	,,
52.	श्री बाबू/भोडीराम गोडोलिया	कविनगर	27-6-83	,,	2000/-	हां	3-6-83	1500/-	हो चुका
							27-6-83	500/-	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	श्री सजनदेवी/बाबूदीन नीलगर	कविनगर	27-6-83	नीलामी	2500/-	नहीं	24-9-83	250/-	हो चुका
54.	श्री मेघसिंह/मोहनसिंह राजपूत	,,	7-12-82	,,	1150/-	,,	4-8-83	800/-	नहीं
							9-8-83	250/-	,,
55.	श्री कन्हैयालाल/तोलीराम दाधीच	,,	15-12-83	,,	1500/-	,,	26-10-83	1500/-	,,
56.	श्री माणकचन्द/कन्हैयालाल लोढा	,,	20-12-83	,,	4019/-	,,	21-5-83	1500/-	हो चुका
							9-8-83	1000/-	
57.	श्री भूरजी/अलीजी नीलगर	,,	25-12-82	निःशुल्क	—	हां	—	—	नहीं
58.	श्री हजारी/देवा रंगर	हमीरगढ़	15-12-83	फिक्स	251/-	नहीं	15-6-83	251/-	,,

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 235 का विवरण

(बिन्दु सं. 2)

फोटोग्राफी प्रतियोगिता पर हुए व्यय का मदवार विवरण

1.	निर्णायकों के जयपुर आगमन पर आने-जाने का वास्तविक किराया।	901.00
2.	निर्णायकों के जयपुर प्रवास में आवास एवं भोजन व्यवस्था पर व्यय।	394.95
3.	समाचार पत्रों में प्रतियोगिता के विज्ञापन पर व्यय।	20,552 40
4.	नोटिफिकेशन एवं कैटलाग की छपाई पर व्यय।	9,000.00
5.	श्रेष्ठ छायाकारों को नकद पुरस्कार।	32,500.00
	योग :	63,348.35

वर्ष 1983-84 में विभाग द्वारा परिचायक भ्रमण हेतु बुलाये स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटन प्रोत्साहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों/लेखकों/छायाकारों की सूची

1. श्री ज्यां लुइस, फोटोग्राफर, पेरिस।
2. श्री हरीश दीप, प्रोड्यूसर टेलीविजन, नई दिल्ली।
3. श्री बी. निवार, मुख्य सम्पादक "छपते-छपते", कलकत्ता।
4. श्री एम. जे. अकबर, मुख्य सम्पादक "सन्डे", कलकत्ता।
5. श्री एवं श्रीमती ज्यां कुगलयर, फोटो-पत्रकार, जापान।

152

6. श्री एम. पी. जैन, पत्रकार, "फाइनेन्स एक्सप्रेस", जयपुर ।
7. श्री हेमिस हॉर्सले, ट्रेवल, राइटर, यू. के. ।
8. श्री टार्बेन हुस, फोटोग्राफर एवं लेखक, डेनमार्क ।
9. कु. सोनी आर. तारापोरवाला, ट्रेवल राइटर एवं फोटो पत्रकार, "नमस्कार" बम्बई ।
10. श्री महेन्द्र सिंह, फोटो पत्रकार, जिओ पश्चिमी जर्मनी, बम्बई ।
11. श्री वी. आई. के सरीन, पत्रकार, "टाईम्स ऑफ इण्डिया" जयपुर ।
12. श्रीमती निरजा बोहरा, प्रोड्यूसर, उपग्रह दूरदर्शन, नई दिल्ली ।
13. श्री श्रीनाथ प्रसाद, कैमरा मैन एवं पार्टी, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली ।
14. श्रीमती एन. मैरव, पत्रकार, ब्रिटेन ।
15. ,, शेर्ले फॉकलर, वरिष्ठ सम्पादक, पेसिफिक मैगजिन, केलिफोर्निया, यू. एस. ए. ।
16. श्री जैनेन्द्र कुमार जैन, साहित्य लेखक, नई दिल्ली ।
17. श्री कोइची वातनावे, मुख्य पत्रकार, एन. एच. के. (जापान ब्रोडकास्टिग), टोक्यो (जापान) ।
18. श्रीमती लस्कल विलियर्सलिमॉय, पत्रकार एवं फोटोग्राफर, (फिगारो पत्रिका), पेरिस ।
19. श्री जी. वाई. पटेल, पत्रकार, टाईम्स ऑफ इन्डिया, अहमदाबाद ।
20. श्री रेपाजे, डच फोटोग्राफर, एवं श्रीमती उषा भल्ला, लेखक, नेशनल ज्योग्राफीक ।
21. श्री थॉमस ई. किंग; ट्रेवल राइटर "होलीडे" सिडनी, आस्ट्रेलिया ।
22. श्री टाटसुओ मैसुजिमा, ट्रेवल रिपोर्टर, टोक्यो, जापान ।
23. श्री ऐनटोनिओ मार्टिनल्ली एवं श्रीमती कोरिंग बनर्जी, फोटोग्राफर, इटली ।
24. श्री माइखल एगर, चेमिन डयू ग्राउण्ड पार्क, स्विटजरलैंड ।
25. श्री अन्दले, सिहोरपर, स्विटजरलैंड ।
26. श्री एल. हेमलर, प्रोडयूसर बेगला फिल्मस, एवं पार्टी (4 व्यक्ति) ।
27. श्री टी. काशीनाथ, दिल्ली ।

28. श्री वेनू सेन, कलकत्ता ।
29. चतुर्थ नेशनल कन्वेन्शन ऑफ फेडरेशन ऑफ इन्डियन, फोटोग्राफर्स, बीकानेर (11 व्यक्ति) ।
30. श्रीमती जिने इनिस, ट्रेवल राइटर, टोरान्टो, कनाडा ।
31. श्री जी. डी. घोषाल, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली (6 व्यक्ति) ।
32. श्री बी. डी. शर्मा, सम्पादक, इंडियन ट्रेवल ट्रेड पत्रिका, नई दिल्ली ।
33. श्री ओ. पी. भगत, स. संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ।
34. कु. निलिमा गांधी, सांध्य समाचार, ,, ,, ,, ।
35. श्री टी. वी. पॉल, पी. टी. आई., नई दिल्ली ।
36. श्री मधुकर उपाध्याय, यू. एन. आई., नई दिल्ली ।
37. श्री अशोक उपाध्याय, समाचार भारती, नई दिल्ली ।
38. श्री शरीफ, फिल्मस डिविजन, भोपाल ।
39. श्री वाई. एन. गोलीवर, संपादक, 'चक्रम पत्रिका (गुजराती), अहमदाबाद ।
40. श्री जी. एच. मास्टर, प्रेस, फोटोग्राफर, गुजरात समाचार, ,, ।
41. श्री एम. के. मिस्त्रि, मुख्य संवाददाता, इन्डियन एक्सप्रेस, ,, ।
42. श्री प्राणलाल के. पटेल, छाया पत्रकार, अहमदाबाद ।
43. श्री शिवनारायण मिश्रा, दैनिक छपते-छपते, कलकत्ता ।
44. श्री के. एन. मिश्रा, विशेष संवाददाता, दैनिक विश्वामित्र, कलकत्ता ।

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

निगम की बसों से दुर्घटनायें

240. श्री जगन सिंह (बयाना) एवं

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगमों की बसों द्वारा कितनी दुर्घटनायें हुईं ?

(2) उक्त दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई और उन्हें कितनी-कितनी राशि निगम द्वारा दी गई ? कृपया सूची-सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुर्घटनाओं में निगम की कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

(4) भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की बसों द्वारा 744 दुर्घटना हुई हैं।

(2) उक्त दुर्घटनाओं में 396 लोगों की मृत्यु हुई। मृतकों के वारिसों को निगम द्वारा दी गई अनुग्रह राशि एवं संभागवार बस दुर्घटनाओं की सख्या दर्शाते हुये सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि व चिकित्सा राशि के रूप में निगम की कुल 58,535.30 की राशि खर्च हुई है।

(4) भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये। नम्नलिखित कारगर कदम उठाये जा रहे हैं :

1. यह निर्देश दिये गये हैं कि वाहनों को मार्ग पर ले जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्यशाला प्रभारी वाहन में किसी प्रकार की यांत्रिक खराबी होने बाबत प्रमाण-पत्र जारी कर ही वाहन को मार्ग पर भेजेंगे।

2. चालक की ड्यूटी लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चालक अनुभवी है और उसका पूर्ण रिकार्ड उत्तम है तथा वह नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला नहीं है।

(श्री राज्य मंत्री, यातायात)

3. मार्ग में यदि चालक नशे की हालत में पाया जावे तो स्थान प्रभारी पत्रक वितरक का यह दायित्व है कि वे ऐसे चालक, परिचालक को ड्यूटी से उतार लेवें।

मार्ग में उड़नदस्ता, निरीक्षणकर्ताओं को भी ऐसे चालक, परिचालक को ड्यूटी से उतार लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

4. लम्बी दूरी व रात्रि वाहन सेवायें जिनमें 10 घंटे से अधिक वाहन का संचालन लगातार रहता है, में द्वितीय चालक की व्यवस्था कर रखी है।

5. वाहन में गति नियन्त्रक लगाये गये हैं।

6. समय-समय पर चालक के नेत्र परीक्षण व शारीरिक जांच कराई जाती है।

7. कोई भी बड़ी दुर्घटना होते ही उसके चालक को बिना विलम्ब के निलम्बित कर देने के निर्देश प्रसारित किये हुये हैं। साथ ही मार्ग पर यदि चालक नशे की हालत में बस चलाने की कोशिश करे तो परिचालक को निर्देश है कि वो यात्रियों के सहायोग से ऐसे चालक को उतार दें। इसी प्रकार चालक का भी यह दायित्व है कि यदि वाहन में ऐसी यान्त्रिक खराबी हो जिससे दुर्घटना होने की संभावना है तो वह वाहन को वहीं खड़ी कर दें और इसकी सूचना निकट के आगार प्रभारी व कार्यशाला प्रभारी को देवें।

———

(१२८)

गत तीन वर्षों में परिवहन निगम की बस दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या व उनके वारिसों को दी गई राशि का मानचित्र

क्र.सं.	संभाग का नाम	1981			1982			1983		
		दुर्घटना की संख्या	मृतकों की संख्या	दी गई अनुग्रह राशि	दुर्घटना की संख्या	मृतकों की संख्या	दी गई अनुग्रह राशि	दुर्घटना की संख्या	मृतकों की संख्या	दी गई अनुग्रह राशि
1.	सीकर	28	24	4000.00	34	12	—	27	16	—
2.	अलवर	16	13	3000.00	22	11	—	18	17	—
3.	अजमेर	11	10	2000.00	19	10	—	9	7	—
4.	जोधपुर	4	8	1000.00	10	10	—	6	25	—
5.	उदयपुर	23	6	—	53	16	900.00	18	8	—
6.	बीकानेर	16	11	1000.00	16	5	—	34	22	—
7.	जयपुर	59	76	15000.00	72	20	—	91	38	—
8.	कोटा	45	13	3000.00	42	6	—	71	12	—
	योग :	202	161	29000.00	268	90	900.00	274	145	—

ग्राम पंचायत इटावा के सरपंच द्वारा राजस्व भूमि की बिक्री

241. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा के सरपंच ने राजस्व की जमीन की नियम विरुद्ध बिक्री कर भारी वसूल की है ?

(2) यदि हां, तो उक्त गलत कार्यवाही के लिये सरपंच इटावा के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अब सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

रूपवास क्षेत्र का विद्युतीकरण

242. श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रूपवास बिजली से नहीं जुड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्वाचन क्षेत्र रूपवास को इस वर्ष बिजली से जुड़वाने का प्रावधान रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। रूपवास विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1983–84 के माह मार्च तक 65 ग्रामों का विद्युतीकरण हो जावेगा। इस क्षेत्र में वर्ष 1983–84 में 18 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रावधान है जिसमें सिर्फ 5 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है जो मार्च, 84 के अन्त तक विद्युतीकृत हो जावेंगे।

राज्य में मद्य निषेध समाप्ति से आय

243. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में मद्य निषेध को समाप्त करने पर दिनांक 1–4–82 से 31–3–83 तक तथा 1–4–83 से 31–1–84 तक कितनी आमदनी हुई ?

उत्तर

दिनांक 1–4–82 से दिनांक 31-3-83 तक कुल आबकारी आय रुपये 53,54,55,000 हुई। दिनांक 1–4–83 से 31-1-84 तक कुल आबकारी आय 50,41,00,000 रुपये हुई।

राजस्व वसूली के दौरान काश्तकारों के साथ घटिया व्यवहार

244. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर राजस्व वसूली के अन्तर्गत काश्तकारों के साथ घटिया स्तर का व्यवहार करने जैसे मुर्गा बनाना, मारपीट करना, पानी डालना, साफा उतारना आदि की शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो कहां-कहां से किस-किस की प्राप्त हुई ?

(2) क्या इन शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो किस स्तर पर किस-किस अधिकारियों द्वारा ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रामपाल जी विधायक, श्री बनवारी लालजी बैरवा, संसद सदस्य एवं ग्राम रहीमपुरा व नया गांव के ग्रामवासियों से शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। इस मामले में अतिरिक्त जिलाधीश, टोंक से जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

कार्यालय अतिरिक्त जिलाधीश, टोंक

क्रमांक : 112/एडीएम/ · दिनांक 18-1-84

निमित्त :

जिलाधीश महोदया,

टोंक।

विषय : **ग्राम रहीमपुरा उर्फ नयागांव के गजानंद, रंगलाल एवं श्योनारायण के साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके आदेशानुसार मैंने कल दि० 17-1-1984 को ग्राम पं० मुख्यालय नानेर एवं ग्राम रहीमपुरा पहुंचकर दोनों गांव के व्यक्तियों से इस प्रकरण के बारे में जांच की तथा श्री गजानन्द, रंगलाल एवं श्योनारायण को भी बुलाया, लेकिन

वे कहीं अन्यत्र गये हुये थे । जांच के समय सरपंच, ग्राम पंचायत को भी सुना गया तथा ग्राम पं० के रिकार्ड का एवं पटवारी, पटवार सर्कल नानेर के रिकार्ड से जांच की गई ।

ग्राम रहीमपुरा के निवासियों ने बतलाया कि आज से करीब 9-10 वर्ष पूर्व उन्होंने अपना पुराना गांव छोड़कर यह नया गांव बसाया है, तथा उन्हें आवासीय प्रयोजन हेतु ग्राम पं० नानेर के सरपंच द्वारा 10 × 15 वर्गगज के पट्टे प्रति परिवार जारी किये गये थे । एक भी व्यक्ति ने जांच के दौरान अपना पट्टा मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा यह दर्शाया कि उनके पट्टे श्री गजानन्द, रंगलाल एवं स्योनारायण टौंक लेकर गये हैं, तथा इस भूमि को आबादी भूमि करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं । सरपंच श्री नारायणसिंह ने बतलाया कि ग्राम रहीमपुरा के खसरा नम्बर 578 की चरागाह भूमि में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम पं० नानेर को उपखण्ड अधिकारी, टौंक के आदेश क्रमांक : एफ-7 (99) राजस्व विविध/81/4070 दि० 26-10-81 के द्वारा आबादी में परिवर्तन कर दी गई है, तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त खसरा के अलावा ख० नं० 522/2 की 17 बीघा भूमि एवं ख० नं० 574/2 की 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है, जिस पर वर्तमान में आबादी बनी हुई है । उपरोक्त भूमि जब आबादी हेतु तत्कालीन सरपंच को दी गई थी, तब उन्हें आबादी भूमि में से प्रति परिवार 10 × 15 वर्गगज के भूखण्ड आवंटन करने के निर्देश थे । लेकिन ग्राम निवासियों ने अपने मन की मर्जी से आबादी भूमि पर अपने कब्जे कर लिये, उसके उपरान्त भी उपरोक्त खसरा में करीब 2 बीघा 10 बिस्वा आवासीय भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है । सरपंच ग्राम पं० ने उप जिलाधीश, टौंक के पत्रांक 5851/राजस्व/75 दि० 18–12–75 जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, का अवलोकन करवाया तथा बतलाया कि उपरोक्त आदेश के द्वारा ग्राम रहीमपुरा के ख० नं० 876 की 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि उन्हें गोचर से आबादी में परिवर्तित करके दी गई है, लेकिन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जो ख० नं० 876 की 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम पं० को आबादी में परिवर्तित करके दी गई है वह ग्राम नानेर की है, न कि ग्राम रहीमपुरा की । ग्राम नानेर के ख० नं० 876 का खाता देखा गया जिसके अनुसार उपरोक्त खसरा किसी व्यक्ति विशेष के खातेदारी का है, इसलिये यदि यह मान भी लिया जावे कि ग्राम रहीमपुरा के खसरा नम्बर 876 की 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि चरागाह से आबादी में परिवर्तित करके सरपंच ग्राम पं० नानेर को दी गई है, तब भी जितना अतिक्रमण ग्राम रहीमपुरा के निवासियों ने मौके पर कर रखा है, वह भूमि आबादी में परिवर्तित की गई भूमि से कहीं अधिक है, क्योंकि वर्तमान में ख० नं० 876 की करीब 17 बीघा भूमि पर ग्राम निवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है ।

राजस्व रिकार्ड में रहीमपुरा के नामान्तरकरण सं. 107 के द्वारा ग्राम रहीमपुरा के ख. नं. 876 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 18 बि. भूमि का आबादी

में परिवर्तन होना अंकित है, जो आदेश के प्रतिकूल है एवं इसकी जाँच अलग से की जायेगी।

सरपंच, ग्राम पं. नानेर के अनुसार ख. नं. 876 की उपरोक्त 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से योजना बनाकर ग्राम निवासियों को 10×15 वर्गगज के भूखण्ड प्रति परिवार आवंटित किये गये थे, तथा पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये थे। खसरा परिवर्तनशील ग्राम रहीमपुरा के अवलोकन से एवं मौके निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि इस ग्राम के निवासियों ने जो उनको आबादी भूमि हेतु पट्टे जारी किये गये थे, उससे कहीं अधिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। फलस्वरूप यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है कि ग्राम रहीमपुरा की जिस नई आबादी में व्यक्ति आबाद हो चुके हैं वे अवश्य अतिक्रमी हैं और उनका अतिक्रमण पिछले 8-9 वर्षों से लगातार चला आ रहा है।

जब से इस ग्राम के निवासियों ने अतिक्रमण किया है, तब से इनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, और इन पर तावान कायम होता रहा है। सर्वश्री गजानन्द, रंगलाल और श्योनारायण इस ग्राम के मुखिया हैं, जिन्होंने ग्राम निवासियों को आवासीय भूमि के पटटे दिलवाने के लिये प्रति परिवार 250 से 500 रुपये तक की राशि वर्ष 1976 में इकट्ठी की थी, तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पं. नानेर से मिलकर उन्होंने चरागाह भूमि पर पट्टे की आड़ में अतिक्रमण करवाया था। उन्ही व्यक्तियों ने शुरू से भू-राजस्व को वसूली का विरोध करना शुरू कर रखा है, भू-राजस्व की वसूली के लिए तकाजा करने हेतु वर्ष 1975 में तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री कमलाराय ने कुछ प्रयास किये, तथा उसके विरुद्ध भी इन्होंने एक शिकायत की थी। यही तीनों व्यक्ति ग्राम निवासियों को बहका रहे हैं, तथा उनसे यह कहा जा रहा है कि आप सब हमारे साथ रहो, हम इस पूरी भूमि को आबादी में परिवर्तन करा लेंगे, तथा राज्य सरकार को किसी प्रकार की भू-राजस्व की अदायगी नहीं करेंगे, चूंकि जितने भी परिवार ग्राम रहीमपुरा की नई आबादी के रूप में गोचर ख. नं. 876 में अतिक्रमी के रूप में बैठे हैं, उन सबका इसी में हित है कि वे एक-जुट होकर एक ही बात कहें, इसलिये ये सभी तीनों व्यक्तियों के कहने में हैं, तथा चरागाह पर जो अतिक्रमण उन्होंने किये हैं, उनकी राशि जमा कराने के लिये तैयार नहीं हैं। इन सभी व्यक्तियों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाने के कारण सहायक जिलाधीश, प्रथम टौंक एवं तहसीलदार, टौंक दि. 4-1-83 को ग्राम पं. मुख्यालय नानेर के पंचायत भवन में गये थे, इन्होंने रहीमपुरा के बाकीदारान को भू-राजस्व की वसूली जमा कराने हेतु बुलाया, लेकिन समस्त ग्राम निवासी न आकर उपरोक्त तीन व्यक्ति ही राजस्व अधिकारियों के समक्ष पहुंचे। जिनको भू-राजस्व की बकाया राशि जमा करवाने हेतु कहा गया तथा तीनों व्यक्तियों द्वारा जमानत दिलाने के पश्चात् अन्य दूसरे

काश्तकारों को भी वसूली हेतु बुलाया । मैंने ग्राम नानेर के कई व्यक्तियों को ग्राम पंचायत भवन में बुलाया तथा इन तीनों उपरोक्त व्यक्तियों के साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा तथाकथित अमानवीय व्यवहार के बारे में जांच की, तब इस बात की सभी ने सयुक्त रूप से पुष्टि की है कि इन तीनों व्यक्तियों के साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया था। मात्र रहीमपुरा ग्राम के निवासी, जो अतिक्रमी हैं वे ही इन तीनों व्यक्तियों द्वारा कही बात को दोहरा रहे थे, जबकि वास्तव में ग्राम रहीमपुरा के व्यक्तियों को नानेर पंचायत में बुलाया गया था और रहीमपुरा के 3 व्यक्ति ही ग्राम पं. नानेर में उपस्थित हुये थे, इसलिये ग्राम निवासी नानेर के कथन पर विश्वास किया जाना न्याय संगत है।

श्री गजानन्द, श्री रंगलाल और श्री श्योनारायण अपने आप में ग्राम रहीमपुरा के मुखिया बने हुये हैं, तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के भी आदी हैं। श्री रंगलाल के पास उसके खाते में 60 बीघा 12 बिस्वा भूमि है, तथा उसने चरागाह भूमि पर 10 बीघा 4 बिस्वा क्षेत्रफल के व 10 बीघा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, तथा वर्तमान में रंगलाल पर 1158 रुपये की वसूली बाकी है, जिसके लिये रंगलाल को पटवारी हल्का ने मांग पत्र जारी किया था। श्री श्योनारायण के पास उसके खाते में 65 बीघा 10 बिस्वा भूमि है । श्री श्योनारायण ने अपने खातेदारी भूमि के अलावा 1 बीघा 6 बिस्वा चरागाह भूमि तथा 10 बिस्वा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, एवं इसके विरुद्ध 387 रुपये की बकाया है। गजानन्द के पास 27 बीघा भूमि खातेदारी की है। इसने 6 बीघा 10 बिस्वा चरागाह भूमि पर तथा 17 बिस्वा सिवाय चक भूमि पर पिछले कई वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है. जिसके विरुद्ध 1834 रुपये की राजस्व की वसूली बकाया है । इन बाकीदारान को पटवारी ने मांग पत्र दिये हैं, जिसको इन व्यक्तियों ने लेने से मना किया, उस परिस्थिति में मांग पत्रों की तामील चस्पान्दगी से करवाई गई है।

क्योंकि ये तीनों व्यक्ति अपने आपको गांव में प्रभावशाली व्यक्ति भी मानते हैं, तथा गांव के दूसरे व्यक्ति इनको अपना नेता मानते हैं. वैसी सूरत में यदि इन व्यक्तियों को भू-राजस्व की वसूली जमा कराने हेतु पाबन्द किया जाता है, तब उसका प्रभाव अन्य काश्तकारों पर पड़ता है, तथा इनकी महत्वता भी कम होती । इस बात से क्षुब्ध होकर इन तीनों व्यक्तियों ने जब इनको भू-राजस्व को बकाया वसूली चुकाने हेतु पाबन्द किया गया तब इन तीनों व्यक्तियों ने अनर्गल एवं मनगढ़न्त बातें कहकर ग्राम निवासियान रहीमपुर को बहकाया तथा उन सबको यह कहकर कि वर्तमान सरपंच ने जो भूमि तत्कालीन सरपंच द्वारा चरागाह आबादी में परिवर्तित कराई गई थी, वह पुनः चरागाह में अंकित करवा दी है, जिसको अब वापस आबादी में परिवर्तित करवाना होगा इसलिये जिस जिस व्यक्ति को अपने कब्जे की भूमि के पट्टे की आवश्यकता है वे किसी भी प्रकार की भू-राजस्व की बकाया राशि राजकोष में जमा न करायें, तथा प्रति

आवासीय भू-खण्ड 100/ रुपये का चन्दा उन्हें दें, जिससे कि वे इस भूमि को पुन: चरागाह से आबादी में परिवर्तित कर सकें, तथा सरकारी बकाया माफ करवा सकें। इसी भावना से सब ग्रामवासियों ने इन लोगों को प्रेरित करके इन लोगों से 5 एवं 6 जनवरी, 1984 को काफी राशि एकत्रित की जिसके पश्चात् इन लोगों ने राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध निजी इस्तगासा न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक की अदालत में प्रस्तुत किया। ग्राम निवासियान रहीमपुरा से मैंने व्यक्तिगत भी बात की है। श्री भैरू सिंह, श्री माधु, श्री सरवण नाथ ने अपने बयानों में इस बात की पुष्टि की है कि इन तीनों व्यक्तियों ने ग्राम निवासियों से चरागाह भूमि को आबादी में परिवर्तित करवाने के नाम से चन्दा एकत्रित किया है। श्री सूरजमल एवं नारायण लाल नाई ने भी इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन जब समस्त ग्राम निवासियों के साथ संयुक्त रूप से बयान देने को कहा गया तब उन्होंने पैसे देने की बात अंकित नहीं करवाई, लेकिन समस्त ग्राम निवासियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन तीनों व्यक्तियों द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें संयुक्त रूप से वे आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, तथा देंगे।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि श्री गजानन्द, रंगलाल एवं श्योनारायण ग्राम के अगवा बने हुये हैं तथा ग्राम निवासियों से भू-राजस्व जमा नहीं करवाने के लिये बरगला रहे हैं तथा इन तीनों व्यक्तियों ने वर्ष 1976 में भी समस्त ग्रामनिवासियों को बहकाया था, तथा आज तक भू-राजस्व की बकाया जमा नहीं करवा करके चरागाह में अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में बकाया भू-राजस्व को जमा नहीं करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों में इस बात की भावना पैदा की जा रही है वे समस्त एकजुट होकर काम करें, और उनका आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, जिससे कि वे बकाया भू-राजस्व की वसूली को माफ करवा सकें, तथा उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण को राज्य सरकार से नियमन करवा सके, और यही कारण है कि समस्त ग्रामवासियान रहीमपुरा द्वारा प्रस्तुत की गई मनगढ़न्त बातों का समर्थन कर रहे हैं। ये सभी निवासियान भू-राजस्व की बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार इन सभी ने चरागाह भूमि पर अवांछनीय रूप से अतिक्रमण कर रखा है और नियमानुसार मांग कायमी हो जाने के पश्चात् इन सबके मांग-पत्र भी जारी किये गये हैं। अब श्री गजानंद, रंगलाल और श्योनारायण जिन्होंने आबादी भूमि के अलावा चरागाह और सिवायचक भूमि पर भी अपने प्रभाव से अतिक्रमण कर रखा है एवं ग्राम निवासियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रखा है, मनगढ़न्त एवं बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल गिराना चाहते हैं

तथा इसी क्रम में उन्होंने सहायक जिलाधीश प्रथम, टौंक तहसीलदार, टौंक एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध तथ्यहीन एवं झूठी शिकायतों के आधार पर निजी इस्तगासे पेश करके, स्थानीय समाचार पत्रों में इसका झूठा प्रचार प्रसार करवाने में लगे हुये हैं।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय,
एस०डी०
प्रेमप्रकार विडयासर
अतिरिक्त जिलाधीश, टौंक।

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल की योजना

245. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल की प्रस्तावित योजना में अब तक कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं एवं कितनी राशि प्रार्थियान की जमा हो चुकी है ? उक्त राशि आवासन मंडल के पास कब से जमा है ?

(2) आवासन मण्डल द्वारा सवाई माधोपुर में योजना आरम्भ करने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये तथा क्या 1984-85 में योजना प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या तत्संदर्भ में भूमि का चयन किया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि ?

(4) क्या चयनित भूमि की अवाप्ति कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और अब भूमि कब तक अवाप्त कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) मण्डल की सवाई माधोपुर में प्रस्तावित योजना अब तक 983 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है। वर्ष 1981 में प्रारम्भ किये गये पंजीकरण से मण्डल के खाते में 20,16,750 रुपये तथा वर्ष 1982 में किये गये पंजीकरण से 4,14,350.00 रुपये आवेदकों से जमा हुए हैं।

(2) आवास निर्माण की योजना बनाकर हुडको, नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है। योजनानुसार निर्माण कार्य हुडको की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य वर्ष 84-85 में ही प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

(3) जी हां। भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) अवाप्ति की कार्यवाही जारी है।

164

भूमि का विवरण

खसरा सूची ग्राम-आलनपुर (सवाई माधोपुर)

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कमलेश राजरानी धर्मपत्नी कंवरवाल बैरवा मानउटान, स. माधोपुर	91	0 05	बंजड़ डोल	
		92	2 02	बारानी ।	
		103	0 01	बंजड़	
		104	0 01	दंजड़	
		107	1 19	वारानी ।	
		108	0 01	व. डो.	
		109	0 03	व. डो.	
		110	0 01	गै. मु. झेरा	
		111	0 03	ब. डो.	
		112	0 04	बंजड़	
		113	0 01	बंजड़	
		114	1 01	बारानी ।	
		115	0 01	गै. मु. झेरा	
		116	3 04	चाही खुश्क	
		117	0 19	वारानी 2	
		118	0 06	बंजड़	
		370	0 03	गै. मु झेरा	
		389	0 02	बंजड़	
2.	किरोड़ी लाल पुत्र भौंरीलाल ब्राह्मण, स्टेशन	76	0 09	वंजड़	

1	2	3	4	5	6
	सवाई माधोपुर	75/1/3	0 16	बारानी 3	
3.	किशन मुरारी सत्यनारायण पि. दामोदर हि. 1/3	304	0 01	बंजड़	
	माणकचन्द हनुमान प्रसाद पि.	305	0 05	चाही 4	
	हट्टीलाल हि. 2/3 ब्राह्मण	306	0 03	बंजड़	
	सा. देह	343	0 01	गै. मु. झेला	
		344	0 01	बंजड़	
		345	1 10	चाही 1	
		346	0 10	बंजड़ डोल	
		350	0 02	बंजड़ डोल	
		351	0 08	बंजड़ डोल	
		352	3 17	चाही खुश्क	
		353	0 10	बंजड़ डोल	
		354	0 01	गै. मु. झेरा	
		362	1 05	बारानी 3	
		363	0 12	ब. डो.	
		386	0 08	बारानी 1	
		387	0 01	गै. मु. झेरा	
		390	1 10	बारानी 2	
		391	0 01	गै. मु. टीबा	
		392	0 05	ब. डो.	
		393	0 08	ब. डो.	
		394	0 09	बारानी 2	
		395	0 03	ब. डो.	
		396	1 17	बारानी 2	
		397	0 04	ब. डो.	
		403	0 05	ब. डो.	

1	2	3	4	5	6
		951	0 01	बारानी अ	
		956	0 09	गैं. मु. झेरा 0.02 बंजड़	
4.	कारीलाल रघनाथ पि. मन्ना चिरंजी भूरया लक्ष्मीनारायण धूल्या प्रहलाद पि. नन्हा मीणा सा. देह	339	2 12	चाही 2	
		340	0 04	गैं. मु.	
5.	गंगाधर वल्द गेन्दीलाल माली सा. देह	929	0 04	ब. डो.	
		930	3 02	चाही 2	
		931	0 04	ब. डो.	
		932	0 02	गैं. मु. चाह	
6.	गंगाशंकर पु. हरिशंकर बीडनी थिवात हाल आ. स्टेशन	75/1/1	0 17	बारानी 3	
		75/1/2	0 15	बारानी 3	
		75/2	0 00	बारानी 3	
7.	चेन्या पु. भैरू माली सा. देह	936	0 03	चाही 3	
		942	0 09	चाही 3	
		943	2 03	चाही 2	
		944	0 09	ब. डो.	
		945	0 02	ब. डो.	
		946	0 05	गैं. मु. आबादी	
		949	0 12	चाही 1	
		957	0 04	ब. डो.	
		958	1 16	चाही 1	
		959	0 03	ब. डो.	
		960	0 04	ब. डो.	

1	2	3	4	5	6
8.	चौथमल पु. मंगला माली 1/3 राजाराम पु. चेन्दा 1/6 गजानन्द राजाराम पि. चेन्या 1/2 माली सा. देह	290	1 19	चाही 4	
		291	0 06	चाही 4	
		292	0 01	ब. डो.	
		293	1 15	चाही 4	
		294	0 02	गै. मु. चाह	
		295	0 01	गै. क्षेरा	
		296	0 09	ब. डो.	
9.	जानकीलाल पु. पन्नालाल खती सा. माधोपुर	77	0 03	ब. डो.	
		78	5 00	बारानी 3	
		79	3 02	बारानी 3	
		80	0 06	ब. डो.	
10.	धन्ना बद्री पि. बल्ला हि. 1/5 बन्सी पु. गोविन्दा 1/5 कैलाश पु. छोट्या 1/5 पून्या मनफूल पि. गोविन्दा 2/5	286	3 10	चाही 4	
		287	3 10	चाही 4	
		288	0 10	ब. डो.	
		289	0 09	ब. डो.	
11.	तुलस्या चौथमल पि. मंगला माली सा. देह	307	0 02	ब. डो.	
		313	0 02	गै. मु. चाह	
		314	0 01	गै. मु. क्षेरा	
		315	0 16	चाही 4	
		मि. 308	1 12	चाही 4	

1	2	3	4	5	6
		मि. 309	0 09	बा.	
		310	1 06	चाही 4	
		311	0 02	ब. डो.	
		347	0 03	गैं. मु. चाह	
		348	1 04	चाह खुश्क	
		349	0 06	ब. डो.	
		357	0 12	बारानी 1	
		358	0 04	ब. डो.	
12.	नोन्दा पु. तन्ना बैरवा सा. देह	96	0 02	गैं. मु. चाह	
13.	पांच्या श्रीपा पि. कालू गूजर सा. देह	66	0 02	गैं. मु. बाड़ा	
		67	0 01	गैं. मु. आबादी	
		68	0 05	चाही खुश्क	
		70	2 03	चाही 1	
		71	0 01	गैं. मु. आबादी	
		72	0 02	ब. डो.	
		73	1 12	चाही 1	
		74	1 02	चाही 1	
14.	बजरंगलाल पु. मांगीलाल बैरवा सा. देह	95	0 12	चाही 2	
		332	0 08	ब. डो.	
		333	1 10	चाही 2	
		334	0 07	ब. डो.	
		336	0 01	गैं. मु. चाह	
		337	1 06	चाही 2	
15.	बद्रीलाल नन्दलाल स्वर्णकार	369	0 08	बारानी 3	

1	2	3	4	5	6
16.	वद्रीलाल नारायण पि. गेन्दीलाल वैरवा	371	2 11	बारानी 2	
		372	0 01	ब. डो.	
		374	0 04	ब. डो,	
		375	0 06	व. डो.	
		376	0 04	व. डो.	
		377	1 03	बारानी 3	
		378	0 02	व. डो.	
		379	0 03	व. डो.	
		380	0 03	व. डो.	
		381	0 03	,, ,,	
		382	0 12	वारानी 2	
		383	0 02	वंजड 2	
		384	0 06	,, 1	
		388	1 01	बारानी 2	
17.	वल्देवा पु. भागीरथ माली सा. देह	933	0 09	ब. डो.	
		934	0 04	गै. मु. चाह	
		935	0 03	व. डो.	
		947	1 11	चाही 2	
		948	1 13	व. डो.	
18.	भूरया पु. कोरया हि. 1/3 वजरंगा पि. गोविन्दा 1/3 कैलाश रामनारायण पु.	97	1 13	चाही 2	
		98	0 01	,,	
		99	1 08	,,	
		100	1 07	,,	

1	2	3	4	5	6
		101	0 02	ब. डो.	
		105	0 01	गै. चाह	
		106	0 02	गै. मु. केरा	
19.	भोरया पु. छाजू माली सा. देह	मि. 280	0 19	चाही 2	
		मि. 952	0 02	,,	
		मि. 954	0 16	,,	
20.	भोरया पु. विरध्या 1/2 धन्ना बड़ी पि. बल्ला कैलाश पु. छोट्या 1/8 बन्सी मूल्या पि. गोविन्दा 1/4	281	4 07	,,	
		282	0 02	,,	
		283	0 03	,,	
		284	0 02	,,	
		285	0 01	गै. मु. आवादी	
21.	मदनगोपाल पु. कल्याण बक्ष कायस्थ सा. माधोपुर	297	1 00	चाही 4	
		298	0 01	गै. मु. झेरा	
		299	1 01	चाही 4	
		300	0 01	ब. डो.	
		301	0 01	गै. मु. झेरा	
		302	0 17	चाही 4	
		303	1 05	,,	
		312	0 03	ब. डो.	
		329	0 02	,,	
		341	0 05	चाही 4	
		342	0 01	गै. मु. झेरा	

Page No. 171

(171)

1	2	3	4	5	6
22.	रामचन्द्र पु. गल्पा ब्राह्मण	326	1 19	चाही 2	
		327	1 16	,,	
		328	0 19	,,	
		330	0 02	ब. डो.	
		331	0 08	,,	
		355	2 02	बारानी 2	
		356	0 01	बंजड़	
23.	रामचन्द्र पु. जगन्नाथ ब्राह्मण सा. देह	316	0 02	गै. मु. चाह	
		317	0 02	ब. डो.	
		मि. 318	0 01	गै. मु. चाह	
		,, 319	0 02	ब. डो.	
		,, 320	0 04	चाही 2	
		,, 322	0 15	ब. डो.	
		,, 323	0 06	,,	
		335	0 03	,,	
		338	0 08	,,	
24.	रामदेवा पु. जगल्या बैरवा सा. देह	359	0 03	गै. मु. चाह	
		360	0 03	गै. मु. झेरा	
		मि. 361	1 03	चाही 2	
25.	नन्दकिशोर आदि रेगरान स. माधोपुर	,, 365	0 03	बंजड़ डो.	
		366/1	0 10	चाही 2	
		368	0 02	ब. डो.	

Page No. 172

(172)

1	2	3	4	5	6
26.	रामनिवास पु. मूल्या व रामकुंवार पु. हन्सा माली	950	1 00	चाही 1	
27.	रामपाल महीपाल	मि. 267	0 08	चाही अ	
	बृजमोहन सूरजमल पि. ओंकार हि. 1/2	1393			
	नारायण पु. दोल्या 1/2 माली सा. देह	1392			
28.	लक्ष्मण लाल नरेशचन्द्र पि.	81	2 10	बारानी 2	
	रामजीलाल हि. 1/2	82	0 01	गै. मु. झेरा	
	मोहन लाल पु. राम	83	0 03	बंजड़ 1	
	प्रसाद 1/2 ब्राह्मण	85	2 09	बारानी 2	
	स्टेशन स. माधोपुर	86	1 15	,, 3	
		93	0 03	ब. डो.	
		94	1 15	चाही 2	
29.	श्री नारायण पु. कनीराम जाट 1/3 राधा किशन पु. बलदेवा 1/3 कृष्ण मुरारी सत्यनारायण पि. दामोदर 1/2 हनुमान प्रसाद पि. हट्टीलाल 1/2	84	0 03	गै. मु. चाह	
30.	सूरजमल नाथूलाल पि. किशना पु. श्योनारायण 1/2	961	0 04	ब. डो.	
		963	0 02	गै. मु. चाह	
		964	0 02	,,	
		965	0 02	ब. डो.	
		966	1 14	चाह 3	

1	2	3	4	5	6
		975	0 01	ब. डो.	
		976	0 01	गै. मुं. चाह	
31.	सोन्या पुत्र कोरया माली सा. देह	977	0 05	चाही 1	
		968	0 13	,,	
		969	0 04	गै. मु. चाह	
		970	0 01	चाही 1	
		971	1 00	,, अ	
32.	सोन्या भोरया सुन्दर हजारी	972	0 06	,, 1	
	सुखाराम पि. चन्दा 5/6	973	0 02	,, ,,	
	पूरी वेवा पृथ्या हि. 1/6	974	0 02	गै. मु. आबादी	
	माली सा. देह	978	0 04	चाही 1	
		979	0 01	गै. मु. चाह	
		990	0 05	चाही 1	

ग्राम—आलनपुर तहसील, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में अवाप्त की जाने वाली भूमि के अन्तर्गत आने वाली सिवाय चक भूमि

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	क्षेफल	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय भूमि बंजड़	69	0·15	ब. डो.	
		385	0 07	बंजड 1	
	नदी नाले	398	0 08	ब. डो.	

(174)

1	2	3	4	5	6
		404	1 20	गै. मु. नला	
		882	3 01	,,	
		928	2 02	गै. मु. रास्ता	
		955	0 01	,,	
		967	1 16	,,	
2.	श्रीमंती सुखबाई पुत्री छोगा माली हि. 1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र चलया हि. 1/2 माली. सा. देह हि. व.	927	0 18	बारानी 3	
3.	रामदेवा पुत्र मंगल्या बैरवा सा. देह	366 मिन	0 10	चाही दोयम	
4.	भौंरिया पुत्र छाजा माली सा. देह	953	0 01	गैं. मु. चाह	
5.	रामचन्द्र पि. मु. जगन्नाथ ब्रा. सा. देह	321	0 08	व. डो.	
6.	रामचन्द्र पुत्र गल्या ब्रा. सा. देह	324	0 02	गै. मु. झेरा	

कुल अवाप्त किया जाने वाला रकबा 149 बीघा 10 बिस्वा

ग्राम—आलनपुर, सवाई माधोपुर में अवाप्त की जाने वाली भूमि की सीमाएं

उत्तर :— रेल्वे कालोनी

दक्षिण :— रास्ता आलनपुर स. माधोपुर रोड

पूर्व :— ग्राम आलनपुर के खसरा नं. 62/1, 63, 64, 56, 55, 65, 54, 53, 52, एवं कच्चा रास्ता

पश्चिम :— स्टेशन आलनपुर से सवाई माधोपुर को जाने वाली नई सड़क।

चौमूं निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण

246. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमू-रेनवाल, चौमू-खेजरोली, चौमू-हस्तेड़ा, चौमू-अजीतगढ़ मार्ग पर प्राइवेट बसें चलती हैं तथा इनमें भारी भीड़ रहने की वजह से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

(2) क्या जनता द्वारा इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग भी की गई है ?

(3) यदि हां, तो इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इन मार्गों पर प्राइवेट बसें चलती हैं परन्तु यह सही नहीं है कि इन बसों में आये दिन भीड़ रहने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं।

(2) जी हां।

(3) इन मार्गों में से एक मार्ग चौमू-रेनवाल के राष्ट्रीयकरण की योजना राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन है। शेष मार्गों के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति डीडवाना में ग्राम सेवकों की नियुक्ति का प्रकरण

247. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा दस ग्राम सेवकों को मनमानीपूर्वक 1 वर्ष की सेवा अवधि का मौका दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो ऐसा करने से उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवकों की इस प्रकार की गई अनियमित नियुक्तियों के कारण अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जो साक्षात्कार हेतु पूर्ण योग्यता रखते थे उनको नौकरी से वंचित होना पड़ा ?

उत्तर

(1) दिनांक 21-12-1982 को पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा 11 ग्राम सेवकों की अस्थाई नियुक्ति की गई थी।

(2) उक्त ग्राम सेवकों की सेवाएं दिनांक 20-12-1983 को समाप्त कर दी गई जिस पर उन सभी ग्राम सेवकों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

(3) उक्त ग्राम सेवकों की नियुक्ति में पंचायत समिति द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करवाई जायेगी।

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था

248. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक विद्यालय को खोलने के लिए क्या कोई निश्चित आबादी का नियम निर्धारित है ?

(2) यदि हां, तो दूरस्थ इलाकों में जहां आबादी की पूर्ति नहीं है, के बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है ?

(3) यदि आबादी की कोई निर्धारित सीमा नहीं, तो बांसवाड़ा जिले में दूरस्थ आदिवासियों के इलाकों में जहां एक गांव में कथित आबादी पूरी नहीं होती वहां प्राथमिक स्कूल क्यों नहीं स्थापित किए जा रहे हैं ?

(4) क्या नजदीक के दो गांवों को मिला कर आबादी की पूर्ति कर प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले में इस तरह की व्यवस्था लागू क्यों नहीं की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नये विद्यालय, संभावित छात्र संख्या, आबादी, स्थानीय मांग, भवन उपलब्धि आदि को ध्यान में रख कर खोले जाते हैं।

(3) वर्ष 1983-84 में उपरोक्त आधार पर विकास विभाग द्वारा खोले गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सरकार यथा संभव प्रत्येक आबादी में शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराना चाहती है। वित्तीय कठिनाई के कारण सभी स्थानों पर विद्यालय खोल सकना संभव नहीं हो रहा है।

वर्ष 1983–84 में जिला बांसवाड़ा में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	बागीडोरा	1. झरमोटी
		2. जाम्बुडी
		3. बाजार
		4. बोरकुण्डा
		5. खेरीया
		6. सागन
		7. अमरपुरा
2.	घाटोल	1. देलवाडा रावणा
		2. गदडा
		3. कोटा भगरी
		4. गरणावत
		5. मीयां का पाडा
		6. बस्ती आडा (कन्या)
		7. रोनिया मानेग
		8. डिडोरिया
		9. केटडी
3.	आनन्दपुरी (भूखिया)	1. कांकर डूंगरी
		2. सरवई
		3. भंवरिया
		4. चौथमाल
		5. झेर
		6. कुम्हारिया
		7. अम्बा

Page No. 178

178

1	2	3
4.	पिपलखूंट	1. खातियासनी
		2. पिपलखूंट (कन्या)
		3. नाल
5.	गढ़ी	1. पोरडा
		2. बजवाना (कन्या)
6.	सज्जनगढ़	1. डूंगरीपाड़ा
		2. मेराना
		3. दामासाथ
		4. मीलकुआ
		5. खुन्दनी रूपा
		6. टीडीयादेव
		7. कुण्डा
		8. खेमजी वाड़ा
		9. गोडा
		10. गाय आवगिया
		11. सोनजी पाड़ा
		12. कुडा
7.	कुशलगढ़	1. डूंगरापानी
		2. नानी साथ
		3. पीपली पाड़ा
		4. तरांलिया
8.	तलवाड़ा	1. आमली खेड़ा
		2. पाडला

राजस्व गांवों के पास की नई आबादियां

250. श्री मा०कमल मेहरा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली जिले के गांवों में राजस्व गांवों के आस-पास जो नई आबादियां विकसित हुई हैं उनको मुख्य राजस्व गांवों में सम्मिलित करने को या इन आबादियों को अलग से पहचान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन आबादियों के निवासियों को भी मुख्य गांवों के निवासियों की भांति सुविधायें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या जनगणना करते समय ऐसी आबादियों को किसी गांव की आबादी में सम्मिलित किया जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो अन्य क्या विकल्प हैं ?

उत्तर

(1) जिस ग्राम की राजस्व सीमा में नई आबादी बसती है उसे उसी ग्राम का भाग माना जाता है।

(2) इस प्रकार की आबादी को भी मुख्य ग्राम के अनुसार ही सुविधा देने का प्रयास किया जाता है।

(3) जी हां, इस प्रकार की आबादी की जनगणना मुख्य ग्राम के साथ की जाती है।

कोटा में आवासन मंडल का कार्यालय स्थापित करना

251. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आवासन मंडल के कार्य की अधिकता को देखते हुए कोटा जिले के अलॉटीज की सुविधार्थ एक कार्यालय कोटा में ही स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय ने कोटा में कार्य प्रारम्भ कर दिया है व समस्त रिकार्ड कोटा पहुंच चुका है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कार्य जारी है।

Page No. 180

180

शहांजहांपुर–नारनोल मार्ग पर चालित बसेज

252. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शहाजहांपुर-नारनोल मार्ग पर चलने वाली बसें ग्राम दोसोद होकर नही चलती हैं ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर चलने वाली बसों को ग्राम दोसोद होकर चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। ये बसें ग्राम दोसोद होकर नही चलती हैं।

(2) यह हरियाणा व राजस्थान राज्य की सरकारों के पारस्परिक समझौते पर निर्भर करता है।

ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा टैक्स के विरुद्ध अपील

253. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा मई, 1980 में पंचायत क्षेत्र में चुंगी लगाये जाने के विरुद्ध राज्य सरकार को स्थगन आदेश के लिये अपील दायर की थी और राज्य सरकार ने मई, 1980 में ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था ? यदि हां, तो अब तक स्थगन आदेश पर राज्य सरकार किस निर्णय पर पहुंची है ? क्या राज्य सरकार स्थगन आदेश हटाने की कार्यवाही करेगी यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत भूपालसागर के निर्णय के विरुद्ध उन व्यक्तियों ने राज्य सरकार को अपील की है जो अधिकांश पंचायत क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थगन आदेश दिनांक 30-7-1980 को जारी किये गये थे। यह मामला राज्य सरकार की सुनवाई में चल रहा। इस मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख 30-4-1984 निश्चित है।

(2) पंचायत क्षेत्र के अन्दर व बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत भूपालसागर के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत की गई है।

Page No. 181

(181)

तहसील जैतारण के गांवों का विद्युतीकरण

254. श्री शिवदान सिंह राठौर (जैतारण) : एवं **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील जैतारण जिला पाली में जो गांव विद्युतीकृत नहीं हैं उनको विद्युतीकृत करने के लिये कोई आर. ई. सी. अथवा एस. पी. ए. अथवा अन्य कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी व कब तक उन गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ? कृपया गांवों की सविवरण सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां, तहसील जैतारण, जिला पाली के जो 33 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं हैं, उनके लिये एक एस. यू. श्रेणी की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस वर्ष स्वीकृत कराई गई है । योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है । योजना का कार्य हाथ में लेने के लिये अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं । योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है । योजना का कार्य पूरा होने पर जैतारण तहसील के शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जावेगा ।

सूची "अ"

पंचायत समिति जैतारण की एस० यू० श्रेणी की स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	निम्बेडा खुर्द	15/1/87	2.	आसर लाई	15/1/88
3.	टुंकडा	86	4.	ग्यास	54

1	2	3	1	2	3
5.	प्रतापपुरा	65	6.	रावडियास	66
7.	बालूपुरा	74	8.	घोडावड	26
9.	डिगोनिया	63	10.	बलाडा	62
11.	मुन्डवा	27	12.	पीपलिया	28
13.	लासनी	61	14.	सेवरिया	80
15.	बासी चैनपुरा	81	16.	अमरपुर	73
17.	ओडावास	72	18.	भूम्बलिया	71
19.	घनेरिया	76	20.	बेड खुर्द	38
21.	पालियास	84	22.	कोटडिया	79
23.	खीन्दावास	78	24.	कटमोर दयालपुरा	75
25.	लिखमणिया	69	26.	गांगलिया	68
27.	खातीखेडा	35	28.	सोमावास	34
29.	खेडा मोलावास	14	30.	देवरिया राजपुतान	82
31.	खेडा नैनपुरा	83	32.	भाकर वासनी	41
33.	लुम्बडावास	46			

रामगढ़ बांध पर शराब के ठेके

255. श्री वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के रामगढ़ बांध पर अंग्रेजी व देशी शराब का ठेका अधिकृत रूप से दिया हुआ है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को तथा कौनसे स्थान पर यह ठेका चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय ग्रा. पं. के सरपंच द्वारा पंचायत का प्रस्ताव पारित कर एवं पंचायत समिति के प्रधान, स्थानीय विधायक व अनेक सरपंचों ने एक लिखित प्रार्थना-पत्र इस शराब के ठेके को यहां से हटाने के लिये स्वयं मंत्री महोदय को दियाथा ? यदि हां,तो 5-6 मास गुजरने के बाद आज तक भी उस ठेके को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत व निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुये उक्त शराब के ठेके को वहां से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर जिले में पोषाहार केन्द्र

257. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में 120 पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं ? यदि हां, तो उनमें से सन् 1983 में कौन-कौन से केन्द्र कितने समय तक बन्द पड़े रहे तथा किस कारण ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन केन्द्रों को काफी समय तक बन्द कर दिया गया था उनका सामान समाज कल्याण अधिकारी के पास पड़ा रहा ? यदि हां, तो उस सामान का उपयोग किन-किन केन्द्रों पर किया गया ? यदि हां, तो कितना सामान उनके पास मौजूद है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पोषाहार केन्द्रों का सामान बाजार में बिकता हुआ पकड़ा गया था ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ स्थानों पर केन्द्र प्रारम्भ ही नहीं हुये और सामान उठा लिया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के लिये 120 पोषाहार केन्द्र स्वीकृत हैं। ये सभी

184

(समाज कल्यान मंत्री)

केन्द्र माह अगस्त, 83 से नवम्बर, 83 तक खाद्य सामग्री को उपयोग में लेने बाबत पोर्ट हैल्थ आफिसर बाम्बे का प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण बन्द रहे।

(2) सभी पोषाहार केन्द्रों का सामान राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व हिण्डौन सिटी में जमा था और पोर्ट हैल्थ आफिसर का अनाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर गंगापुर में 23, हिण्डौन में 24 तथा सवाई माधोपुर में 44 केन्द्र माह दिसम्बर, 83 से से प्रारम्भ गर दिये गये, शेष खाद्य सामग्री तीनों स्थानों के राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डारों में मौजूद है जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। नगर पालिका क्षेत्र टोडाभीम व करौली के पोषाहार केन्द्र प्रारम्भ नहीं किये गये और उनके लिये कोई सामान भी नहीं उठाया गया।

दिनांक 15–3–84 को जिला सवाई माधोपुर के राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के विभिन्न गोदामों में उपलब्ध खाद्य सामग्री का विवरण

1.	सवाई माधोपुर	बल्गरव्हीट	5260 बैग्स
		सलाद आयल	368 कार्टून
2.	गंगापुर सिटी	बल्गरव्हीट	7548 बैग्स
		सलाद आयल	695 कार्टून
3.	हिण्डौन सिटी	बल्गरव्हीट	6 बैग्स
		सलाद आयल	20 कार्टून

देवस्थान विभाग के मन्दिर

258. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विभाग में सरकारी मन्दिरों की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मन्दिरों को सरकारी सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां, तो किन-किन मन्दिरों की कितनी-कितनी ?

(3) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग के मन्दिरों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था है ? क्या मन्दिर रूप चन्द्रमाजी, गंगा गोपाल जी एवं राधा मनोहर जी में विभाग द्वारा मुख्य दरवाजे पर सेवा पूजा के बाद ताला बन्द करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो कब दिये गये ? इस आदेश के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से मन्दिर के दरवाजे बन्द होते हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) देवस्थान विभाग के मन्दिरों की सेवा पूजा का सुबह, सायंकाल क्या समय निर्धारित है ? क्या मन्दिरों में समय पर पूजा होती है ?

उत्तर

(1) राजकीय मंदिरों की संख्या 977 है जिनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सहायता प्राप्त मंदिरों की सूची सलग्न है।

(3) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग के मंदिरों की सुरक्षा हेतु प्रहरी नियुक्त हैं। जिन मंदिरों में प्रहरी का पद स्वीकृत नहीं है, उनकी सुरक्षा का दायित्व मंदिर के पुजारी व प्रबंधक का होता है। इन मंदिरों में ताला लगाने के बारे में ऐसे कोई आदेश दिये हुए नहीं हैं।

(4) देवस्थान विभाग के मंदिरों में सम्प्रदाय के अनुसार सेवा पूजा का समय निश्चित होता है। मंदिरों में सेवा पूजा समय पर होती है।

सूची जिलेवार राजकीय मन्दिरान देवस्थान विभाग

क्र.सं.	नाम डिविजन	नाम जिला	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	राजकीय आत्म निर्भर	राजकीय सुपुर्दगी
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	1. जयपुर	41	9	62
		2. अजमेर	—	3	3
		3. सीकर	—	—	—
		योग :	41	12	65
2.	भरतपुर	1. भरतपुर	1	34	77
		2. धौलपुर	7	—	21
		3. अलवर	—	8	46
		योग :	8	42	144
3.	जोधपुर	1. जोधपुर	9	8	11
		2. पाली	—	—	—
		3. जालोर	—	—	—
		4. सिरोही	—	—	—
		5. जैसलमेर	2	—	—
		6. बाड़मेर	—	—	—
		योग :	11	8	11

1	2	3	4	5	6
4.	बीकानेर	1. बीकानेर	56	17	5
		2. गंगानगर	21	2	—
		3. चूरू	28	1	4
		4. नागौर	—	—	—
		5. झुंझुनू	—	9	4
		योग :	105	29	13
5.	उदयपुर	1. उदयपुर	49	37	14
		2. भीलवाड़ा	11	7	1
		3. चित्तौड़गढ़	10	10	2
		4. डूंगरपुर	30	1	—
		5. बांसवाड़ा	58	5	—
		योग :	158	60	17
6.	कोटा	1. कोटा	27	2	—
		2. बूंदी	9	6	—
		3. झालावाड़	6	8	—
		4. टौंक	—	1	2
		5. सवाई माधोपुर	1	18	116
		योग :	43	36	118

1	2	3	4	5	6
7.	राजस्थान के बाहर स्थित मंदिर व संस्थान— सौरों, मथुरा, वृन्दावन, बरसाना गोवर्धन, कुसुम, सरोवर, चन्द्रेश्वर (पारसोली) राधाकुण्ड, जतीपुरा, सकीतरा, उत्तरकाशी, गंगोत्री, धरोली, भुवाली (नैनीताल) बनारस, देहली, द्वारका, औरंगाबाद, हरिद्वार आदि।		23	18	38
		योग :	23	18	38
		कुल योग :	389	205	403

सूची सहायता प्राप्त तिमाही पायन्दगान जयपुर शहर जिनको देवस्थान विभाग जयपुर द्वारा भुगतान किया जाता है

क्र सं	नाम मन्दिर	(वार्षिक कर राशि)	वि. विवरण
1	2	3	4
1.	श्री लीलाधरजी	51 00	
2.	श्री महादेवजी जैलखाना	89-28	

1	2	3	4
3.	श्री बलदेवजी सुरंग हवामहल	51–08	
4.	श्री दरगाह कदमरसूल	33–72	
5.	श्री गणेशजी फोजदारी	51–00	
6.	श्री रंगविहारीजी	98–40	
7.	श्री भूतेश्वरजी	114–24	
8.	श्री गोपालजी कूलवाल	36–24	
9.	श्री गोपालजी बड़ा	71–76	
10.	श्री सरनेश्वरजी	44–60	
11.	श्री मुरलीमनोहरजी घूलाहाउस	44–64	
12.	,, लक्ष्मीनारायणजी	193–00	
13.	,, गंगाजी खातीपुरा	51–00	
14.	,, सालगरामजी	94–07	
15.	,, शेषजी	56–28	
16.	,, बलदेवजी	83–52	
17.	,, सीतारामजी	45–24	
18.	,, सालगरामजी	83–76	
19.	,, जैनमन्दिर पाटोलियान	60–60	
20	,, ,, पापडीयान	47–76	
21.	,, ,, लश्करियान	57–00	
22.	,, ,, जानकीबाई	33–60	
23.	,, ,, चम्पारामजी	43–32	
24.	,, जैनमन्दिर मेघराजजी	89–90	
25.	,, महादेवजी तेलरोशनी	119–52	

190

1	2	3	4
26.	श्री गणेशजी मोदीखाना	63–72	
27.	,, भूतेश्वर महादेवजी	87–72	
28.	,, आनन्देश्वरजी महादेवजी	63–72	
29.	,, हनुमानजी पूर्वीयान	38–28	
30.	,, नृसिंहजी	33–00	
31.	,, अटलविहारीजी	63–72	
32.	,, महालक्ष्मीजी	86–04	
33.	,, कृष्णचन्द्रजी	29–88	
34.	,, सीतारामजी	36–24	
35.	,, त्रिलोकीनाथजी	35–04	
36.	,, मंगलेश्वरजी	34–08	
37.	,, गोकलेश्वरजी	32–52	
38.	,, मंगलेश्वरजी	32–04	
39.	,, गोकलेश्वरजी	30–60	
40.	,, मंगलेश्वरजी	32–04	
41.	,, गोकलेश्वरजी	30–60	
42.	,, अश्वमेधेश्वरजी	51–00	
43.	,, कामपूर्णेश्वरजी	55–32	
44.	,, सालगरामजी	95–76	
45.	,, सीतारामजी	85–20	
46.	,, ,,	39–48	
47.	,, लक्ष्मीनारायणजी	51–00	
48.	,, श्यामसुन्दरजी	44–40	
49.	,, रघुनाथजी	60–60	
50.	,, गोपालजी	35–04	

Page No. 191

1	2	3	4
51.	श्री गोपीनाथजी	38–28	
52.	,, हनुमानजी जलेबीचौक	50–64	
53.	,, लक्ष्मीनृसिंहजी	51–69	
54.	,, रघुनाथजी	29–88	
55.	,, ,, फकीखाना	38–28	
56.	,, ,, मशालखाना	38–28	
57.	,, कानजी कुशलदास का	36–24	
58.	,, सीतारामजी	46–24	
59.	,, ,,	63–72	
60.	,, गणेशजी	38–28	
61.	,, सागरमलजी	55–32	
62.	,, ,,	92–40	
63.	,, हनुमानजी	29–88	
64.	,, सागरमलजी	38–64	
65.	,, रामगोपालजी	73–72	
66.	,, देवकीनन्दनजी	63–72	
67.	,, श्रीरामगोपाल	51–00	
68.	,, सीतारामजी	44–50	
69.	,, रामगोपालजी	51–04	
70.	,, राधागोपालजी	51–00	
71.	,, सूरजजी	38–28	
72.	,, जीवणमाताजी	25–08	
73.	,, चोथमाताजी	102–72	
74.	,, जैन मन्दिर सिन्दूकान	83–40	
75.	,, ,, ,,	52–32	
76.	,, नन्दविहारीजी	42–60	

1	2	3	4
77.	श्री रामेश्वरजी	98-76	
78.	,, ग्यारचन्द्रजी	37-68	
79.	,, महादेवजी	41-40	
80.	,, सत्यनारायणजी	38-28	
81.	,, महादेवजी नरवदेश्वरजी	42-52	
82.	,, ,, कबीबसाहब	32-16	
83.	,, सीतारामजी	32-16	
84.	,, हनुमानजी	32-88	
85.	,, महादेवजी शमशान	38-28	
86.	,, ,,	51-00	
87.	,, ,, रामेश्वरजी	42-48	
88.	,, ,, गणेशजी	35-28	
89.	,, ,, भंवरनाथजी	88-08	
90.	,, कामेश्वरजी	62-72	
91.	श्री नृसिंहजी	29-88	
92.	श्री वृद्धराजश्री यज्ञशाला	70-08	
93.	,, जानकी बल्लभजी	62-28	
94.	,, रामगोपालजी	117-96	
95.	,, ,, झोटवाडा	59-04	
96.	,, सीतारामजी कुण्ड	102-00	
97.	,, भोमियाजी हरदेवजी	47-76	
98.	,, भैरूजी अजमेरी दरवाजा	51-00	
99.	,, महादेवजी पीपलेश्वरजी	36-00	
100.	,, महेशमदनी माताजी	70-08	
101.	,, मुरलीमनोहरजी	81-80	
102.	,, गणेशजी लालडूंगरी	67-44	
103.	,, शनीश्चरजी मोतीकटला	51-00	

1	2	3	4
104.	श्री कल्याणजी घाट	88–08	
105.	,, जैन मन्दिर खानीया	65–52	
106.	,, ,, ,, सांवराजी	72–69	
107.	,, गेबीपीरजी	34–68	
108.	मसजिद मीरजी के बाग	66–00	
109.	श्री भैरूजी टकसाल	40–20	
110.	,, गोपालजी ,,	60–60	
111.	,, रघुनाथजी लालडूंगरी	47–40	
112.	,, मदनलालजी	60–60	
113.	,, नरवदेश्वरजी	63–72	
114.	,, नृसिंहजी नाहरगढ़	69–44	
115.	,, नवग्रहजी	76–44	
116.	,, बारहजी	30–72	
117.	,, जानकीवल्लभजी	63–72	
118.	,, भूतेश्वरजी	70–80	
119.	,, नृत्यगोपालजी	33–24	
120.	,, गोपालजी पुरानी बस्ती	34–80	
121.	,, सीतारामजी	36–96	
122.	,, पीताम्बरजी	37–32	
123.	,, अम्बकेश्वरजी	40–54	
124.	,, अवशचन्द्रजी	39–32	
125.	,, सागरमलजी	38–28	
126.	,, विजयगोविन्दजी ब्रह्मपुरी	54–60	
127.	,, गोर्वधननाथजी	88–92	
128.	,, त्रिलोकीनाथजी	109–08	
129.	,, हनुमानजी मंगलामाताजी	39–60	
130.	,, ,,	48–00	

१९४

1	2	3	4
131.	श्री वेंकटेश्वरजी	93–00	
132.	,, सीतारामजी	63–72	
133.	,, बांकडा बिहारीजी	51–00	
134.	,, तपलेश्वरजी	63–72	
135.	,, गोपालजी	63–32	
136.	,, मंगलेश्वरजी	34–08	
137.	,, गोकलेश्वरजी	32–52	
138.	,, हनुमानजी गनगौरी दरवाजा	102–00	
139.	,, अन्नपूर्णाजी	44–64	
140.	,, राजराजेश्वरजी	51–00	
141.	,, गोपालजी घनश्यामजी	63–72	
142.	,, महादेवजी धर्मशाला	51–00	
143.	,, ,, गौरीशंकर	46–92	
144.	,, चित्रगुप्तजी	81–24	
145.	,, चन्द्रेश्वरजी	30–36	
146.	,, नगेमिया की मसजिद	45–00	
147.	,, चित्रशिरोमणिजी	38–28	
148.	,, गोर्वधननाथजी	184–56	
149	,, चबूतरा झुझारसिंहजी	44–04	
150.	,, जानकीवल्लभजी	44–04	
151.	,, सीतारामजी	41–40	
152.	,, गंगाजी	57–36	
153.	,, मुरलीमनोहरजी	57–36	
154.	,, धूलेश्वरजी	90–72	
155.	,, मसजिद बड़ी केमामियाजी	47–28	
156.	,, गणेश्वरजी	65–00	
157.	,, गोपालजी वड़ा	143–52	

1	2	3	4
158.	श्री नाहरसिंहजी	185-00	
	मन्दिर एवं धार्मिक संस्थान जिनको मासिक सहायता दी जाती है		
159.	श्री सूर्यनारायणजी गलता	480-00	
160.	,, हनुमानजी चांदपोल	446-28	
161.	,, रामेश्वरजी रामबाग	382-44	
162.	,, धर्मेश्वरजी स्टेशन रोड	382-44	
163.	,, सीतारामजी छोटी चोपड़	376-08	
164.	,, नृत्यगोपालजी सिरहड्योढी	354-00	
165.	,, अटलबिहारीजी नाहरगढ़रोड	346-50	
166.	,, गौरीशंकरजी महादेवजी	255-00	
167.	,, जगन्नाथजी कुण्ड, जयपुर	255-00	
168.	,, नृसिंहजी घाट दरवाजा	240-48	
169.	,, हनुमानजी, महादेवजी	208-00	
170.	,, जगन्नाथजी नाहरगढ़ रोड	216-72	
171.	,, राधागोपालजी फूटा खुर्रा	191-28	
172.	दरगाह शहवाजअली	191-28	
173.	,, फकीरमोहम्मद	191-28	
174.	श्री रघुनाथजी जन्तरमन्तर	176-16	
175.	,, हनुमानजी वाडीयान	173-28	
176.	,, रघुनाथजी बगीची देवादाम चांदपोल	153-00	
177.	,, अवधबिहारीजी गोविन्दराजियों का रास्ता	146-64	
178.	,, महादेवजी वीरजैसत्यादासजी नाहरगढ़ रोड	127-44	
179.	,, नवलकिशोरजी त्रिपोलिया बाजार	127-44	
180.	,, हनुमानजी नागरगढ़ के नीचे	121-08	
181.	,, गोपालजी रामबाग	120-00	

1	2	3	4
182.	दरगाह कदमरसूल मोतीकटला	182–28	
183.	श्री भैरवजी मशालखाना	120–00	
184.	,, ग्यारहरूद्रजी महादेवजी पुरानी बस्ती	188–04	
185.	,, चतरशिरोमणिजी	274–08	
186.	,, नटवरलालजी सिरहड्योढी	442–32	
187.	,, गोविन्दबिहारीजी त्रिपोलिया बाजार	292–76	
188.	,, गोर्वधननाथ पुरानी बस्ती	387–72	
189.	,, चरण मन्दिर गणेशगढ़ के पीछे	63–72	
190.	,, सरवेश्वरजी हथरोही	51–00	
191.	,, सूर्यनारायणजी आमेर रोड	360–00	
192.	,, मंशामाताजी आमेर घाटी	82–72	
193.	,, रघुनाथजी सांगानेरी गेट	176–28	
194.	,, गोपालजी भांकरोटा	153–72	
195.	,, जीवणमाताजी बनमाताजी का वास	242–28	
196.	,, प्याऊत्तारबंगला जयपुर	120–00	
197.	पींजरापोल गोशाला	1912–44	
198.	,, पेपलीनचर्च घाटगेट	1071–00	
199.	,, नवलविहारीजी	1021–00	
200.	,, गंगाजी पुरानी बस्ती	765–99	
201.	,, कल्याणजी	765–00	
202.	,, कालीजी सांगानेरी गेट के बहार	756–00	
203.	,, लक्ष्मीनारायणजी हीदा की मोरी	765–00	
204.	,, गणेशजी मोती डूंगरी	570–36	
205.	,, विजय गोविन्दजी	564–24	
206.	,, हिन्दू अनाथाश्रम	1000–00	
207.	,, आमन्देश्वरजी चांदनीचौक	619–00	
208.	,, मदनमोहनलालजी, किशनगढ़	1421–58	

1	2	3	4
209.	श्री माधोविहारीजी स्टेशन रोड, जयपुर	6375-00	
210.	,, श्यामसुन्दरजी जड़ियों का रास्ता	1421-58	
211.	,, महादेवजी, अम्बकेश्वरजी	580-00	
212.	,, हर्षनाथजी, भैरूजी	100-00	
213.	,, सीतारामजी हजूर	520-92	
214.	,, ,, बड़ा	512-00	
215.	,, ,, सिरहड्योढी	1069-00	
216.	,, रामचन्द्रजी चाँदपोल	4250-00	
217.	,, महाप्रभूजी	290-00	
218.	,, मोहनलालजी चौड़ा रास्ता	728-00	
219.	,, रामेश्वरजी मोटर गैरेज	109-44	
220.	,, मंशामाताजी घाट	102-81	
221.	,, नीलकण्ठ महादेवजी	102-81	
222.	,, नृसिंहजी रामबाग	351-61	
223.	,, गणेशजी चांदी की टकसाल	8-77	
224.	,, ,, मिस्त्रीखाना	11-96	
225.	,, ,, किलीखाना	19-12	
226.	,, मसजिद महावतान	21-37	
227.	,, गोपाजी तेलीपाड़ा	7-36	
228.	,, नन्देश्वरजी	14-94	
229.	,, केशोरायजी	11-62	
230.	,, सत्यनारायणजी	11-15	
231.	,, महादेवजी	12-75	
232.	,, ,,	5-87	
233.	,, नृसिंहजी गोपालजी का रास्ता	22-31	
234.	,, रघुनाथजी	9-59	

198

1	2	3	4
235.	श्री जैनमन्दिर काला का	18-00	
236.	,, ,, छापडान	10-75	
237.	,, ,, संघीजी	3-78	
238.	,, सीतारामजी	19-93	
239.	,, रामेश्वरजी	10-75	
240.	,, जैनमन्दिर जतीजी	7-56	
241.	,, विजयगोविन्दजी	24-37	
242.	,, जैनमन्दिर झंवरीयान	15-14	
243.	,, ,, चोवरियान	3-78	
244.	,, ,,	5-58	
245.	,, ,, मनोरियान	23-50	
246.	,, ,, दायानजी	3-19	
247.	,, नृसिंहजी मोदीखाना	19-92	
248.	,, लक्ष्मीनारायणजी	2-19	
249.	,, गोरेश्वरजी	00-75	
250.	,, चतरभुजी	18-72	
251.	,, गोपालजी कापडियान	27-00	
252.	,, लक्ष्मीनारायणजी खूटेटान	12-34	
253.	,, हनुमानजी	19-12	
254.	,, जैनमन्दिर मद्धीचन्दजी	23-00	
255.	,, मुरलीमनोहरजी	19-12	
256.	,, सीतारामजी	6-37	
257.	,, लक्ष्मीनारायणजी	19-62	
258.	,, नृसिंहजी	9-69	
259.	,, सीतारामजी	27-09	
260.	,, रामगोपालजी	15-00	

1	2	3	4
261.	श्री हनुमानजी मोरी	00-80	
262.	,, बालमुकन्दजी	11-75	
263.	,, जैनमन्दिर चेताला	11-75	
264.	,, राधाबल्लभजी	7-42	
265.	,, हनुमानजी	9-39	
266.	,, राधाबल्लभजी खातीवाड़ा	5-71	
267.	,, रामदेवजी	9-37	
268.	,, प्रेमबिहारीजी पुरानी वस्ती	28-12	
269.	,, बारहजी पुरानी वस्ती	18-72	
270.	,, मोहनजी मदारा	22-91	
271.	,, जैनमन्दिर विनोई	22-91	
272.	,, महादेवजी पुरानी वस्ती	9-59	
273,	,, रघुनाथजी	12-75	
274.	,, मुरलीमनोहरजी	22-31	
275.	,, लक्ष्मीनारायणजी	49-92	
276.	,, सीतारामजी	9-69	
277.	,, महादेवजी पुरानी बस्ती	15-94	
278.	,, लक्ष्मीनारायणजी	14-94	
279.	,, रामगोपालजी	19-12	
280.	,, सीतारामजी	19-92	
281.	,, चावण्डमाताजी	6-94	
282.	,, गंगाजी पुरानी बस्ती	27-75	
283.	,, नीरबिकारेश्वरजी	17-30	
284.	,, नृसिंहजी	11-75	
285.	,, सीतारामजी	23-50	
286.	,, माताजी वारही का रास्ता	23-50	

1	2	3	4
287.	श्री गणेशजी	12-75	
288.	,, गोवर्धननाथजी पुरानी बस्ती	14-94	
289.	,, पीपलेश्वरजी	9-27	
290.	,, रामगोपालजी	14-94	
291.	,, गणेशजी	25-50	
292.	,, लक्ष्मीनारायणजी	18-00	
293.	,, पीपलेश्वरजी	4-98	
294.	,, वेदनाथजी महाराज	18-75	
295.	,, महादेवजी गौरीशंकरजी	2-78	
296.	,, केशोरायजी मोतीकटला	23-50	
297.	,, मदनमोहनजी	22-31	
298.	,, रामगोपालजी	14-94	
299.	,, अजबबिहारीजी	28-69	
300.	,, द्वारकाधीशजी	12-75	
301.	,, रामगोपालजी ओदा	9-36	
302.	,, ,, बान्दरीकानालिका	22-31	
303.	,, हनुमानजी	9-56	
304.	,, लालबिहारीजी	23-50	
305.	,, जैनमन्दिर भूराका	29-49	
306.	,, गोपालजी डूमाका	14-81	
307	,, सीतारामजी	28-12	
308.	,, लक्ष्मीनारायणजी	19-92	
309.	,, मुरलीमनोहरजी	15-24	
310.	,, महादेवजी	98-00	
311.	,, रामगोपालजी	24-34	
312.	,, महादेवजी, हनुमानजी	27-28	

1	2	3	4
313.	श्री जुगलकिशोरजी	14–94	
314.	,, रामेश्वरजी	14–91	
315,	,, गणेशजी	12–75	
316.	,, सीतारामजी ब्रह्मपुरी	18–12	
317.	,, महादेवजी टीवेश्वर	9–69	
318.	,, ,, फूलनाथ	17–06	
319.	,, रामलक्ष्मणजी	18–75	
320.	,, दरगाह फतेहशाहजी	26–24	
321.	,, जैनमन्दिर जयचन्दजी पण्डित	1–59	
322.	,, गणेशजी	19–92	
323.	,, मंगलमाताजी	9–69	
324.	,, ,,	9–69	
325.	,, गणेशजी	19–22	
326.	,, नसियाबीहरी आमेर	5–87	
327.	,, नसियामटारखजी	5–87	
328.	दरगाह रामबाग	27–69	
329.	श्री शनीश्चरजी	11–15	
330.	,, लक्ष्मीनारायणजी	11–15	
331.	,, गोविन्ददेवजी	5–87	
332.	,, ग्यारहरूद्रजी हाट	2–94	
333.	,, वाव वुहारान	2–94	
334.	,, जैनमन्दिर घाट	5–87	
335.	,, नृसिंहजी	6–19	
336.	,, विश्वकर्माजी	5–53	
337.	,, भोमियाजी परकोटा	19–09	
338.	,, हनुमानजी पुरानाघाट	00–94	

1	2	3	4
339.	श्री गणेशजी	1–46	
340.	,, चतरभुजजी	11–75	
341.	,, हनुमानजी	25–50	
342.	,, गोपालजी रेजीडेन्सी	25–50	
343.	,, महादेवजी परकोटा	2–87	
344.	,, हनुमानजी	28–69	
345.	,, सीतारामजी मानसागर	5–84	
346.	,, हनुमानजी टकसाल	14–43	
347.	,, महादेवजी	5–84	
348.	,, जैनमन्दिर केशरीसिंहजी	12–75	
349.	,, ,, खानपुर	15–50	
350.	,, ,, चैताला	25–50	
351.	,, अन्नपूर्णाजी	25–50	
352.	,, महेशमदर्नी माताजी	15–94	
353.	,, गणेशजी विन्दायका	14–34	
354.	,, महादेवजी मानसागर	12–75	
355.	,, क्षेत्रपालजी	28–69	
356.	,, मुरलीमनोहरजी	2–39	
357.	,, जैनमन्दिर मेघराजजी	12–75	
358.	,, ,, बगीची	3–02	
359.	,, ,, चम्पारामजी	6–05	
360.	,, ,, श्योलालजी	9–77	
361.	,, ,,	5–58	
362.	,, लक्ष्मीनारायणजी	11–95	
363.	,, ,,	4–72	
364.	,, केसोरायजी	24–23	

1	2	3	4
365	श्री महादेवजी	12-11	
366.	,, लक्ष्मीनारायणजी	11-15	
367.	,, वनमाताजी	12-75	
368.	,, जैनमन्दिर	12-11	
369.	,, पुरषोत्तमरामजी	9-49	
370.	,, सुरूजजी गजताघाटी	6-44	
371.	,, बटक भैरूजी	9-65	
372.	,, महादेवजी	2-55	
373.	,, जानकीवल्लभजी	1-27	
374.	,, श्यामसुन्दरजी	22-84	
375.	,, गोपालजी	1-92	
376.	मेटतानोमन्दिरान	2-12	
377.	श्री गोपीनाथजी	4-47	
378.	,, मुरलीमनोहरजी	5-14	
379.	,, सीतारामजी	11-42	
380.	,, महादेवजी	4-78	
381.	,, सीतारामजी, गिरधारीजी	4-71	
382.	,, सुरजजी	2-31	
383.	,, मुरलीमनोहरजी	5-81	
384.	,, लक्ष्मीनारायणजी	8-69	
385.	,, गोपालजी गंगापोल	12-36	
386.	,, मेटतीनोमन्दिरान	2-12	
387.	,, सीतारामजी	6-37	
388.	,, लक्ष्मीनारायणजी	8-50	
389.	,, राधाकिशनजी	5-50	
390.	,, मुरलीमनोहरजी खातीवाड़ा	8-50	

1	2	3	4
391.	श्री महादेवजी	6-37	
392.	,, मदनमोहनजी	6-37	
393.	,, गिरधारीजी	6-37	
394.	,, श्यामसुन्दरजी	6-37	
395.	,, केशोरायजी	4-25	
396.	,, हनुमानजी	4-25	
397.	,, मेटतीनोमन्दिरान	2-12	
398.	,, राधावल्लभजी	8-77	
399.	,, रामलालजी	78-50	
400.	,, मुरलीमनोहरजी	14-57	
401.	,, गंगाजी	19-12	
402.	,, लक्ष्मीनारायणजी	8-77	
403.	,, मोहनजी	6-64	
404.	,, रघुनाथजी पुरानी बस्ती	4-37	
405.	,, मेंटलीनोमन्दिरान	12	
406.	,, नृसिंहजी	7-24	
407.	,, रामजी	6-42	
408.	,, गोपालजी	13-69	
409.	,, ,,	7-24	
410.	,, मेटतानोमन्दिरान	4-25	
411.	,, खेतरपालजी	7-87	
412.	,, जगन्नाथजी ब्रह्मपुरी	6-19	
413.	,, कूकडेश्वरजी	10-44	
414.	,, सालगरामजी	13-50	
415.	,, बद्रीनाथजी	2-29	
416.	,, त्रिलोकनाथजी	3-90	

1	2	3	4
417.	श्री हनुमानजी चांदपोल	4-28	
418.	,, सालगरामजी	17-96	
419.	,, राधाकिशनजी	7-42	
420.	,, चरण मन्दिर	12-14	
421.	,, रतनेश्वरजी	7-72	
422.	,, हनुमानजी चांदपोल	4-25	
423.	,, लक्ष्मीनारायणजी	7-11	
424.	,, मेटतीनोमन्दिरान	4-25	
425.	,, महादेवजी देवादास की बगीची	16-73	
426.	,, ,, एकादशद्रजी	19-12	
427.	,, लक्ष्मीनारायणजी	11-34	
428.	,, मेटतीनोमन्दिरान	3-19	
429.	,, मुरलीमनोहरजी	3-47	
430.	,, महादेवजी मेघेश्वरजी	1-08	
431.	,, राधाकृष्णजी	1-72	
432.	,, महादेवजी, नीरविकारेश्वरजी	1-72	
433.	,, गंगाजी	10-72	
434.	,, गोपालजी	1-28	
435.	,, लक्ष्मीनारायणजी	1-28	
436.	,, महादेवजी, शंकरगढ़	2-12	
437.	,, मेटतीनोमन्दिरान	1-06	
438.	,, रामगोपालजी	5-61	
439.	,, गोपालजी रंगरायपात्र का	3-95	
440.	,, गणेशजी मच्छी दरवाजा	2-12	
441.	,, रामकंवरजी	3-77	
442.	,, गंगाजी	1-65	
443.	,, महादेवजी, गोकरणेश्वरजी	4-02	

1	2	3	4
444.	श्री गोपालजी	5–61	
445.	,, मेटतीनोमन्दिरान	1–59	
446.	,, लक्ष्मीनारायणजी	27–77	
447.	,, चावण्ड माताजी	8–87	
448.	,, मेटतीनोमन्दिरान	1–59	
449.	,, केशोरायजी	1–45	
450.	,, गोपालजी	1–83	
451.	,, सालगरामजी	4–78	
452.	,, दांत माताजी	3–27	
453.	,, किशनदेवजी	5–31	
454.	,, यशोदानन्दजी	5–31	
455.	,, महादेवजी	5–31	
456.	,, पीताम्बरजी	3–90	
457.	,, मोहनलालजी	4–67	
458.	,, मेटतीनोमन्दिरान	4–25	
459.	,, ,,	4–25	
460.	,, लक्ष्मीनारायणजी	12–72	
461.	,, रामनिवासजी	19–06	
462.	,, जुगलकिशोरजी	11–08	
463.	,, गोपालजी	22–71	
464.	,, सीतारामजी	20–48	
465.	,, मुरलीमनोहरजी	12–85	
466.	,, सीतारामजी	19–12	
477.	,, मेटतीनोमन्दिरान	2–44	

मिश्रोली मिडिल स्कूल का क्रमोन्नयन

260. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) व

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1983 में किन-किन स्थानों पर किस-किस स्तर के स्कूल खोले गये ?

(2) क्या मिश्रोली मिडिल स्कूल सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने योग्य है ? यदि हां, तो इस स्कूल में वर्तमान समय में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं ? कृपया छात्र-छात्राओं की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मिश्रोली मिडिल स्कूल को योग्यता के आधार पर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ जिले की पाठशालाओं में शिक्षकों के अभाव के कारण छात्रों का भविष्य अन्धकार में है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अध्यापकों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में डग विधान सभा क्षेत्र में खोले गये प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्न प्रकार हैं :—

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1. सारंगा खेड़ा	1. पगारिया
2. खमला	
3. गुराडिया देवड़ा	
4. राजपुरा	
5. चोकड़ा खुर्द	
6. निवानिया झाला	
7. मोरड़ा	

(2) वर्तमान में स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक 368 छात्र एवं 148 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस वर्ष नये सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान न होने के कारण इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। अतः आगे के लिये कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं।

उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रोली में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूची
जिला-झालावाड़

छात्र—368

छात्रा—148

कुल—516

क्र.सं.	नाम छात्र	क्र.सं.	नाम छात्र
1	2	1	2

कक्षा—8

1.	श्री इस्हाक मोहम्मद	2.	श्री प्रकाश चन्द I
3.	,, रमेश चन्द I	4.	,, रमेश चन्द II
5.	,, सत्य नारायण	6.	,, सुखदेव
7.	,, सुरेश कुमार	8.	,, कालूराम
9.	,, अशोक कुमार	10.	,, मुकेश कुमार I
11.	,, मुकेश कुमार II	12.	,, कलावती बाई
13.	,, उर्मिला कुमारी	14.	,, गुड्डी कुमारी
15.	,, हर सिद्धि	16.	,, पवित्रा कुमारी
17.	,, रामगोपाल I	18.	,, रामगोपाल II
19.	,, राजकुमार	20.	,, विष्णु प्रसाद
21.	,, सलीम मोहम्मद	22.	,, किशोर कुमार
23.	,, कैलाश चन्द	24.	,, मनोज कुमार
25.	,, मुबारिक हुसैन	26.	,, दिनेश कुमार
27.	,, राजेन्द्र सिंह		

1	2	1	2
	कक्षा—7		
1.	श्री गोपाल सिंह	2.	श्री गिरधारी लाल
3.	,, दिनेश कुमार	4.	,, दिलीप कुमार
5.	,, दयाराम	6.	,, रामनिवास
7.	,, रमेश चन्द	8.	,, भगवान लाल
9.	,, गोपाल लाल I	10.	,, रामलाल
11.	,, नन्द कुंवर	12.	,, कैलाश चन्द्र गौड़
13.	,, ललित कुमार	14.	,, राजेन्द्र प्रसाद
15.	,, किरण देवी	16.	,, मंजू कुमारी
17.	,, निशा रानी	18.	,, लक्ष्मीनारायण
19.	,, चन्द शेखर	20.	,, संगीता कुमारी
21.	,, फूल चन्द	22.	,, संतोष कुमारी
23.	,, महेश कुमार	24.	,, प्रहलाद सिंह
25.	,, कृष्णा कुमारी I	26.	,, गोपाल लाल II
27.	,, रामप्रताप	28.	,, बंशी लाल
29.	,, सुरेश चन्द	30.	,, निशा कुमारी
31.	,, गोरधन लाल	32.	,, कुमारी शोभा
33.	,, मोहन बाई	34.	,, राजेश कुमार
35.	,, कृष्ण कुमारी	36.	,, नन्द किशोर
37.	,, ईश्वर चन्द	38.	,, अन्जू कुमारी
	कक्षा—6 (अ)		
1.	श्री कन्हैयालाल	2.	श्री विष्णु प्रसाद

1	2	1	2
3.	श्री भैरू लाल	4.	श्री अनिता कुमारी
5.	,, यशोदा कुमारी	6.	,, सुरेश बाबू
7.	,, ओम प्रकाश	8.	,, ईश्वर चन्द
9.	,, गुड्डी बाई	10.	,, तेजराम
11	,, दाणी सिंह	12.	,, निर्मला कुमारी
13.	,, पृथ्वी सिंह	14.	,, प्रहलाद
15.	,, प्रभूलाल	16.	,, बाल किशन
17.	,, भैरू लाल II	18.	,, रघुनाथ सिंह
19.	,, रमेश चन्द्र	20.	,, सुगना बाई
21.	,, सत्यनारायण	22.	,, घनश्याम
23.	,, रूप सिंह	24.	,, ममता कुमारी
25.	,, अंजना कुमारी	26.	,, सीमा कुमारी
27.	,, कविता ,,	28.	,, स्नेह लता
29.	,, दिनेश कुमार	30.	,, प्रमोद कुमार
31.	,, विष्णु प्रसाद	32.	,, गब्बा लाल
33.	,, कारू लाल	34.	,, प्रभू लाल
35.	,, प्रताप सिंह		

कक्षा—6 (ब)

1.	श्री रामगोपाल	2.	श्री बाल मुकन्द
3.	,, बगदूलाल	4.	,, प्रभूलाल
5.	,, राधेश्याम	6.	,, गिरिराज
7.	,, अर्जुन कुमार	8.	,, कुलदीप

1	2	1	2
9.	श्री मोहन लाल	10.	श्री राजेन्द्र कुमार
11.	,, बालाराम	12.	,, नज़ीर मोहम्मद
13.	,, कैलाश चन्द्र	14.	,, घनश्याम
15.	,, मोहन लाल	16.	,, रामदयाल
17,	,, राधेश्याम	18.	,, श्याम लाल
19.	,, प्रकाश चन्द्र	20.	,, कैलाश चन्द्र
21.	,, अभय सिंह	22.	,, बिरधी चन्द
23.	,, दुले सिंह	24.	,, उमराव सिंह
25.	,, देवी सिंह	26.	,, सोदान सिंह
27.	,, मान सिंह	28.	,, पंकज कुमार
29.	,, मदन लाल	30.	,, रमेश चन्द्र
31.	,, देवी सिंह	32.	,, ,,
33.	,, प्रहलाद सिंह	34.	,, कालू राम

कक्षा—5 (अ)

1.	श्री गोपाल सिंह	2.	श्री अनिता कुमारी
3.	श्री दिनेश चन्द्र	4.	श्री कान्ता बाई
5.	श्री कालू राम	6.	श्री कन्चन बाई
7.	श्री गीता बाई	8.	श्री नानू राम
9.	श्री नन्द किशोर	10.	श्री प्रेम कुमार
11.	श्री बालाराम	12.	श्री वालूराम
13.	श्री भैरू लाल	14.	श्री भवानी शंकर
15.	श्री राधेश्याम	16.	श्री रमेश चन्द्र

1	2	1	2
17.	श्री लक्ष्मी बाई	18.	श्री राम चन्द्र
19.	श्री ललिता कुमारी	20.	श्री विनोद कुमार
21.	श्री शांति बाई	22.	श्री शोलेन्द्र कुमार
23.	श्री सरिता बाई	24.	श्री सुनिता कुमारी
25.	श्री सरोज कुमारी	26.	श्री गोपाल लाल
27.	श्री पवित्रा कुमारी	28.	श्री लता कुमारी

कक्षा—5 (ब)

1.	श्री मान सिंह	2.	श्री राधेश्याम
3.	श्री हरि सिंह	4.	श्री प्रेम नारायण
5.	श्री धीरज कुमार	6.	श्री शशी बाला
7.	श्री रमेशचन्द्र	8.	श्री भेरू लाल
9.	श्री गिरिराज	10.	श्री घनश्याम
11.	श्री भूली बाई	12.	श्री महावीर प्रसाद
13.	श्री मुकेश कुमार	14.	श्री गुड्डी बाई
15.	श्री राजेश कुमार	16.	श्री ज्ञानेश कुमार
17.	श्री प्रेम बाई	18.	श्री श्यामा कुमारी
19.	श्री आनन्द बिहारी	20.	श्री कविता ,,
21.	श्री जयेश कुमार	22.	श्री बाला राम
23.	श्री राकेश ,,	24.	श्री राजेश कुमार
25.	श्री स्नेहलता	26.	श्री ओम प्रकाश
27.	श्री रूप चन्द	28.	श्री राधेश्याम

1	2	3	4
29.	श्री कैलाश चन्द्र	30.	श्री कुमान सिंह
31.	श्री विक्रम सिंह	32.	श्री मान सिंह
33.	श्री नेपाल सिंह	34.	श्री जसवन्त सिंह

कक्षा—4 (अ)

1.	राम सिंह I	2.	जगदीश कुमार
3.	नानू राम	4.	मोहन लाल
5.	उमना कुमारी	6.	कौशल्या कुमारी
7.	गिरिराज	8.	गुड्डी बाई I
9.	जगन्नाथ	10.	झूमा कुमारी
1.	द्वारका लाल	12.	दुर्गा लाल
3.	दिनेश कुमार	14.	पीरू लाल
	प्रहलाद	16.	प्रेम बाई
	बाला राम I	18.	बाला राम II
	मकसूद अली	20.	महेश कुमार I
	महेश कुमार II	22.	राम सिंह II
	रामनारायण	24.	रुकमणी बाई
	विनोद लाल	26.	बीछा बाई
	शोकत अली	28.	श्रीराम
	सरिता कुमारी	30.	संतोष कुमारी
	संजय कुमार	32.	सुशीला ,,
	हरचन्द	34.	हरिराज सिंह
	नन्द राम	36,	सुनिल कुमार व्यास
	गुड्डी बाई II	38.	दरियाव सिंह

५६

1	2	1	2
	कक्षा—4 (ब)		
1.	गोपाल लाल	2.	दिनेश कुमार
3.	राजाराम	4.	नसीम बेगम
5.	भागीरथ	6.	राजेश कुमार
7.	भूपेश कुमार	8.	कैलाश चन्द्र
9.	राधेश्याम	10.	,, ,,
11.	कैलाश चन्द्र	12.	गोविन्द प्रसाद
13.	राधेश्याम	14.	बाल चन्द्र
15.	भंवर लाल	16.	दिलीप कुमार
17.	पुष्पा कुमारी	18.	पवित्रा कुमारी
19.	द्रोपदी ,,	20.	कन्हैया लाल
21.	द्वारका लाल	22.	दिनेश कुमार
23.	बलवन्त सिंह	24.	कलावती बाई
25.	रामनिवास	26.	पुष्पेन्द्र कुमार
27.	बृज गोपाल	28.	पवित्रा कुमारी
29.	सत्य नारायण	30.	भगवान लाल
31.	कविता कुमारी	32.	पुष्पा कुमारी
33.	रेखा ,,	34.	धापू बाई
35.	गोपाल लाल	36.	रामदास
37.	अटल बिहारी	38.	कन्हैया लाल
39.	भूली बाई	40.	कन्हैया लाल

1	2	1	2
	कक्षा—3 (अ)		
1.	कन्हैया लाल	2.	कैलाश चन्द्र
3.	कालूराम I	4.	कालूराम II
5.	दिलीप कुमार	6.	दिनेश चन्द्र
7.	निहाल चन्द	8.	पंकज कुमार
9.	प्रकाश चन्द्र I	10.	प्रकाश चन्द्र II
11.	परथी सिंह	12.	बिन्दु कुमारी
13.	ववबिता कुमारी	14.	बंशी लाल
15.	वाल मुकुन्द	16.	वाल चन्द I
17.	बाल चन्द II	18.	,, III
19	,, IV	20.	महेश कुमार
21.	मधुवाला	22.	ममता कुमारी
23.	मोहम्मद आरिफ	24.	राम करण
25.	राम गोपाल	26.	राधा कुमारी
27.	लीला वाई	28.	विद्यावती
29.	विनोद कुमार I	30.	विनोद कुमार II
31.	विनोद कुमार III	32.	सुशीला कुमारी
33.	सुनिता कुमारी	34.	संगीता ,,
35.	प्रमीला ,,	36.	शैलेश ,,
37.	हितेश कुमार		
	कक्षा—3 (ब)		
1.	रामनारायण	2.	प्रभू लाल
3.	सुलोचना कुमारी	4.	अशोक कुमार

1	2	1	2
5.	हीरा लाल	6.	बाल चन्द
7.	कान्ती बाई	8.	गोमती बाई
9.	आशा कुमारी	10.	विनोद कुमार
11.	अनिता कुमारी	12.	नाथू सिंह
13.	कलावती	14.	राजनारायण
15.	रामप्रसाद	16.	राधेश्याम
17.	नोददान बाई	18.	गोमती बाई
19.	संतोष कुमारी	20.	जितेन्द्र कुमार
21.	एकता ,,	22.	भवानी शंकर
23.	मनीश कुमार	24.	अनवर हुसैन
25.	राजू लाल	26.	दूली चन्द
27.	हरि राम	28.	कन्हैयालाल
29.	राजा राम	30.	बाल चन्द
31.	लक्ष्मण लाल	32.	ज्ञानेश कुमार
33.	अनिता कुमारी	34.	रेखा कुमारी
35.	गोपाल लाल	36.	श्याम विहारी

कक्षा—2 (अ)

1.	बद्री लाल	2.	जाकिर हुसैन
3.	घनश्याम	4.	मंजु कुमारी
5.	पीर चन्द	6.	नन्दू बाई
7.	प्रकाश चन्द	8.	उषा कुमारी
9.	गोपाल लाल	10.	यशवन्त कुमार

(217)

1	2	1	2
11.	माया कुमारी	12.	जगदीश चन्द I
13.	पीर चन्द II	14.	दिनेश कुमार
15.	रमेश चन्द	16.	जगदीश चन्द II
17.	कन्हैया लाल	18.	बाबू लाल
19.	लाड कुंवर	20.	शिव लाल
21.	राम नारायण	22.	शिव कुंवर
23.	सत्य नारायश	24.	नन्द किशोर
25.	कालू राम	26.	दुर्गा बाई
27.	राम गोपाल	28.	कैलाश चन्द
29.	धर्म चन्द	30.	पीर मोहम्मद
31.	सुशीला कुमारी	32.	मनोहर बाई
33.	प्रेम कुमारी	34.	बलराम
35.	परमानन्द	36.	सुनिल कुमार
37.	सत्य नारायण	38.	देवी लाल
39.	नरवर सिंह	40.	अमर सिंह
41.	दुल्हे सिंह	42.	कन्हैया लाल

कक्षा—2 (ब)

1.	सुरेश कुमार	2.	मनोहर बाई
3.	बाबूलाल	4.	रंजीत कुमार
5.	कला बाई	6.	विनोद कुमार
7.	रमेश चन्द	8.	नन्द लाल
9.	प्रकाश चन्द्र	10.	जगदीश चन्द्र

1	2	1	2
11.	राजू कुमारी	12.	मोहन लाल
13.	दिलीप कुमार	14.	सुशीला कुमारी
15.	भूली वाई	16.	कैलाश चन्द्र
17.	वाबू लाल	18.	गोपाल लाल
19.	मोहन लाल	20.	भूली वाई
21.	बनवारी लाल	22.	कमला बाई
23.	सुलोचना	24.	प्रेमलता
25.	किशन लाल	26.	सविता कुमारी
27.	राजेश कुमार	28.	संतोष कुमारी
29.	भवानी राम	30.	अर्जुन कुमार
31.	आशा कुमारी	32.	संतोष कुमारी
33.	कृष्णा ,,	34.	विपिन कुमार
35.	सत्यनारायण	36.	निहाल चन्द
37.	कृष्णा कुमारी	38.	श्रीकृष्ण
39.	जुगराजसिंह	40.	कु० शिवपाल
41.	श्याम वाई	42.	अनिता कुमारी

कक्षा—1 (अ)

1.	ललिता कुमारी	2.	सरिता कुमारी
3.	पवित्रा ,,	4.	अन्नू ,,
5.	गीता ,,	6.	पुष्पा ,,
7.	ममता ,,	8.	बरदी ,,
9.	लोकेश ,,	10.	कु० ज्योति
11.	कमलेश ,,	12.	बंशी लाल

1	2	1	2
13.	ईश्वर लाल	14.	राम बाबू
15.	महावीर प्रसाद	16.	कैलाश चन्द
17.	कालू राम	18.	राजेश कुमार
19.	शिव सिंह	20.	पूरा लाल
21.	श्याम लाल	22.	सत्यनारायण
23.	पूरा लाल	24.	राधेश्याम
25.	सत्यनारायण	26.	प्रभूलाल
27.	गोपाल लाल	28.	ईश्वर लाल
29.	राजाराम	30.	उमराव सिंह
31.	मंगू खां	32.	बद्रीलाल मेघवाल
33.	प्रकाश चन्द्र मेघवाल	34.	गोपाललाल ,,
35.	भैरू लाल	36.	राजू लाल
37.	भारत सिंह	38.	बने सिंह
39.	भगवान सिंह	40.	उमराव सिंह II
41.	गोपाल सिंह	42.	बालार सिंह

कक्षा—1 (ब)

1.	श्यामा कुमारी	2.	आशा कुमारी
3.	सुनीता ,,	4.	ललिता ,,
5.	इन्द्रा ,,	6.	मंजू ,,
7.	कृष्णा ,,	8.	कीर्तिबाला
9.	यशोदा ,,	10.	पुष्पा कुमारी
11.	लीला ,,	12.	ललिता ,,

Page No. 220

1	2	1	2
13.	दुर्गा बाई	14.	कु० पंकज
15.	कु० ममता	16.	कु० पुष्पा
17.	कंकू लता	18.	चन्दा कुमारी
19.	भग्गा नाथ	20.	द्वारका लाल
21.	राधेश्याम	22.	प्रभूलाल
23.	शंकर लाल	24.	नन्द राम
25.	हेमन्त कुमार	26.	त्रिलोकचन्द
27.	ज्ञान चन्द	28.	गिरिराज
29.	विष्णु कुमार	30.	बाल चन्द
31.	शिव लाल	32.	साबिर हुसैन
33.	मेहमूद	34.	कन्हैया लाल
35.	सत्यनारायण	36.	जगदीश हरिजन
37.	राजू हरिजन	38.	नन्दराम मेहरा
39.	पन्नालाल मेहर	40.	सत्यनारायण II
41.	दिनेश कुमार	42.	मदन सिंह

ह./–
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र–संस्थाएं) झालावाड़

नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

261. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रदेश में सरकारी विभागों, संस्थानों, बोर्डों एवं सरकारी निकायों में नई नियुक्ति करने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(2) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नियुक्तियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण कितने बेरोजगार प्रभावित होंगे ?

(3) नियुक्तियों पर लगे इस प्रतिबन्ध के पश्चात् सरकारी सेवा के लिए निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा पार बेरोजगार युवकों को रोजगार के साधन प्रदान करने की सरकार के पास क्या योजना विचाराधीन है ?

(4) नियुक्तियों पर लगा प्रतिबन्ध कब तक हटा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 26-7-83 से राजकीय व्यय में मितव्ययता करने हेतु प्रदेश में सरकारी विभागों, संस्थानों, बोर्डो एवं सरकारी निकायों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह प्रतिबन्ध फर्राश, धोबी, कुक, चौकीदार तथा वार्डवाय के पदों पर लागू नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वनियोजन योजना प्रारम्भ की गई है।

(4) वर्तमान में यह प्रतिबन्ध वर्ष 1983-84 के अन्त तक प्रभावी रहेगा।

गंग कैनाल एरिया में भूमि अवाप्ति

262. श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री गंगानगर जिले में गंग कैनाल एरिया में काश्तकारों को जागीरदारी बिस्वेदारी कानून के तहत सन् 1983 के पहले के बाद में भूमि अवाप्ति के नोटिस दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि अब ये नोटिस काश्तकारों की पेशी के बाद दफ्तर दाखिल किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जमींदारी एवं बिस्वेदारी अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रकरणों में नियमानुसार नोटिस दिये गये। विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के अनुसार यदि नोटिस दाखिल दफ्तर के योग्य पाये जाते हैं तो दाखिल दफ्तर कर दिये जाते हैं अन्यथा अन्य कार्यवाही के योग्य पाये जाने

(राजस्व मंत्री)

पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार के समक्ष स्थानीय काश्तकारों के ज्ञापन आने पर इस विषय में पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया है इसलिये वर्तमान में दिये गये नोटिसेज पर कार्यवाही स्थगित की गई है ।

आदिवासी कन्या छात्रावास भूपालपुरा की भूमि

263. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदिवासी कन्या छात्रावास, भूपालपुरा (सरदारपुरा) उदयपुर की कुल कितनी भूमि थी और उसमें से कितनी बेच दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? कितनी-कितनी भूमि, कब-कब और कितनी-कितनी राशि में बेची ? कृपया नाम, भू-क्षेत्र तथा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि यह छात्रावास महिला आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा संचालित है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं ? कृपया सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर :

(1) इस समय आदिवासी कन्या छात्रावास, भूपालपुरा नाम की कोई संस्था नहीं है । अतः इसके द्वारा भूमि बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला बाड़मेर में ग्राम सेवकों के रिक्त पद

264. श्री हेमराज चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में पं०. समितिवार ग्राम सेवकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों के पद रिक्त होने से पं० स० व ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्य, अकाल राहत के अन्तर्गत नाड़ी कार्यों के सम्पादन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अन्य जिलों के व्यक्ति बाड़मेर जिले में ग्राम सेवकों के पदों पर जाते नहीं हैं जिससे पद रिक्त रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिले के ही निवासी को ग्राम सेवक के पद पर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों में माह अगस्त, 1982 से ग्राम सेवकों के रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अकाल राहत के कार्यों का सम्पादन कार्यरत ग्राम सेवकों से करवाया जा रहा है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सही है कि अन्य जिलों के व्यक्ति बाड़मेर जिले में ग्राम सेवकों के पदों पर जाने से बचने का प्रयास करते हैं जिससे बाड़मेर जिले में ग्राम सेवकों के काफी पद रिक्त रह जाते हैं। किसी पद विशेष की पूर्ति के लिये किसी जिले विशेष का निवासी होने की शर्त लगाना सेवा नियमों के विरुद्ध है।

बाड़मेर जिले में पंचायत समितिवार ग्राम सेवकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	कुल पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सिवाना	15	4
2.	बालोतरा	17	3
3.	चोहटन	17	8
4.	धोरीमन्ना	18	9
5.	बाड़मेर	18	9
6.	सिणधरी	17	5
7.	शिव	12	5
8.	बायतू	18	9
		132	52

तहसील पचपदरा के गांवों का विद्युतीकरण

265. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील पचपदरा के ग्राम सरवड़ी, कल्याणपुर का कितने वर्ष पूर्व विद्युतीकरण किया गया तथा विद्युतीकरण ग्रामों में कितने उपभोक्ताओं के घरों के कनेक्शन दिये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पचपदरा तहसील में 31 मार्च, 1984 तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कर लिया जायेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील पचपदरा के ग्राम सरवड़ी व ग्राम कल्याणपुर का विद्युतीकरण क्रमशः 31-1-82 (81-82) एवं 31-12-82 (82-83) को किया जा चुका है। तहसील पचपदरा के विद्युतीकृत ग्रामों में 1343 उपभोक्ताओं को घरों के कनेक्शन दिये गये। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) फरवरी, 1984 तक तहसील पचपदरा में 45 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं 31 मार्च, 1984 तक कुल 50 ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है। इन ग्रामों की सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

तहसील पचपदरा के माह फरवरी, 1984 तक विद्युतीकृत ग्रामों में घरेलू उपभोक्ताओं की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं०	विद्युतीकरण का दिनांक	घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	टेमावास	16/3/140	18-3-79	—
2.	रामसील	16/3/60	31-3-70	1
3.	मेवा नगर	44	8-12-71	—

1	2	3	4	5
4.	टापरा	52	31-3-72	61
5.	जागसा	53	,,	—
6.	बुडीवाड़ा	54	,,	—
7.	असाड़ा	55	,,	97
8.	जासोल	56	8-1-66	418
9.	असोतरा	57	17-12-66	25
10.	बेठूजा	58	,,	17
11.	होटलू	59	28-2-71	1
12.	मगास	61	21-2-70	2
13.	पचपदरा	63	,,	381
14.	जानीपाना	100	8-11-66	5
15.	भिन्डा कुआ	101	11-3-79	—
16.	कांटनोट	102	17-1-67	38
17.	सराणा	103	22-12-66	5
18.	कनाना	104	,,	149
19.	पारलू	105	8-11-66	92
20.	खारवा	106	23-3-79	—
21.	खेर	41	18-5-79	1
22.	पिन्डारन (लुहारों की ढाणी)	110	31-3-80	10
23.	ढोलीकलां	49	,,	10
24.	थूम्बाली	124	,,	10
25.	वासीया बेरचा	45	12-3-81	—
26.	तिलवाड़ा	16	28-3-81	—
27.	वामसीन	42	29-3-81	—
28.	सोमवास	43	,,	10
29.	मन्डावास	18	,,	—

1	2	3	4	5
30.	बोरावास	8	30-3-81	—
31.	मान मालीनाथ	17	,,	—
32.	गोरला	39	31-3-81	—
33.	मांडापुरा	38	,,	10
34.	वागलोप	153	30-11-83	—
35.	धरमसर	52	31-1-84	—
36.	सरबड़ी	94	30-1-82	—
37.	कल्याणपुरा	113	31-12-82	—
38.	चिरढानी	62	31-3-83	—
39.	कपूरीया (एनपी)	10	,,	—
40.	अकानली बस्तीराम (एन पी)	7	,,	—
41.	गूगारी (एन पी)	6	,,	—
42.	धोली खुर्द	144	,,	—
43.	सांखलों की ढानी	156	,,	—
44.	डोली राजगुरान	150	,,	—
45.	असाटवा चोहान	113	,,	—

कुल योग : 1543

तहसील पचपदरा के माह फरवरी, 84 तक विद्युतीकृत ग्रामों व माह मार्च, 84 तक सम्भावित विद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	2	3
1.	टेमावास	18-3-79
2.	रामसीन	31-3-70
3.	मेवानगर	8-12-71
4.	टापरा	31-3-72

1	2	3
5.	जागसा	31-3-72
6.	बूढीवाड़ा	,,
7.	असाड़ा	,,
8.	जसोल	8-1-66
9.	असोतरा	17-12-66
10.	बीठूजा	,,
11.	होटलू	28-2-71
12.	भगरा	21-2-70
13.	जानीपाना	8-11-66
14.	भिन्डा कुआ	11-3-79
15.	कीटनोट	17-1-67
16.	सखणा	22-12-66
17.	पचपदरा	21-2-70
18.	कनाना	22-12-66
19.	पारलु	8-11-66
20.	खारवा	23-3-79
21.	खेर	18-5-79
22.	पिन्डारन (लोहारों की ढाणी)	31-3-80
23.	डोली कला	,,
24.	थूम्वाली	,,
25.	बारीया वरचा	12-3-81
26.	तिलवाड़ा	28-3-81
27.	बामसीन	29-3-81

1	2	3
28.	सोमावास	29-3-81
29.	भण्डावास	"
30.	बोरावास	30-3-81
31.	थानीमालीनाथ	"
32.	गैरला	31-3-81
33.	माडापुरा	"
34.	बागलोप	30-11-83
35.	धरगसर	31-1-84
36.	मांखलों की ढाणी	"
37.	सरचड़ी	30-1-82
38.	कल्याणपुर	31-12-82
39.	सिरडानी	31-3-83
40.	कपूरीया (एन० पी०)	"
41.	अकानली बस्तीराम (एन० पी०)	"
42.	गूगारी (एन० पी०)	"
43.	धोली खुर्द	"
44.	ढोली राज गुरान	"
45.	असारवा चौहान	"
46.	सिनली चौसीरा	कार्य प्रगति पर है। मार्च, 84 के अन्त तक विद्युतीकृत हो जाने की सम्भावना है।
47.	सिनली जागीर	
48.	बजावास	
49.	सीमालिया	
50.	कलूरी	

Page No. 229

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 290 की सूची)

सूची ग्राम-पंचायतवार/ग्रामवार गोचर भूमि आवंटन की सूची, तहसील कुशलगढ़

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम ग्राम	रकबा चरागाह भूमि, हेक्टेयर
1	2	3	4
1.	मुन्दडी	उदयगढ़ कालाखेत	13
2.	(1)	कालाखेत	58
3.		काजलपाड़ा	18
4.		कुशलगढ़ (नगरपालिका)	38
5.		खोरदा	77
6.		मलापाड़ा	3
7.		सुवाड़ी	12
8.		गौरछा बावड़ा	17
9.		घोडादरा	95
10.		सलाई पाड़ा	30
11.		दौल पुरा	10
12.		नाथ पुरा	50
13.		भगत पुरा	13
14.		भीम पुरा	47
15.		भण्डारिया	2
16.		माल	28
17.		मुन्दडी	41
18.		रतनमाल	90
19.		शिकारवाड़ी	4
20.		सोडलिया	36
21.		सुनारीयां	6
22.		सुरजकुण्ड	43

Page No. 230

(230)

1	2	3	4
23.		हमीरपुरा	19
24.		हुरका पाड़ा	1
		योग :-	751
25.	कलिजरा	कलिजरा	74
26.	(2)	जमराई	3
27.		मोर	77
28.		पोटलिया	82
29.		जोड़ी	34
30.		पड़ला	62
31.		उदयगढ़ वसूनी	35
			367
32.	ऊंकाला	खजूरा	9
33.	(3)	वसूनी	68
34.		जोड़ा	6
35.		डूंगरभीत	3
36.		जालिमपुरी	23
37.		कोयाहूत	15
38.		कानीकैरा	9
39.	झूंनझूंनू	झापन मटूड़	1
40.	(3)	घनपुरी	7
41.		चूलीपाड़ा	47
42.		भोरखेड़ी	1
43.		बीलीपाड़ा	2
44.		ऊंकाला	10
		योग	201

1	2	3	4
45.	बड़वासगड़ी	निशनावट	21
46.	(4)	चोरखेड़ी	30
47.		बडवाख छोटी	21
48.		रोहनियां	5
49.		बिहारीपुरा	41
50.		रागापाड़ा	22
51.		लुवरवाड़ा	35
			175
52.	झीकली	भीमगढ़	12
53.	(5)	बडलीपाड़ा	80
54.		परनाला	14
55.		टिमेडा छोटा	9
56.		झीकली	11
57.		चन्देरी	15
58.		आम्बापाड़ा	13
59.		रणजीतगढ़	50
60.		वाकानेर	11
			215
61.	टिमेडाबड़ा	टिमेडावड़ा	41
62.	(6)	मुनीपाड़ा	7
63.		बस्सी	23
64.		सारण	113
55.		कोटड़ा	9
66.		घाटा	72
67.		मामलीपाड़ा	11

232

1	2	3	4
68.		घाट महूडी	14
			290
69.	सम्बलपुरा	सम्बलपुरा	47
70.	(7)	करमदीया	31
71.		कांकनीया	25
72.		घरकनी	106
73.		सिगाडा की गटली	14
74.		सन्दलाई	13
75.		सिगली	44
76.		कारण की गडली	16
			296
77.	डूंगराछोटा	किशनपाड़ा	8
78.	(8)	सोमजीफड़ा	16
79.		मोटापाड़ा	22
80.		मालपाड़ा	36
			82
81.	डूंगराबड़ा	दामासाछ	2
82.	(9)	राक्तासाछ	15
83.		सरसीबापाड़ा	20
84.		कुण्डा	26
85.		कडाईमाल	10
86.		चित्तोड़ा माफी	13
87.		चित्तोड़ा खालसा	4

1	2	3	4
88.		हरेन्द्र गढ़	28
			118
89.	जालिमपुरा	कुशलीपाड़ा	11
90.	(10)	खुंटा रूपजी	12
91.		गोयकापारगी	36
92.		गोयकाबारीया	13
93.		जालिमपुरा	20
94.		बावलीपाड़ा	7
95.		मछारपाड़ा	74
96.		रूपगढ़	31
97.		वडलीपाड़ा	9
98.		बाकाखुंटा	43
			256
99.	टाण्डी वड़ी	टाण्डीवड़ी	41
100.	(11)	सालोन	28
101.		घोरवाड़ा	22
102.		पियासाध	20
103.		भोराज जुनी	30
104.		भौराज नई	20
105.		छोटीया	10
106.		महुडी	26
107.		पोटडीया	54
108.		ढरी	15
109.		भीमखोरा	40

234

1	2	3	4
110.		घियाखूंटा	23
			329
111.	मस्का वड़ा	मस्का बड़ा	140
112.	(12)	मस्का छोटा	71
113.		कारमी	71
114.		रेगनीयां	10
115.		घियापाड़ा	59
			351
116.	कसारवाड़ी	कसारवाड़ी	75
117.	(13)	कांवला	45
118.		कोयडोवन	11
119.		टोडी	3
120		मुनीया खुंटा	66
121.		वगेरी	62
			262
122.	फुलपुरी	वगांचा	32
123.	(14)	हिम्मतगढ़	2
124.		फुलपुरी	30
125.		ताततेरा खुर्द	21
126.		कव्वा की छायन	1
127.		सादडीया	112
128.		इमली झरण	17
129.		चोरा खुर्द	56

1	2	3	4
130.		खातसेरा कला	12
131.		घोरकुण्डा	56
132.		मुन्दी खुर्द	17
134.		मुन्दी कला	45
134.		घेरा कला	45
135.		घोचरदा	80
			524
136.	सेज्जनगढ़	भाटवड़ला	13
137.	(15)	अंगोरीया	12
138.		टाण्डारतना	71
			96
139.	रोहमियां-लक्ष्मणसिह	रोहुनियां-लक्ष्मणसिह	24
140.	(16)	रोहनियां रामसिह	24
141.		झकोड़ावानाथा	23
142.		खरोड घतरा	9
143.		शंगुपुरा	5
144.		घुराकुंआ	50
145.		घासडीपाडा	8
			143
146.	टांडा मंगला	टांडा मंगला	32
147.	(17)	टोडी कालु	10

1	2	3	4
148.		भड़वैल	32
149.		खुंटा जीवा	51
			125
150.	राठयनराज	सेमलखेड़ा	16
151.	(18)	राठयनराज	67
152.		लसोडीया	22
153.		झकोडीयाभोदर	20
			125
154.	खुन्दनी	कालीया	10
155.	(19)	भैराना	1
156.		भैयावट	10
157.		सामला सैर	21
158.		गौडा	17
159.		गणेशपुरा	3
160.		खुन्दनी हाला	19
161.		खुन्दनी रूपा	21
162.		झलकीयां	26
163.		पंडवाल ऊकार	20
164.		मार खेमजी	4
165.		मट्टुडी नाया	7
166.		खुंटा रतना	8
167.		खुंटा चतरा	21
168.		पंडवाल खुंजा	10
169.		रोडनिर्वामन्ना	10

1	2	3	4
170.		कुम्भपुरा	2
171.		कालाखेत	2
			212
172.	गोदावाड़ा नारेग (20)	मांडली मोटी	10
173.		मांडली छोटी	28
174.		आम्वा	18
175.		भुरादोड	22
176.		मोतीयां	27
177.		गोदावाड़ा मनजी	9
178.		गोदावाड़ा नारेग	25
179.		भीलकुआं	3
180.		बिजलपुर भलीया	2
181.		बिजलपुर हलीयां	14
182.		भूरी घाटी	6
			164
183.	महुडी (21)	महुडीया तज्जा	22
184.		महुडी	43
185.		हैजा मोगजी	3
186.		हैजा भावजी	4
187.		जीरा कोट	5
188.		माराडीया	26
189.		सागवा	37
190.		खुंटा कला	20

1	2	3	4
191.		घाटीया	14
192.		खूमकी	11
193.		सेदनीयां	11
			196
194.	ईटाला	ईटाला	69
195.	(22)	सक्करवाड़ा	19
196.		कावडीया	10
197.		वाजयाआम्वा	16
			114
198.	बिलड़ी	बिलड़ी	52
199.	(23)	भंमरी	5
200.		पाडला वडकीया	9
201.		पाडला मोका	12
202.		बोरभाटोड	16
203.		पाडला कटारा	17
204.		बालासिंदुर	9
205.		चनावला	30
			150
206.	ताम्बेसरा	ताम्बेसरा	2
207.	(24)	टिम्बामहुडी	14
208.		अन्देश्वर	31
209.		औसारा	19
210.		बालदीया	2
211.		चोरपरनाला	29

1		2	4
212.		सपनी डूंगरी	3
213.		घाड़का	9
214.		घाड़नी	8
215.		माचा	2
216.		मोलन	2
217.		लाडेला	5
218.		जोगड़ी माता	5
219.		जसपुरा	8
220.		राणमी	14
221.		कसुम्बा	20
222.		परतापुर	21
223.		चूनाखान	1
224.		झामरी	13
			208
225.	पालीवड़ी	पालीवड़ी	99
226.	(25)	नवागांव	48
227.		रूपा पाड़ा	9
228.		लोहारिया खुर्द	58
229.		बगायचा	23
230.		बागोल	11
231.		सासावड़ला	1
232.		सिमेला	11
233.		सुखेड़ा	24
			284

1	2	3	4
234.	मगरदा	चोकी डूंगरी	8
235.	(26)	चरकनी	12
236.		मगरदामछारासाध	13
237.		पाली छोटी	5
238.		मगरदा डामरासाध	31
239.		टिडीया देक	54
240.		खेड़ीया	41
			164
241.	दुम्मढ़	दुम्मढ़	9
242.	(27)	उमरावट	53
243.		हिम्मतपुरा	59
244.		टाडावडला	89
245.		खेड़ा	4
246.		राती महुड़ी	10
247.		देवदा साध	58
248.		चुडादा	76
			358
249.	लोहारियां वड़ा	लोहारियां वड़ा	5
250.	(28)	डूंगरी पाड़ा	62
251.		पीपलीपाड़ा	16
252.		खडीयासाध	9
253.		डूंगरावानी	51
254.		पालकपाड़ा	3
255.		नानीका साध	18
			164

Page No. 241

1	2	3	4
256.	छोटी सरवा	छोटी सरवा	82
257.	(29)	दरा	58
258.		ग्रान्दवन	108
259.		बोरीयां	37
260.		सोभावटी	210
261.		बावड़ी निनामा	62
262.		बावड़ी डिडोड़	142
263.		हुवारुड़ी	49
264.		सेमलदा	49
265.		आमलीपाड़ा	30
266.		गल्धर	78
267.		नलवाई	49
			954
268.	मोहकमपुरा	अन्दोखा	54
269.	(30)	ओडवा	7
270.		खानापाड़ा	28
271.		तरालीया	76
272.		भंवरदा	30
273.		भुरीपाड़ा	176
274.		भोराज	61
275.		मोहकमपुरा	33
276.		सातनीयां	71
277.		सुन्द्रीपाड़ा	84
278.		सुरवन	134
279.		हल्दुपाड़ा	36
			790

Page No. 242

242

1	2	3	4
280.	बस्सी	सातलीया की टोडी	13
281.	(31)	भवानो की टोडी	9
282.		रूपगढ़	128
283.		खेड़ा	39
284.		सुनारीयां	60
285.		धोलकानई	85
286.		वडलीपाड़ा	35
287.		खावलीया पाड़ा	117
288.		बस्सी	366
			852
289.	बड़ीसरवा	पीपलीपाड़ा	52
290.	(32)	बडीसरवा	57
291.		वदुपाड़ा	60
292.		सेमलपाड़ा	7
293.		मालवन	44
294.		हुकडीपाड़ा	68
295.		दरोवडीया	86
296.		सोगलाकुण्डी	26
297.		मोरधरी	65
298.		करण घाटी	16
299.		चोर वड़	20
300.		महुड़ा	31
301.		बरसाता	68
			600

1	2	3	4
302.	कुशालापाड़	कोठारीया	30
303.	(33)	तलेटी	20
304.		अखेपुर	23
305.		उण्डवा	6
306.		सारेल	17
307.		नागदा छोटी	45
308.		,, बड़ी	72
309.		हिण्डोलीया चारण	50
310.		पाटी	36
311.		भरतगढ़	41
312.		खेड़पुर	50
			390
313.	रामगढ़	रामगढ़	36
314.	(34)	वडलीपाड़ा	10
315.		हिंडोलीया	46
316.		रिछवानी	54
317.		छापरी	59
318.		खाखरीया	46
319.		कोटडी	62
320.		बगायचा	260

1	2	3	4
321.		सुलीया	22
322.		बासंडी	64
323.		वरतारा	60
324.		भवंरकोट	116
325.		गलवानी	19
326.		कारुनीयां	59
327.		नागनवट	20
			933
328.	कोटड़ा	उमरझोखा	40
329.	(35)	कोटड़ा	42
330.		गोपालपुरा	65
331.		पैरनीयादेव	38
332.		बिजौरी वडी	124
333.		बिजौरी छोटी	47
334.		बिजलपुर	57
335.		सरदेड़ा	37
336.		सरपोटा	48
337.		सीमतागढ़ा	36
338.		तलाईपाड़ा	43
339.		बालाचुना	40

1	2	3	4
340.		फेरा डूंगरी	59
341.		खुंटा	51
342		खजूरा	75
343.		पोटलीयां	100
344.		बडला की रेल	80
345.		जोगडीमाल	49
			1031
346.	पाटन	आमलीया माल	47
347.	(36)	उगमना पाड़ा	59
348.		कदवाली खुर्द	28
349.		,, कलां	42
350.		कुण्डीयां	127
351.		खेरीया पाड़ा	72
352.		गोकल पाड़ा	49
353.		चोखवाड़ा	81
354.		जुनापानी	34
355.		नाथपुरा	23
356.		पाटन	101
357.		पाणदा	62
358.		पीपलोन	39
359.		पोटलीया	66

246

1	2	3	4
360.		मिच पाटी	41
361.		रावदा	44
362.		सरोना	71
363.		हल्दुपाड़ा	55
			1041
364.	मगरदा	मगरदा खोला साघ	13
365.	(37)	टोडी	35
			48

नोट :—कुल 365 ग्रामों को 13288 हेक्टेयर भूमि चरागाह हेतु आवंटन की गई ।

———

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 291 की सूचना

क्र०सं०	नाम जिला	व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये (संख्या)	नामान्तरकरण स्वीकार किये दिये गये (संख्या)	3(अ) उपनिवेशन भूमि का आवंटन (क्षेत्र एकड़ों में)		3(बी) सीलिंग भूमि का आवंटन (क्षेत्र एकड़ों में)		3(सी) सिवायचक भूमि का आवंटन (क्षेत्रफल एकड़ों में)		अतिक्रमण के मामलों का निपटारा (संख्या)
				संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्र०	सं०	क्षे०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	5573	22682	—	—	45	112	491	851	4004
2.	अलवर	14375	43359	—	—	—	—	181	627	6464
3.	बांसवाड़ा	2662	17000	1335	1186	—	—	1484	2093	19227
4.	बाड़मेर	1809	6944	—	—	—	—	—	—	1750
5.	भरतपुर	2574	17360	—	—	—	—	420	197	871
6.	भीलवाड़ा	9849	30186	1915	4174	333	695	12611	20497	3929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	बीकानेर	2116	9552	—	—	—	—	819	6888	1526
8.	बूंदी	1652	12139	1417	1782	58	88	3261	4911	22523
9.	चित्तौड़गढ़	4661	12788	360	571	75	171	3451	6177	2675
10.	चूरू	127	1648	—	—	—	—	—	—	155
11.	डूंगरपुर	2559	9186	—	—	—	—	37	44	8676
12.	धौलपुर	1718	9325	10	5	62	60	—	—	327
13.	श्रीगंगानगर	2933	13330	349	2005	—	—	41	135	326
14.	जयपुर	3695	17836	36	44	67	128	686	1211	7571
15.	जैसलमेर	2325	3722	—	—	—	—	—	—	3080
16.	जालौर	2433	13207	—	—	35	231	178	250	2874
17.	झालावाड़	222	2527	1741	2370	—	—	—	—	1448
18.	झुन्झुनू	231	5086	—	—	—	—	35	71	1677
19.	जोधपुर	2026	14848	—	—	3	12	36	59	8846
20.	कोटा	2840	17940	1122	2436	349	823	1885	3712	8489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	नागौर	1152	7115	52	36	—	—	71	26	7022
22.	पाली	1478	13107	160	389	81	148	485	992	2638
23.	सवाई माधोपुर	7673	20223	93	95	62	157	1917	2838	6088
24.	सीकर	708	7678	—	—	—	—	16	—	3590
25.	सिरोही	2255	8118	165	279	19	41	1104	1991	2843
26.	टौंक	4832	12135	503	656	240	662	9353	15458	19490
27.	उदयपुर	8431	38813	515	865	120	227	10884	17269	14559
	राजस्थान राज्य	93509	390854	9773	16893	1551	3555	49446	86296	162668

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटीगण की संख्या जिन्हें आवंटित भूमि का कब्जा पुनः दिलाया गया	रहन बिल भूमि के कब्जे के मामले जिनमें कब्जा दिलाया गया (संख्या)	कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण निपटाये (संख्या)	आबादी हेतु भूमि उपलब्ध कराने के के मामले निपटाये (संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	96	45	529	374
2.	अलवर	289	53	295	4
3.	बांसवाड़ा	35	40	4005	237
4.	बाड़मेर	75	2	22	198
5.	भरतपुर	157	2	168	242
6.	भीलवाड़ा	2743	53	191	819
7.	बीकानेर	491	11	27	249
8.	बूंदी	49	23	2	128
9.	चित्तौड़गढ़	32	37	35	255
10.	चूरू	5	4	—	93

Page No. 251

1	2	3	4	5	6
11.	डूंगरपुर	37	18	70	126
12.	धौलपुर	24	23	15	55
13.	गंगानगर	104	10	25	11
14.	जयपुर	189	35	207	764
15.	जैसलमेर	46	—	2	123
16.	जालौर	39	5	7	202
17.	झालावाड़	141	10	5	58
18.	झुन्झुनू	4	8	96	295
19.	जोधपुर	27	—	195	655
20.	कोटा	315	102	449	390
21.	नागौर	13	14	85	604
22.	पाली	196	66	22	116
23.	सवाई माधोपुर	922	7	12	243

1	2	3	4	5	6
24.	सीकर	1	1	32	17
25.	सिरोही	219	23	67	185
26.	टोंक	137	362	—	72
27.	उदयपुर	94	205	180	307
	राजस्थान राज्य	6480	1145	6443	7022

253

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची

क्रमांक	अप्रेल, 81 से 31 जनवरी, 84 तक लोक आउट निम्न उद्योगों में रहा	लोक आउट का समय		राज्य सरकार को सूचना भेजी	लोक आउट के कारण	प्रभावित श्रमिक	हानि
		शुरू हुआ	समाप्त हुआ				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	किशोर टैक्ससाइल, अलवर	2-12-81	12-3-82	हां	मांग पत्र	25	तालाबन्दी
2.	के. के. सीमेन्ट वर्क्स, सेन्दड़ा (पाली)	7-11-81	15-11-83	,,	समझौते का उल्लंघन	54	कानूनी एवं
3.	नावल्टी टूल्स, जयपुर	28-4-81	16-5-81	अप्राप्त	मांग पत्र	14	वाजिब होने पर
4.	राजस्थान पोली प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, जयपुर	11-6-81	30-6-81	,,	वेतन भुगतान की मांग	26	श्रमिकों को वेतन
5.	जी. टी. लेम्प्स प्रा० लि०, जयपुर	3-10-81	18-11-81	,,	मांग पत्र	25	की हानि होती
6.	राजस्थान स्पिनिंग लि०, जयपुर	24-9-81	14-10-81	,,	श्रमिकों की सेवामुक्ति	16	है तथा गैर-कानूनी
7.	जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर	5-10-81	20-10-81	,,	अनुशासनहीनता	1250	तालाबन्दी पर
8.	पावरलूम फेक्ट्रिया, किशनगढ़ (1250 लघु उद्योग)	2-7-81	30-8-81	,,	बिजली कटौती	7000	श्रमिकों को पूरा वेतन देय होता है।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	ओम काटेज इण्डस्ट्रीज, कोटा	6-3-81	20-4-81	अप्राप्त	श्रमिक अशान्ति	12	तालाबन्दी
10.	ओम ट्रेडिंग कारपोरेशन, कोटा	,,	,,	,,	,,	7	कानूनी एवं
11.	एग्रो इण्डस्ट्रीज, कोटा	,,	,,	,,	,,	5	वाजिब होने पर
12.	ओम कोठारी उद्योग, कोटा	,,	,,	,,	,,	5	श्रमिकों को वेतन
13.	ओम मेटल्स एण्ड मिनिरल्स प्रा० लि०, कोटा	5-3-81	17-7-81	,,	ज्ञात नहीं	30	की हानि होती
14.	श्री लमीनेटर्स प्रा० लि०, कोटा	12-10-81	5-1-82	,,	2 श्रमिकों की सेवामुक्ति	18	है तथा गैर-
15.	निरोज रेस्टोरेन्ट, जयपुर	16-4-81	23-4-81	,,	मांग पत्र	55	कानूनी ताला-
16.	विमलेश यार्न, ब्यावर	1-9-81	30-9-81	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	बन्दी पर श्रमिकों
17.	बंसल पाइप्स प्रा० लि०, अलवर	21-10-81	23-10-81	,,	निदेशक के साथ मारपीट	25	को पूरा वेतन देय होता है।
18.	पालीवाल मिनी स्टील इण्डिया लि०, अलवर	23-10-81	26-10-81	,,	बोनस की मांग	अप्राप्त	,,
19.	बंसल पाइप्स प्रा० लि०, अलवर	9-4-82	13-5-82	हां	श्रमिक समस्या व ले-आफ	24	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ओरियन्ट ऐब्रेसिव प्रा० लि०, भिवाड़ी	7-4-82	10-4-82	हां	मांग पत्र	145	तालाबन्दी
21.	स्वास्तिक वेलन मिल्स, अलवर	1-6-82	2-8-82	,,	श्रमिक समस्या व	150	कानूनी एवं
					श्रमिक द्वारा मारपीट		वाजिब होने पर
22.	स्वदेशी माल्ट एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, अलवर	11-8-82	9-12-83	,,	श्रमिक समस्या व	75	श्रमिकों को वेतन
					श्रमिक द्वारा मारपीट		की हानि होती
23.	वी. आर. आयल मिल, भरतपुर	29-3-82	26-4-82	,,	,,	150	है तथा गैर-
24.	ओम इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	,,	,,	,,	मांग पत्र	30	कानूनी ताला-
25.	वागपतिया फूड इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	,,	,,	,,	,,	30	बन्दी पर श्रमिकों
26.	यूनियन कारपोरेशन, भरतपुर	26-6-82	3-7-82	,,	,,	49	को पूरा वेतन
27.	नवभारत फायर वर्क्स, भरतपुर	7-4-82	6-5-82	,,	,,	35	देय होता है।
28.	हिन्द सेफ्टी ग्लास वर्क्स, जयपुर	2-1-82	13-8-82	अप्राप्त	गोस्लो टूल्स डाउन	40	,,
29.	अलोक साइकल वर्क्स, जयपुर	22-3-82	23-8-82	,,	मांग पत्र	16	,,
30.	इन्डोफ्लेक्स, झोटवाड़ा, जयपुर	6-6-82	30-6-82	,,	,,	41	,,
31.	पावर इक्विपमेन्ट, जयपुर	19-5-82	9-12-82	,,	,,	30	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	राजस्थान इलेक्ट्रिकल वर्क्स, जयपुर	5-7-82	30-12-82	हां	मांग पत्र	28	तालाबन्दी
33.	इंडियन फाइवर्स लि०, जयपुर	27-9-82	7-3-83	,,	श्रमिक समस्या	90	कानूनी एवं
34.	पलास्टिमेन्ट, जयपुर	25-11-82	18-3-83	,,	श्रमिकों की छंटनी	49	वाजिब होने पर
35.	सुदर्शन टैक्सटाइल, कोटा	27-8-82	3-11-82	,,	मांग पत्र	1445	श्रमिकों को वेतन
36.	कोटा स्टाल री-रोलिंग मिल, कोटा	23-10-82	14-3-83	,,	आर्थिक संकट	60	की हानि होती
37.	प्रभात स्टील्स प्रा० लि०, कोटा	3-11-82	30-11-82	अप्राप्त	श्रमिकों द्वारा	70	है तथा गैर-
					अनुशासनहीनता		कानूनी ताला-
38.	फोनेक्स शू इण्डस्ट्रीज, जयपुर	15-6-82	25-7-82	,,	मांग पत्र	40	बन्दी पर श्रमिकों
39.	नेपच्यून लेबोरेट्रीज, जयपुर	5-7-82	26-8-92	,,	न्यूनतम वेतन विवाद	6	को पूरा वेतन
					को लेकर		देय होता है।
40.	तिलक फाउन्ड्री, जयपुर	30-8-82	14-9-82	,,	कारण अस्पष्ट	60	,,
41.	ए. ई. आई. गुन्शी (निवाई)	21-11-82	10-12-82	,,	बोनस विवाद	50	,,
42.	कृष्णा मिलस, ब्यावर	9-5-82	11-5-82	,,	तीनों शिफ्टों में	1300	,,
43.	,, ,,	23-5-82	23-5-82	,,	कुछ समय श्रमिकों		,,
		29-5-82	29-5-82	,,	अनुपस्थिति के कारण		,,

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	कृष्णा मिल्स, ब्यावर	25-8-82	25-8-82	अप्राप्त		347	तालाबन्दी
45.	,, ,,	16-12-82	16-12-82	,,	एक श्रमिक के निलम्बन के विरोध में	700	कानूनी एवं वाजिब होने पर
46.	नावल्टी टूल्स, जयपुर	28-10-82	17-12-82	,,	मांग पत्र	19	श्रमिकों को वेतन
47.	भीलवाड़ा स्पिनर्स, भीलवाड़ा	24-8-83	21-10-83	हां	ब्लो रूम में हड़ताल व व्यवस्थापकों से दुर्व्यवहार	2039	की हानि होती है तथा गैर-कानूनी ताला-
48.	सुमन इन्टरनेशनल, भिवाडी	11-2-83	19-2-83	हां	मांग पत्र	90	बन्दी पर श्रमिकों
49.	ओरीयन्ट सिन्टेक्स, भिवाडी	14-4-83	3-5-83	,,	,,	1500	को पूरा वेतन
50.	सतसुवन पेपर मिल्स, खोडली (अलवर)	16-10-83	15-11-83	,,	5 श्रमिकों की सेवा मुक्ति	125	देय होता है।
51.	नवभारत फायर वर्क्स, भरतपुर	24-2-83	20-4-83	,,	अनुशासनहीनता	35	,,
52.	राजस्थान पोली प्लास्टिक, जयपुर	8-3-83	जारी	अप्राप्त	मांग पत्र	21	,,
53.	सचदेवा प्रा० लि०, जयपुर	26-5-83	21-9-83	,,	श्रमिकों की छंटनी	8	,,
54.	इंडियन एक्सपोर्ट हाउस, जयपुर	,,	,,	,,	,,	11	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	न्यू इंडिया प्रा० लि०, जयपुर	2-12-83	जारी	हां	कारण ज्ञात नहीं	13	तालाबन्दी
56.	राजस्थान आयरन एण्ड स्टील कं. लि., जयपुर	12-9-83	2-1-84	,,	बोनस की मांग	12	कानूनी एवं वाजिब होने पर
57.	राजस्थान वूलन एण्डस्ट्रीज, कनकपुरा	3-11-83	जारी	,,	कारण ज्ञात नहीं	70	श्रमिकों को वेतन
58.	जयपुर ग्लास एण्ड पोट्रीज, जयपुर	3-12-83	6-1-84	,,	श्रमिक असंतोष	218	की हानि होती
59.	मोनी प्लास्टिक, झोटवाड़ा	15-12-83	31-1-84	,,	,,	8	है तथा गैर-
60.	लक्ष्मी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर	31-10-83	जारी	,,	श्रमिक आन्दोलन	35	कानूनी ताला-बन्दी पर श्रमिकों
61.	हेमराज उद्योग लि., जयपुर	10-10-83	3-2-84	,,	2 मशीन श्रमिकों द्वारा बन्द कर देने के कारण	70	को पूरा वेतन देय होता है।
62.	लेखराज दाल एण्ड आयल इण्ड, झोटवाड़ा	28-11-83	जारी	,,	अप्राप्त	14	,,
63.	मेवाड़ डाईंग एण्ड प्रिन्टिंग, ब्यावर	अप्राप्त	अप्राप्त	,,	आर्थिक संकट	32	,,
64.	केवल कन्डक्टर्स प्रा. लि., ,,	14-9-83	जारी	,,	,,	10	,,
65.	गर्ग केमिकल्स, उदयपुर	13-5-83	22-8-83	नहीं	मांग पत्र	11	,,
66.	राजेश डेयरी फार्म, जयपुर	7-6-83	11-8-83	अप्राप्त	,,	22	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज, जयपुर	8-9-83	21-9-83	नहीं	वेतन एवं बोनस	5	तालाबन्दी
68.	आहूजा इण्डस्ट्रीज, जयपुर	20-10-83	4-11-83	,,	बोनस की मांग	5	कानूनी एवं
69.	बियानी सिन्थेटिक्स पैकिंग लि., हनुमानगढ़	17-1-83	20-1-83	,,	पावर कट व नुकसान	104	वाजिब होने पर
70.	जयश्री टैक्सटाइल, ब्यावर	24-10-83	जारी	अप्राप्त	आर्थिक हानि	16	श्रमिकों को
71.	सत्यनारायण ,, ,,	,,	,,	,,	,,	16	वेतन की हानि
72.	ओरियन्ट सिन्टेक्स, भिवाडी	16-8-83	5-9-83	,,	एक श्रमिक की मृत्यु के कारण	900	होती है तथा गैर-कानूनी
73.	हिन्दुस्तान टूल्स एण्ड प्रा. लि. जयपुर	3-1-84	19-1-84	,,	श्रमिक असन्तोष	42	तालाबन्दी पर श्रमिकों को पूरा वेतन देय होता है

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची

सूची "अ"

सूची निलम्बित कर्मचारी जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यालय	मुकदमा नं	अपराधिक धारा (भारतीय दण्ड संहिता)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अमीर मोहम्मद शेख	लेखा-लिपिक	लेखा अधिकारी, भीलवाड़ा	297/82	147, 148, 323, 553
2.	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	कार्यालय अधीक्षक	अधि. अभि., भीलवाड़ा	,,	,,
3.	श्री जोर सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	,,	,,	,,
4.	श्री गोविंदलाल अग्रवाल	वरिष्ठ लिपिक	सहा. अभि., भीलवाड़ा	,,	,,
5.	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	बिल वितरक	,,	,,	,,
6.	श्री प्रेम शंकर शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	,,	,,	,,
7.	श्री प्यारा/केला	सहायक	,,	,,	,,
8.	श्री देवा/गोभा	आर्टीजन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
9.	श्री एस० के० सबरवाल	लेखा-लिपिक	लेखा अधिकारी, भीलवाड़ा	297/82	147, 148, 323 553
10.	श्री भगवान लाल	कनिष्ठ लिपिक	सहा. अभि. (ग्र०वि०),	,,	,,
			सवाना	,,	,,
11.	श्री शंकर लाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	,,	,,	,,
12.	श्री प्रेम चन्द्र	,,	सहा. अभि., भीलवाड़ा	,,	,,
13.	श्री सुखा/लक्ष्मण	सहायक	,,	,,	,,
14.	श्री जमना/छीतर	,,	,,	,,	,,
15.	डालू/भैरू	,,	सहा. अभि., माण्डलगढ़	,,	,,
16.	श्री शंकर/देवा	लाइनमैन	सहा. अभि., मांडल	,,	,,
17.	श्री श्याम सुन्दर	सहायक	सहा. अभि., निम्बाहेड़ा	113/82	427
18.	श्री चतुर्भुज	,,	,,	,,	,,
19.	श्री चुन्नी लाल	,,	,,	,,	,,
20.	श्री धन्ना	,,	सहा. अभि., सुवाना	2961/82	147, 451, 341 323

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

परिशिष्ट "अ"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कुल गांवों एवं विद्युतीकृत गांवों का तहसीलवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	उपयोजना क्षेत्र के कुल ग्रामों की संख्या पंचवर्षीय योजना 80–85 के अनुसार	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़	530	170
2.	सिरोही	1. आबूरोड	83	74
3.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	428	255
		2. सागवाड़ा	263	111
		3. आसपुर	145	47
4.	बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा	223	80
		2. बागीडोरा	259	53
		3. कुशलगढ़	396	188
		4. घाटोल	419	130
		5. गढी	167	90
5.	उदयपुर	1. गिरवा	156	32
		2. सलूम्बर	223	86
		3. सराड़ा	157	93
		4. धरियावद	248	93
		5. खैरवाड़ा	234	65
		6. झाडोल	256	62
		7. कोटड़ा	304	150
		योग :	4491	1779

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1980-81 में 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुओं पर विद्युत संबंध चाहने बावत प्राप्त आवेदन पत्र, डिमान्ड नोटिस जारी किये गये, विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का वर्षबार विवरण

वर्ष	आवेदन पत्र प्राप्त हुए	डिमांड नोटिस जारी किये	कनेक्शन प्रदान किये	विचाराधीन प्रार्थना पत्र
1	2	3	4	5
80-81	484	426	274	18
81-82	529	436	251	42
82-83	510	404	274	162
83-84 (फरवरी, 84 तक)	1000	757	242	402
योग :	2523	2023	1041	624

———

(हस्त)

परिशिष्ट 11

अ० ता० प्रश्न संख्या 300 की सूची

वर्ष 1982 [जनवरी से दिसम्बर तक] अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं लघु/सीमान्त कृषकों को अधिशाषी अभियन्ता, रा० रा० वि० मण्डल सवाईमाधोपुर के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा कृषि हेतु विद्युत संबन्ध दिये जाने का विवरण:—

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	अ. जा./ज.जा./ल. कृषक
1	2	3	4
1.	श्रीमति इन्द्रा देवी	मान टाउन	लघु कृषक प. स., सवाई माधोपुर
2.	श्री गोपाललाल पुत्र ओंकार	पचिपला	अनु. जाति
3.	,, मथुरालाल पुत्र श्रवणलाल	पचिपला	,,
4.	,, भोमा पुत्र देवा	भेडोला	,,
5.	,, मदन पुत्र केशर	भेडोला	,,
6.	,, मूल्या पुत्र हीरा	भेडोला	अनु. ज. जाति
7.	,, कन्हैयालाल मीना	भेडोला	,,
8.	,, किशनलाल मीना	भेडोला	,,
9.	,, राज पुत्र भूरा मीना	भेडोला	अनु. जाति
10.	,, रामचन्द्र	पचिपाला	,,
11.	,, सुन्दरा पुत्र श्रीया	आलनपुर	,,
12.	,, सोनल्या पुत्र देव्या	वाजोली	,, प. सं., खण्डार
13.	,, नानक सिंह पुत्र रामचन्द्र	पिपलवाड़ा	अनु. ज, जाति
14.	,, कन्हैयालाल खाती	तलावाड़ा	सामान्य कृषक
15.	,, विजय शंकर	कारिया	,,
16.	,, विरधा बैरवा	रावरा	अनु. जाति
17.	,, रामनाथ पुत्र नारायण	पचोदी	अनु. जाति
18.	,, सीताराम पुत्र माग्या	खिलचीपुर	अनु. ज. जाति, पं. स. सवाई माधोपुर
19.	,, कमरुद्दीन पुत्र मीर बक्स	दूदरी	सामान्य कृषक
20.	,, रामदेवा रेंगर	,,	अनु. जाति

1	2	3	4
21.	श्री सुखा रेगर	दूदरी	अनु. जाति
22.	,, फलूराम मीना	लोरवाड़ा	अनु. ज. जाति
23.	,, मूलचन्द पुत्र गगल्या	,,	,,
24.	,, जगल्या पुत्र गोपाल	,,	,,
35.	,, श्योराम पुत्र मंगाराम	,,	,,
26.	,, मूलचन्द पुत्र मनफूल	,,	,,
27.	,, कंवर पाल मीना	मेनपुरा	,,
28.	,, रामदेवा रेगर	दूदरी	अनु. जाति
29.	,, कल्याण मीना	लोरवाड़ा	अनु. ज. जाति
30.	,, रामकरण मोना	बनोड़ा	,,
31.	,, भैरूलाल मीना	हिगोनी	,,
32.	,, रामनिवास मीना	निंमली खुर्द	,,
33.	,, वीरवल मीना	ओलवाडा	अनु. ज. जाति, पं. सं. सवाई माधोपुर
34.	,, गोपाल मीना	बाडोलाल	,,
35.	,, हजारी मीना	रावरा	,,
36.	,, केसरलाल मीना	जुवाड	अनु. ज. जाति
37.	,, मूल्या मीना	ऐडवा	,,
38.	,, हीरालाल पुत्र भूरया	जुवाड	,,
39.	,, किशन गोपाल मीना	,,	,,
40.	,, रामप्रसाद पुत्र सीताराम	नीरदडा	,,
41.	,, संवतया मीना ,	ऐडा	,,
42.	,, सीताराम मीना	भदलाव	,,
43.	,, बदरी मीना	,,	,,
44.	,, जगराम मीना	वाजेलाल	,,
45.	,, बुद्धराम मीना	,,	,,
46.	,, रामरतन मीना	हिगोनी	,,

1	2	3	4
47.	श्री सांवल्या मीना	बाज़ेलाल	अनु. ज. जाति
48.	,, पाच्या मीना	सीनोली	,,
49.	,, मथुरालाल बजरंगलाल	सेलु	,,
50.	,, कल्याण मीना	सीनोली	,,
51.	,, कन्हैया मीना	सीनोली	,,
52.	,, बदरी मीना	,,	,,
53.	,, रामनारायण मीना	,,	,,
54.	,, गेंदा मीना	हिगोनी	,,
55.	,, मनफूल मीना	,,	,,
56.	,, रतिराम मीना	,,	,,
57.	,, कालू धोबी	बड़ागांव	अनु. जाति प. स. बोली
58.	,, गंगाराम बैरवा	चक धाकडा	अनु. जाति
59.	,, छोटा बैरवा	,,	,,
60.	,, जयराम बैरवा	बास पारसा	,,
61.	,, श्योराम बैरवा	,,	,,
62.	,, सुवालाल बैरवा	बास पारसा	अनु. ज. जाति
63.	,, चन्द्र बैरवा	,,	,,
64.	,, कालू बैरवा	बास पारसा	अनु. जाति, पं. स. बोली
65.	,, रामनिवास धोबी	बहनोली	,,
66.	,, विश्ना बैरवा	महेसरा	,,
67.	,, अम्बालाल बैरवा	निमोद	,,
68.	,, मूल्या रेगर	कुशलपुरा	,,
69.	,, राधाकिशन रेगर	,,	,,
70.	,, रामस्वरूप रेगर	,,	,,
71.	,, गोरधन बैरवा	मोरन	अनु. जाति
72.	,, गोपाल बैरवा	,,	,,
73.	,, गोरया बैरवा	,,	,,

1	2	3	4	
74.	श्री नरसंगा बैरवा	मोरन	अनु. जाति	
75.	,, छोटू पुत्र ग्यारसा	बोरड़ा	,,	
76.	,, किस्तूरा मीना	बदनोली	अनु. ज. जाति	
77.	,, जयनारायण मीना	,,	,,	
78.	,, कल्याण मीना	,,	,,	
79.	,, बजरंग मीना	,,	,,	
80.	,, सूरज मीना	जरावती	,,	
81.	,, हरनारायण मीना	चक धाकडा	,,	
82.	,, रामदेवा मीना	,,	,,	
83.	,, जगन्नाथ मीना	,,	,,	
84.	,, श्योदान मीना	,,	,,	
85.	,, गोपी मीना	,,	,,	
86.	,, जेन्या मीना	नीमोद	,,	
87.	,, भोरया मीना	,,	,,	
88.	,, मूलचन्द मीना	,,	,,	
89.	,, रंगलाल मीना	,,	,,	
90.	,, अम्बालाल मीना	,,	,,	
91.	,, मोहरपाल मीना	,,	,,	
92.	,, रामजीलाल मीना	खिरनी	,,	
93.	,, माधो मीना	,,	,,	
94.	,, अर्जुन मीना	मोरन	,,	
95.	,, बदरी मीना	जस्टाना	,,	
96.	,, जमोली	खंडली	,,	प. स. वामनवास
97.	,, जोहरीलाल	भांवरा	,,	
98.	,, कन्हैयालाल मीना	,,	,,	
99.	,, देवल्या मीना	सुकार	,,	

268

1	2	3	4
100.	,, जेला मीना	कुआ गांव	,,
101.	,, चेतराम मीना	भीटोली	,,

सार

कृषि काय हेतु दिये गये कनेक्शन

वर्ष	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	लघु एवं सीमान्त कृषक	योग
1982	32	65	4	101

वर्ष 1983 (जनवरी से दिसम्बर तक) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लघु/सीमान्त कृषकों को अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, सवाई-माधोपुर के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कृषि हेतु विद्युत संबंध दिये जाने का विवरण

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	अनु. जाति / जनजाति / लघु कृषक
1.	श्री भोंरया पुत्र कोरया	आलनपुर	अनुसूचित जाति प. स. सवाई माधोपुर
2.	श्री भूरा पुत्र शिवबक्स	,,	अनु. ज. जाति
3.	श्री देवनारायण	,,	लघु कृषक
4.	श्री राधेश्याम जाट	ढीकला	,,
5.	श्री कन्हैयालाल जाट	मानटाउन	,,
6.	श्रीमती मोरयाली मीना	,,	अनु. ज. जाति
7.	श्री रामेश्वर लाल	पचीपला	,,

1	2	3	4
8.	श्री रामजीलाल माली	सवाईमाधोपुर	लघु कृषक
9.	श्री मोतीलाल	आलनपुर	,,
10.	श्री कल्याण पुत्र पन्ना माली	,,	,,
11.	श्री भगवान स्वरूप	सारसोप	अनु. जन जाति
12.	श्री कानामल भैरवा	चौडखाजना	अनु. जाति प. स. खण्डार
13.	श्री रामपाल भैरवा	खाजना चौड	,,
14.	श्री कालू भैरवा	,,	,,
15.	श्री माग्या भैरवा	खाजना डूंगर	,,
16.	श्री लक्ष्मण भैरवा	खजाना चौड	,,
17.	श्री मंगला भैरवा	,,	,,
18.	श्री रामदेवा भैरवा	,,	,,
19.	श्री छगनलाल महाजन	दूमोद	सामान्य कृषक
20.	श्री बदरीलाल शर्मा	नायपुर	,,
21.	श्री विक्रम सिंह	दौलतपुरा	,,
22.	श्री रामस्वरूप सीठा	संवास	,,
23.	श्री हनुमान दास	फलौदी	,,
24.	श्री ओंकारसिंह	दौलतपुरा	,,
25.	श्री लड्डूलाल जाट	वहरावडा खुर्द	,,
26.	श्री हंसराज शर्मा	,,	,,
27.	श्री ओंकार खटीक	नायपुर	अनु जाति
28.	श्री काना श्योबक्स भैरवा	रावरा	,,
29.	श्री किसना ओंकार माली	वहरावडा	लघु कृषक
30.	श्री प्रभुदयाल शर्मा	खण्डार	,,
31.	श्री गंगाराम मीणा	लोदीपुरा	अनु. जन जाति प. स. सवाईमाधोपुर
32.	श्री श्योदान माली	शेरपुर	लघु कृषक
33.	श्री नाथू भैरवा	माधोसिंहपुरा	अनु. जाति

पृ.

1 2	3	4
34. श्री प्रह्लाद मीणा	सेलू	अनु. जन जाति
35. श्री जयकिशन मीणा	बनोटा	,,
36. श्री रामनिवास अहीर	जुवाड	लघु कृषक
37. श्री काना माली	रामसिंहपुरा	,,
38. श्री सोजीराम मीणा	खाला	अनु. जन जाति
39. ,, हनुमान मीणा	जाला	अनु. जन जाति
40. ,, राजू मीणा	,,	,,
41. ,, प्रभुदयाल मीणा	,,	,,
42. ,, किसना रामकुमार	डालियाना	लघु कृषक
43. ,, पन्ना मीणा	,,	अनु. जन जाति
44. ,, मोड्या मीणा	,,	,,
45. ,, सूरजमल मीणा	धमरिया	,,
46. ,, गिराज पुत्र रामपाल मीणा	,,	,,
47. ,, मीरपाल मीणा	,,	,,
48. ,, प्रह्लाद माली	रामसिंहपुरा	लघु कृषक
49. श्रीमती कल्याणी माली	,,	,,
50. श्री मोती माली	,,	,,
51. ,, वीरपाल मीणा	डालियाना	अनु. जन जाति
52. ,, रामकरण मीणा	,,	,,
54. ,, सजोराम मीणा	,,	,,
55. ,, रामकिशन मीणा	निदरदा	,,
55. ,, श्योराम माली बाबूलाल माली	रामसिंहपुरा	लघु कृषक
56. ,, छोटूलाल माली	,,	,,
57. ,, राजाराम	खाटकलां	अनु. जन जाति
58. श्रीमती तुलसा मीणा	निदरदा	,,

1	2	3	4
59.	श्री रंगोजीराम मीणा	निदरदा	अनु. जन. जाति
60.	,, बजरंगा मीणा	,,	,,
61.	राधा मीणा	सेलू	,,
62.	श्री रामदयाल खटीक	पिपडावाडा	अनु. जाति प. स. बोंली
63.	रामदेवा भैरवा	सरावता	,,
64.	श्री देवा पून्या	सिशोलाव	,,
65.	श्री भूरा नाथू	बोरदा	,,
66.	श्री प्रभू चन्दा	कुशलपुरी	,,
67.	श्री बाल्या हरदेवा	,,	,,
68.	श्री हेमा सोन्या	ध्यासना	,,
		निनवारी	
69.	श्री गेंदा ओंकार	घाटा निनवारी	,,
70.	श्री हजारी जनसी	हरसोता	,,
71.	श्री अर्जुन मांगीलाल	गम्भीरा	अनु. जन जाति
72.	श्री बदरी रामगोपाल	बड़ागांव कहरि	,,
73.	मांगीलाल भौंरीलाल	बालदकला	,,
74.	श्री कन्हैया मंगला	जयपालपुरा	,,
75.	श्री गिराज गोगजी	सडावता	,,
76.	श्री जमना गोरया	कदेल	,,
77.	श्री गोपाल भोजी	बहनोली	,,
78.	श्री गंगाराम रामसहाय	बोंली	,,
79.	श्री टीकाराम गोपाल	बैडोली	,,
80.	श्री गोपी गणेश	बोरदा	,,
81.	श्री कल्याण बोरदा	,,	,,
82.	श्री सूड्या भोंरा	,,	,,
83.	चतरा भूरा	क्रेड	अनु. जन जाति

Page No. 272

(272)

1	2	3	4	
84.	श्री भाग्या गणेश	धाटा निनवारी	अनु. जन. जाति	
85.	श्री हीरालाल	,,	,,	
86.	श्री कन्हैया फैली	,,	,,	
87.	श्री गिरधारी हरदेव	,,	,,	
88.	श्री झूला कोरया	,,	,,	
89.	श्री रामकंवार गणेश	,,	,,	
90.	श्री गणेश रामचन्द्र	मिसोलाव	,,	
91.	,, सूखा हरचन्दा	मीणा कालेता	,,	प. स. वामनवास
92.	,, रामफूल	,,	,,	
93.	,, कन्हैया मीणा	सुस्कार	,,	
94.	,, किशोर मीणा	,,	,,	
95.	,, ठन्डीराम मीणा	,,	,,	
96.	,, किशोर मीणा	,,	,,	
97.	,, सावण मीणा	रिवाली	,,	
98.	,, चिरंजी पांचा	,,	,,	
99.	,, रतनलाल	रिवाली	,,	
100.	,, शिवराम मीणा	,,	,,	
101.	,, सावडा मीणा	,,	,,	
102.	,, गोविन्दा मीणा	,,	,,	
103.	,, हजारी मीणा	,,	,,	
104.	,, प्रभू मीणा	,,	,,	
105.	,, जैल्या मीणा	,,	,,	
106.	,, मंगला मीणा	,,	,,	
107.	,, रामभजन मीणा	,,	,,	
108.	,, रामफूल मीणा	,,	,,	
109.	,, मूड्या मीणा	,,	,,	
110.	,, रामवत्त मीणा	चांदनहवेली	,,	

1	2	3	4
111.	श्री गिराज मीणा	चांदनहवेली	अनु. जन. जाति
112.	,, रामहेला मीणा	,,	,,
113.	,, काडू मीणा	,,	,,
114.	,, चतराम मीणा	करोली	,,
115.	,, सगेया मीणा	गोठरा	,,
116.	,, भूरा	सुथार	अनु. जाति
117.	,, नाथू बैरवा	,,	,,
118.	,, प्रेमचन्द शर्मा	विचपुरी	लघु कृषक
119.	,, राधेश्याम शर्मा	,,	,,
120.	,, घासीलाल	कुआ गांव	,,
121.	,, घोटलराम	,,	,,
122.	,, जयनारायण शर्मा	चान्दनहोली	,,
123.	श्री घनश्याम जोगी	रिवाली	,,
124.	श्री भूरीलाल	नानेहाखेडा	,,
125.	श्री किशन	सितोड	,,
126.	श्री सुरजन श्रीचन्द	,,	,,
127.	गंगाधर	सितोड	लघु कृषक
129.	श्री केशरा	नागरहेडा	,,
130.	श्री काजी मंगला	,,	,,
131.	श्री मोहनलाल	सुथार	,,
128.	श्री सान्दीया	रवाली	,,
132.	श्री भौरया	,,	,,
133.	श्री गंगासहाय	,,	,,
134.	श्री देवीलाल	,,	,,
135.	श्री कन्हैयालाल	,,	,,
136.	श्री भूर्या	,,	,,
137.	श्री राजकुमार	,,	,,

1	2	3	4
138.	श्री ग्यारसा	ग्वाली	लघु कृषक
139.	श्री रामधन	,,	,,
140.	श्री रामभजन	..	..
141.	श्री रामेश्वर	..	..
142.	श्री जय श्री राम	..	..
143.	श्री नाथू	..	..
144.	श्री मूडिया	..	..
145.	श्री केदार	..	..
146.	श्री जोहरी मीणा	कुआ गांव	अनु. जन जाति

सार

कृषि कार्य हेतु दिये गये कनेक्शन

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	लघु कृषक एवं सीमति	योग
1983	22	70	54	146

परिशिष्ट 12

*अतारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची

RAJASTHAN SANSKRIT ACADEMY, JAIPUR

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1981

Receipts	Amount	Payments	Amount
To Grant in aid Sanctioned by Department of Education (Group V) Rajasthan.	50,000.00	By Deposited of Education (Group V) Grant in aid Received on 31st March, 1981.	50,000,00
Total :	50 000.00	Total :	50,000.00

President

Secretary

AUDITOR'S REPORT

As per our report of even date.

Jaipur
Dated 11 Nov., 1982

For R. SHANDILYA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANT
Sd/-
(Guru Dutta Sharma)
Partner

275

RAJASTHAN SANSKRIT ACADEMY, JAIPUR

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1982

Receipts	Amount	Payments	Amount
To Grant in aid Sanctioned by Department of Education (Group V) Rajasthan	50,000.00	By Salaries & Allowances	11,099.67
		,, Stationary & Printing Exp.	4,678.04
		,, Postage Expenses	196.35
To Department of Education Group V Received against grant in aid due for 1980-81	50,000.00	,, News Papers & Periodicals Exp.	635.30
		,, Travelling & Conveyance Exp.	1,476.28
To Interest Received from Bank of Rajasthan	727.25	,, Registration Fee	50.00
		,, Advertisement Exp.	506.87
To Advance from Shri Radhey Shyam Vyas	500.00	,, Furniture & Fixtures Purchased (Including Fan worth Rs. 445)	15,483.15
		,, Advance against Telephone	200.00
		,, Electricity Expenses	55.00
		,, Typewriter Purchased	2,383.00
		,, Reimbursment of Medical Exp. to Shri Radhey Shyam	173.25

Receipts	Amount	Payments	Amount
		By Library Book Purchased	30,049.99
		,, Pandit Samman	2,993.08
		,, Miscellanious Exp.	919.33
		,, Department of Education Group V Grant in aid of 1981-82 to be received	25,000.00
		,, Cash at Bank of Rajasthan	4,500.31
		,, Cash in Hand	21.98
		,, Postage in Hand	803.65
Total :	1,01,227.25	Total :	1,01,227.25

President

Secretary

AUDITOR'S REPORT

As per our report of even date

Jaipur

Daate 11 Nov., 1982

For R. SHANDILYA & CO.

Sd/-

(GURU DUTTA SHARMA)

Partner

राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर की उपलब्धियां

राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना के बाद इसका विधिवत गठन 1982 में हुआ। इसकी उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं—

1. अखिल भारतीय संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता :—

अकादमी के सहयोग से 17–18 फरवरी, 1982 को भारत-सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें देश के 13 राज्यों के 110 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

2. अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन :—

उक्त अवसर पर अकादमी के सहयोग से 19–20 फरवरी, 1982 को अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ जिसमें देश की विभिन्न शाखाओं के वैदिकों ने भाग लिया।

3. वेद विद्यालयों की स्थापना :—

राज्य में वैदिक विधाओं के स्वर की प्राचीन परम्पराओं को जीवित रखने के लिए भारत सरकार के सहयोग से तीन वेद विद्यालयों की स्थापना जुलाई, 1982 में की गई। 1983 में तीन वेद विद्यालय और खोल दिये गये हैं। इस समय ये वेद विद्यालय (1) सलेमाबाद, (2) विराटनगर, (3) बस्सी, (4) भरतपुर, (5) नाथद्वारा, (6) उदयपुर में चल रहे हैं।

4. त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन :—

इस अकादमी की ओर से एक त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जो देश के विभिन्न राज्यों में जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से राजस्थान के दो विद्वानों के सम्मान में विशेषांक भी प्रकाशित किये गये हैं। (1) महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, (2) चन्द्रधर गुलेरी।

5. वाचनालय व पुस्तकालय का संचालन :—

इस अकादमी की ओर से एक पुस्तकालय का संचालन भी किया जाता है। यह पुस्तकालय वीरेश्वर पुस्तकालय के नाम से गणगौरी बाजार, विष्णु मार्ग पर स्थित है। इसे अकादमी ने वीटेश्वर ट्रस्ट से अधिग्रहण किया है जिसका जीर्णोद्धार भी इसी अकादमी के द्वारा हुआ है।

6. विभिन्न पुरस्कार :—

(क) माघ पुरस्कार—

इस अकादमी की ओर से वर्ष में 3000/- रुपये का एक माघ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संस्कृत के क्षेत्र में जो विद्वान् अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना प्रस्तुत करता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गत वर्ष का पुरस्कार जोधपुर निवासी श्री जगदीश चन्द्र शर्मा को दिया गया है।

(ख) नवोदित प्रतिभा पुरस्कार—

छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। यह नवोदित प्रतिभा पुरस्कार महाविद्यालय तथा विद्यालय स्तर पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार गत वर्ष श्री रामदेव साहू, जयपुर तथा सुश्री वन्दना मंत्री, अजमेर को दिया गया है।

7. उपनिषद् व जयन्तियां—

इस अकादमी की ओर से उपनिषद्, महाकवियों की जयन्तियां आयोजित की जाती हैं जो कि प्रदेश के विभिन्न भागों में होती हैं अब तक उदयपुर, कोटा, भरतपुर में उपनिषदों का आयोजन हो चुका है। माघ जयन्ती व कालीदास जयन्ती का दो वर्षों में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर में आयोजन हुआ है।

8. विशिष्ट समारोह :—

दो संस्कृत विद्वानों के शताब्दी समारोह भी आयोजित किये गये हैं जिनमें महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी शताब्दी समारोह तथा दूसरा चन्द्रधर गुलेरी शताब्दी समारोह है।

9. पांडुलिपि एवं मुद्रण कला प्रशिक्षण शिविर :—

भारत सरकार के सहयोग से इस अकादमी की ओर से 18 दिवस का पांडुलिपि एवं मुद्रण कला प्रशिक्षण शिविर जून, 83 में श्री महावीर जी में आयोजित किया गया जिसमें 35 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

10. पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर :—

भारत सरकार के सहयोग से इस अकादमी की ओर से 18 दिवस का पौरोहित्य शिविर दिसम्बर, 83 में जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें 57 प्रशिक्षिणार्थियों ने भाग लिया।

11. कवि सम्मेलन :—

इस अकादमी की ओर से एक 1983 में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया जिसमें प्रदेश के कवियों ने भाग लिया था।

12. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता :—

छात्रों में संस्कृत की स्पर्धा जगाने के लिए इस वर्ष संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

————

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 305 की सूची

क्र.सं.	पद नाम	वेतन स्केल नं.	पदों की संख्या	कहां के लिए	विवरण
1.	प्रिंसिपल	18	1	राज. उपाध्याय संस्कृत कालेज, चिथवाड़ी	
2.	विरिष्ठ अध्यापक	15	4	,, ,,	
3.	,, लिपिक	9	1	,, ,,	
4.	व्याख्याता	18	1	राजकीय संस्कृत कालेज, दौसा	
5.	सीनियर टीचर	15	3	,, ,, मनोहरपुर, उदयपुर, अलवर ।	
6	अध्यापक (ग्रेड–II)	11	1	,, ,, कालाडेरा ।	
7.	प्रोफेसर, धर्मशास्त्र	19	1	महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर।	
8.	अध्यापक (ग्रेड–II)	11	5	राज. पूर्व प्रवेशिका, संस्कृत विद्यालय, जालोर, सिरोही, सीकर, जयपुर, बाड़मेर ।	
9.	पार्ट टाइम च. श्रे. क.	—	5	राज. पूर्व प्रवेशिका, संस्कृत विद्यालय, भीनमाल, झीडोली, दिवराला, विराटनगर, बाड़मेर ।	

282

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची

पिछले 3 वर्षों के अन्त में रहे समायोजित ओवर ड्राफ्ट से संबंधित सूचना

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ओवर ड्राफ्ट (−) । वक्त (+) की राशि (मार्गोपाय अग्रिम सहित)
1980-81	(−) 155.27
1981-82	(−) 283.46
1982-83	(−) 26.07

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन

माह जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक भुगतान की गई विकलांग छात्रवृति सूचना

क्र.सं	नाम विद्यालय	वर्ष 1980–81		वर्ष 1981–82		वर्ष 1982–83		वर्ष 1983–84		विशेष विवरण
		छात्र सं.	राशि	छात्र सं.	राशि	छात्र सं.	राशि	छात्र सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रा. उ. मा. वि., राणावास	2	800	2	800	2	800	2	200	
2.	रा. उ. प्रा. वि., वोपारी	1	400	1	400	1	400	1	100	
3.	रा. प्रा. वि., फुलाद	2	800	2	800	2	800	2	200	
4.	रा. उ. प्रा. वि., सारण	2	720	2	720	2	720	2	160	
5.	रा. मा. वि., आरूपा	1	400	1	400	1	400	1	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	रा. प्रा. वि., आरूपा	2	640	4	1280	4	1280	4	320	
7.	रा. उ. प्रा. वि., देवली	1	320	1	320	1	320	1	80	
8.	रा. प्रा. वि., चेलावास	1	320	1	320	1	320	1	80	
9.	रा. मा. वि., सिरियारी	1	320	1	320	1	320	1	80	
10.	रा. प्रा. वि., बोरीमादा	1	320	2	640	2	640	2	160	
11.	रा. प्रा. वि., जागुड़ा	1	320	1	320	1	320	1	80	
12.	रा. उ. प्रा. वि., नि. मॉडा	2	640	2	640	2	640	2	160	
13.	रा. प्रा. वि., जाजुड़ा	1	320	1	320	1	320	1	80	
14.	रा. उ. प्रा. वि., सवराड़	2	720	2	720	2	720	2	180	
15	रा. प्रा. वि., बगड़ी	—	—	2	640	2	640	2	160	
16.	रा. प्रा. वि., बराडीनगर	—	—	1	320	1	320	1	80	
17.	रा. उ. प्रा. वि., बागोल	—	—	—	—	1	400	—	—	
18.	रा. मा. वि., नीपल	—	—	—	—	1	400	—	—	
19.	रा. उ. प्रा. वि., नीपल	—	—	—	—	1	400	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	रा. मा. वि., मादा	—	—	—	—	2	800	—	—	
21.	रा. प्रा. वि., गुडा अखेराज	—	—	—	—	—	—	—	—	
	पंचायत समिति क्षेत्र, रानी									
22.	रा. उ. प्रा. वि., पिलोवणी	1	320	1	400	1	500	1	100	
23.	रा. हा. से. वि., रानी	—	—	1	400	1	500	1	100	
24.	रा. उ. प्रा. वि., रानीगांव	1	320	2	800	2	1000	2	200	
25.	,, ,, किशनपुरा	1	320	2	720	2	800	2	160	
26.	,, ,, नीपल	—	—	1	400	1	500	1	100	
27.	रा. मा. वि., वूसी	1	320	1	400	1	500	1	100	
28.	रा. प्रा. वि., खटूकड़ा	—	—	1	320	1	400	1	100	
29.	,, ,, बिजोवा	—	—	1	320	1	400	1	100	
30.	,, ,, इन्दरा चारवान	—	—	1	320	1	400	1	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	रा. प्रा. वि., रानी नं. 2	1	320	2	640	2	800	2	200	
32.	,, ,, बूसी	1	320	1	320	1	400	1	100	
33.	,, ,, खूनी का गुडा	1	320	1	320	1	400	1	100	
34.	,, ,, राबडीया	1	320	1	320	1	400	1	100	
35.	रा. प्रा. उ. बा. वि., बिजोवा	1	320	1	320	1	400	1	100	
36.	रा. मा. वि. खीमेल	1	320	1	400	1	500	1	100	
37.	,, ,, जवाली	1	320	1	400	1	500	1	100	
38.	,, ,, धनला	1	320	1	400	1	500	1	100	
39.	,, ,, दादाई	1	320	2	720	2	900	2	200	
40.	,, ,, चाचोंड़ी	—	—	—	—	2	640	2	160	
41.	,, ,, सांवलता	—	—	—	—	2	720	2	180	
42.	,, ,, बोर्डी	—	—	—	—	1	320	1	80	
43.	,, ,, ढारियां	—	—	—	—	1	320	1	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	रा. मा. वि., मोखमपुरा	—	—	—	—	1	320	1	80	
45.	रा. उ. मा. वि., रानीगांव	1	320	1	320	1	400	1	100	
	पंचायत समिति क्षेत्र, देसूरी									
46.	रा. उ. मा. वि., बागोल	1	320	1	400	1	500	1	100	
47.	रा. मा. वि., घाणेराव	1	320	1	400	1	500	1	100	
48.	रा. उ. प्रा. वि., नीपल	1	320	1	400	1	500	1	100	
49.	रा. मा. वि., मादा	2	640	2	800	2	1000	2	200	
50.	रा. प्रा. वि., गुडा अखेराज	1	320	1	400	1	400	1	80	
51.	,, ,, नं. 1 देसूरी	1	320	1	400	3	1140	3	280	
52.	,, ,, गुडा रामसिंह	—	—	—	—	1	400	1	80	
53.	,, ,, नारलाई	—	—	1	320	2	960	2	180	
54.	,, ,, डायनाला कला	1	320	1	400	1	500	1	100	
55.	,, ,, बावरीयों का झूपा	1	320	1	400	1	400	1	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	रा. प्रा. वि., नाडोल	2	640	2	800	3	1140	3	280	
57.	,, ,, गुडा देपडान	2	800	2	1000	3	1140	3	280	
58.	,, ,, घाणेराव	1	320	1	400	1	400	1	80	
59.	रा. उ. प्रा. वि., कोटड़ी	2	640	2	800	2	1000	2	200	
60.	रा. प्रा. वि., नं. 1 सादड़ी	2	640	2	800	2	1000	2	160	
61.	,, ,, 2 ,,	1	320	1	400	1	400	1	80	
62.	रा. उ. प्रा. वि., जूणा	1	320	1	400	2	900	2	180	
63.	,, ,, नं. 1 सादड़ी	1	320	1	400	2	800	2	160	
64.	रा. मा. वि., खीवाड़ा	2	640	2	800	2	1000	2	160	
65.	रा. उ. प्रा. वि. नं. 2 सादड़ी	—	—	1	320	1	500	1	80	
66.	रा. प्रा. वि., भादराज	1	320	1	400	2	800	2	160	
67.	रा. मा. वि., दादाई	1	320	1	400	1	500	1	100	
68.	रा. उ. प्रा. वि., ईसाली	1	320	1	400	1	500	1	100	
69.	रा. मा. वि., सादड़ी	1	320	1	400	1	500	1	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	रा. मा. वि., मोखमपुरा	—	—	—	—	i	320	1	80	
45.	रा. उ. मा. वि., रानीगांव	1	320	1	320	1	400	1	100	
	पंचायत समिति क्षेत्र, देसूरी									
46.	रा. उ. मा. वि., बागोल	1	320	1	400	1	500	1	100	
47.	रा. मा. वि., घाणेराव	1	320	1	400	1	500	1	100	
48.	रा. उ. प्रा. वि., नीपल	1	320	1	400	1	500	1	100	
49.	रा. मा. वि., मादा	2	640	2	800	2	1000	2	200	
50.	रा. प्रा. वि., गुडा अखेराज	1	320	1	400	1	400	1	80	
51.	,, ,, नं. 1 देसूरी	1	320	1	400	3	1140	3	280	
52.	,, ,, गुडा रामसिंह	—	—	—	—	1	400	1	80	
53.	,, ,, नारलाई	—	—	1	320	2	960	2	180	
54.	,, ,, डायनाला कला	1	320	1	400	1	500	1	100	
55.	,, ,, बावरीयों का झूपा	1	320	1	400	1	400	1	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	रा. प्रा. वि., नाडोल	2	640	2	800	3	1140	3	280	
57.	,, ,, गुडा देपडान	2	800	2	1000	3	1140	3	280	
58.	,, ,, घाणेराव	1	320	1	400	1	400	1	80	
59.	रा. उ. प्रा. वि., कोटड़ी	2	640	2	800	2	1000	2	200	
60.	रा. प्रा. वि., नं. 1 सादड़ी	2	640	2	800	2	1000	2	160	
61.	,, ,, 2 ,,	1	320	1	400	1	400	1	80	
62.	रा. उ. प्रा. वि., जूणा	1	320	1	400	2	900	2	180	
63.	,, ,, नं. 1 सादड़ी	1	320	1	400	2	800	2	160	
64.	रा. मा. वि., खीवाड़ा	2	640	2	800	2	1000	2	160	
65.	रा. उ. प्रा. वि. नं. 2 सादड़ी	—	—	1	320	1	500	1	80	
66.	रा. प्रा. वि., भादराज	1	320	1	400	2	800	2	160	
67.	रा. मा. वि., दादाई	1	320	1	400	1	500	1	100	
68.	रा. उ. प्रा. वि., ईसाली	1	320	1	400	1	500	1	100	
69.	रा. मा. वि., सादड़ी	1	320	1	400	1	500	1	100	

श्री जैन तेरापंथ महाविद्यालय, राणावास के अन्तर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक भुगतान की गई छात्रवृत्तियों का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है :

वर्ष	अनुसूचित जाति योजना		अनुसूचित जनजाति योजना		योग	
	लाभान्वित	व्यय राशि	लाभान्वित	व्यय राशि	लाभान्वित	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1980–81	15	15120/–	6	6320/–	31	21440/–
1981–82	16	22132/–	3	3389/–	19	25521/–
1982–83	15	17720/–	4	4080/–	19	21800/–
1983–84	29	32000/–	—	—	29	32000/–

परिशिष्ट "ब"

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन में जून, 80 से माह दिसम्बर, 83 तक नियुक्ति आशार्थियों की सूची

क्र.सं.	आशार्थियों का नाम मय पूरा पता
1	2
1.	श्री नवरतन लाल वैष्णव पुत्र श्री मीक चन्द बगडीनगर
2.	श्री जवर सिंह कुम्पावत पुत्र श्री मक्खन सिंह, सिनला
3.	श्री करण सिंह मोहन सिंह, अटपडा
4.	श्री रामसिंह पुत्र श्री जोर सिंह, बिठुठा खुर्द
5.	श्री गोपाल सिह/सूरज मल, पाली
6.	श्री कानसिंह राठौड़/मूल सिंह, बगड़ी
7.	श्री हरिसिंह/कणिसिंह, सवाड़ी
8.	श्री खीवराज आढ़ा/वसुदेव, पांचेटिया
9.	श्री राजेन्द्र कुमार आढ़ा/जीवन सिंह, पांचेटिया
10.	श्री रामेश्वरलाल खाती/मोहन लाल, नसीराबाद
11.	श्री वचना राम/वोहराराम, पेव
12.	श्री प्रेम शंकर/प्यारेलाल, मोहम्मदपुरा (भरतपुर) अनुषंगी पंजीयन
13.	श्री पदम सिंह बाल किशन, भीवली जिला पाली
14.	श्री सोहन लाल/लादूराम, पाली
15.	श्री भीमाराम/नारूराम, दानासनी
16.	श्री बृजेन्द्र कुमार पारीक, कृष्णचन्द, सरवाड़ । अजमेर अनुषंगी पंजीयन
17.	श्री सोहन लाल/मंगलाराम, बुटेलाव
18.	श्री गौरीशंकर शर्मा/धन्ना लाल, ब्यावर अनुषंगी पंजीयन
19.	श्री आशाराम पंवार/हरदेव, खोखारा

1	2
20.	श्री पारस मल हिनाणिया/पुखाराम, चाडवास
21.	श्री देवा राम/मांगी लाल, सरदारपुरा अनुषंगी पंजीयन
22.	श्री घीसा राम चौधरी/टीकमराम, दोरन्डी
23.	श्री राजेन्द्र भालावत/कालूजी, भिनाय अजमेर (अनुषंगी पंजीयन)
24.	श्री भगवान सिंह/राम सिंह, बाती
25.	श्री कम्पासिंह गहलोत/किशन सिंह, नरबदखेड़ा ब्यावर अनुषंगी
26.	श्री अशोक कुमार/श्याम सुन्दर, पाली
27.	श्री देवा राम/तिलोब राम, निमाज
28.	श्री निहाल चन्द/चंदाराम, मांडल
29.	श्री धन सिंह देवड़ा/आट सिंह नाना
30.	श्री गजेन्द्र सिंह पंचावर/गोरधन सिंह, खोड
31.	श्री मघाराम कारपेन्टर/देया राम, जैतारण
32.	श्री महेशदत्त शर्मा/हरी प्रसाद, अराई अजमेर अनुषंगी पंजीयन
33.	श्री रमेश कुमार/किस्तूर चन्द, माटुन्द
34.	श्री प्रेमसुख सुधार/देवीलाल, खौड
35.	श्री शम्भूदयाल शोभावत/गोविन्द नारायण, मारवाड जं.
36.	श्री सुरेश चन्द्र जैन/बाबूलाल, ब्यावर अनुषंगी पंजीयन
37.	श्री मुस्ताक अहमद/इस्माइल खां, बगडीनगर
38.	श्रीमती सुधा शर्मा/राम नारायण शर्मा, रामगंज अजमेर । अनुषंगी
39.	श्री स्मिता भारद्वाज/चुन्नीलाल, जोधपुर (अनुषंगी पंजीयन)
40.	श्रीमती बीना परिहार/नौरत मल, पाली
41.	श्री आशा डेविड/जंक्शन, मारवाड़ जं.
42.	श्री बाबू सिंह सिसोदिया/दीप सिंह, गोहाटी अजमेर अनुषंगी पंजीयन

1	2
43.	श्री बलवन्तसिंह/आनन्द सिंह, किशनपुरा, अजमेर अनुषंगी पंजीयन
44.	श्री रामेश्वर लाल/अनाराम, जैतारण
45.	श्री अब्दुल सत्तार/जमालूदीन, पाली
46.	श्री माधवदास/डुंगरदास, सवराड
47.	श्री चमनाराम/भूरा राम, ,,
48.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा/चतुर्भुज शर्मा, अजमेर (अनुषंगी पंजीयन)
49.	श्री सरस्वती आछायस/गोविन्द सिंह, जोधपुर
50.	श्री रामचन्द्र गुर्जर/उदाजी कुमारिया, अजमेर ,, ,,
51.	श्री महाराज सिंह/हीरा सिंह, पाली
52.	श्री सुवाला/ओमप्रकाश नायलाव, अजमेर ,, ,,
53.	श्री रतन लाल देपाल/भीका राम, ब्यावर ,, ,,
54.	श्री नारायण सिंह चौहान/पन्ना सिंह, पाली
55.	श्री खुसहालचन्द/मिश्री लाल, नारलाई
56.	श्री महावीर सिंह/सरजन सिंह, पाली
57.	श्री रतन सिंह/बख्तावर सिंह, चन्डावल
58.	श्री बनवारी लाल/लाला राम, मारवाड़ जं.
59.	श्री काना राम सोलंकी/भोला राम, सांडिया
60.	श्री सूजा राम/भीनाराम, व्यापारी
61.	श्री गौतम कुमार जोशी/बिहारी लाल, चन्डावल
62.	श्री ललितप्रकाश शर्मा/हरी प्रकाश, राणावास
63.	श्री जगदीश चन्द्र/वाबू राम, सोजत सीटी
64.	श्री शम्भू नाथ/नाथू नाथ, आसना–वाया लोटियाना

1	2
109.	श्री सुमेर सिंह/गोपाल सिंह, सिरीयारी ।
110.	श्री कपूर चन्द/वेलाराम, सादड़ी
111.	,, जीवाराम/बेनाराम, मादा
112.	,, वजाराम/पुराराम, कोटड़ी
113.	,, पुरुषोतमदास/रामनिवास, निमाज
114.	कु. सूरज/रामसिंह, गूडा पृथ्वीराज
115.	कु. अंजली खुराना/जगन्नाथ खुराना, फालना
116.	सन्तोदेवी/ओमप्रकाश, सेवाडी
117.	श्री रामप्रसाद/मंगलाराम, खोतावास
118.	,, भंवर सिंह/लक्ष्मण सिंह, सिन्दरली
119.	,, केशर सिंह/रूप सिंह, पिपलिया कला
120.	,, विक्रम सिंह/समुन्दर सिंह, सादड़ी
121.	,, अरूणा चौहान/ओमप्रकाश, मादा
122.	इन्दर सिंह/पदम सिंह, करली
123.	भरतकुमार/रूप चन्द, नारलाई
124.	श्री मांगू सिंह/शिवनाथ सिंह, माणका
125.	न्यामत अली/ईद मोहम्मद, घाणराव
126.	नरपत सिंह/मदन सिंह, ,,
127.	श्री शान्तीलाल मालवीय/शेषमल, नारलाई
128.	श्रीमती मिथिलेश माथुर/एस. के. माथुर, फालना
129.	,, पार्वती/पुरुषोतम दास, देसूली

Page No. 296

(296)

पंचायत समिति. रानी में जून, 80 से माह दिसम्बर, 83 तक नियुक्त आशार्थियों की सूची

क्र०सं०	नाम आशार्थी मय पूरा पता
1	2
1.	अपेसर राजनट/मोहनलाल, खौड़
2.	खेमाराम/तेलाराम, देवरिया
3,	हजाराम/दीपाराम, लालराई
4.	रमेशचन्द्र/पेमाराम, मारवाड़ जंक.
5.	तेजाराम/पेमाराम, मालारी
6.	देवीलाल/बनेचन्द, सादड़ी
7.	रामदेव/पन्नालाल, देवास–अजमेर
8.	गजेन्द्र कुमार/रामचन्द्र, बगडी नगर
9.	आनन्द प्रकाश/सत्यनारायण, बगडी नगर
10.	रतनसिंह/जीवनसिंह, भेसाना
11.	कानसिंह/प्रेमसिंह, पाली
12.	मदनलाल/रामलाल काबरा, अजमेर
13.	प्रेमपाल/सत्यपाल, ब्यावर
14.	निजामुद्दीन/मो. अमान अन्सारी, जोधपुर
15.	राजेन्द्रकुमार/परबत सिंह, पाचेलिया
16.	घेडाराम/माधूराम, गोविन्दपुरा–भरतपुर
17.	नरपत सिंह/भारत सिंह, बाजाकूड़ी
18.	कैलाशचन्द/मंडलदास, जोधपुर
19.	कु० उषा/इन्दरचन्द, फालना
20.	ओमप्रकाश सैन/मीठालाल, ब्यावर

1	2
21.	श्रीमती राजेश/आशाराम, वरकाणा
22.	गोपाल/हरीराम, हरिजन, रानी स्टे
23.	मोतीसिंह/देवीलाल, नरसा देसूरी
24.	भानुलाल/बाबूलाल, नाना
25.	चन्द्रनिवास/नागरचन्द, रानी
26.	जगजीत कौर/करतार सिंह, पाली
27.	अचल सिंह/मोतीसिंह, पिलोवणी
28.	सुलीलसिंह/चिमनाराम, पाली
29.	मोहरलाल/लालाराम मलसा बावड़ा
30.	श्रीमती मालती खन्ना/बीके खन्ना, रानी
31.	विमला जैन/दिनेशचन्द्र जैन, रानी
32.	विश्वम्भर दयाल/कालूराम, पाली
33.	हरप्रसाद चौहान/रामचन्द्र, निम्बाहेड़ा कलां
34.	रामलाल राणा/दाना राम, कोठार
35.	गोपाल सिंह/सोहन सिंह, पालियावास
36.	देवाराम/केलाराम, विलीया
37.	देवाराम/गलाराम, गडा महाराम
38.	खीमाराम/गोमाराम, जीवन्द कलां
39.	धन्नाराम/पनाराम, वारवा
40.	देवी सिंह/रूप सिंह, पादरीली
41.	चम्पालाल/गणेश मल, बीजोवा
42.	सोहनलाल/रतनलाल, नाहोल

1	2	
43.	गोपाल शरण शर्मा/द्वारका प्रसाद, कोकमपुरा	
44.	गोरधनलाल/चिम्मनराम, सादडी	
45.	शैतानराम/मंगलाराम, चन्छावल	
46.	खीमाराम/गोमाराम, जीवन्दकलां	
47.	ओबडराम/सकाराम, लालराई	
48.	दुलीचन्द/सुरारीलाल, मोकमपुरा	
49.	भीक सिंह/नारायण सिंह, पिलोवणी	
50.	नेमीचन्द/रतनलाल, वालरई	
51.	नन्द किशोर/रामस्वरूप, नाडोल	
52.	मधुसुदन दवे/रामचन्द्र शास्त्री, मोकमपुरा	
53.	रणधीर यादव/जगदीश राम, ,,	
54.	अम्बालाल/छाजूराम ,,	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 311 का विवरण

भवानी मंडी में जिन व्यक्तियों की भूमि का कब्जा लिया गया है उसका विवरण

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म भूमि
1.	श्री जगन्नाथ बाला राम पुत्र श्री किशन लाल तैली	577	0–18	सिंचित
2.	,, ,,	579	2–05	,,
3.	,, ,,	578	0–01	कुआ
4.	,, ,,	580	3–05	सिंचित
5.	श्री अल्लावक्श श्री गुल-मोहम्मद	581	0–03	कुआं
6.	,, ,,	582	3–00	असिंचित
7.	,, ,,	583	1–10	,,
8.	श्री जगन्नाथ एवं बाला राम तैली पुत्र श्री किशन लाल तैली	598	2–05	सिंचित

कुल योग 13–07

(300)

परिशिष्ट "ब"

ग्राम सुनेल तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण

खसरा नं०	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म जमीन	नाम काश्तकार
1	2	3	4
1249	0.03	मै. मु.	मु. मेपुनाबाई पि. हैदरअली व पुनीराबाई माता जेबुना बाई को. बोहरा मुसलमान सा. देह खातेदार
1250	0.15	चाही मु;	,, ,,
1251	0.02	आ. चा.	,, ,,
1252	18.13	खे. मु.	,, ,,
1254	2.03	चा. प्रा.	दौलतराम पुत्र जगन्नाथ प्रा. सा. देह खातेदार
1255	0.02	आ. चा.	,, ,,
1256	14.19	खे. डा. प्र. वी. प्र. 14.09 0.10	,, ,,
1257	2.14	वीह. प्र.	कल्याण मल पुत्र बाल मुकंद 1/3 बेवा भूलीबाई 1/3 व पुरुषोतम लाल पुत्र मोहन-लाल, मंगलाकुमारी पुत्री मोहनलाल, बेवा प्रेमलता पत्नि मोहनलाल 1/3 व पुरुषोतम व मंगलाकुमारी ना. वा. वली. प्रेमलता बाई महाजन सा. देह इन्त 581 खातेदार

1	2	3	4
1258	4.15	चा. प्र.	कल्याणमल पुत्र वाल मुकंद 1/3 वेबा भूलीबाई 1/3 व पुरुषोतम लाल पुत्र मोहनलाल, मंगला-कुमारी पुत्री मोहनलाल, वेवा प्रेमलता पत्नि मोहनलाल 1/3 व पुरुषोतम व मंगलाकुमारी ना. वा. वली प्रेमलता वाई महाजन सा. देह. इन्त 581 खातेदार
1259	0.02	आ. चा.,	,, ,,
1260	0.03	चा. प्र. जा. प्र. 0.02 0.01	,, ,,
1261	5.84	सेडा. प्र.	,, ,,
1262	16.18	पा. अ.	सावलसिंह पुत्र सरदार सिंह कौ. राजपूत सा. देह खातेदार इन्त 618
कुल रकवा	66.05 बीघा		

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की सूची

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्र.सं.	कालोनी का नाम	श्रेणी	आवंटन हेतु मकान	निर्मित कब से	अपूर्ण मकान	अपूर्ण कब से	आवंटन का कार्यक्रम	विवरण
1.	दादाबाड़ी विस्तार योजना, कोटा	अल्पआय वर्ग	17	1981	6 मकान	—	मई, 84	मकानों का आवटन शीघ्र किया जा रहा है।
				1982	11 मकान			
2.	तलवंडी योजना	मध्यम आय वर्ग "ब"	7	1981	7			
		,, ,, "अ"	6	1981	6			
		अल्प आय वर्ग	13	1981	13			
			26		26			

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 314 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

बांसवाड़ा-कुशलगढ़ मार्ग पर प्रस्थान व आगमन वाहनों का समय विवरण-पत्र

बांसवाड़ा प्रस्थान	कुशलगढ़ पहुंच	
5-00	7-30	(बागीदोरा तक)
5-30	8-30	(झाबुआ)
7-30	10-00	वाया अन्देश्वर
8-30	11-00	वाया सज्जनगढ़
11-00	14-00	,,
11-45	14-45	उदयगढ़ तक
13-30	16-00	
15-30	18-30	
17-00	20-00	
18-45	21-45	
22-00	24-00	इन्दौर तक

कुशलगढ़ प्रस्थान समय	बांसवाड़ा पहुंच समय	
3-00	5-00	
6-30	9-00	
7-30	10-00	वाया अन्देश्वर

304

कुशलगढ़ प्रस्थान समय		बांसवाड़ा पहुंच समय	
8-30		16-30	उदयपुर रात्रि विश्राम
9-30		12-30	
11-00		14-00	
13-00	उदयगढ़ वाली	16-00	
14-30		17-00	
15-30	झाबुआ वाली	18-30	
16-00		20-00	वाया बागीदोरा तक
17-00		20-00	
18-30		21-00	

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची

क्र.सं.	आवासीय भवन संख्या	उन व्यक्तियों के नाम जो काबिज हैं	काबिज की हैसियत
1.	विकास अधिकारी भवन	श्री कंवर बहादुर सक्सैना, विकास अधिकारी	आवंटी
2.	1	श्री राधा मोहन शर्मा, पशुधन सहायक	,,
3.	2	श्री मदनमोहन लाल शर्मा, भूतपूर्व शिक्षा प्रसार अधिकारी	,,
4.	3	श्री रामदयाल शर्मा, वरिष्ठ लिपिक	,,
5.	4	श्री भंवर लाल कूलवाल, लेखाकार	,,
6.	5	पंचायत समिति के सदस्यों के ठहरने हेतु एवं स्टोर के सामान हेतु आरक्षित	
7.	6	श्री मोहन सिंह, सेवा निवृत जीप चालक	,,
8.	7	श्री गुलजारी लाल शर्मा, वरिष्ठ लिपिक	,,
9.	8	श्री लक्ष्मी नारायण, प्रधान, पं. स.	,,
10.	9	श्री जयकिशन, कनिष्ठ लिपिक	,,
11.	10	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पशुधन सहायक	,,
12.	1	श्री रामजीवन, च. श्रे. कर्मचारी	,,
13.	2	श्री चिरंजी लाल, जीप चालक	,,
14.	3	श्री राधेश्याम जैन, च. श्रे. कर्म.	,,
15.	4	श्री श्रीनारायण सैनी, च. श्रे. क.	,,
16.	विश्राम गृह	श्री ओम प्रकाश गुप्ता, अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बान्दीकुई	अनाधिकृत रूप से काबिज

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 318 से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 1983 में पंचायतों को संभलाये गये हैंड-पम्पों की संख्या			वर्ष 83–84 में पंचायतों को सौंपे गये खराब हैंड पम्पों में से पंचायतों के माध्यम से ठीक करवाये गये हैण्ड पम्पों		वर्तमान में पंचायतों के अधीन हैंड पम्पों की संख्या			खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करवाने के लिए धनराशि की आवश्यकता
		ठीक हालत में	खराब हालत में	कुल	की संख्या	के ठीक करवाने पर किया गया व्यय	ठीक हालत में	खराब हालत में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	टोंक	798	98	896	5	—	798	98	896	81,202
2.	डूंगरपुर	1714	914	2628	200	9,750	1334	882	2216	
3.	अजमेर	1516	976	2492	470	81,250	1950	497	2447	2,00,000
4.	धौलपुर	501	186	687	—	—	630	195	825	1,95,000
5.	सिरोही	71	1	72	—	—	335	35	370	31,100
6.	चित्तौडगढ़	1284	308	1592	62	3,930	1529	326	1855	1,12,650
7.	झालावाड़	373	176	549	128	5,798	733	149	882	88,350
8.	जैसलमेर	26	7	33	—	—	25	8	33	34,225
9.	कोटा	693	49	742	—	—	835	173	1008	33,800
10.	भरतपुर	516	295	811	250	—	740	472	1212	1,30.000
11.	चूरू	24	—	24	—	—	28	26	54	18,200

Page No. 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	जयपुर	2104	240	2344	—	—	2408	236	2644	61,300
14.	सीकर	78	—	78	—	—	876	58	934	4,20,000
15.	अलवर	834	—	834	—	—	1320	281	1601	1,82,650
16.	बांसवाड़ा	21.11	262	2373	694	15,530	2348	334	2682	1,69,000
17.	बाड़मेर	166	48	214	—	—	125	71	196	32,245
18.	पाली	776	157	933	71	2,956	853	208	1061	33,000
19.	सवाई माधोपुर	954	293	1247	258	13,970	815	592	1407	2,93,450
20.	नागौर	282	75	357	28	2,453	353	135	488	1,27,000
21.	उदयपुर	298	27	325	27	2,500	3770	632	4402	1,67,400
22.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	बूंदी	714	72	786	23	1,139	691	95	786	76,550
24.	श्रीगंगानगर	632	111	743	15	6,000	703	229	932	19,400
25.	जालौर	—	—	—	—	—	69	157	226	1,16,700
26.	झुन्झुनू	11	26	37	—	—	67	51	118	1,90,000
27.	भीलवाड़ा	सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।								
	योग	16,476	4,321	20,797	2,131	1,45,276	23.335	5,940	29,275	28,13.222

307

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या	अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या	निर्धारित मापदंड के अनुसार अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता
1.	बायतू	133	8	48
2.	धोरीमन्ना	131	7	40
3.	शिव	106	11	13
4.	चोहटन	121	—	32
5.	सिवाना	140	7	11
6.	बालोतरा	162	7	99
7.	बाड़मेर	115	5	69
8.	सिणधरी	129	8	57
	योग	1037	53	369

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 320 से संबन्धित सूची

वर्ष	औपचारिक शिक्षा	
	नामांकन के लक्ष्य	उपलब्धि
1980–81	10,500	6,082
1981–82	10,451	6,087
1982–83	14,860	8,155
1983–84	11,227	9,757

वर्ष 1983–84 में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सूची

(क) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत

क्र.सं	केन्द्र का स्थान	केन्द्रों की संख्या	क्र.सं.	केन्द्र का स्थान	केन्द्रों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	चन्दलाई	2	2.	रूस्तमगंज	2
3.	विचपुडी	2	4.	तारण	1
5.	सोनवा	4	6.	अरनियामाल	3
7.	मैन्दवास	1	8.	लवादर	1
9.	निमोला	2	10.	हकीमपुर	1
11.	मीलवास्या	1	12.	ताखोली	1
13.	ऊम	2	14.	काबरा	1

योग : 24

310

(ख) ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत

1.	पिपलु	6	2.	चौगाई	3
3.	हरिपुरा	2	4.	चन्देड़ा	3
5.	वनवाड़ा	4	6.	लोहरबाड़ा	2
7.	बगडी	4	8.	डारडा तुर्की	2
9.	नाथडी	1	10.	काशीपुरा	3
11.	निम्हेड़ा	3	12.	बीजवाड़ा	2
13.	कल्याणपुरा	1	14.	बोरखण्डी	3
15.	नया टीला	3	16.	पासरोटिया	2
17.	झिराना	5	18.	वलखण्डिया	1
19.	अहमदगंज	1	20.	ढूढिया	1
21.	मदारीपुरा	1	22.	ढाढरिया	2
23.	मुमाना	1	24.	मोजा मोइनाबाद	2
25.	मोजा नसीराबाद	1	26.	हमजापुरा	1
27.	बिचपुडा	1	28.	बमोर	5
29.	हरचन्देड़ा	3	30.	खलीलपुर पापडा	1
31.	अहमदपुरा चौकी	2	32.	माडा गांव	2
33.	ऊटी टाना	1	34.	खजुरिया	1
35.	घास	2	36.	देवली	2
37.	भांवी	1	38.	निमोला	1
39.	बोरड़ी	3	40.	झोपडिया बोरडी	1
41.	सुनेला हाजिपुरा	1	42.	कीरिया	1
43.	बिठोला	1	44.	अरनिया केदार	1

योग : 90

वर्ष	साक्षार किये गये व्यक्तियों की संख्या	
	औपचारिक शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	प्रौढ़ शिक्षा
1980–81	6,082	—
1981–82	6,087	756
1982–83	8,155	768
1983–84	9,757	3,380

(312)

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 322 की सूची

कार्यालय पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन

क्र.सं.	लाभान्वित व्यक्ति का नाम	ग्राम का नाम	प्रति व्यक्ति को दी गई राशि	राशि दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री चेना/जवान बावरी	हिंगोला खुर्द	750/-	3-8-81
2.	,, नेनाराम/किशनाराम बावरी	,,	,,	,,
3.	,, कालु/दुर्गा ,,	,,	,,	29-8-81
4.	,, बुधा/नाथा बावरी	,,	,,	3-8-81
5.	,, पोकर/जवान ,,	,,	,,	,,
6.	,, चोला/तोलोक बावरी	,,	,,	,,
7.	,, अमरा राम/लुवाराम बावरी	,,	,,	,,
8.	,, मगा राम/रूगा राम ,,	,,	,,	,,
9.	,, देवा राम/हुकमाराम ,,	,,	,,	5-8-81
10.	,, ओमप्रकाश/शंकरलाल गुरूडा	,,	,,	3-8-81
11.	,, पेमाराम/देवा बावरी	बीठूडा कला	,,	3-6-81
12.	श्रीमती हठुडी/जस्सा मेण	,,	,,	2-6-81
13.	श्री शंकरलाल/देवा सरगडा	कराड़ी	,,	6-8-81
14.	,, किशनसिंह/तेजसिंह राजपूत	,,	,,	8-6-81
15.	,, बंशी लाल/घीसूलाल मेघवाल	,,	,,	8-6-81
16.	,, चुनीलाल/भेरा मेघवाल	,,	,,	,,
17.	,, भोमा राम/किशना जोगी	,,	,,	6-8-81

1	2	3	4	5
18.	श्री चम्पालाल/वना नाई	देवली	500/-	17-5-81
19.	,, छोगालाल/लकम ममेणा	,,	,,	,,
20.	,, नरखाराम/भला मेणा	,,	,,	,,
21.	,, तिलोक/किशना सरगडा	,,	,,	,,
22.	,, सुरेश कुमार/देवीलाल नाई	,,	,,	,,
23.	,, मोहनलाल/छोगा ढाली	भगोडा	750/-	29-7-81
24.	,, गोपी लाल/गोविन्द राम हरिजन	सेहवाज	,,	20-7-81
25.	,, नर सिंह/आसू मेणा	सारण	,,	27-8-81
26.	,, मंगला/मोडा मेगवाल	,,	,,	,,
वर्ष 81-82				
1.	श्री डायाराम/घीसाराम मेणा	सारण	750/-	7-2-82
2.	,, दला राम/चेना राम ,,	,,	,,	,,
3.	,, खूमा राम/मौका राम मेगवाल	,,	,,	,,
4.	,, आदाराम/नारायणलाल हरिजन	बोरी मादा	,,	,,
5.	,, भूरा/वरदा भील	,,	,,	-
6.	,, लक्ष्मण/दीणा मेगवाल	,,	,,	-
7.	,, सोमनाथ/मोतीनाथ कालवेलिया	,,	,,	-
8.	,, प्रताप मल/मनरूप राम सरगडा	देवली	,,	-
9.	,, मूला राम/भीका राम ,,	,,	,,	11-2-82
10.	,, जालमसिंह/पूनमसिंह रावणा राजपूत	आऊवा	,,	-
11.	,, सुखाराम/खमरथा मेणा	,,	,,	-
12.	,, सत्तार/करीम मुसलमान	,,	,,	-
13.	,, मति हंजा/गेना कुम्हार	,,	,,	-

315

1	2	3	4	5
14.	श्री बालुराम/गोगाराम मेणा	आऊवा	750/–	–
15.	,, सुखा राम/रूपा राम ,,	,,	,,	–
16.	,, मूला राम/रामचन्द्र ढोली	,,	,,	18–3–82
17.	,, पुखराज/सोहन मोची	,,	,,	,,
18.	,, गंगाराम/ऊदाराम मेगवाल	फुलाद	,,	,,
19.	,, पेमा राम/चतरा राम ढोली	,,	,,	–
20.	,, मीश्री लाल/लकमा राम गा. लोहार	,,	,,	–
21.	,, डूगर नाथ/टोकम नाथ कालबेलिया	,,	,,	–
22.	,, लाल सिंह/हेम सिंह रावत	,,	,,	–
23.	,, राम लाल/बुद्धा राम खटीक	,,	,,	–
24.	,, मंगला राम/हरि राम हरिजन	,,	,,	–
25.	,, फता राम/पन्ना राम नायक	,,	,,	–
26.	,, बुद्धा राम/हुकमा राम कुंम्हार	,,	,,	–
27.	,, हेमा राम/भगतु राम हरिजन	मारवाड़ जं.	,,	–
28.	,, प्रकाशचन्द्र/बाबु लाल हरिजन	,,	,,	–
29.	,, हेमा/सेसा नाई	जाणुन्दा	,,	–
30	,, टीकम राम/मेगा राम कुम्हार	जेतपुरा	,,	31–3–82
31.	श्रीमती जेठी/माईग मेगवाल	,,	,,	,,
32.	श्री कनैयालाल/जेठा मेगवाल	गुडा केसरसिंह	,,	–
33.	,, मूगा/जेठा मेगवाल	,,	,,	–
34	,, तुलसा राम/मगा राम कुम्हार	चेलावास	,,	–
35.	,, बाघा/पुखा मेणा	गद्राणा	,,	–
36.	,, ढलिया/पेमा सरगडा	,,	,,	–

1	2	3	4	5
37.	श्री ओ. बुधा राम/पुखा पाची	भिगालिया	750/-	–
38.	,, भवर लाल/जेठा गा. लौहार	,,	,,	–
39.	,, ओगड/नेमा राम राईका	,,	,,	23–1–82
40.	,, चादू/पुना हरिजन	,,	,,	,,
41.	,, केसाराम/खगार मेगवाल	,,	,,	,,
42.	,, केवल राम/घीसा माली	पाचेठिया	,,	–
43.	,, पुरमदास/मूलदास साद	,,	,,	–
44.	,, मांगीलाल/मोहन ढोली	,,	,,	–
45.	,, पुखा राम/ऊदा नायक	,,	,,	–
46.	,, ढला राम/नेना मेगवाल	,,	,,	–
47.	,, बलदेवसिंह/हरिसिंह सरदार	वाता	,,	–
48.	,, बुदा राम/ढला राम सिरवी	,,	,,	9–2–82
49.	,, ओखा राम/देवा सरगडा	,,	,,	,,
50.	,, नारायण/टीकम खेरिवी	,,	,,	,,
51.	,, केसा राम/गंगा राम राम्सीरवी	,,	,,	,,
52.	,, कूपा राम/वरदा राम बावरी	हि० खुर्द	,,	17 4–82
53.	,, घीसा राम/बाबू बावरी	,,	,,	,,
54.	,, माना राम/हीरा राम बावरी	,,	,,	,,
55.	,, दीपा राम/मूला राम गवारिया	कन्टालिया	,,	1–3–82
56.	,, मीठू/छोगा रावणा राज.	गुडा अजवा	,,	,,
57.	,, सेसा/चोला ,, ,,	वासनी	,,	21–4–82
58.	,, सावलिया/नरसिंग नट	गुडा दुगर्ना	,,	25-4-82
59.	,, मालिया/नरसिंग नट	,,	,,	,,

316

1	2	3	4	5
60.	श्री पन्ना/खवा भाव	बोगला	750/-	19-4-83
61.	,, किशना/नवला भील	,,	,,	14-4-83
62.	,, नरसिंग/बालसिंह रावत	,,	,,	19-4-83
63.	,, खीमसिंह/पनेसिंह रावत	गुडा गागा	,,	14-4-83
64.	,, पूरा/जवाना भाट	,,	,,	,,
65.	,, लाला/गोमा मेघवाल	खारड़ी	,,	–
66.	,, गोपा राम/वेना राम	,,	,,	30-4-83
67.	,, राम लाल/भीका राम लवार	,,	,,	,,
68.	,, मूला/दूदा मेघवाल	अखावास	,,	15-4-83
69.	,, जुग राज/सुख राज नाई	धामली	,,	,,
70.	,, तिलोक/खील राज नाई	,,	,,	,,
71.	,, लाला राम/मोहनलाल कुम्हार	बीठूडा कला	,,	14-4-83
72.	श्रीमती चूनी/गंगाराम मेघवाल	,,	,,	,,
73.	श्रीमती अणची/भेरा जटिया	,,	,,	,,
74.	श्री चम्पा लाल/सायर लाल जटिया	,,	,,	,,
75.	,, वेना/बुधा मेघवाल	बाडसा	,,	23-1-83
76.	,, सूमा/पुका ,,	,,	,,	,,
77.	,, निम्बा/गला ,,	,,	,,	,,
78.	,, नैना/जीवा ,,	,,	,,	,,
79.	,, ओगड/पुखा ,,	,,	,,	,,
80.	,, हीरा/जीवा ,,	,,	,,	,,
81.	श्रीमती मीरगा/राणा राईका	,,	,,	,,
82.	श्री रुगा/सवा लुहार	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
83.	श्री भोगा/सवा लुहार	घाडसा	750/-	23-1-83
84.	,, भंवरलाल/नारायण लाल ढोली	,,	,,	,,
85.	,, चुनीया/भोमा बावरी	,,	,,	,,
86.	,, सविया/भोमा बावरी	,,	,,	,,
87.	,, साबु/जसा बावरी	,,	,,	,,
88.	,, मोहन/मूला ,,	,,	,,	,,
89.	,, भेरा/खीमा खीरवी	,,	,,	,,
90.	,, पूखा राम/लच्छा राम खीरवी	,,	,,	,,
91.	,, पूनमा/लच्छा खीरवी	,,	,,	,,
92.	,, लूम्बा/वजा घाची	,,	,,	,,
93.	,, उम्मेद/वरदा कुम्हार	,,	,,	,,
94.	,, तारिया/भोमा बावरी	,,	,,	,,
95.	,, हुकमा/गिरधारी ,,	,,	,,	,,
96.	,, पनिया/मूला ,,	,,	,,	,,
97.	,, घीसा/केरा ,,	,,	,,	,,
98.	,, पुका/केरा ,,	,,	,,	,,
99.	श्रीमती भूरी/लाल सिंह रावण	राज.	,,	,,
100.	श्री मोहन पुरी/ ओटपुरी	वाडसा	,,	,,
		योग :	75000/-	

1	2	3	4	5
वर्ष 82-83				
1.	श्री मुखत्यार शा/मोधु गासाई	माण्डा	750/–	
2.	,, अनवर खां/मोधु ,,	,,	,,	
3.	,, घनेसिंह/सुजानसिंह रावत	निचली निमड़ी	,,	
4.	श्रीमती भवरी देवी/लक्ष्मण सिंह रा.	राणावास	,,	
5.	श्री पारस/मगा जठिया	मलखा बावडी	,,	
6.	,, हाली/कला राम कुम्हार	,,	,,	
7.	,, मगा राम/नन्दा राम मेघवाल	,,	,,	
8.	,, तुलसा राम/दला राम ,,	,,	,,	
9.	,, मगना/कालू	सरगडा खारडी	,,	
10.	,, सिविया/हीरा	,,	,,	
11.	,, नारायन/कालु	,,	,,	
12.	,, भंवर लाल/राम लाल कुम्हार	दुदोड	,,	
13.	,, बेना राम/जीता बावरी	जोड दुदोड	,,	
14.	,, जीवा राम/बेना राम बावरी	,,	,,	
15.	,, भीका राम/टीकम राम ,,	,,	,,	
16.	श्रीमती सुखी/चतरभुज	खरगडा आऊवा	,,	
17.	,, जतना/धमका मेणा	नया गांव	,,	
18.	श्री बाबूडा/मन्ना मेणा	,,	,,	
19.	,, गोरधनलाल/चौथा राम	खरगड़ा खारची	,,	
20.	,, हीरनाथ/लक्कडनाथ कालबेलिया	कन्टट	,,	
21.	,, जेणा/भल्लानायक	गुडा दुर्गा	,,	
22.	,, भंवरलाल/चीसा माली	सिरियारी	,,	

1	2	3	4	5
23.	श्री सुन्दर/पेमा हरिजन	मुसालिया	750/-	
24.	,, भंवर/लाल ,,	,,	,,	
25.	श्रीमती सरे कंवर/मोडसिंह	राज. गुडा दुर्जन	,,	
26.	श्री अनोया/मोती	सरगड़ा गादावा	,,	
27.	,, नारायण/भूरा राम	सरगडा गुडा मोकमसिंह	,,	
28.	,, जीवनसिंह/भीमसिंह रावत	गुडा भोण	,,	
29.	श्रीमती रम्भा/शिवलाल भाट	वोगला	,,	
30.	श्री खूमसिंह/वेनसिंह रावत	गुडा गागर	,,	
		योग :	2250/-	

वर्ष 82–83

1.	श्री हुकमा राम/दोला राम बावरी	जोड़ दुदोड़	750/-	22-10-83
2.	,, भोमा राम/दोला राम ,,	,,	,,	,,
3.	,, जगदीश/रतनलाल गुर्जर	धारेश्वर दुदोड़	,,	,,
4.	,, भगा राम/लादा राम बावरी	जोड़ दुदोड़	,,	,,
5.	,, सेसा राम/धुला ,,	,,	,,	,,
6.	,, गिरधारी/धुला ,,	,,	,,	,,
7.	,, माला राम/धूला ,,	,,	,,	,,
8.	,, सुखा राम/कनी राम ,,	,,	,,	,,
9.	,, प्रताप राम/गुल्ला ,,	,,	,,	,,
10.	,, वज्जा राम/गुल्ला ,,	,,	,,	,,
11.	,, रामा राम/गुल्ला ,,	,,	,,	,,
12.	,, जस्सा राम/कालू	खरगड़ा खारड़ी	,,	27-10-83

320

1	2	3	4	5
13.	श्री हजारी राम/सुखा राम	सरगड़ा कन्टालिया	750/-	1-11-83
14.	,, किशना/वरदा भील	बोरी मादा	,,	,,
15.	,, श्रवण/केसा राम हरिजन	मलसा बावड़ी	,,	8-11-83
16.	,, सरदार नाथ/नैन नाथ कालबेलिया	,,	,,	,,
17.	,, रूपसिंह/गम्नसिंह रावत	नया कुडा	,,	,,
18.	,, भीमसिंह/गगनसिंह रावत	आसनडाकण्या	,,	,,
19.	,, सम्पत राम/भपु हरिजन	मुखालिया	,,	2-12-83
20.	,, चम्पालाल/सुआ लाल हरिजन	,,	,,	,,
21.	,, तुलसा राम/सुमाराम मेघवाल	भोजावास	,,	6-12-83
22.	,, काना राम/गमना कुम्हार	जैतपुरा	,,	7-12-83
23.	श्रीमती दाकु बेवा/डाया रामखीरवी	,,	,,	,,
24.	श्री डगला राम/नेना राम कुम्हार	,,	,,	,,
25.	,, केसा राम/देवा राम ,,	,,	,,	,,
26.	,, चमना राम/हुकमा राम लुहमर	जाणुन्दा	,,	9-22-83
27.	,, लालु खां/ओर	मामोयला गुडा मोकमसिंह	,,	23-12-83
28.	,, डावर राम/धुला मेघवाल	,,	,,	,,
29.	,, केसा राम/छगन	सरगड़ा गुडा केसरसिंह	,,	19-12-83
30.	श्रीमती लेरकी/पन्ना कुम्हार	,,	,,	,,
31.	श्री नारायणसिंह/खोमसिंह रावत	गुडा गागा	,,	30-12-83
32.	,, अनेसिंह/रामसिंह रावत	,,	,,	,,
33.	,, रूपसिंह/भैरूसिंह ,,	बोगला	,,	,,
34.	,, भवरसिंह/वालूसिंह ,,	,,	,,	,
35.	,, हरिसिंह/धनसिंह ,,	चौकड़िया	,,	,,
		योग :	36350/-	

ह०/-

सुल्तानसिंह मनणा

विकास अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन

कार्यालय पंचायत समिति देसूरी जिला पाली (राज०)

पंचायत समिति देसूरी क्षेत्र के अन्तर्गत गरीब को छप्पर योजना के तहत लाभान्वित किये व्यक्तियों की सूची जून 1980 से दिसम्बर 1983 तक

क्र.सं.	लाभान्वित व्यक्ति का नाम	नाम	ग्राम का नाम	प्रति व्यक्ति दी गई राशि
1	2	3	4	5
1.	मोहनलाल/दला जी	हरिजन	केसूली	750/–
2.	जडावी/मगाराम जी	,,	,,	750/–
3.	पेमाराम/केना जी	सरगरा	,,	750/–
4.	पूराराम/भैरा जी	,,	,,	750/–
5.	हीराराम/दुदा जी	,,	,,	750/–
6.	घासीराम/चैना जी	वादी	अटाटीया	750/–
7.	कूपाराम/मूला जी	भांवी	,,	750/–
8.	लकाराम/रूपा जी	,,	,,	750/–
9.	रूपाराम/हेला जी	,,	,,	750/–
10.	भूराराम/लादा जी	,,	नाडोल	750/–
11.	गोमाराम/प्रभु जी	सरगरा	,,	750/–
12.	भगाराम/पेमा जी	मैगवाल	दादाई	750/–
13.	नवलाराम/केना जी	सरगरा	डायलाना	750/–
14.	अतिया/धूला जी	,,	,,	750/–
15.	देवा/पन्ना जी	मेघवाल	,,	750/–
16.	खीमा/खांगार जी	,,	,,	750/–
17.	माला/चैना जी	,,	,,	750/–
18.	नरसिंह/आईदान जी	हरिजन	,,	750/–
19.	मांगीलाल/धीसा जी	सरगरा	,,	750/–
20.	मगनलाल/रामा जी	,,	धाणोराव	750/–
21.	नारायणलाल/मंशा जी	साद	लापी	750/–
22.	मालाराम/लका जीद	बावरी	आना	750/–
23.	भलाराम/डुगा जी	मेघवाल	,,	750/–

(322)

1	2	3	4	5
24.	केसा/किसना जी	सरगरा	आना	750/–
25.	भीका/नौफा जी	मेघवाल	मेवीकला	750/–
26.	परताराम/किसना जी	,,	,,	750/–
27.	भवूताराम/सूजाराम जी	मेणा	गुडाजाटान	750/–
28.	चुन्नीलाल/मोती जी	,,	,,	750/–
29.	गणाराम/मोती जी	मेघवाल	,,	750/–
30.	फताराम, दोला जी	,,	छोडा	750/–
31.	नाथाराम/ओपा जी	,,	काणा	750/–
32	दौला/पूरा जी	,,	,,	750/–
33.	गैना/नरीग जी	,,	,,	750/–
34	नाथा/खुमा जी	,,	मेत्रीखुर्द	750/–
35.	गकाराम/किसना जी	,,	,,	750/–
36	केसाराम/नोराराम जी	,,	मेत्रीकला	750/–
37.	मूलाराम/वरदाराम जी	सरगरा	पनोता	750/–
38.	भलीया/गिरधारी जी	,,	,,	750/–
39.	जीवला/सेरा जी	,,	डायलाना	750/–
40.	सरूप/नाथा जी	भांवी	गुडादेवडान	75/–
41.	दौलतराम/भागा जी	गुरू	नारलाई	750/–
42.	चुन्नीलाल/जेठा जी	मेणा	,,	750/–
43.	भंवरलाल/मनरूप	सरगरा	,,	750/–
44.	भेरा/माहींग जी	मेघवाल	,,	750/–
45.	सेराराम/भेका जी	हरिजन	,,	750/–
46.	शंकर/नेमा जी	सरगरा	,,	750/–
47.	चुन्नीलाल/प्रताप जी	हरिजन	,,	750/–
48.	बंशीलाल/प्रताप जी	,,	,,	750/–
49.	भवूतराम/किसना जी	सरगरा	,,	750/–
50.	समाराम/बगता जी	भील	,,	750/–

Page No. 323

(323)

1	2	3	4	5
51.	अचलाराम/भीका जी	सरगरा	नारलाई	750/–
52.	रूपा/बगता जी	भील	,,	750/–
53.	देवा, रामा जी	,,	,,	750/–
54.	नेनाराम/मगना जी	मेघवाल	,,	750/–
55.	नेमाराम/कसा जी	सरगरा	,,	750/–
56.	शंकर/नेना जी	हरिजन	,,	750/–
57.	भानाराम/वरदा जी	सरगरा	,,	750/–
58.	सत्राराम/अन्नराम जी	भांबी	कोट सोलंकियान	750/–
59.	केसाराम/नेकाराम जी	,,	नयागांव	750/–
60.	हरीराम/चुन्नीलाल जी	हरिजन	देसूरी	750/–
61.	पांचूराम/नवलाराम जी	थोरी भील	,,	750/–
62.	गणाराम/वीराराम जी	मेणा	,,	750/–
63.	थाना तेजा जी	भांबी	,,	750/–
64.	वालूडी/वंशीलाल जी	हरिजन	,,	750/–
65.	भीकीबाई/हरी जी	,,	,,	750/–
66.	लखाराम/ओटाराम जी	रेगर	,,	750/–
67.	केसी/हंसा जी	भांबी	,,	750/–
68.	परकाराम/हकमा जी	हरिजन	,,	750/–
69.	चेलाराम/माना जी	भांबी	,,	750/–
70.	रहमत/रहमान खां जी	मुसलमान	,,	750/–
71.	आईदान/दीपा जी	सरगरा	घणेराव	750/–
72.	मगाराम/माहीग जी	भांबी	,,	750/–
73.	तिलोक/चैना जी	,,	,,	750/–
74.	वालाराम/चैना जी	,,	,,	750/–
75.	तेजाराम/हंसा जी	,,	,,	750/–
76.	आशाराम/वदा जी	,,	,,	750/–
77.	ताराराम/बगता जी	,,	,,	750/–

324

1	2	3		4
78.	मूलारा/टुआ जी	भांबी	घणेराव	750/–
79.	चुन्नीलाल/बदा जी	,,	,,	750/–
80.	पुखराज/चैना जी	सरगरा	,,	750/–
81.	राजाराम/चैना जी	,,	,,	750/–
82.	चुन्नीलाल/मौतरी जी	,,	,,	750/–
83.	केसबाई/रामलाल	,,	,,	750/–
84.	जेठाराम/चैना जी	,,	,,	750/–
85.	गोविन्दाराम/जवान जी	हरिजन	,,	750/–
86.	दरगाराम/कला जी	मेघवाल	विरमपूरामाताजी	750/–
87.	केसाराम/जीवा जी	,,	,,	750/–
88.	कालूराम/जीवा जी	,,	,,	750/–
89.	नवाराम/धूला जी	,,	,,	750/–
90.	दरगाराम/जीवा जी	,,	,,	750/–
91	पैमाराम/गोगा जी	,,	कोटड़ी	750/–
92.	लच्छाराम/मौती जी	सरगरा	गुडापृथ्वीराज	750/–
93.	पैमाराम/मूला जी	मेघवाल	कोटड़ी	750/–
94.	टिकाराम/टीकमराम	,,	,,	750/–
95.	खीमाराम/पैमा जी	,,	,,	750/–
96.	लखाराम/राजा जी	,,	,,	750/–
97.	प्रभुराम/रामा जी	सरगरा	नाडोल	750/–
98.	मदनलाल/तुलसाराम जी	हरिजन	,,	750/–
99.	गलाराम/पुना जी	सरगरा	,,	750/–
100.	गोरधनलाल/चतरा जी	हरिजन	,,	750/–
101.	राजाराम/हरि जी	मेघवाल	गांधी	750/–
102.	मगनी/देवा जी	,,	,,	750/–
103.	कसनी/हीरा जी	,,	,,	750/–
104.	सवाराम/हीरा जी	,,	,,	750/–

1	2	3	4	5
105.	मांगीलाल/बालाराम जी	मेघवाल	गांथी	750/–
106.	मगाराम/अचला जी	मेणा	,,	750/–
107.	पैमाराम/अचला जी	,,	,,	750/–
108.	देदाराम/अचला जी	,,	,,	750/–
109.	आशाराम/दरगा जी	,,	लापी	740/–
110.	मोहन/वगता जी	भांबी	माडपुर	750/–
111.	अचला/वन्ना जीद	,,	तिखी	750/–
112.	गला/देवा जी	,,	माडपुर	750/–
113.	चेला/रावत जी	वादी	,,	750/–
		82–83		
114.	गैनाराम/नथा जी	मेघवाल	सारंगवास	750/–
115.	वदराम/कसा जी	,,	सोनाना	750/–
116.	हेमाराम/मन्ना जी	,,	,,	750/–
117.	वालूराम/दीपा जी	,,	,,	750/–
118.	भगाराम/कसा जी	,,	शोभवास	750/–
119.	मांगीया/दोला जी	,,	,,	750/–
120.	चम्पा/दयाराम जी	कुम्हार	पर्नोता	750/–
121.	चम्पा/पुखराज	माली	,,	750/–
122.	पुखराज/खेता जी	रैगर	देसूरी	750/–
123.	सुलतान/जमा जी	नट	,,	750/–
124.	गुलाव/केसा जी	ओड	मोरखा	750/–
125.	कसा/पाता जी	वावरी	,,	750/–
126.	मांगीलाल/रता जी	,,	जूणा	750/–
127.	वंशीया/सावल जी	वादी	गांथी	750/–
128.	रूगनाथ/पन्ना जी	जोगी	,,	750/–
129.	सोना/लादा जी	मेघवाल	मोरखा	750/–
130.	वगाराम/जसा जी	भांड	मोरखा	750/–

टिप्पणी : मूलप्रति के अन्दर क्रम संख्या 123 के बाद क्रम संख्या 134 थी इसे शुद्ध कर 124 कर दिया गया।

Page No. 326

326

1	2	3	4	5
131.	नैमा/हुका जी	मेघवाल	जूणा	750/–
132.	मन्नाराम/खेता जी	,,	जूणा	750/–
133.	खुमा/हिन्दू जी	भील	बडरेद	750/–
134.	मोटाराम/स्वरूप जी	,,	सिन्दरली	750/–
135.	हुका/कसा जी	मेघवाल	,,	750/–
136.	डयया/पीथा जी	,,	,,	750/–
137.	मन्नाराम/तेजाराम जी	सरगरा	गुडामांगलियान	750/–
138.	शोभाराम/गुमनाराम जी	सरगरा	अटाटीया	750/–
139.	काना/पाकर जी	मेघवाल	गांधी	750/–
130.	मागीया/भैरा जी	वादी	बागोल	750/–
141.	भेरा/केसा जी	मेघवाल	,,	750/–
142.	ऊदाराम/दला जी	हरिजन	केसूली	750/–
143.	भैराराम/सवा जी	सरगरा	अणेवा	750/–
144	किकी/चुना जी	,,	घाणेराव	750/–
145.	केसा/बन्ना जी	भांबी	,,	750/–
146.	पूरा/नेमा जी	,,	डायलाना	750/–
147.	प्रकाश/पूरा जी	हरिजन	,,	750/–
148.	नारायण/भीका जी	सरगरा	नारलाई	750/–
149.	मोहनलाल/पुना जी	,,	,,	750/–
150.	फूलकी/मोंगीया जी	,,	पनोता	750/–
151.	धापू/बरदा जी	भांबी	,,	750/–
152.	गोमाराम/आशा जी	भील	नयागांव	750/–
153.	गणीया/हुकमा जी	,,	कोटसोल	750/–
154.	उमा/फता जी	बावरी	मीरखा	750/–
155.	भीमा/सरूप जी	भील	,,	750/–
156.	भेरा/माना जी	मेघवाल	सारगवास	750/–
157.	मीठा/नाथा जी	,,	,,	750/–

1	2	3	4	5
158.	घना हैमा जी	मेघवाल	सुथारो का गुडा	750/-
159.	चरदा/कला जी	,,	बिरमपूरामाताजी	750/-
160.	पकाराम/केना जी	,,	,,	750/-
161.	भूदर/दीपा जी	,,	दादाई	750/-
162.	वीरम लसा जी	,,	,,	750/-
163.	पैमा/जुजा जी	सरगरा	मादा	750/-
164.	धुनीया/खीमा जी	भीलद	मान्डीगढ़	750/-
165.	मोहन/भीमा जी	,,	,,	750/-
166.	दुदा/गिरधारी जी	मेघवाल	मादा	750/-
167.	डाया/दुदा जी	,,	करणवा	750/-
168.	ओपा/पदा जी	,,	जौवा	750/-
169.	पूरा/रूपा जी	,,	करणवा	750/-

83-84

170.	दाकू/गोमा जी	,,	कोटड़ो	750/-
171.	मंगाराम/थाना जी	,,	गुडापृथ्वीराज	750/-
172.	दौलाराम/गला जी	,,	,,	750/-
173.	दनाराम/पिथा जी	,,	करणवा	750/-
174.	देवाराम/मोटा जी	मेघवाल	दादाई	750/-
175.	भूराराम/दीपा जी	,,	,,	750/-
176.	प्रताप/सरूप जी	सरगरा	,,	750/-
177.	दौलाराम/भीमा जी	चौधरी	ठालोप	750/-
178.	लादाराम/शोभा जी	मेघवाल	,,	750/-
179.	कंकू/हरीराम जी	नाई	केसूली	750/-
180.	हुकाराम/पैमा जी	सरगरा	,,	750/-
181.	भोमाराम/मकना जी	घाटी	गुडाअखेराज	750/-
182.	नजीर मो०/वक्सु जी	मुसलमान	,,	750/-

328

1	2	3	4	5
183.	टीकमराम/बरदा जी	चौधरी	अणेत्रा	750/-
184.	अमराराम/चुना जी	मेघवाल	,,	750/-
185.	भूराराम/केसा जी	सरगरा	नारलाई	750/-
186.	बाबूलाल/भैरा जी	,,	,,	750/-
187.	लखाराम/कन्ना जी	,,	,,	750/-
188.	जोधाराम/नगा जी	,,	,,	750/-
189.	चुन्नीलाल/मन्ना जी	गरूडा	,,	750/-
190.	श्यामपुरी/नरेन्द्रपुरी जी	गोस्वामी	,,	750/-
191.	समाराम/नया जी	सरगरा	,,	750/-
192.	जस्सीबाई/बगा जी	,,	,,	750/-
193.	जमनाराम/हीरा जी	मेघवाल	कोटसो.	750/-
194.	मोतीराम/लाला जी	भील	,,	750/-
195.	ताराराम/माना जी	मेघवाल	,,	750/-
196.	झालाराम/भीका जी	मैणा	,,	750/-
197.	नरभय/श्रीराम जी	वैष्णव	,,	750/-
198.	औगडराम/भेरा जी	मैणा	,,	750/-
199.	खीमसिंह/जसवन्तसिंह जी	साखला	,,	750/-
200.	खीमाराम/लाला जी	भील	,,	750/-
201.	मोतीराम/लाला जी	,,	,,	750/-
202.	छोगाराम/भूरा जी	मेघवाल	झासरी	750/-
203.	घासीराम/रामा जी	मैणा	,,	750/-
204.	मानाराम/नवला जी	मेघवाल	,,	750/-
205.	मोतीराम/पवन जी	गाडेकिया	गुडादुर्जन	750/-
206.	बालाराम/खंगार जी	मेगवाल	नयागांव	750/-
207.	लालाराम/पन्ना जी	,,	गुडागोपीनाथ	750/-
208.	देवाराम/मगा जी	रायका	मगरतालाव	750/-
209.	रताराम/गमना जी	,,	,,	750/-

1	2	3	4	5
210.	खुमसिंह/प्रभुसिंह जी	रावत	मगरतालाब	750/-
211.	फूदा/राणा जी	मेघवाल	"	750/-
212.	कैनाराम/राणा जी	"	"	750/-
213.	श्रीराम/गुलाबराम जी	ठोली	पनोतर	750/-
214.	सुरमा/सोडा जी	नट	"	750/-
215.	भगीया/चतरा जी	जोगी	"	750/-
216.	केसाराम/वरदा जी	चौधरी	डायालाना कला	750/-
217.	दीपाराम/पेमा जी	चौधरी	"	750/-
218.	हीराराम/हरजी	मेगवाल	"	750/-
219.	अचलाराम/पाईग जी	सरगरा	"	750/-
220.	बिरमाराम/दुदा जी	मेघवाल	डायलाना खुर्द	750/-
221.	नाजु/मोटा जी	"	"	750/-
222.	लकीसा/मोटा जी	"	"	750/-
223.	पूराराम/तेजा जी	रावत	"	750/-
224.	मगीया/खुमा जी	मेघवाल	सुमेर	750/-
225.	नाराराम/वैनाराम	"	गुडा आसकरण	750/-
226.	जवरसिंह/हिम्मतसिंह जी	राजपूत	गुडा अखेराज	750/-
227.	खुमाराम/रूपा जी	मेघवाल	लापी	750/-
228.	अचलाराम/देवा जी	मेघवाल	"	750/-
229.	लालाराम/देवा जी	"	"	750/-
230.	प्यारी बाई/हकमा जी	हरिजन	वागोल	750/-
231.	रामाराम/केसा जी	भील	"	750/-

Page No. 330

330

1	2	3	4	5
232.	जोधाराम/धीका जी	सरगरा	बागोल	750/-
233.	भूराराम/भीका जी	,,	,,	750/-
234.	हिम्मतराम, मगा जी	कुम्हार	,,	750/-
235.	बालसिंह/रामसिंह	राजपूत	गुडादेवडान	750/-
236.	नारू/छोगा जी	नाई	,,	750/-
237.	नरींग/पेमा जी	मेघवाल	गुडादेवडान	750/-
238.	लसाराम/गोमा जी	,,	,,	750/-
239.	पकीया/भीमा जी	भील	मान्डीगढ़	750/-
240.	चुना/बाला जी	मैणा	,,	750/-
241.	तेजा/टीला जी	,,	,,	750/-
242.	दौला/मोती जी	भील	,,	750/-
243.	हीराराम/ओटा जी	सरगरा	मोरखा	750/-
244.	लछाराम/खेता जी	मेघवाल	जूणा	750/-
245.	पन्नाराम/नैमा जी	भील	,,	750/-
246.	भूराराम/नेमा जी	,,	,,	750/-
247.	मोहन/नेमा जी	,,	,,	750/-
248.	सकाराम/हक्का जी	मेघवाल	,,	750/-
249.	मांगीलाल/रता जी	मेघवाल	,,	750/-
250.	मोहन/रामा जी	सरगरा	,,	750/-
251.	बगताराम/पोमा जी	मेगवाल	,,	750/-
252.	लालाराम/म्घा जी	मेगवाल	,,	750/-
253.	भीमाराम/केसा जी	सरगरा	मादा	750/-

Page No. 331

1	2	3	4	5
254.	पूनाराम/चिमना जी	सरगरा	माहा	750/-
255.	मगाराम/दरगा जी	,,	,,	750/-
256.	तलीया/तेजा जी	,,	,,	750/-
257.	पननाराम/हिमा जी	,,	सिन्दरली	750/-
258.	हेमाराम/मूलाराम जी	,,	,,	750/-
259.	दरगाराम/रामा जी	मेघवाल	,,	750/-
260.	नवाराम/केसा जी	सरगरा	गुडामागलीयान	750/-
261.	वजाराम/रामा जी	मेघवाल	गिराली	750/-
262.	चुन्नीलाल/भारतीय जी	ठोली	वडौद	750/-
263.	देवाराम/नेनाजी	मेघवाल	काणा	750/-
264.	नथाराम/हेमाजी	,,	गुडा सुथारान	,,
265.	जीवाराम/गोमाजी	,,	छोडा	,,
266.	वरदाराम/जीवाजी	,,	गुडा सुथारान	,,
267.	मोहनलाल/जीवाजी	,,	,,	,,
268.	नेनाराम/नवलाजी	सरगना	दुदापूरा	,,
269.	मिश्रीया/नवलाजी	,,	,,	,,
270.	प्रतापराम/हजारीजी	भाट	,,	,,
271.	चुन्नीलाल/बगताजी	सरगरा	,,	,,
272.	घीसाराम/मोतीजी	मेघवाल	जौवा	,,

Page No. 332

332

1	2	3	4	5
273.	बगताराम/पन्नारामजी	सरगरा	देसूरी	750/-
274.	भेराराम/मनरूपजी	वदारा	,,	,,
275	ओगडराम/घीसाजी	हरिजन	,,	,,
276.	चुन्नीलाल/गलाजी	कुम्हार	,,	,,
277.	सिकन्दर खां/मोईनुद्दीन खां	मुसलमान	देसूरी	,,
278.	वद्धाराम/जेठाजी	मेघवाल	,,	,,
279.	तेजाराम/हिम्मताजी	नाई	आना	,,
280.	हीराराम/पानाजी	बावरी	,,	,,
281.	पुखाराम/दुदाजी	कुम्हार	,,	,,
282.	ऊमाराम/चतराजी	चौधरी	,,	,,
283.	बरदाराम/हिम्मताजी	नाई	,,	,,
284.	सोहननाथ/शिवनाथजी	जोगी	शोभावास	,,
285.	चुनकी/मगाजी	मेघवाल	नाडोल	,,
286.	रूपाराम/केसाजी	,,	,,	,,
287.	कालूराम/हकमाजी	सरगरा	,,	,,
288.	केनाराम/उदाजी	मेघवाल	,,	,,
289.	नेनाराम/उदाजी	,,	,,	,,
290.	पेमाराम/भूराजी	मैणा	,,	,,
291.	खेताराम/देवाजी	मेघवाल	,,	,,
292.	गमनाराम/तेजाजी	,,	,,	,,

वर्ष 1980-81 में छप्पर-योजना के तहत गृह-निर्माण हेतु अनुदान का भुगतान

क्रमांक	लाभान्वित व्यक्ति का नाम	ग्राम का नाम	प्रति व्यक्ति दी गई राशि	राशि दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री चोपा/गोगाराम मेणा	किशनपुरा	500/-	27-5-81
			250/-	18-8-81
2.	,, चमनाराम/हेमाजी जोगी	,,	500/-	27-5-81
			250/-	31-10-81
3.	,, शेराराम/केशाजी भीवी	,,	500/-	27-5-81
4.	,, तेजाराम/नथाराम ,,	,,	,,	,,
5.	,, रूपदास/गुणेशदास साद	,,	,,	,,
			250/-	18-8-81
6.	,, निम्वा/मगा मेणा	,,	50/-	27-5-81
			250/-	10-8-81
7.	,, मोटाराम/मेगाजी भांवी	,,	500/-	27-5-81
			250/-	30-10-81
8.	,, मोती/धूला मेणा	रानी	400/-	28-5-81
			350/-	26-10-81
9.	,, दला/बेना सरगरा	,,	400/-	28-5-81
			350/-	23-6-81
10.	,, जोधाराम/ओटाजी मेणा	,,	400/-	28-5-81
			350/-	26-10-81

334

1	2	3	4	5
11.	श्री वरदा/बकीया मेणा	रानी	400/-	28-5-81
			350/-	26-10-81
12.	,, उमा/मोती मेणा	,,	400/-	28-5-81
			350/-	26-10-81
13.	,, जसाराम/पीथा मेघवाल	,,	400/-	1-6-81
			350/-	26-10-81
14.	,, नाथाराम/वीरा मेणा	,,	400/-	1-6-81
			350/-	26-10-81
15.	,, खीमा/रावत गवारिया	,,	400/-	1-6-81
			350/-	26-10-81
16.	,, हकाराम/नेमा भांबी	किशनपुरा	400/-	22-6-81
			350/-	31-10-81
17.	,, पुखराज/भीका धोबी	,,	400/-	22-6-81
18.	,, चुनाराम/खंगार मेगा	,,	400/-	20-8-81
			350/-	31-10-81
19.	,, दोला/केसा मेघवाल	सिवास	750/-	17-10-81
20.	,, हकाराम/पूनाराम हरिजन	चांचोड़ी	750/-	18-3-82
21.	श्रीमती केसी/इब्राहिम माहिला	,,	375/-	2-3-82
			375/-	17-6-83
22.	श्री प्रताप/पूनाराम हरिजन	,,	375/-	18-3-82
			375/-	30-6-82
23.	,, कालिया/नवला सरगरा	निम्बाड़ा	375/-	18-3-82
			375/-	30-6-82

1	2	3	4	5
24.	श्री सकिया/नवला सरगरा	निम्वाड़ा	375/-	16-4-82
			375/-	30-6-82
25.	,, चन्द्र/पन्ना	,,	750/-	30-6-82

कुल स्वीकृत राशि 19,500/- भवन—26 भुगतान राशि
17,900/- निर्मित भवन 25

वर्ष 1981-82 में छप्पर-योजना के तहत गृह-निर्माण हेतु अनुदान का भुगतान

1.	श्री नानकराम/मनाजी राजपूत	वरकाणा	750/-	18-3-82
2.	,, मीठाराम/ताराजी गुरू	रानी स्टे.	375/-	,,
			375/-	30-6-82
3.	,, रजाराम/जोराराम कुम्हार	बिगरला	375/-	18-3-82
			375/-	22-6-82
4	,, छोगा/तेजा सरगड़ा	,,	375/-	18-3-82
			375/-	22-6-82
5.	,, देवाराम/चेलाजी सरगड़ा	,,	375/-	18-3-82
			375/-	22-6-82
6.	,, दीलाराम/तेजाजी ,,	,,	375/-	18-3-82
			375/-	22-6-82

(उ)

1	2	3	4	5
7.	श्री मना/चेला थोरी	इटन्दरा मेडतियान	750/-	18-3-82
8.	,, नेका/चेला ,,	,,	,,	,,
9.	,, काना/गल्ला नायक	,,	,,	,,
10.	,, चेला/हीरा थोरी	,,	,,	,,
11.	,, रामलाल/पुराजी	डुठारिया	,,	,,
12.	,, सविया (शिवलाल) खीमा गुरू	खारड़ा	750/-	,,
13.	,, मगला/मोहन हरिजन	रानी गांव	500/-	,,
			250/-	23-4-82
14.	,, तलसा/नरींग मेणा	नीपल	375/-	18-3-82
			,,	30-6-82
15.	,, हरजी/पदा मेघवाल	,,	,,	18-3-82
			,,	30-6-82
16.	,, मोटाराम/मनरूप मेघवाल	सिवास	250/-	18-3-82
			250/-	21-5-82
			,,	10-6-82
17.	,, औगडराम/वीरम मेघवाल	,,	,,	18-3-82
			,,	10-6-82
			,,	30-6-82
18.	,, पीराराम/कीकाराम ,,	सांवलता	750/-	18-3-82
19.	,, आदिया/लंका ,,	,,	,,	,,
20.	,, बंशीलाल/मगना ढोली	,,	,,	,,
21.	,, मेघाराम/वरदाराम सरगड़ा	,,	,,	,,
22.	,, खेताराम/खीमाराम गुरू	खारड़ा	375/-	,,
			,,	8-6-82

1	2	3	4	5
23.	श्री भोलाराम/ताराजी मेघवाल	डुठारिया	750/-	18-3-82
24.	,, ओगडाराम/राजाजी मेना	नीपल	375/-	,,
			,,	30-6-82
25.	,, करमा/हरजी मेघवाल	,,	750/-	18-3-82
26.	श्री बाबुलाल/रामाजी सरगड़ा	नीपल	500/-	18-3-82
			250/-	30-6-82
27.	,, चुनाराम/खीमाजी मेघवाल	,,	375/-	18-3-82
			,,	30-6-82
28.	,, खरताराम/धनाजी ,,	गांवाड़ा	750/-	18-3-82
29.	,, चम्पालाल/हरिराम हरिजन	रानी स्टेशन	375/-	14-4-82
			,,	30-4-82
30.	,, तेजाराम/बींजाराम	,,	750/-	14-4-82
31.	,, सोहनलाल/हरिराम	,,	375/-	,,
			,,	30-4-82
32.	,, जेठा/बगता मेणा	रानी गांव	,,	23-4-82
			,,	21-5-82
33.	,, पारसमल/लालजी दर्जी	दर्जी गांव	500/-	23-4-82
			250/-	21-5-82
34.	,, भूराराम/चजाजी साटीया	,,	500/-	23-4-82
			250/-	21-5-82
35.	,, मूला/जेठा साटीया	,,	500/-	23-4-82
			250/-	21-5-82
36.	,, हरिया/मगना हरिजन	खारड़ा	375/-	23-4-82
			,,	8-6-82

1	2	3	4	5
37.	श्री ओटाराम/दीपाजी भाम्बी	रानी गांव	500/-	3-6-82
			250/-	9-6-82
38.	,, खंगार/काना मेघवाल	डुठारिया	750/-	30-4-82
39.	,, वजा/भीमा ,,	माण्डल	,,	5-5-82
40.	,, हरजी/झाला मेणा	,,	375/-	5-5-82
			,,	3-6-82
41.	श्रीमती कन्या/भभूत माली	,,	,,	5-5-82
			,,	28-6-82
42.	श्री मोहन/रूपा मेघवाल	,,	,,	5-5-82
			,,	28-6-82
43.	,, दूलाराम/सूराजी ,,	,,	,,	5-5-82
			,,	22-6-82
44.	,, मगाराम/नवलजी भाम्बी	डुठारिया	750/-	19-5-82
45.	,, बाबूलाल/किसना मेणा	सिवास	375/-	21-5-82
			,,	10-6-82
46.	,, धूला/ओटा बावरी	जवाली	,,	3-6-82
			,,	15-6-82
47.	,, मोटा/सूरा ,,	,,	,,	3-6-82
			,,	15-6-82
48.	,, चमना/सूरा ,,	,,	,,	3-6-82
			,,	15-6-82
49.	,, लच्छा/वाजा मेघवाल	वरलाव	,,	29-5-82
			,,	30-6-82

1	2	3	4	5
50.	श्री केसा/रावत भाम्बी	वरलाव	375/-	3-6-82
			,	30-6-82
51.	,, मगीया/डूंगा नायक	,,	750/-	7-6-82
52.	,, मोहन/मगना	खारड़ा	375/-	,,
			,,	17-6-82
53.	,, किम्तुर/शेषा नाई	नीपल	,,	8-6-82
			,,	30-6-82
54.	,, रकबा/हीरा मेघवाल	सिवास	250/-	10-6-82
			375/-	19-6-82
55.	,, कूका/वरदा ,,	,,	750/-	,,
56.	,, पूनाराम/सूराजी हीरागर	बुसी	,,	23-6-82
57.	,, पकीया/दरगा मेघवाल	वलदार	,,	,,
58.	,, वीरम/पीरा ,,	,,	,,	,,
59.	,, संगार/पीरा ,,	,,	,,	,,
60.	,, जवारा/प्रताप मेणा	चूसी	,,	,,
61.	,, रूघनाथ/रूपा मेघवाल	,,	,	,,
62.	,, ताराराम/नगाराम मेघवाल	माण्डल	,,	28-6-82
63.	,, कानाराम/दल्लाराम ,,	पूनाडीया	,,	,,
64.	,, रता/दला	,,	,,	,,
65.	,, गोमा/पन्ना मेघवाल	,,	,,	,,
66.	,, हिम्मता/इन्दा मेणा	माण्डल	,,	,,
67.	,, झाला/तुलसा साटीया	रानी गांव	,,	,,
68.	,, डूंगा/ओटा बावरी	जवाली	,,	30-6-82

Page No. 340

1	2	3	4	5
69.	श्री भीका/ओटा बावरी	जवाली	750/-	30-6-82
70.	,, मोहन/भूरा ,,	,,	,,	,,
71.	,, भोमा/ओटा ,,	,,	,,	,,
72.	,, वरदा/सूरा ,,	,,	,,	,,
73.	,, हीराराम/चौथाराम हरिजन	,,	,,	,,
74.	श्रीमती मुगना बाई/चौथाराम हरिजन	,,	,,	,,
75.	श्री रूपाराम/चौथाराम ,,	,,	,,	,,
76.	,, केरा/दरगा मेघवाल	नीपल	,,	,,
77.	,, फूलाराम/खीमाराम मेघवाल	,,	,,	,,
78.	,, पाबूडा/धना नायक	बूसी	,,	,,
79.	,, फकिया/चेला मेघवास	सिवारा	,,	,,
80.	,, लूम्बाराम/दरगाराम	बीजोवा	,,	,,
81.	,, राडग/लच्छा मूगरिया	,,	,,	,,
82	,, जानकी/हंसा भाम्बी	,,	,,	,,
83.	,, मांगीलाल/लका भाम्बी	,,	,,	,,
84.	,, केनाराम/आदा ,,	,,	,,	,,
85.	,, अन्नाराम/रूपा ,,	,,	,,	,,
86.	,, मांगीलाल/मोहनलाल ढोली	,,	,,	,,
87.	,, दरगा/रूपा खारवाल	,,	,,	,,
88.	,, मांगीलाल/हंसा सरगड़ा	पूनाडीया	,,	,,
89.	,, रात्रा/हरा राईका	,,	,,	,,
90.	,, फूसाराम/चुन्नीलाल दनानी	गजनीपुरा	,,	,,
91.	,, भूरा/चेला कुम्हार	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
92.	श्रीमती चन्दा/प्रताप हीरागर	चिजोवा	750/-	30-6-82
93.	श्री रामा/पन्ना मेघवाल	पूनाडीया	,,	,,
94.	,, पीरा/भगा ,,	माण्डल	,,	,,
95.	,, जवाब/हकमा खटीक	,,	,,	,,
96.	,, दाना/भीमा नाई	,,	,,	,,

स्वीकृत राशि—75000/- स्वीकृत भवन 100

निर्मित—कुल भवन = 96

कुल भुगतान कुल राशि = 71,875/-

वर्ष 82-83 में छप्पर योजना के तहत गृह-निर्माण हेतु अनुदान

1.	अमरा/पुत्र खीमा जोगी	रानी गांव	500/-	2-11-82
			250/-	29-12-82
2.	मोती पुत्र लक्ष्मण ,,	,,	750/-	,,
3.	खीमा पुत्र लाला ,,	,,	,,	,,
4.	लुम्बा पुत्र टीकम भांबी	धनेड़ी	,,	13-10-82
5.	भामा पुत्र लुम्बा मेणा	सालरिया	,,	24-1-82
6.	पुनीया पुत्र दीजा सरगरा	गुडा महाराम	,,	29-11-82

1	2	3	4	5
7.	बाबू पुत्र भीका हरिजन	जवाली	500/-	13-10-82
			250/-	28-11-82
8.	रामा/नथा नायक	,,	500/-	11-10-82
			250/-	28-10-82
9.	मगा/किशना जोगी	,,	500/-	11-10-82
			250/-	29-10-82
10.	भैंरू लाल/हुका नायक	,,	500/-	11-10-82
			250/-	29-12-82
11.	किशोरीलाल/प्रेमाजी हरिजन	रानी स्टेशन	500/-	9-11-82
			250/-	23-11-82
12.	पकाराम/कालाराम भांबी	बोरड़ी	750/-	29-12-82
13.	नथाराम/केसाजी नाई	नादानाभाटान	,,	27-10-82
14.	छोगालाल/वींजो सरगरा	बालसई	,,	22-12-82
15.	श्रीमती पतासी पत्नी प्रताप हरिजन	,,	,,	24-12-82
16.	मनीया/लुम्बा मेणा	खुनीका गुडा	,,	27-12-82
17.	पुनम/रूपा मेघवाल	घनेड़ी	,,	28-12-82
18.	रूपा/पदा ,,	दुठारिया	,,	27-10-82
19.	पुखराज/हुकाजी भांबी	जवाली	500/-	21-12-82
			250/-	28-12-82
20.	भीका/दला मेणा	माण्डल	750/-	22-12-82
21.	मगीया/चमना मेणा	नादाना भाटान	750/-	28-12-82
22.	नरात/किसा मेणा.	,,	750/-	,,

1	2	3	4	5
23.	ठगलाराम/जसाराम नाई	गजनीपुरा	750/-	29-12-82
24.	सवीया/नेमा मेघवाल	दुठारिया	,,	,,
25.	खुमा/जेता ,,	,,	,,	,,
26.	शान्ति/मोहन हरिजन	सालरिया	,,	,,
27.	राजाराम/टीकम मेघवाल	घेनड़ी	,,	,,
28.	मोहनलाल/नवलाजी सरगरा	सांवलता	,,	,,
29.	चेनाराम/गमनाजी भांबी,	नादानाभाटान	,,	,,
30.	हिमता/चुनाजी ढोली	,,	,,	,,
	कुल भवन 30 राशि 22500/-			

ह०/-

विकास अधिकारी

रानी (पाली)

———